उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No HO3798 */C-6 /Gen-766/ O.A. No.176/2023* *Dated* 08-12-2023

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001 .

Sub: Regarding submission of Additional Status Report on behalf of UPPCB in compliance of the order dated 17.10.2023 in Original Application No. 176 of 2022 In the matter Aman Chaudhary Vs. Union of India and Others.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 17.10.2023 in OA no. 176/2022 In the matter Aman Chaudhary Vs. Union of India and Others. The Additional Status Report on behalf of UPPCB is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

It is also requested to Hon'ble Tribunal that in view of the verification of remaining 438 mining leases, Honb'le Tribunal may kindly allow more time for the same.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above

(Dr Ram Karan)
Chief Environmental Officer
(Circle-6)

Copy to: For information and further necessary action.

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

Chief Environmental Officer
(Circle-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Additional Status Report on behalf of UPPCB in compliance to the order dated 17.10.2023 passed by the Hon'ble NGT, New Delhi in Original Application No. 176 of 2022 In Re: Aman Chaudhary Vs. Union of India and Others.

The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi vide its order dated 17.10.2023 in Original Application No. 176 of 2022 In Re: Aman Chaudhary Vs. Union of India and Others has passed the directions. The operative portion of the order is quoted as below:-

".....9. UPPCB is directed to verify the status of all the mining lease holders in the State of Uttar Pradesh and file additional status report mentioning the compliance status of all the mining lease holders before this Tribunal by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and to upload the same on its website within one month from the date of receipt of a copy of this order....."

- **Additional Status Report**

1. That in compliance of the Hon'ble NGT order dated 30.05.2023 in aforesaid case the details as desired by Hon'ble NGT regarding the status of Mining Leases and action against defaulter units etc has been submitted to Hon'ble Tribunal vide UPPCB Letter No H01920/C-6/Gen-766/OA No 176/2023 Dated 14.10.2023.
2. That as per the submitted consolidated status of mining leases in Uttar Pradesh, there were **1232 mining leases** established, out of which **445 Mining Leases** had obtained Consent to Operate (CTO) under the section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and **787 Mining Leases** had not obtained CTO.
3. That in compliance of the Hon'ble NGT order dated 17.10.2023, show cause notices dated 20.10.2023 under section 31 A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 were issued by UPPCB against the **defaulter 787 Mining Leases** of Uttar Pradesh for not obtaining prior consent to operate under The Air (Prevention and

Control of Pollution) Act, 1981. The copy of the Show Cause Notices dated 20.10.2023 are being annexed herewith as **Annexure-1** to this report.

4. That as of now, the detail of **787 Mining Leases** is given below:

   - **160** Mining **Leases** have obtained Consent to Operate (CTO) under the section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The list of the 160 Mining Leases is being annexed herewith as **Annexure-2** to this report.
   - The Consent to Operate applications of **36 Mining Leases** are under process for disposal. The list of the 36 Mining Leases is being annexed herewith as **Annexure-3** to this report.
   - UPPCB vide letter dated 08.12.2023 have issued Closure order under section 31 A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to **151 Mining Leases**. The copy of the said closure orders are being annexed herewith as **Annexure-4** to this report.
   - **04 Mining Leases** are not functional. The list of the 04 Mining Leases is being annexed herewith as **Annexure-5** to this report.
   - The verification of the remaining **436 Mining Leases** is under progress, therefore it is requested before the Hon'ble Tribunal to allow more time for completion of verification of remaining mining leases. The list of the 436 Mining Leases is being annexed herewith as **Annexure-6** to this report.

The above additional status report of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

(**Dr Ram Karan**)
Chief Environmental Officer
Circle-6, UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1029
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02142 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Farrukhabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Abhay Pratap Singh S/o Shri Arun Pratap Singh,R/o- Murhas, Post- Jaitpur, Tehsil & District- Farrukhabad, U.P. Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.- 942, 945, 984, Village-Gagoli, Tehsil- Sadar, District- Farrukhabad, U.P.,(Leased Area-1.2510 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Farrukhabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1030
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02142 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Farrukhabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Bhupendra Singh S/o Shri Ramratn Singh, R/o- Manohar Nagar, Pikhana, District- Farrukhabad, U.P., Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-04, Village- Meerpur, Tehsil -Farrukhabad, District- Farrukhabad, U.P., (Leased Area- 1.1980 1.1980 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Farrukhabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02142 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Farrukhabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anil Kumar S/o Shri Ranjesh, R/o- Village-Aakhoonpur Raipur Khas,Lakhanpur, Tehsil- Kaimganj, District- Farrukhabad, U.P., Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-313,Village-Lakhanpur, Tehsil- Kaimganj, District-Farrukhabad, U.P, (Leased Area-0.3280 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Farrukhabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02142 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Farrukhabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anantram Shakya S/o Shri Kalicharan, R/o- Kuiyanboot Dhilawal, Post-Pachpukhara, Tehsil- Sadar, District- Farrukhabad, U.P., M/s Kamla Contractor & Supplier Assampur Amritpur, Proposed for Ordinary Sand Mining Project at Gata No.33, Village-Assampur, Teshil-Amritpur, District- Farrukhabad, U.P., M/s Kamla Contractor & Supplier Assampur Amritpur,Leased Area -10.05 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Farrukhabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02152 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kanpur Nagar/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Nagebdra Singh, R/o - MIG-02 Mahabalipuram, Kanpur Nagar, U.P., M/s Vaishnavi Enterpries, River Ordinary Sand Mining at Araji/Gata/Khand No.-2Mi, Area 26.00 Acre (10.50 Ha) , Village- Katari Sunaudha, Tehsil- Bihaur, Distt.- Kanpur Nagar, U.P.,M/s Vaishnavi Enterpries, (Leased Area-10.50 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kanpur Nagar की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kanpur Nagar में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kanpur Nagar ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02142 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Farrukhabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Suresh Chandra Dani (Prop.), R/o- Gaujajali, Bichli Haldawani, District- Nainital, Uttar Khand, Proposed of River Bed Sand Mining along Ganga river, at Gata No.- 72, at Village/Ghat- Katri Manpur, Tehsil- Sadar, District- Farrukhabad, U.P., of Shri Suresh Chandra Dani,Leased Area -10.177 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Farrukhabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02142 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Farrukhabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Suresh Chandra Dani, R/o- Gaujajali, Bichli Haldawani, District- Nainital, Uttar Khand, Proposed of River Bed Sand Mining along river bed of Ganga river, at Gata No.- 1/3, at Village-Sinauli, Tehsil- Kaimganj, District- Farrukhabad, U.P., of Shri Suresh Chandra Dani,Leased Area -10.177 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Farrukhabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Priyanka Seth, W/o Shri Saurabh Gupta, R/o 905, Chandra Vihar Colony, Tehsil & District: Jhansi, U.P, Proposed of "Sand/Morrum Mining" at Betwa River Bed at Gata No. 321 (Khand – 01) of Area: 4.5 Ha, Village: Saujna, Tehsil: Moth, District: Jhansi, State: Uttar Pradesh.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Devendra Kumar Gupta, R/o- 160 OM Shanti Nagar, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P., M/s Saksham Contractor and Suppliers, Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-181, Khand No.- 04, at Village-Haivatpura, Tehsil-Garautha, District -Jhansi, U.P.,M/s Saksham Contractor and Suppliers, Lease area-0.8090 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Devendra Kumar Gupta, R/o- Gata No.-181, Khand No.- 03, at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District -Jhansi, U.P., M/s Saksham Contractor and Suppliers, Proposed of " Building Stone (Khanda,Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-181, Khand No.- 03, at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District - Jhansi, U.P. Lease area-1.214 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pawan Kumar Seth S/o Shri Bhagwat Prasad, R/o- Damele Chowk, Mauranipur,District-Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-479, 480, Khand No.- 01, at Village-Kanja, Tehsil-Mauranipur, District-Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Akhil Pratap Singh S/o Shri Raj Bahadur Singh, R/o- Village- Chhapar, Post-Bharosa, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti)" Project at Gata No.-87, Khand No.-02, at Village- Dasna, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Lease area-0.809 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pawan Kumar Seth S/o Shri Bhagwat Prasad, R/o- Damele Chowk, Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti)Mining" Project at Gata No.-1619, Khand No.- 03, at Village- Rauni, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.618 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Archana Gupta W/o Shri Devendra Kumar Gupta, 160, Om Shanti Nagar, Laxmi Gate, Jhansi Khas, Jhansi-284002., Proposed for Building Stone (Khandas, Gitti, Boulder Mining at Gata No.-515, 16, 17, Khand -03, Village- Sirbo, Chanpura, Tehsil-Garautha,District- Jhansi, U.P., Lease area- 1.214 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Tarun Gupta S/o Shri Ashok umar Gupta, R/o- 1346 Naya 712, Kunj Bihari Colony, Gwalior Road, Tehsil & District- Jhansi,U.P., Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease Area 14.00 ha (34.58 acre) along river Betwa in Gata No.- 01, 218 Ka, Village- Kudri, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 14.00 ha, Shri Tarun Gupta

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Kamlesh Sahu (Shri Ashish Yadav), R/o- Village- Palar, Badagaon, Distt.- Jhansi, U.P., Shamsherpura Sand Mine on Betwa River located at Gata No. 01 Village - Shamsherpura, Tehsil- Teharauli, Distt.- Jhansi , U.P., (Leased Area-12.140 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1045
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Manju Kushwaha, 429, Bada Gaon Gate, Teachers colony, Jhansi, 284001, Diaspore-Pyrophilyte Mining project at Plot No. 1002, Village-Parvasi, Tehsil & District Jhansi, 10.12 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri jaideep Rai(Shri Yogendra Pramani,R/o-356/4, Civil Line Thana-Nawabad, Tehsil- Sadar, istrict- Jhansi, U.P)., Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for located at Khand No.- 240, Khand No.-04, Village- Himanpura, Tehsil-Kalpi, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 16.194 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jamidar Singh S/o. Shri Vikrmajit Singh, R/o. Vill. Semara, Khulua, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997Mi, Vill. Sindhaura, Teh. Sadar, Area 12.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Lifemap Builders Pvt. Ltd. Shri Ajay Kumar Singh S/o. Shri Baijnath, R/o. 51415A, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 142, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Usha Devi W/o. Shri Arvind Kumar, R/o. Koiran Bazar, Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 137, Vill. Kanchanpur, Teh. Chunar, Area 2.80 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Jay Maa Bhandari Stone Works, Prop. Shri Gulab Das S/o. Paras Nath, R/o. Koiran Bazar, Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 484, Vill. Patti Kalan, Teh. Chunar, Area 2.34 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Neelam Singh W/o. Shri Ghanshyam Singh, R/o. Ghasipur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 485 & 486, Vill. Patti Kalan, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1052
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Abhay Singh, S/o. Shri Jagat Narayan Singh, R/o. Vill. Lalpur, Adhawar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 484, Vill. Patti Kalan, Teh. Chunar, Area 2.31 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02147 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Hamirpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shalendra Yadav, Sand/Morrum mining along River Yamuna, Khand No. 31/4, village- Patyora, Tehsil- Hamirpur, District- Hamirpur, State- Uttar Pradesh(Lease Area- 36.437 ha, Production Capacity-5,82,912 m3/annum)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hamirpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hamirpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Hamirpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02142 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Farrukhabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Subodh Shukla, R/o- Bagkuchha, District- Farrukhabad, M/s R.C. Construction Company, Mining of Minor Mineral (Ordinary Sand), at Plot No.- 970 Ka, 1162, Village- Bhaupur Chaurasi, Tehsil- Amritpur, District- Farrukhabad, U.P., M/s R.C. Construction Company, (Leased Area-7.194 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Farrukhabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02152 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kanpur Nagar/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Moti Construction Company, R/o- 405 Kh, Naya Patel Nagar, Tehsil- Orai, Distrcit- Jalaun, River Sand Mine, at Khasra No.- 698K, 699 & 721, Village- Katri Ludhwa Khera (Rani Ghat), Tehsil - Sadar, District.- Kanpur, U.P.,M/s Moti Construction Company, (Leased Area-21.58 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kanpur Nagar की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kanpur Nagar में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kanpur Nagar ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02152 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kanpur Nagar/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Chandershekhar Chaurasia S/o Deen Dayal Chaurasia, R/o 28, Brahmapuri Colony, Near Jugauli Crossing,Faizabad Road, Lucknow,U.P., M/s Eureka Mines and Minerals LLP, River Bed Sand Mining Project from Yamuna River of M/s Eureka Mines and Minerals LLP located at Gata No.-1598 Cha, Village- Samuhi, Tehsil-Ghatampur, District- Kanpur Nagar, (Leased Area-27.5 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kanpur Nagar की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kanpur Nagar में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kanpur Nagar ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02142 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Farrukhabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Siddharth S/o Shri Shashi Kumar, Village- Lohaie, Tehsil- Kaimganj, District-Farrukhabad, U.P., Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-496, 527, 902 Mi, 1100, 1101, 865, 1114, located in Village- Purauri,Tehsil- Kaimganj, District-Farrukhabad, U.P. (Leased Area-1.4126 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Farrukhabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Farrukhabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Suneel Raajak S/o Shri Hira Rajak, R/o- 1333, Pragatisheel Colony Road, Vijay Nursing Home, Narmda Road, Bhita Thana- Gorakhpur, Distt- Jabalpur(M.P) Sand/ Mining Project of Shri Sunil Rajak (Area 8.00 ha) Near Village-Pratappur, Tehsil-Bara, District- Allahahbd, U.P., Lease Area 8.00 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Srimani Gupta W/o Shri Ashok Kumar Gupta, R/o- Mayur Vihar Jhalwa, Tehsil- Sadar, Distt.- Allahabad EC of mining lease for extraction of Sand/Morrum from river bed Yamuna at Zone No./Gata No/ Khand No.-11/3 and 11/4, Area- 24.28 ha. (60.00 Acres) Village- Diya, Tehsil- Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P.,Lease Area: 24.28 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sanjeev Kumar Gupta, S/o Shri Surendra Kumar Gupta, R/o Shri 437/189, Nevada Colony, Ashok Nagar, Tehsil-Sadar, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 4, Village-Semri Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sarvesh Kumar Pathak, S/o Shri Lalji Pathak, R/o Muriladih, Thana-Ghorawal, District-Sonebhadra, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 2, Village-Pandua, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vidyabhushan Singh, S/o Shri Ramesh Singh, R/o Village-Pawari, Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 5, Village-Naudiha, Amilia, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1063
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Udai Pratap Singh, S/o Shri Budhiram Singh, R/o 86B, Mohile Nagar, Allapur, Thana-George Town, Tehisl-Sadar, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 11, Village-Kanjasa, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Sunita Singh, W/o Shri Raviraj Singh, R/o Village-Pawari, Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. M/s Raj Construction Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 6, Village-Majhiyari and Bhadhaur, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-10.0 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Dhirendra Kumar Dwivedi, S/o ShriRamesh Chandra Dwivedi, R/o 115C/2B/1, Tarakutir Road, Lukarganj, Thana-Khuldabad, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No.11, Village/Ghat-Birwal, Kainua, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Sunita Singh, W/o Shri Raviraj Singh, R/o H.N. 53-A, Shaktinagar, Chaka, FCI, Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. M/s Raj Construction Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No.16, Village-Madauka, Meerakpur and Mahewapatti (Paschim), Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ajay Lal, S/o Shri Ram Chandra Patel, R/o Chitauri, Post-Jasra, Thana-Choorpur, District-Allahabad, U.p. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Zone No./Plot No. 12, Village/Ghat-Deoria, Bikar and Iradatgang, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt Sunit Singh W/o Raviraj Singh, Address: Shri Surendra Kumar S/o Late Shivmurti Bhartiya, Owner, R/o- Village - Berui, Tehsil- Phoolpur, Distt.- Allahabad, U.P., M/s Raj Construction Sand/ Mining from River bed of yamuna at khand No.- 14, at Village- Baswar, Tehsil- Karchhana, Distt.- Allahabad, U.P., M/s Raj Construction, (Leased Area-12.00 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kalpanal Karwaria, Owner, R/o- 1203, Ahiyapur, Malwiya Nagar, Distt.- Allahabad, U.P., M/s K.K Associates Morrum Mining at Yamuna river, Khand No.- 16/2 & 16/3, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P., M/s K.K Associates, (Leased Area-20.23 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Saiyad Sahil Ali S/o Shri Mohd. Rajan Babu, House No.- 1/8/40, Village- Kumharan Tola, Post- Sahadatganj, Cantt., Distt.- Faizabad, U.P. Proposed River Bed from Yamuna River located at Khand No. - 15/41 & 15/42, Village- Umrawan, Tehsil- Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P., (Leased Area-24.28 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Yamuna Prasad Shukla S/o Shri Siyaram Shukla, Owner, Village- Kohrar Bazar, Thana & Tehsil - Meja, Distt.- Allahabad, M/s Yamuna Enterprises Sand Mining from River Bed of Tons at Khand- 45, Area- 6.0 ha (14.82 Acres) , Village- Sulmai to Sodhiya, Tehsil- Karchhana, Distt.- Allahabad, U.P.,M/s Yamuna Enterprises, (Leased Area-6.0 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sanjeev Kumar Gupta, S/o Shri Surendra Kumar Gupta, Owner, R/o 437/189, Nevada Colony, Ashok Nagar, Tehsil-Sadar, District-Allahabad, U.P. Sand Mining from River Bed of Yamuna River from Khand No.-3, Area 8.00 Ha (19.76 Acres) , Village- Bhilor, Tehsil- Bara, Distt.- Allahabad, U.P.,M/s C.L. Gupta & Sons, (Leased Area-8.00 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arun Kumar S/o Late Shri Ram Vilas Singh, R/o- A1/123, D.L.F. Dilshad Vistar 2, Sahibabad Pasaunda, District- Ghazaibad, U.P. Sand/ Morrum from river bed of Yamuna, at Zone No./ Gata No./ Khand No.-11/15 and 11/16, Area 24.28 Ha(60.00 Acres), at Village- Diya Uparhar, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., M/s Rishab Herbal Pvt Ltd., (Leased Area-24.28 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Mishra, Owner, R/o- Village and Post- Ayah, Tehsil and District- Fatehpur, U.P., M/s Rajesh Mishra Construction And Suppliers Proposed River Bed sand/Morrum Mining in Yamuna River for Gata No.- 130, 131, 180, 181, 184, 185, 187 and 189, Area- 16.78 ha (41.46 Acres), Village-Gokan, Tehsil & District- Fatehpur, U.P., M/s Rajesh Mishra Construction And Suppliers(Leased Area-16.78 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ravindra Kumar Pandey S/o Shri Ram Krishna Pandey, R/o- Nimbi, Post- Khai, Tehsil- Karchhana, District- Allahabad, U.P., M/s Bajarang Construction River Bed Sand Mining in River Tons, at Zone No./ Gata No./ Khand No.- 44, Area- 6.0 ha(14.82 Acres) at Village-Bagheda and Dharwara, Tehsil- Karchhana , District- Allahabad, U.P., M/s Bajarang Construction, Lease Area- 6.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s S.S Brothers & Company, Owner, R/o- 107 a, Mori, Daraganj, District-Allahabad, U.P., River Bed Sand Mining in River Tons, at Zone No./ Gata No./ Khand No.- 08, Area- 8.0 ha(19.76 Acres) at Village-Kachara, Mishrpur, Nagarwar, Tehsil-Bara, District- Allahabad, U.P., M/s S.S Brothers & Companyn, Lease Area- 8.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Santosh Kumar Yadav S/o Shri Deena Nath Singh Yadav, Owner, R/o- H.No.-184, Eldico Green, Gomati Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Enterprises Proposed "Sand/Morrum Mining " Project in Yamuna River at Gata No.-467, 466, 454, 425, 426, 427, 428, 430 & 431, Village- Adhawal, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P.,(Leased Area: 6 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sunil Kumar Pandey S/o Shri Anand Shankar Pandey, Village- Badahari, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P. Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Harsh Enterprises, located at Plot No.-13/18, 13/19, Village- Badahari, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 24.28 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District-Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed " Sand/Morrum Mining" at Yamuna Bed River, Gata No.-108 to 120, 124 to 133 & 153 & 162, Area - 35.63 Ha (88.00 Acres)Village- Oti, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd., (Leased Area-35.63 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kesri Nandan Singh, S/o Sri Rama Shankar Singh, R/o Vastu Nagar Haweliya Jhunsi, Tehsil Phoolpur, Distt: Allahabad. Morrum nine Katri (Khand 14/11 to 14/12) Vill: Katri, Teshil Manjahanpur Distt: Kaushambi- 24.28 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Chandrika Prasad S/o Late Munnar , Owner, (Lessee), R/o Ibrahimpur Tehsil-Chinar, Disrict- Mirzapur, U.P. Proposed Capacity Expansion Project "Gitti- Stone, Boulder & Khandas ine' at Gata No.- 2098/B of Area- 15.00 Acres (6.07 ha), Village-Bhatauti, Tehsil- Meja, District-Allahabad, U.P., Lease Area: 6.07 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri CEO Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority(UPEIDA), C-11 Second Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P. Proposed Sand/Morrum Mining" Project at Gata No.-9/18, 9/19, Village- Nanda Ka Purva, Tehsil- Chail, District-Kaushambi, U.P., (Leased Area:24.280 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sudhakar Katiyar, Owner, R/o- Village- Maseni, Tehsil- Farrukhabad, District-Farrukhabad Proposed River Bed Sand/Morrum Mining in River Ganga at Village-Bhithaura, Gata No.-AS-1, Gata No.- 771/1/9 to 771/2/9, Area- 12.0 ha(29.65 Acres) at Village- Asani, Tehsil- Fatehpur, District-Fatehpur, U.P., Lease Area: 12.0ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Deepak Chaurasia R/o 393/161,Ashok Nagar Allhabad UP Proposed Cluster of Mines of Bhatauti Gitti, Patthar & Boulder Mining project at plot no- 2062/86, plot no- 2089/87, plot no-2089/88, plot no -2089/89 plot no2089/90, plot no2089/91, plot no2089/92, (Area- 36.82 Ha or 91 Acre) at Village - Bhatauti Tehsil - Maja, District - Allahabad , UP.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Manish Ojha, R/o Village- Katieya, Chayal, District - Kaushambi, U.P. Proposed Moram Mining Project at Yamuna River bed, Khand No. - 10/17 & 10/18 over an area of 24.28 Ha situated in Village - Kataieya, Tehsil - Chayal, District - Kaushambi, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vijay Kumar Agarwal S/o Late Shri Rameshwar Prasad Agarwal, R/o: 12/10, Dr. Lohia Marg, Tehsil - Sadar, District - Allahabad (U.P.) Proposed "Gitti, Pathar & Khandas Mining" at Bhukhand No. 85 Area - 12.50 Acres (5.061 Ha) Village-Bhatauni, Tehsil - Meja, District-Allahabad, Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Kushwaha S/o Late Shri Mahadev Prasad, R/o- 20/17, Rasoolpur, Allahabad, U.P., M/s Rajesh Enterprises Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Rajesh Enterprises located at Khand No.- 15/43 to 15/44, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 59.99 acre(24.28 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mohd. Asif Usmani S/o Mohd. Mukwil Usmani, R/o- A 1068/5 G.T.B. Nagar, Karaili, District- Allahabad, M/s Bharat Earth Movers Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for M/s Bharat Earth Movers, located at Khand No.- 15/45 to 15/46, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 24.28 ha (60 Acre), Effective Area- 18.88 ha (46.65)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shesh Narayan Karwariya S/o Shri Liladhar Karwariya, Village- Tenva, Tehsil-Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for Shri Shesh Narayan Karwariya located at Khand No.-16/16 & 16/17, Village- Jamunapur, Tehsil- Manjhanpur, District-Kaushambi,, U.P., Lease Area: 24.28 ha, Effective Working Area: 16.38 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pankaj Kumar S/o Shri Bhagwan Das, Owner, R/o- Mahmoodpur Manauri, Tehsil- Chayal, District- Kaushambi, U.P., M/s Jai Bajarang Traders Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Jai Bajarang Traders located at Khand No.- 11/05 to 11/06, Village- Diya Uparhar, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Lease Area: 24.28 ha (59.97 acre),

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sanjay Tyagi ,Managing Director, M/s Devyash Project & Infra-Structure Pvt. Ltd., Village- Ramnagar Kauhan, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P. Proposed Sand/Morrum Mining Project in Yamuna River at Khand No.- R.K. 1A,(Gata No.- Part of 144 etc, 40, 36, 32, 68, 5) , Village- Ramnagar Kauhan, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., Sanctioned Lease Area: 34.81 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shivpratap Singh Chandel S/o Shri Kallu Singh, R/o- 20-A, Gautam Nagar, Tehsil- Sadar, District- Fatehpur, U.P., M/s Jai Shakti Realcon Pvt. Ltd. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 40.48 ha (100.0 acre) along River Yamuna in Gata No.- 391 Mi (Khand No.- 04), Village- Korra Kanak, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Jai Shakti Realcon Pvt. Ltd. (Leased Area- 40.48 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Bishan Singh S/o Ghanaram, R/o- 650, C.I.C. Campus Jhokan Bagh, Jhansi, U.P., M/s Ghanarm Infraengineers Pvt. Ltd. Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Ghanarm Infraengineers Pvt. Ltd. located at Khand No.- SG- 01, Gata No.- 191, 272, 378, 379, 380, 293/2, Village- Sangolipur Garha, Tehsil- Khanga, District- Fatehpur, U.P., Sanctioned Lease Area: 31.57 ha (78.0 acre),

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arun Kumar Mishra, M/s Dijiyana Mining Corporation Pvt. Ltd.,Vishnupuri Annex Indore "Korra Kanak" Sand/Morrum Mining Project over an area of 40.48 ha, (Khand No.- 03, Gata No.- 383 Mi, 391) near Village-Korra Kanak, Tehsil & District-Fatehpur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District-Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed " Sand/Morrum Mining" at Yamuna Bed River, Gata No.-108 to 120, 124 to 133 & 153 & 162, Area - 35.63 Ha (88.00 Acres)Village- Oti, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd., (Leased Area-35.63 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District-Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed Moram Mining Project at Yamuna River bed, Khand No. - 302, 301, 296, 297, 286 mi, 271 mi, 287 mi, 270 mi, 269 mi, 259, 58 mi, 255, 254, 253, 291, 252, 251, 292, 290, 289, 288, 287, 294, & 293, at Khand No.- A-10, OF Area-40.48, Ha(100.03 Acres) Village - Adhawal, Tehsil & District - Fatepur, U.P.,M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vidhya Bhushan Singh, Owner, at Khasra No./Plot No.- 107, Khand No.- 8 & 9, Area- 2.631 Ha, Village- Surwadlapur, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P. Proposed Project of Sand Stone (Gitti- Pathhar, Khandas & Boulder) Mine Project at Khasra No./Plot No.- 107, Khand No.- 8 & 9, Area- 2.631 Ha, Village- Surwadlapur, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P., (Leased Area-1.01 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vijay Bahadur, R/o- Panti Meja Khas, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P. Proposed of Sand Stone (Gitti- Pathhar, Khandas, Boulder) mine at Khasra No./ Plot No.- 1 mi, Khand No.-K/2, Area- 2.02 Ha (5.0 Acres) at Village- Kewalpur, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P., of Shri Vijay Bahadur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vikas Singh, R/o- 8044 near Dot Pul Rambag, Tehsil- Sadar, District- Prayagraj, U.P., M/s Sarita Construction Company/106546 Proposed of Building Stone (Gitti, Boulder) mine at Khasra No./Plot No.- 719, Khand No.-02, Area- 2.024 Ha (5.00 Acres) at Village- Chhatahara Ghurehtha, Tehsil- Bara, District- Allahabad, U.P., M/s Sarita Construction Company/106546

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Madhubala Ojha W/o Shri Manish Ojha, R/o- Shyam Colony, Vishunipur, Near Bhagwatiganj, Balrampur, U.P.,M/s Aditya Building Material Supplier and Contractor Proposed Morrum Mining Project at Yamuna River Bed at Gata No- 33, 34, 38, 39, 50, 51, 56, 57, Khnad No. S.P.- 1 & 2, Village- Salempur, Tehsil- Khaga, District- Fatehpur, U.P.,M/s Aditya Building Material Supplier and Contractor ,(Leased Area-30.36 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Abhishek Singh S/o Shri Jai Prakash Singh, R/o- Village- Shivpuri, Thana-Khakhareru, Tehsil- Khanga, District- Fatehpur, U.P. Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining at River Yumana Project at Khand No.- R-3, Gata No- 34 mi, 54, 55, 97, 96, 56, 53, 35, 95, 57, 58, 52, 51, 92, 91, 59, 60, 50, 89, 90, 62, 61, 49, Village-Ranipur, Tehsil- Khaga, District- Fatepur, U.P., Lease Area: 34.41 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1102
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Indrasan Maurya S/o Bhrigunath, R/o-Khand No.- 7/17, Village- Rasulpur Byur, Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P Proposed river bed Sand/Morrum from river bed Yamuna at Khand No.- 7/17, Village- Rasulpur Byur, Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P.,Lease Area: 9.0 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kamlesh Kumar Singh, R/o- Para V.W, Dhanupur, Tehsil- Handiya, District- Prayagraj, U.P. Proposed Project of Building Stone (Gitti, Boulder) Mine Project at Khasra No./Plot No.- 107, Khand No.- 7 & 8, Village- Surwadlapur, Tehsil-Meja, District- Allahabad, U.P., (Leased Area-2.631 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sanjay Kumar S/o Late Jagat Narayan, Owner, R/o- Mahmoodpur, Manauri, District- Kaushambi, U.P., M/s Sagar Brick Field. Extraction of Sand/Morrum from river bed Yamuna at Zone No./Gata No/ Khand No.- 8/3 and 8/4, Village- Rushai, Saidpur,Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P.,M/s Sagar Brick Field., Lease Area: 24.28 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mahip Singh, R/o- Bishen Ka Pura, Post-Dohriya Uruwa, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P. Proposed for ordinary sand mining from river bed of Ganga river at Khand No.- 30, at Village- Paranipur- II (Bara Shiv Temple to High Tension Line Tower) & Imlauti, Tehsil- Meja/ Handiya, District- Prayagraj, U.P., M/s Mahip Construction/88944,Leased Area -5.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kadam Raj Singh S/o Late hanu Pratap Singh, R/o- Village-Amaaw Madhupur, District-Jaunpur, U.P. Proposed for Ordinary Sand Mining from river bed of Ganga River located at Khand No.-27,Village- Chaudhraan, Tehsil- Karchhana, District-Prayagraj, U.P., Lease Area: 5.00 Ha ,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Reeta Singh W/o Shri Vijay Bahadur,R/o- Village- Sinhapur, Post- Saaripur, Tehail-Aurai, District- Bhadohi, U.P. Proposed for Ordinary Sand Mining from river bed of Ganga River located at Khand No.-25, Village- Kabra to Diha and Kakra to Jamunipur, Tehsil- Karchhana, District- Prayagraj, U.P., Lease Area: 4.00 Ha ,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Manoj Kumar Mishra S/o Shri Mahesh Kumar, R/o- Dudhua, Post & Thana-Utraanv, Tehsil- Handiya, District- Prayagraj, U.P. Proposed of Ordinary Sand Mining Project on River bed of Tons, at Khand No.- 42, Village-From Ganga Tons Sangam to Bhaganpur, Tehsil- Karchhana, District- Prayagraj, U.P.,Leased Area - 5.00 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Upendra Kumar Gupta S/o Shri Minnilal Gupta, R/o- House No.- E-91, Shri Nath Vihar Colony, Flat No- 2, Chilla Road, District- Banda, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 7.13 ha (17.61) along River Ken in Khanda No.- BA-1,Gata No.- 43 mi, 44 mi, Village- Bara, Tehsil- Bindki, District- Fatehpur, U.P., M/s Shreebamdev Global Pvt. Ltd., (Leased Area-7.13 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vikas Singh , R/o- 80/44 near Dot Pul Rambag, Tehsil- Sadar, District- Prayagraj, U.P., M/s Sarita Construction Company Proposed of Building Stone (Khanda & Gitti, Boulder) Mining Project at Khasra No./ Plot No.- 719, Khand No.- 01, at Village- Chhatahara Ghurehtha, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, U.P., M/s Sarita Construction Company, (Leased Area- 2.024 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Nitin Nishad, R/o- 252 C, Nai Basti, Kydganj, District- Prayagraj, U.P. Proposed Capacity Expansion of Sand Stone (Gitte- Pathhar, Khandas, Boulder) mine at Khasra No./Plot No.- 2098, Khand No.- 51A, at Village- Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P., M/s Nitin Nishad/90873, Leased Area -2.631 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Varun Kumar, R/o- Ward No.- 70, Sindhi Tola, Shankargarh, District-Prayagraj, U.P. Proposed of "Building Stone (Gitti- Boulder) Sand Stone Mine" Project at Khasra No./Plot No./Gata No-174, Khand No.-B/9, at Village- Bangaliya, Tehsil- Meja, District-Prayagraj, U.P.,M/s Varun Kumar/110803, Leased Area -4.048 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ravi Jain, Director, R/o- 214 2nd Floor Bardhman Plaza Neta Ji Subhash Place, Delhi, M/s Amoras Trading India Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna River located at Khasra No./Gata No.- 389, 391, Village-Korra Kanak, Tehsil-Fatehpur, District-Fatehpur, U.P., M/s M/s Amoras Trading India, Lease Area: 40.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Mansi Rastogi W/o Shri Deepak Rastogi, Owner, H.No.- 132 HIG, Preetam Nagar, Gayasuddinpur, Uprhar, District- Allahabad, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for M/s Balaji Coal Company, located at Khand No.- 9/8 to 9/10, Village- Umarwal, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 18 ha,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Javed Ali, R/o- Subhash Nagar Saini, Tehsil- Sirathu,District- Kaushambi, U.P. , M/s Aman Brick Field Proposed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna Riverbed for located at Khand No.-10/19 to 10/21, Village- Kataieya, Tehsil- Chayal, District- Kaushambi, U.P. , M/s Aman Brick Field, Lease Area: 10.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sunil Kumar S/o Shri Chandan Singh, R/o- H.N.-239/18, Shanti Nagar, Gurgaon, Haryana, M/s The Sunworld Travels Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna River located at Gata No.- 4, 5, 16, 17, 18, 25, 48 & 56, Village-Ghazipur, Tehsil-Khaga, District-Fatehpur, U.P., M/s The Sunworld Travels, Lease Area: 15.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Durgesh Pratap Singh S/o Shri Satrubandhan Singh, R/o- Village- Koshnakalan, Tehsil- Meja, District- Prayagraj,U.P., M/s Maa Savitri Stones Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti) Mine" Project at Khasra No./Plot No./Gata No.-3114, 3115, Khand No.-18, at Village- Koshnakalan, Tehsil- Meja, District- Prayagraj,U.P., M/s Maa Savitri Stones, Lease area-2.024 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Manoj Kumar Singh S/o Shri Jagdish Singh, R/o- Present Add- 70 C/5B/1A, Uttari Lokpur, Naini, District-Pryagraj, U.P. Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti) Mine" Project at Khasra No./Plot No./Gata No.-3460, Khand No.-17, at Village- Koshnakalan, Tehsil- Meja, District- Prayagraj,U.P., Lease area-1.619 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Adhya Prasad Mishra S/o Late Shri Kamla Sankar Mishra, R/o- Dighiya Babgani Manda, Teshil- Meja, District- Prayagraj, U.P. Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Araji No./Plot No.275, 278, Khand No.- DH/13, at Village- Dharawal, Teshil- Meja, District- Prayagraj, U.P. Lease area-4.048 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1120

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Rinku Singh W/o ShriUday Kuamar, R/o- 16 F 811, Kajirpur, Naini, District- Prayagraj, U.P. Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Sand Stone Mine" Project located at Araji No./Plot No.-59, 98, Khand No.- 05, at Village- Parvezabad, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, U.P., M/s Mateshree Associates, Leased Area -6.072 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Chandan Kumar Maurya S/o Shri Ram Khelawan Maurya, R/o- Village-Pipari, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, U.P. Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder)Mining" Project at Gata No.-275, 276, Khand No.- D.H/12, at Village-Dharawal, Tehsil-Meja, District -Prayagraj, U.P., Lease area-6.758 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1122

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Somesh Bhardwaj S/o Shri Om Prakash Bharadwaj, R/o- Ganj, Mahoba, District-Fatehpur, U.P., M/s Ambey Granite Proposed of Sand/Morrum Mining Project at Guruwal Composite at Gata No.- 53 to 71, 74 to 86, 91, 132 to 134, Khand No.- 01, Village- Guruwal, Tehsil- Khaga, District-Fatehpur, U.P., M/s Ambey Granite, (Lease Area: 50.00 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Kusum Devi, Owner, R/o- Pandila, Post- Ismailganj, Thana- Tharvai, District- Prayagraj , U.P., M/s Kusum Construction Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project located at Gata No.-174, Khanda No.- B/4, Village- Bangaliya, Tehsil-Meja District- Prayagraj , U.P., M/s Kusum Construction, Leased Area -2.024 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Hemandas Gawri (Prop) Shri Chanchal Das Gawri R/o- 21A, Lukarganj (Near Police Chowki) Tehsil- Sadar, District – Prayagraj U.P.,M/s J.H. Traders Proposed Building Stone (Khanda, Boulder, Gitty) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. Gata No- 1251, Khand No.–05, at Village – Kohdar, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s J.H. Traders, Area 8.097 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1125

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ravi Shankar Gupta S/o Late Hira Laal, R/o- Daranagar, Tehsil- Sirathu, District- District-Kaushambi, U.P., Proposed river bed Sand/Morrum Mining Project along river Yamuna located at , Khand No.- 9/25 to 9/26, Village-Mohammadabad Kewat Ka Purwa, Tehsil-Chayal, District-Kaushambi, U.P., (Leased Area-16.00 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1126
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Shakuntla W/o Shri Punjab Singh, R/o-Village-Bisenpur, Post-Dohariya, Thana-Meja, District-Allahabad,Uttar Prades Proposed of Ordinary River Sand Mining project at Khand No-31, Village- ParanipurIII (from tower of hightension line up to constructing tower of high tension line) & Kandla Mawaiya (Ganga River), Tehsil-Meja/Handiya District- Prayagraj, U.P.,Area 5.0 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ateek Ahmad R/o: Plot No.-154, Vivek Nagar, Kanpur Sagar Road, Kabrai, Mahoba-210424 Uttar Pradesh Proposed Building Stone (Gitti-Boulder) Sand Stone mine, at Khasra no. /Plot no./ Gata No. – 1144, Khand No.3, Area 2.024 ha. (5.0 Acres) at Village – Mamauli, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s Kumar Garnitey/90284.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Nirmila Devi D/o Shri Vishwanath R/o- 191C/ 146C Chaukhandi, Kydganj District- Prayagraj, U.P Proposed of "Ordinary Sand Mining at Yamuna River" having mine area: 8.0 ha., located at Khand No. 7, Village- Manpur, Ojha Patti, Barhula, Tehsil- Bara, District: Prayagraj

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Santosh Tiwari S/o Shri Surendra Tiwari, R/o- Mo. No.- C-144, Sector-E, Thana-Aliganj, District- Lucknow, U.P. Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Yamuna River located at Khand No.- 15/35 to 15/39, (Khand Sr. No.- 03) Village- Umrawan , Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., (Lease Area: 10.00 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Akhilesh Kumar Singh S/o Late Rakesh Bahadur Singh, R/o- 162- Chilbila Nahwai Manda, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P.,M/s Akhilesh Kumar Singh Proposed of Building Stone (Khanda & Gitti, Boulder) Mining Project at Araji No./ Gata No.- 1 Kha, Khand No.- V/6, , at Village- Veerpur,Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P.,M/s Akhilesh Kumar Singh, (Leased Area- 2.834 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Atul Kumar Tiwari, R/o-Village – Sikikalan, Tehsil- Meja, District-Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Atul Kumar Tiwari. Proposed of Building Stone (Gitti/Boulder/Khanda) mine, at Khasra No. /Plot No./Gata No.- 984 (2), 665, 666 and 669, Area 2.834 ha. (7.00 Acres) at Village – Sikikalan, Tehsil- Meja, District-Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Atul Kumar Tiwari.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jagdish Prasad S/o Shri Baljor Shri Jagdish Prasad,Village- Mohammadabad Kewat Ka Purwa, Tehsil-Chayal, District-Kaushambi,U.P., M/sMaa Vaishno Traders Proposed "Sand/ Morrum Mining" Project at Khand No.- 9/27 to 9/29, VillageMohammadabad Kewat Ka Purwa, Tehsil- Chayal, District- Kaushambi, U.P. (Leased Area : 21.50 ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ravindra Kumar (Prop) S/o Shri Rajendra Prasad Jaiswal R/o- 463/380A/1, F/1, New Basti Keedganj District – Prayagraj, Uttar Pradesh Proposed of Building Stone (Gitti / Boulder / Khanda) mine, at Khasra no. /Plot no./Gata No.- 1, 522, Khand No.D.H./7 Area 4.0480 ha (10.00 Acres) at Village – Dharawal, TehsilMeja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s Jyoti Associates.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sunita Singh W/o Shri Dinesh Pratap Singh R/o – Rajapur, Bharatganj Tehsil - Meja, District – Prayagraj U.P. Proposed Building Stone (Gitti / Boulder / Khanda) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. – 01 , Khand No.–G/1, at Village – Gudgawa, TehsilMeja, District- Prayagraj , Uttar Pradesh of Smt. Sunita Singh, Area 2.024 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Achintay Karvariya S/o Shri Kapil Muni Karvariya R/o – 1184 Malviya Nagar, Thana-Atarsuiya, Tehsil-Sadar, District- Prayagraj, U.P. Proposed Sand/ Moram Mining From Yamuna Riverbed Located at Khand No. 14/07 To 14/10, Village- Katri, Tehsil- Manjhanpur District: Kaushambi (U.P.) Lease Area: 17.0

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Deepak Singh, R/o- Village – Hinauti Pandey, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Deepak Singh. Proposed of Building Stone (Gitti/Boulder/Khanda) Sandstone mine,
at Khasra no./Plot no./Gata No.-272, Khand No.6, Area 0.809 ha (2.00 Acres) at Village – Hinauti Pandey, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Deepak Singh.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Renu W/o Shri Satendra Kumar R/o- Ahiran Ka Pura, Dari Tehsil- Meja, District – Prayagraj U.P., M/s Jai Maa Aadi Group Proposed Building Stone (Gitti/Boulder/Khanda) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. - 275, Khand No.– DH/14, at Village – Dharawal, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s Jai Maa Aadi Group, Area 1.012 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Usha Rani Gavri (Prop) W/o Shri Hemandas Gavri Office Add: 3rd Floor, Flat No.104 Skandh Apartment, Lukarganj, Prayagraj. Permanent Add:- 21A, Lukarganj (Near Police Chowki) Thana- Kuldabad, Tehsil- Sadar, District – Prayagraj U.P. Proposed Building Stone (Khanda, Boulder, Gitty) Sandstone mine at Araji No. /Plot No./Gata No- 174, Khand No.–B/10, at Village – Bangaliya, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s M.K.A. Enterprises, Area 2.428 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Diwakar Singh, R/o- Village- Kosanakalan Manda, Tehsil- Meja, District- Prayagraj Uttar Pradesh, M/s D.P.S Enterprises Proposed of Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. Gata No- 174, Khand No.–B/5, at Village – Bangaliya, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s D.P.S Enterprises, Area 2.0240 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arun Kumar Singh (Prop) S/o Shri Dharmendra Pratap Singh R/o: 529 Manda Khas Tehsil- Meja, District–Prayagraj U.P. Proposed of building stone (Gitti, Boulder, Khanda) sandstone mine at Araji No. /Plot No./Gata No- 1Mi, khand no.–K/3, at village – Kewalpur, tehsil- Meja, district- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Arun Kumar Singh, area 2.024 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ravi Nandan, R/o- at Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh Proposed of Building Stone (Gitti, Boulder, Khanda) Sand Stone mine at Araji No./Plot No./Gata No.- 2098, Khand No.–52, at Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Ravi Nandan, Area 4.048 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ram Kesarwani, R/o- Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh Proposed of Building Stone (Gitti, Boulder, Khanda) Sand Stone mine at Araji No./Plot No./Gata No.- 2098, Khand No.–41 and 43, at Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Ram Kesarwani, Area- 4.048 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajeev Kumar Singh S/o Shri Surendra Bahadur Singh R/0-Village Rajapur, Post – Bharatganj, Tehsil Meja, District- Prayagraj (U.P.) Proposed of "Building Stone Sand Stone (Khanda, Boulder Gitti) Mining Project" located at Araji No. 1Mi, khand K/1, Village- Kevalpur, Tehsil- Meja & District- Prayagraj, Uttar Pradesh, (Area 1.214 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Aditya Singh S/o Shri Jagdish Singh, R/o- House No.- 109, Purani Bindki, Fatehpur, U.P. Proposed Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.- 159Ka, 159Kha, 159Gha, 113, 163, 165, Village- Mavaiya Mustakil, Tehsil- Bindki, District- Fatehpur, U.P. (Area – 1.392 ha).

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1145

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Nirmal Kumar Chaubey (Prop) S/o Shri Balwant Chaubey Add:- Chhorhar Hanumanganj District–Balia, U.P Proposed Building Stone (Khanda, Boulder Gitti) Sandstone mine located at Araji No. /Plot No. Gata No- 174, Khand No.–B/3, Area 2.0240 ha (5.0 Acres) at Village – Bangliya, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh, Area- 2.0240 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Santoshi Singh W/o Shri Deepak Kumar Singh R/o: 12, Hanumanbag Colony Mamfordganj, Thana- Colonelganj, Tehsil- Sadar, District- Prayagraj-U.P. Proposed Project is toextract Sand Stone at located Araji No./Plot No./Gata No.- 2061, Khand No.–1B, Area 8.097 ha (20.0 Acres) at Village – Bhatauti, Tehsil-Meja, District-Prayagraj, Uttar Pradesh.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02162 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Prayagraj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Saroj Singh, R/o- Village- Bangliya, Tehsil - Meja, District- Prayagraj, U.P. Proposed of Building Stone (Khanda/ Boulder/Khanda) Sand Stone mine at Araji No./Gata No.- 174, Khand No.–B/2, at Village –Bangaliya, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Smt. Saroj Singh, Area 1.619 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Prayagraj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Prayagraj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02153 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kaushambi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sunil Kesharwani, S/o Shri Ram Babu Kesharwani R/o –744, G T Road, Bamrauli, Distt-Prayagraj, U.P. Proposed river bed Sand/Morrum Mining having lease area 16.00 ha (40 acre) along river Yamuna in Khand No. 9/3 to 9/4 at Village – Piparhata, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, U. P. of M/s Vishwanath Enterprises, Area 16.00 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kaushambi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kaushambi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02143 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Fatehpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Yaduvanshi Pragya Singh D/o Shri Yaduvanshi Ashok Kumar Singh Add.- K-1 Block D, Shalimar Grand-10 Jopling Road, Lucknow, U.P. Proposed "Sand/ Morrum Mining" Project at Adhawal Composite-2 Gata No.- 331, 333 to 335, 339 to 343, 346 to 351, 362 to 366, 376, 380 to 390, 392, 395 to 397, 407, Village- Adhawal, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P. (Applied Area : 45.0 ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Fatehpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Fatehpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Prayagraj को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Buddh Singh S/o Shri Shatrujeet Singh R/o - 816, Moth, Poonch, Tehsil- Moth District- Jhansi, U. P., M/s Buddh Singh Granite, Proposes of Building Stone (Khanda, Boulder, Balast) Mining at Gata No./Araji No.–281, Khand No. 01, at Village – Madaurakhurd, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh of M/s Buddh Singh Granite, Area 0.890 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Siddharth Yadav S/o Shri Jitendra Singh Yadav R/o- 364, Pratappura Nagra, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.)., Proposed for Khailar Khanda- Boulder/ Gitty-Ballast Mining Project at Gata No.-669 (Khand No.07), Village- Khailar, Tehsil-Sadar, District-Jhansi, Uttar Pradesh by Shri Siddharth Yadav, Area- 2.530 Ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Shruti Dubey W/o Shri Tarun Gupta, R/o- 1346 Kunj Vihar Colony, Civil Line, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.), Proposed for Chaukari KhandaBoulder/ Gitty-Ballast Mining Project at Gata No.1127, Khand No.-03, Village-Chaukari, Tehsil-Garautha, District-Jhansi, Uttar Pradesh by Smt. Shruti Dubey, Area- 0.8090 Ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jitendra Pratap Singh Yadav S/o Shri Chhatrapal Singh Yadav, R/o- 50 Purana Raiganj, Seepari bazar, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.), Proposed for Khailar KhandaBoulder/ Gitty- Ballast Mining Project at Gata No. 669 (Khand No.21), Village- Khailar, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, Uttar Pradesh by Shri Jitendra Pratap Singh Yadav, Area- 2.023 Ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Deeraj Kumar Prajapati S/o Shri Jitendra Kumar Prajapati, R/o- H.No.- 511, New Basti, District: Jhansi, Uttar Pradesh, Proposed Project of Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast (Gitti) Mine at Arazi No.- 464 (Khand-01), Village- Pahara, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, Uttar Pradesh, Area 1.618 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shivpal Singh S/o- Shri Kartar Singh R/o - Village & Post-Khilli Tehsil- Moth, District- Jhansi (U.P.), Proposed Project of "Building Stone Khanda – Boulder/ Gitti-Ballast Mining " located at Gata No. 455 (Khand No. - 01), in Village- Pachobai, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh, Area 0.809 Ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sanjay Parecha, R/o-Ao 28 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, (U.P.), Proposed Khanda- Boulder/ Gitty-Ballast Mining Project Area 2.0 Ha. for a Production of 60,000m 3 /yr at Gata No.310,Khand No.-4, Village- Dagariyarund , Tehsil-Sadar, District-Jhansi

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sagar Parecha, R/o- Ao 27 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, (U.P.), Proposed for Building Stone, khanda, gitty, boulder Mining Project Area 1.214 Ha. for a Production of 36420 m 3 /yr at Gata No.1127,Khand No.-2, Village- Chaukari, Tehsil- Garautha, District-Jhansi State- Uttar Pradesh by Prop. Shri Sushil Parecha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ratan Singh Yadav S/o- Shri Hiralal R/O- Village: Poonchha, Thana: Poonchha District: Jhansi, U.P., M/s Ratan Stone Gramudyog, Proposed Project of "Building stone, Khanda – Boulder/ Gitti -Baillast Mining" located at Gata No- 505 (Khand-01), Area 1.618 Ha. in Village Patha, Tehsil-Garautha, District Jhansi, U.P., M/s Ratan Stone Gramudyog

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajendra Mishra, R/o- 127/581, S-Block Vinoba Nagar, Juhi, Kanpur Nagar, U.P., Proposed Project of "Building Stone, Khanda, Boulder, Ballast (Gitty) Mine" located at Gata No-152,Khand No.- 02, Village- Daun, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., M/s Deep Builders, Area: 1.214

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Satish Yadav S/o - Shri Kartar Singh Yadav R/O- Village and P.O. - Khilli, Thana – Poonch, Tehsil : Moth, Distt: Jhansi, (U.P.), Proposed Project of "Building stone, Khanda – Boulder/ Gitti -Ballast Mining" located at Gata No- 23 (Khand-04), Area 1.30 Ha. in Village Dasna, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Dhiraj Kumar Prajapati S/o Shri Jitendra Kumar Prajapati R/o-511,New Basti, Jhansi, Uttar Pradesh, Proposed Building Stone "Khandas, Gitti, Boulder Mining Project" at Gata No. 98 (Khand – 05) ,Village: Karanpura, Tehsil: Garautha, District: Jhansi, State: Uttar Pradesh, Area: 0.809 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Milan Yadav S/O- Shri Pramod Kumar R/O- 612 H.No, Kamal Singh Colony, Khati Baba District: Jhansi (U.P.), Proposed Project of "Building stone, Khanda – Boulder/ Gitti -Ballast Mining" located at Gata No- 442ग (Khand-01), in Village Dongri, Tehsil- Sadar, District Jhansi, Uttar Pradesh, Area 1.618 Ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anoop Parecha, R/o- Bo 30 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mine" Project at Gata No.-277, Khand No.- 02, at Village-Silari, Tehsil-Moth, District-Jhansi, U.P., Lease area-1.416 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Satyam Gupta S/o Saurabh Gupta, R/o- 944, Civil Lines, Tehsil & District-Jhnasi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.- 22, Khand No.-07, Village- Dunara, Tehsil -Sadar, District-Jhansi, U.P., Leased Area -3.237 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jitendra Singh, R/o-Village- Nawada, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Proposed River Bed Sand Mining Project at Gata No.-28, 67, 73, 76, Khand No.-02, Village- Nawada, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 14.0 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pramod Kumar Gupta S/o Shri Ram Narayan Gupta, R/o- 1215 Civil Line, Shakti Nagar, B.K.D,Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder & Gitti) Mining" Project at Gata No.-669, Khand No.-03, at Village- Khailar , Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Khushbu Yadav W/o Shri Neelesh, R/o- 17, Kamal Residency, Shivaji Nagar, District- Jhansi, U.P., M/s Brij Construction Company, Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder & Gitti) Mining" Project at Gata No.-244, Khand No.-01, at Village-Musawali, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Brij Construction Company, Lease area-1.821 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anoop Parecha, R/o- Bo 30 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mine" Project at Gata No.-3096, Khand No.- 12, at Village-Bijauli, Tehsil-Sadar, District-Jhansi, U.P., Lease area-0.8090 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt.Ragini Dubey, R/o-B.A. 5 K.K. Puri Colony, Seeparee, Tehsil &District-Jhansi, U.P., Proposed of Red Morrum Mine Project at Gata No.-2232, Khand No.- 04, at Village-Jhansi, U.P., Lease area-0.8090 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Anupama Yadav W/o Shri Charan Singh Yadav, R/o- 178, CP Mission Compound, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-23, Khand No.- 07, at Village-Dasna, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Lease area-2.00 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sandeep Singh Yadav, Owner, R/o-143, Barwa Sagar, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mining" Project at Gata No.-37/4, at Village-Jarbo, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.011 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Suraj Prasad Gupta S/o Shri Kalicharan Gupta, R/o- Kabrai, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Proposed of " Building Stone (Gitti , Khanda & Boulder) Mining" Project at Gata No.-745/2, at Village-Makarbai , Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.182 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Deepak Wadhi S/o Shri Jagmohan Wadhi, R/o- 1533, Janki Puram, Civil Line,Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Gitti , Khanda & Boulder) Mining" Project at Gata No.-856, Khand No.-04, at Village-Pali Pahari, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-0.728 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pramd Kumar Gupta S/o Late Ramnarayan Guupta, R/o- Shaktinagar Gwalior Road, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti)" Project at Araji No.-1195/11 & 1219/11,at Village- Digara, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.396 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pravendra Singh S/o Shri Vishun Singh, R/o- 240/4, Ao Kachahari Chauraha Civil Lines,Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Boulder & (Gitti) Bailast) Mining" Project at Gata No.- 120, Khand No.-01, Village- Majhari, Tehsil- Tahrauli, District- Jhansi, U.P., , Leased Area -0.809 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Harpal Singh, R/o- 206 Katra, Gursarai Dehat, Tehsil- Garautha, District-Jhnasi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti)Mining" Project at Gata No.-226, Khand No.-07, at Village-Sirvo, Tehsil- Garautha, District-Jhnasi, U.P., Leased Area -0.809 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Ratna Jadaun W/o Virendra Singhy Jadaun, R/o- E-7, M-708, Arera Colony Bhopal, M.P., Proposed River Bed Sand Mining Project at Gata No.-523, Village-Khakuora , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 20.0 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sagar Parecha, Owner,R/o-Village-Dangariyarund, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P.,, Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder & Gitti)Mine" Project at Araji No.-310, Khand No.- 03, at Village-Dangariyarund , Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P.,Lease area-2.0 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shi Anoop Singh Patel S/o Shri Khyali Ram Patel, R/o- Mohalla Parvaripur, Tehsil & District- Mainpuri, U.P., Proposed Building Stone (khanda, Gitti & Boulder) Mining Project at Gata No.-295, Khand No.-01, Village-Khilara, Tehsil-Mauranipur, District Jhansi, U.P. Lease area-0.809 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anand Kumar Yadav S/o Shri Sadhu Ram Yadav, 27, Isai Chowki, Khailar, Tehsi & District- Jhansi, U.P.,, Proposed for Building Stone (Gitti & Khandas, Boulder Mining at Gata No.-669, Khand No.-27, Village- Khailar, Tehsi -Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area- 2.023 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajendra Singh Yadav S/o Shri Lakhan Yadav, R/o- C.P. Mission Compound, Tehsil & District-Jhansi, U.P., M/s Shivam Steels,, Building Stone, Khanda & Boulder, Gitti/Ballast Mining at Gata No.-205/02,, Khand No.- 01, at Village- Bhadarwara Bujurg, Tehsil-Garautha, District - Jhansi, U.P. , M/s Shivam Steels, Lease area-1.618 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vijay Kumar Khatri S/o Shri R.M. Khatri, R/o- Purana 45 Naya 762, Civil Lines,District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda,Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-267, Khand No.- 01, at Village- Silari, Tehsil-Moth, District -Jhansi, U.P. Lease area-1.416 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Amit Singh, R/o- 1087/1 Station Road , PNB Bank K Pass, District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti- Boulder) Mine" Project at Gata No.-669, Khand No.-01, at Village- Khailar, Tehsil & District- Jhansi, U.P. Leased Area -2.509 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Amit Singh, R/o- 1087/1 Station Road , PNB Bank K Pass, District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti- Boulder) Mine" Project at Gata No.-669, Khand No.-04, at Village- Khailar, Tehsil & District- Jhansi, U.P. Leased Area -2.225 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Raj Kumar Parecha S/o Shri Ishwar Das Pareacha, R/o- 1533, Jankipuram Civil Lines,Tehsil & District -Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Gata No.-06, Khand No.- 01, at Village- Punawali Kalan, Tehsil & District -Jhansi, U.P. Lease area-2.428 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

ShriVinay Kumar S/o Shri Lala Ram Verma, R/o- 748, Vanshi Gauhara, Thana-Korwali Mainpuri, District- Mainpuri, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Gata No.-105, Khand No.- 01, at Village- Athodna, Tehsil-Sadar, District -Jhansi, U.P. Lease area-2.023 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

ShriVinay Kumar S/o Shri Lala Ram Verma, R/o- 748, Vanshi Gauhara, Thana-Korwali Mainpuri, District- Mainpuri, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Gata No.-442 Ga, Khand No.- 02, at Village-Dongri, Tehsil-Sadar, District -Jhansi, U.P. Lease area-1.618 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Anupama Yadav W/o Shri Charan Singh Yadav, R/o- B-178, c.p. Misssion Compund, Jhansi, U.P., M/s Raj Construction Company, Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder)Mining" Project at Gata No.-173, Khand No.- 01, at Village- Dhawar, Tehsil-Moth, District -Jhansi, U.P., M/s Raj Construction Company, Lease area-2.832 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Harsh Kochar, C-1, & C-2, Industrial Estate, Jhansi, M/s J.K. Minerals, Proposed for Diaspore- Pyrophyllite Mining Project at Khasra No.- 1340, 1344, 1345, 1339, 1328, and Bawal Tanda 421, 422, at Village- Palar, Bewal & Tanda, Tehsil-Jhansi, U.P.,(Leased Area:72.50 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Devashish Biswas, Owner, R/o- B-603, 6th floor Aleesha Apartment, 3 way Road, Raja Ram Mohan Rai Marg, District- Lucknow, U.P., M/s Dee. Enterprises, Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-181, Khand No.-01,at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District- Jhansi, U.P. M/s Dee. Enterprises, Lease area-2.023 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Shashi Devi W/o Shri VIrendra Kumar, R/o- House No.-168/19, Noniya Mohal, District-Banda,U.P.,M/s Shubh Construction, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project along river Betwa in Gata No.- 321 Ga, Village- Salemapur , Tehsil-Moth, District-Jhansi, U.P., (Leased Area-10.0 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Saraswati Dubey W/o Shri Sanjay Dubey, R/o- 81, Bajrang Colony, Block Side of Medical College, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder)Mining" Project at Gata No.-326, Khand No.-01,at Village- Todi, Tehsil-Moth, District Jhansi, U.P. Lease area-0.809 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Chaudhary Ubaid Ahmad Thekedar S/o Shri Shahid Hussain, R/o- Nai Basti Banki, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) & Red Morrum Mining" Project at Gata No.-585, Khand No.-01,at Village- Bhandra, Tehsil-Mauranipur, District Jhansi, U.P. Lease area-2.0 ha., Shri Chaudhary Ubaid Ahmad Thekedar

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anoop Kumar Singh S/o Shri Dharmjeet Singh, R/o- B-27/70, 2ND Floor, Barhar Kothi, Durga Kund Road, Near Gurudham Crossing, Varanasi, U.P., M/s M.C.C. Mahadev Construction Pvt. Ltd., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-19, Khand No.-05, at Village- Paraaichha, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P. M/s M.C.C. Mahadev Construction Pvt. Ltd. , Lease area-2.023 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Triveni Devi W/o Shri Ratan La Ahirwar, R/o- 365, Nainagarh, Nagra,Jhansi,U.P., Proposed for Punawali Kalan(Gitti-Ballast & Khanda, Boulder) Mine" Project at Gata No.-2449, 2451/2, Village- Punawali Kalan, Tehsil & District-Jhansi, U.P., Leased Area -5.0 Acres

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arvind Kumar Nagayach, Owner, R/o- 808 Ramnagar Ajnaari Road, Railway Crossing K pass , Orai, District- Jhansi, U.P., M/s Nikhil Enterprises, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-515, Khand No.- 04, at Village- Sirvo, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., Leased Area -2.023 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anirudha Singh, Owner, R/o- 860 C.P. Mission Compound, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P., M/s Friends Enterprises, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-1293, Khand No.- 02, at Village- Karari, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., Leased Area -2.023 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Srimati Saraswati Dubey, R/o- 81 Bajrang Colony Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mining" Project at Gata No.- 603, Khand No.- 02, at Village- Sywari (Siori), Tehsil- Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Leased Area -1.214 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anoop Kuamr Singh, R/o-H.No.-B-30/5, Plot No.-914/915, Ambrosiya Apartment , B.H.U Road, Sadar,Varanasi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khandas, Gitti & Boulder) Mining" Project located at Gata No.-22, Khanda No.- 01, at Village-Paraichha , Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Leased Area -1.902 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1200
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Deepak Changani S/o Shri Chetan Lal, Owner,R/o- H.No.-1042, CIC Camapus, Jhokan Bag, Tehsil & District- Jhansi, U.P. Proposed River Bed Sand Mining Project from Managoru River at Gata No.-794, Village- Atpei , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 2.50 ha), Proposed River Bed Sand Mining Project from Managoru River at Gata No.-794, Village- Atpei , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 2.50 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1201
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sujeet Tiwari, R/o-372/28, Babulal Karkhane K Pass, Civil lines,Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P.,M/s Sanika Construction, Proposed Project of riverbed "Ordinary Sand Mining" on the riverbed of River Gorboro at Gata No.- 373, 374, 382, 383, 384, 386, 387, 782, 800, 692 at Village-Navada, Tehsil-Mauranipur, District-Jhansi, U.P.,M/s Sanika Construction,Leased Area -3.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ishwar Das Parecha, R/o- 57/A, Sundar Vihar Colony, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mining" Project located at Araji No.-696, Khand No.- 01 , at Village-Karari, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Leased Area -2.023 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1203
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jai Ram Yadav S/o Shri Badri Prasad, R/o- Village-Khalishpur, Tehsil-Budhanpur, District- Azmgarh, U.P., M/s Jai Ram Engineers Contractors, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mining" Project at located Gata No.-281, Khanda No.- 05, Area - 1.780 ha , at Village- Madaurakhurd, Tehsil- Moth, District-Jhansi, U.P.,M/s Jai Ram Engineers Contractors, Leased Area -1.780 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ashish Kumar Singh S/o Shri Kailash Singh, R/o- Station Road, Paraichha, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No./Araji No./Plot No.-719, at Village- Goramachhiya, Tehsil & District- Jhansi, U.P., M/s Ashish Enterprises, Leased Area -1.214 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Rita Gupta W/o Shri Sanjay Kumar Gupta, R/o- 49, Kailash Residency, Than-Kotwali, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Khasra No.-03, at Village- Sirov , Tehsil-Garautha, District-Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sujeet Bahadur Singh, S/o- Shri Harihar Singh, R/o- Village- Sersa, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P.,M/s Harihar Stone Gramodhyog, Proposed of Building Stone (Gitti- Pathhar, Khandas, Boulder) mine at Gata No./Araji No./ Plot No.- 12, Khand No.-02, Area- 0.890 Ha (2.25 Acres) at Village- Paraichha, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Harihar Stone Gramodhyog

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sushil Kumar Gupta, R/o- A.M, 2/14 Virangana Nagar, Thana- Nawabad, Tehsil & District- Jhansi, U.P., M/s Sushil Stone Gramodhyog, Proposed of Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mine Project at khand no- 03, Village- Khairo, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Sushil Stone Gramodhyog, Leased Area -2.023 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1208
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anurudh Kumar Khare S/o Shri Siyasaran Khare, R/o- 34, Purani Kotwali, Pachkuiya, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed Project of Building Stone,(Khandas & Gitti, Boulder) Mine Project located at Gata No./Araji No./Plot No.- 87, Khand No.- 01, Area- 1.214 Ha, Villlage-Dasna, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Khare Traders, Leased Area -1.214ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sujeet Bahadur Singh, S/o- Shri Harihar Singh, R/o- Village- Sersa, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., Proposed Project of Building Stone,(Khandas & Gitti, Boulder) Mine Project located at Gata No./Araji No./Plot No.- 281, Khand No.- 01, Area- 0.890 Ha (2.25 Acres), Villlage-Marodakhurd, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Harihar Stone Gramodhyog, L

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1210
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anup Kumar Singh, R/o- B30/5, Flat No.- 914/915, Ambrosiya Apartment, B.H.U. Road, Tehsil- Sadar, District- Varansi, U.P., Proposed Project of Building Stone,(Khandas & Gitti, Boulder) Mine Project located at Gata No./Plot No.- 22, Khand No.- 01, Area- 1.902 Ha (4.698 Acres), Villlage-Paraichha, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Mahadev Construction Company, Leased Ar

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sri Radhika Raman Yadav, Thekedar, Village Lighaura, Tehsil Garautha, District-Jhansi, U.P., Khanda, Gitty/Boulders (Building stone) project at Gata no./Araji no./Plot no. 1098, Khand-01,at Village Sakarar, Tehsil Mauranipur, District-Jhansi., Lease area 1.618 ha.M/s Radhika Raman yadav thekedar

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1212

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Bishan Singh S/o Shri Ghanaram , Director, For- Ghanaram Infra Engineers Pvt. Ltd., R/o 818 west Patel Nagar, New Delhi, Proposed Sand/Morrum Mining Project for M/s Ghanaram Infra Engineers Pvt. Ltd., located at Gata No./Zone No./Khand No-01 Ka, Village- Kukargaon, Tehsil- Tehrauli, District- Jhansi, U.P.,(Leased Area-30.361 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Singh , M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd. , W-21, First Floor, Rajauri Garden, Dehli, Erach (Khand-01/Area- 40.468 ha) Sand/Morrum Mine on Betwa River at Khand No.- 01, Village- Erach Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd., Sanctioned Lease Area: 40.468 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shrestha Sahu S/o Shri Vinod Sahu, Owner, R/o- 940/80 Civil Line ,Jhansi, U.P., M/s Vardan Construction, Area- 30.0 Acre/ 12.140 Ha. for River Sand/Morrum Mining at Khand No./ Gata No.- 1129, Village- Dikauli, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Vardan Construction (Leased Area-12.140 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mayank Tomar, Lesses, i26, Bapu Nagar, Bhilwara, Rajasthan, Dhawaker River Sand/Morrum Mine at Khasra No.-1984 & 2009, at Village- Dhawaker, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., (Leased Area-12.14 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ashish Yadav S/o Ram Pratap, R/o- Village- Palar, Badagaon, Tehsil & District.- Jhansi, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Chelra Sand Mine on Betwa River at Khand No.- 1055, 1107, Villgae- Chelra, Tehsil- Moth, District-Jhansi, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.,(Leased Area-16.187 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1217

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Akarshit Sharma, Address: H.No.-74, C.O.D. Farm, Jwalanagar, Vikash Nagar, Tehsil- Sadar, District- Rampur, M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Luhargaon Sand Mine On Betwa River at Khand No.- 01, Village- Luhargaon, Tehsil- Tahrauli, District- Jhansi, U.P.,M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., (Leased Area-12.14 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sharad Pratap Singh S/o Shri Shyam Sundar Singh, R/o- Village- 240, 4A, Kachahri Chauraha, Distt.- Jhansi, U.P., M/s Sharad Enterprises, River Sand Mining at Araji/Gata/Khand No.-184, Area 22.00 Acre (8.903 Ha) , Village- Paraicha, Tehsil-Moth, Distt.- Jhansi, U.P.,M/s Sharad Enterprise, (Leased Area-8.903 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Karan Singh Rathore S/o- Bharath Singh Rathore, A/49 Basant Vihar Panchayawala, Near Raysal School, Jaipur, Vaishali Nagar, Rajasthan, M/s Shri Kuberkamna Marbles Pvt. Ltd., Mailwara Sand Mine on UR River located at Gata No. 950, 966 at Village - Mailwara, Tehsil- Mauranipur, Distt.- Jhansi , U.P., (Leased Area-14.164 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1220
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Akarshit Sharma S/o Sanjeev K. Sharma, H. No.- 74, C.O.D. Farm Jwalanagar, Vikas Nagar, Tehsil-Sadar, Distt.- Rampur, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Pachauro Sand / Morrum Mine on Sukhnai River located at Gata No. 968, 796, 797, 1102 at Village - Pachauro, Tehsil- Mauranipur, Distt.- Jhansi , U.P., (Leased Area-8.093 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

[122]

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Aman Deep Singh S/o Shri Ranjeet Singh, Katghar, Veer Shah Hazari, Moradabad- 244001, M/s A.D. Agro Foods Pvt. Ltd., Tharro Sand Mine on Betwa River located at Gata No. 01, 319, Village - Tharro, Tehsil- Garautha, Distt.- JHANSI , U.P., M/s A.D. Agro Foods Pvt. Lt, (Leased Area-20.234 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kailash Chand, E7 M708, Arera Colony, Bhopal, M.P., M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd., Devri Sand Mine on Dhasan River located at Gata No 381/10, 332/1, Village - Devri, Tehsil- Garautha, Distt.- JHANSI , U.P., M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd., (Leased Area-21.044 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ashok Kumar Rai, Prop., M/s Maa Betwa Trading Company, R/o Village-Badora, Post-Ghisauli, District-Jhansi, U.P., Sand/Moram mining at Araji/Gata No. 278 & 293, Village-Teharka, Tehsil-Garautha, District-Jhansi, U.P. (Leased Area-20.234 Ha).

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02150 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jhansi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sri. Sujeet Bahadur Singh, S/o Sri Hari Har Singh, Village-Sersa, Tehsil-Moth, Jhansi, U.P., EC for Stone Ballast/Khanda Boulder Mine at Araji No. 19, Village-Paraicha, Tehsil-Moth, Jhansi, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jhansi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jhansi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajeev Singh S/o Shri Brijendra Pratap Singh, R/o--Ambedkar Nagar Colony, Kabrai, District- Mahoba, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder, Patiya, Lalmorrum etc) Mining" Project at Araji No.-93/1, Khanda No.- 07, at Village- Lakhanapur, Tehsil-Lalitpur, District- Lalitpur, U.P., Leased Area - 2.134ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ravaraja S/o shri Seetal Singh, Village -Jugupura, Devgarh Road, Lalitpur, District- Lalitpur, U.P., Proposed Building Stone (khanda, Gitti & Boulder, Ballast) Mining Project at Gata No.-1498, Khand No.-04, Village-Gadiya, Tehsil-Talbehat, District- Lalitpur, U.P. Lease area-2.023 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jayram Singh Niranjan, Owner, Near Risala Temple Azadpura, Tehsil & District- Lalitpur,U.P., Proposed for Khanda, Gitti & Boulder Mining at Araji No.- 02/1, Khand No.- 04, Village-Lakhanpura, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Leased Area -1.00 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Lakshhmi Shankar,Adwaha, Post- Muhara, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Proposed for Khanda, Gitti Mining Project at Araji No.-02/1, Khand-02, Village- Lakhanpura, Tehsil- Lalitpur,District-Lalitpur,U.P., Lease area- 2.550 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Bhupendra Singh, Owner,R/o- Village-Pachauni, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Proposed of Riverbed Sand /Morrum mine at Khasra/Gata No.- 01, Khand No.- 01, Village-Pachauni, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Leased Area -2.023 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jai Hind Singh Bundela, Owner,R/o- Village-Pachauni, Tehsil & District-Lalitpur, U.P., Proposed of Riverbed Sand /Morrum mine at Khasra/Gata No.-01,Khand No.-02 , Village-Pachauni, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Leased Area - 1.618 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1231
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kaushal Kishore Soni, Owner,R/o-Village- Balargua, Talbehat, District-Lalitpur, U.P., M/s Natraj Builders, Proposed for River Sand Mine at Khasra/Araji No.-391, Village- Balargua, Talbehat, District-Lalitpur, U.P., M/s Natraj Builders,(Area: 3.238 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Karuna Parecha Ruchi Satya,R/o-1533, Jankipuram Civil Line , Jhansi, Proposed of Khanda,Gitti mine at Araji/Gata No.- 02/1, Khand No.-03, Villlage-Lakhanpura, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Lease Area 1.0 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Phool Singh Yadav S/o Shri Shuk Dayal,394, Basalguwa, Tabehat, Lalitpur, U.P., Proposed for (Khanda, Gitti & Boulder)Mining at Araji No.- 93/1, Khand No.- 05, Village-Lakhanpura, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Leased Area -2.024 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1234
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Santosh Kumar Singh, Village-Lakhanapur, District- Lalitpur, U.P., Proposed for Khand Gitti Mining Project at Araji No.- 09, Village-Lakhanapur, District- Lalitpur, U.P,Area-1.396 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ravendra Singh Chauhan, Owner, 440, Near National Convent School, Lalitpur, U.P., Padwa River Sand Mine at Araji No.- 01, at Villge- Padwa, Tehsil- Mahaoni, District- Lalitpur, U.P., M/s Ramraja Minerals, Leased Area -2.60 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sri. Deependra Singh Chauhan, MS KRISHNA ENTERPRISES, 115, Vijay nagar, Kanpur Road, District- Lucknow, Uttar Pradesh-226023, Sand Mining at River Sharda, Village-Mudi, Gata No. 443, Tehsil, Dhaurahra, District Lakhimpur Khiri, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Mount Victoria Granites Ltd, 36/34, Pal Mohan Mension, East Patel Nagar, New Delhi, Stone Mining Project at Vill-Madwari, Distt-Lalitpur, U.P. (Leased Area-3.583 Hac)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02155 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lalitpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Mount Victoria Granites Ltd, 36/34, Pal Mohan Mension, East Patel Nagar, New Delhi-110008, Sand Stone Mining at Vill-Madwari, Distt-Lalitpur,U.P.(Leased Area-4.127 Hac)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lalitpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lalitpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Nikhil Jain,R/o- 13- A, unv Block, Shalimarbagh, Delhi, M/s Abundance Toujours Pvt. Ltd., Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Betwa River located at Gata No.- 747, Khand No.- 03, Village- Pathrehta , Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., (Lease Area: 16.194 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Bishan Singh, R/o- 240/4A, Civil Lines Kachahari Chauraha, Tehsil- Jhansi, District- Jhansi, U.P., Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Betwa River located at Gata No.- 240, Khand No.- 03, Village- Hamanpur, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., (Lease Area: 13.360 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1241
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mohammad Jawed,Owner, R/o- 41 Raipur, IIM Road, District-Lucknow, U.P., M/s M P Infra, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project on the River Bed of River Betwa located at Gata No.- 1396 G, Khand No.- 02, Village-Bhedikhurd, Tehsil-Kalpi, District-Jalaun, Uttar Pradesh. M/s M P Infra, Sanctioned Lease Area-20.242Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Nirmal Kant Tiwari,R/o-204, Budhauliyana Rath,District- Hamirpur,U.P.,M/s Mankameshwar Infrastructure, Proposed river bed Ordinary Sand Mining from Betwa River at Gata No.-1396 , Khand No.-1,Village- Bhedi Khurd, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., M/s Mankameshwar Infrastructure, (Leased Area-20.42 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Devendra Kumar Gupta S/o Shri Shiv Kumar Gupta, Owner, R/o 160- Om Shanti Nagar, Jhansi U.P., M/s Shaksham Contractors Suppliers, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for , located at Gata No.- 317 Mi, Khand No.- 03, Village- Kurauna, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P.,M/s Shaksham Contractors Suppliers(Leased Area-20.242 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Singh, M/s Kuber Kamna Marbels Pvt. Ltd., 312- Ganpati Plaza, Bhati, 41 M. Road, Rajasthan, Basrehi Sand/Morrum Mine on the Betwa River for M/s Kuber Kamna Marbels Pvt. Ltd. at Gata No.- 596, Khand No.-02,(Area- 16.194 Ha), Village-Basrehi, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Chandershekhar Chaurasia S/o Deen Dayal Chaurasia, R/o 28, Brahmapuri Colony, Near Jugauli Crossing,Faizabad Road, Lucknow,U.P., M/s Eureka Mines and Minerals LLP, Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ken River of M/s Eureka Mines and Minerals LLP located at Gata No.-747 (Khand No.- 01), Village- Pathreta, Tehsil- Kalpi, District-Jalaun, Uttar Pradesh. Sanctioned Lease Area-40.02 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anand Gupta S/o Shri Laxminarayan Gupta, R/o- Maharajpur, Kanpur Nagar, U.P., Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project having lease area- 20.242 ha (50.1 acre)along River Betwa in Gata No.- 1396 Ga, Khand No.- 04, at Village- Bhedikhurd, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 20.242 ha,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Devendra Kumar Gupta S/o Shri Shiv Kumar Gupta, Owner, R/o 160- Om Shanti Nagar, Jhansi U.P., M/s Sakshm Contractors Suppliers, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for M/s Sakshm Contractors Suppliers, located at Gata No.- 2513, 2629, Khand No.- 02, Area-20.242 ha (50.00 Acres)Village- Kharka, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 20.242 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ajay Kumar Kattiyar, Owner R/o- 117/721 Q-Block, Kakadev Sarada Nagar, Naveen Nagar, District- Kanpur Nagar,U.P., M/s New Pooja Construction, Total Area- 22.0 Acres (8.906 Ha),Effective Workable Area- 17.30Acres (7.012 Ha), River Sand/Morrum Mining Project at Gata No.-1782, 1783, Khand No.- 02, Village- Mohana, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P., M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd., Sanctioned L

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Maheep Kumar Ojha S/o Shri Ramdeo Prasad Ojha, Village- Dhushah, Tehsil-Balrampur, District-Balrampur, U.P., M/s Bindu and Ram Construction Company, Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River for M/s Bindu and Ram Construction Company, located at Gata No.- 1396 Ga and Khand No.- 03, Village-Bhedi Khurd, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., Sanctioned Lease Area: 20.242 Ha , Effective Ar

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1250
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Umesh Chandra Bansal S/o Shri Kailash Narayan Bansal, Village- Jauti Road, Near Radha Krishan Temple, Porsa, District- Muraina, U.P., M/s Kanhaiyan Lal And Sons, Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River for M/s Kanhaiyan Lal And Sons located at Gata No.- 1782, 1783, Khand No- 03,Village- Muhana, Tehsil-Orai, District-Jalaun, U.P., Sanctioned Lease Area: 8.906 ha , Effective Workable Area- 8.016 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Suresh Chandra Gupta S/o Shri Narayan Das Gupta, Owner, H.No.- 60, Ganesh Bazar, Jhansi City, District- Jhansi, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta, Area- 40.0 Acre/16.194 Ha. for River Sand/Morrum Mining Project at Khand No.- 03, Gata No.- 267, 268 ,Village- Kyotra, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta (Leased Area-16.194 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sri Bishan Singh S/o Shri Ghanaram Singh R/o H.No. 240/4A, Civil Lines, Kachhehri Chauraha, Distt: Jhansi, U.P., Sand/Morrum Mining from Betwa River Gata no. 240 Khand no.5, Vill: Himanpura, Tehsil Kalpi, Dsitt: Jalaun.U.P. Lease Area 16.194 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Yashpal Singh Parmar, Owner, M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd., District-Chhatarpur, M.P., Area- 40.0 Acre(16.194 ha) for River Sand/Morrum Mining at Khand No.-04, Gata No.- 2558, 2563, Village- Bandhauli, Tehsil- Urai, District- Jalaun, U.P., M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd (Leased Area-16.194 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Suresh Chandra Gupta S/o Shri Narayan Das Gupta, Owner, H.No.- 60, Ganesh Bazar, Jhansi City, District- Jhansi, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta, Sand/Morrum Mining from betawa river for M/s Suresh Chandra Gupta at Gata No. 596 Khand No. 1, Village- Basrehi, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P. (Area 16.194ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ankit Gupta S/o Shri Vijay Shankar Gupta, Owner, H.No.-843, Sector- 19, Indira Ngar, Lucknow, U.P., M/s Maa Raktdantika Contractors and Suppliers Pvt. Ltd., Proposed river bed sand/Morrum Mining from Betwa River for M/s Maa Raktdantika Contractors and Suppliers Pvt. Ltd., located at Gata No.-1396 Ga,Khand No.- 2, Village- Bhedi Khued, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P.,(Leased Area-20.242 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1256
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sharif Khan, Owner, R/o- 315 Nemi Nagar, Extension- Vaishalinagar, Jaipu , M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Karthara Sand Mine on Betwa River at Khand No.- 01,Gata No.- 208, Villgae- Karthara, Tehsil- Orai, District-Jalaun, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.,(Leased Area-6.882 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vishwas Parmani, S/o H. Parmani, R/o - Asssociated Commerce, Pipriya, Distt.- Hoshangabad(M.P.), M/s Associated Commerce, Sand/ Morum Mining Project from Betwa River for M/s Associated Commerce located at Gata No.-747/16, Village- Patharehta, Tehsil-Kalpi, Disst.- Jalaun, U.P., M/s Associated Commerce, Lease Area 8.90 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sri Mahesh Kumar Dubery,, EC for Khanda/Gitti/Boulder Stone Mining Project at Gata No-892/3, Vill-Chhirwali, Tehsil-Konch, Distt-Jalaun, U.P. (Leased Area 2.70 Acres)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02149 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Jalaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sri. Brijendra Singh, Village-Nrew Ramnagar Orai, Tehsil-Orai, District-Jalaun, Sand/Morum Mining Project at Gata No-860/19, Village-Simiriya, Tehsil-Orai, District Jalaun (Leased Area 3.112 Hac)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Jalaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Jalaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Jhansi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shailendra Kumar Dubey S/o Shri Indra Kumar Dubey, R/o. Vill. Kalana Dubey, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 36/6/5, Vill. Sonbarsa, Teh. Lalganj, Area 2.50 Acre., Distt. Mirzapur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1261
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vishal Dubey S/o. Shri Ramjidhar Dubey, R/o. Vill. Kalana, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 36/5/2, Vill. Sonbarsa, Teh. Lalganj, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anirudh Kumar Tiwari S/o. Shri Vikramadity Tiwari, R/o. Vill. Chauguna, Post-Kador, Distt. Sant Ravidas Nagar (Bhadohi), Mining Project at Gata No. 83 Kh, Vill. Bhusi Patharaha (Niji), Teh. Lalganj, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1263
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Om Jay Infradevlopers, Partner Shri Rahul Singh S/o. Om Prakash Singh R/o. House No. 31, Bhuneshwar Nagar Colony, Ardali Bazar, Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 6438Ga, Vill. Naugawan, Teh. Lalganj, Area 9.88 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1264
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rana Ranjan Singh S/o. Late Rameshwar Singh, R/o. Vill. Matikhana, Post Belan Baraudha, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 112Mi & 121Mi, Vill. Matikhana (Niji), Teh. Lalganj, Area 1.75 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Dilip Bildcon Ltd., Director Shri Dilip Survanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryavanshi, R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chunabhatti Kolar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 760, 762, 766, 768 & 770, Vill. Semari Mangradaha (Niji), Area 4.00 Teh. Lalganj, Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Dilip Bildcon Ltd., Director Shri Dilip Survanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryavanshi, R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chunabhatti Kolar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 764, Vill. Semari Mangradaha (Niji), Teh. Lalganj, Area 6.20 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1267
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Mithilesh Dubey W/o. Shri Ramji Dubey, R/o. Vill. Kalana Dubey, Gaipura, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 3Kh & 3Gh, Vill. Manikpur (Niji), Teh. Lalganj, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shambhu Nath Yadav W/o. Shri Binnar Yadav, R/o. Vill. Devari Kalan, Teh. Marihan, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 478, Vill. Devari Kalan, Teh. Marihan, Area 6.25 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1269
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

J.B.S. Stone, Prop. Jaypal Gupta S/o. Late Keshav Prasad Gupta, R/o. Vill. Barkachha Kalan, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 501 Ka & Ga, Vill. Devari Kalan (Niji), Teh. Marihan, Area 5.00, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1270
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jagdish Chandra Diwedi S/o. Late Ramrekha Diwedi, R/o. Visundarpur, Civil Lines, Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 484, Vill. Devari Kalan (Niji), Teh. Marihan, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

[127]

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Girija Shankar S/o. Shri Mulraj, R/o. Vill. Mudaila, Thana Saray Khvaja, Teh. Shahganj, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1537/Kha/1, Vill. Bahuti (Niji), Teh. Marihan, Area 6.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1272
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Dhanpal Singh S/o. Shri Khajan Singh, R/o. Moh. Shankarpur, Ghaziabad and Shri Bramhdatta S/o. Shri Shivdatta R/o. Moh. C-729, Sector-C, Maha Nagar, Lucknow, Mining Project at Gata No. 17Gha, Vill. Pathraur (Niji), Teh. Marihan, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1273
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Amod Kumar Singh S/o. Shri Devendra Chaudhari, R/o. Vill. Bathuva, Pathrahiya, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1K, 1J, 1An, 1Tha and 1Tha, Vill. Dhanawal (Niji), Marihan, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Suraj S/o. Late Shitala Prasad, R/o. Moh. Pakki Saray, Thana Kotawali Shahar, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1537R, Vill. Bahuti (Niji), Marihan, Area 6.47 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1275
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Keshav Nath Tiwari S/o. Late Ramnagina, R/o. Vill. Pahari Barkchha, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1537R, Vill. Bahuti (Niji), Teh. Marihan, Area 4.94, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Akhilesh Kumar Singh S/o. Shri Raj Bahadur Singh, R/o. Vill. Bhaidpur, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 508/1, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 1.55 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1277

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Moh. Shah S/o. Shri Jamat Ali Shah, R/o. Vill. Harharpur Dunda Shubhali, Thana Bahedi, Distt. Barelli, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhaura, Teh. Sadar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Satya Prakash Construction Company, Prop. Shri Satya Prakash Singh S/o. Shri Devraj Singh, R/o. Chakgaura Bisen, P.O. Nakati, Mishrauli, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 2Mi, 3, 5 & 6 Mi. Vill. Chakgaura Bisen, Teh. Sadar, Area 1.30 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shyam Bahadur Singh S/o. Shri Jawahir Singh, R/o. Danghar, Hydil Colony, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 562, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 1.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Shiv Kumari Devi W/o. Shri Sushil Kumar Mishra, R/o. Vindhyapuri Colony, Bharuhana, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 562, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 1.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Premji Tripathi S/o. Late Shivmurti Tripathi, R/o. Vill. & Post Bharpura, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1312 Mi, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1312 Mi, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Bol Bam Eint-Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jatashankar Tripathi, R/o. Vill. Marpha, Po. Hinauti, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhora, Teh. Sadar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Khaki Baba Construction Company, Prop. Shri Ramesh Singh S/o. Shri Ghurahu Singh, R/o. Imariti Colony, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhora, Teh. Sadar, Area 11.01 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Vindhya Stone Products, Prop. Shri Sanjay Kumar Dubey S/o. Shri Vidda Prasad Dubey, R/o. Dharsara, Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhaura, Sadar, Area 7.48 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1285
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Rudra Bali Traders, Prop. Shri Rajesh Kumar Singh S/o. Shri Ramji Singh, R/o. Basaratpur, Adalpura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhora, Teh. Sadar, Area 3.00 Acre. Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Unnati Construction, Prop. Shri Vivek Kumar Singh S/o. Shri Arvind Kumar Singh, R/o. Vill. Chhitauni, Thana-Chaubeypur, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997Mi, Vill. Sindhaura, Teh. Sadar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Sadguru Suppliers, Prop. Shri Alokdhar Dubey S/o. Shri Jay Prakash Dubey, R/o. Chhapka, Thana-Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997Mi, Village Sindhora, Teh. Sadar, Area 4.50. Distt. Sonbhadra.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Vindhya Stone Products, Prop. Shri Sanjay Kumar Dubey S/o. Shri Vidda Prasad Dubey, R/o. Dharsara, Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 547 Mi, Vill. Bhojpur Pahari, Teh. Sadar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Ivitech India Pvt. Ltd. Director Shri Prashant Singh S/o. Shri Surendra Singh, R/o. Sarswati Nagar, TCI Ke Peechhe, Distt. Varanasi, Mining Project at Gatat No. 547, Vill. Bhojpur Pahari, Teh. Sadar, Area 4.96 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Vimlesh Devi W/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Chandleva, Thana-Padri, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gatat No. 703Anh, Vill. Chandleva Kalan, Teh. Sadar, Area 2.00, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1291
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Devendra Pratap Singh S/o. Late Musafir Singh, R/o. Chuppepur, Ramashankar Nagar Colony, Teh. Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 708Ja Mi, Vill. Chandleva Kalan, Teh. Sadar, Area 4.00, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Santosh Kumar Pandey S/o. Shri Lakshmi Narayan Pandey, R/o. Vill. Mahuari Kalan, Thana-Vindhyachal, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 2442 to 2444, 2456, 2458, Vill. Mahuari Kalan, Teh. Sadar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Suneeta Devi W/o. Shri Ramu Gupta, R/o. Vill. Purainiya, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Moh. Shah S/o. Shri Jamat Ali Shah, R/o. Vill. Harharpur Dunda Shubhali, Thana Bahedi, Distt. Barelli, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Lakshmi Devi W/o. Shri Ashok Kumar Yadav, R/o. Moh. Ghurahupatti, Civilin Line, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Soma Enterprises, Banjara Hills, Hyderabad, Prop. Shri P.R. Koteshwar Roy S/o. Shri Venkateshwar Roy, R/o. Banjara Hills, Hyderabad, Hall Pata - Vibhuti Glass Factory, Ramnagar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 139, 140/1, 141/1, 141/2, 143/1, Vill. Dhauhan, Teh. Chunar, Area 5.79 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jagdish Singh S/o. Shri Ram Briksh Singh, R/o. Vill. Barawan, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 360, Vill. Adhavar, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Alok Kumar S/o. Shri Jokhan Singh, R/o. Vill. Manjhawa, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sripati Singh S/o. Late Sitaram Singh, R/o. Katwamafi, Chakiya, Distt. Chandauli and Shri Jitendra Kumar Singh S/o. Shri Sabhajit Singh, R/o. Agarsand, Paragana-Haveli, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428 Acre, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1300
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Madhurima Singh W/o. Shri Akshya Pratap Singh, R/o. Vill. & Post Jamo Gauriganj, Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 01, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1301
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ashok Kumar Sharma S/o. Shri Vansh Narayan Sharma, R/o. Vill. Puradurvasa (Ahraura) Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428 Acre, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 5.00, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pankaj Singh S/o. Shri Jagtamba Singh, R/o. Vill. Awaleshpur, Thana Rohaniya, Teh. Sadar, Distt. Varanasi. After dead of Mining Lease Holder to transfer Name of Shri Jagtamba Singh S/o. Shri Aditya Narayan Singh, R/o. Vill. Ramgarh Kalan, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Dynamik Riyalcon Pvt. Ltd. B-41-G-3F Dilshad Gordane Sahdara, New Delhi, Prop. Shri Dinesh Khandelwal S/o. Shri K.C. Khandelwal, R/o. 211C, RatanDham Apartment, Maikrobertganj, Kanpur Nagar, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 03.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Dynamik Riyalcon Pvt. Ltd. B-41-G-3F Dilshad Gordane Sahdara, New Delhi, Prop. Shri Dinesh Khandelwal S/o. Shri K.C. Khandelwal, R/o. 211C, RatanDham Apartment, Maikrobertganj, Kanpur Nagar, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1305
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Dinesh Khandelwal S/o. Shri K.C. Khandelwal, R/o. 211C, Ratandham Apartment, Makrobertganj, Kanpur Nagar, Mining Project at Gata No.428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Hari Lal Prajapati S/o. Shri Moti Ram Prajapati, Shri Moti Ram Prajapati S/o. Shri Shivnath Prajapati, R/o. Vill. Korari, Girdhar Shahpur, Teh. & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Hari Lal Prajapati S/o. Shri Moti Ram Prajapati, Shri Moti Ram Prajapati S/o. Shri Shivnath Prajapati, R/o. Vill. Korari, Girdhar Shahpur, Teh. & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirza

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Ajayashish Construction & Infra Pvt. Ltd., Vill. Sarvanpur, Durgapur Road, Distt. Amethi, Director Shri Ajay Kumar Pandey S/o. Shri Ashok Kumar Pandey, R/o. Vill. Pure Agavan Majare Korari Girdharshah, Thana, Teh. Amethi, Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1309
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Ajayashish Construction & Infra Pvt. Ltd., Vill. Sarvanpur, Durgapur Road, Distt. Amethi, Director Shri Ajay Kumar Pandey S/o. Shri Ashok Kumar Pandey, R/o. Vill. Pure Agavan Majare Korari Girdharshah, Thana & Teh. Amethi, Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1310
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sunil Kumar Pandey S/o. Shri Devi Prasad Pandey, R/o. Bankelal Tandon ji Ki Gali, Wellesellyganj, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 730, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Bhai Patel S/o. Late Jagdish Singh, R/o. Vill. Ramrasahi, Post Patihata, Chunar, Mirzapur, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 05.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1312
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Neeraj Upadhyay S/o. Shri Harishankar Upadhyay, R/o. Vill. & Post Patihata, Teh. Chunar, Mirzapur, Mining Project at Gata No. 703, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Vijeta Singh W/o. Shri Hemant Kumar Singh, R/o. Patel Nagar (Garaudi), Post Adalhat, Mirzapur, Mining Project at Gata No. 705, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1314
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Abhay Singh S/o. Shri Jagat Narayan Singh, R/o. Vill. Lalpur, Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 705, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1315
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Amrita Singh W/o. Shri Vishal Singh, R/o. House No. J-12/15 H-3, Bauliyabag, Ramkatora, Chetganj, Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 728, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1316
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ganga Sagar Singh S/o. Shri Meghvaran Singh, R/o. Vill. Karampur, Tehsil Saidpur, Distt. Ghazipur, Mining Project at Gata No. 730, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1317
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. J.A.M. Marbal & Minerals, Part. Shri Mata Prasad S/o. Shri Ram Prasad, R/o. Vill. Paharpur, Tehsil Naraini, Distt. Banda, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1318
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ashok Kumar Mishra S/o. Shri Ramakant Mishra, R/o. Vill. Bihara, Post Pila Kothi, Thana Kotwali Karvi, Distt. Chitrakoot, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1319
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Moh. Shah S/o. Shri Jamat Ali Shah R/o. Vill. Harharpur Dunda Shubhali, Thana Bahedi, Distt. Bareilly, Mining Project at Gata No. 732, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. S.R. Developers, Prop. Smt. Renu Singh W/o. Shri Sandip Kumar Singh, R/o. Sa. Koronation Kalindi Vile Flat No. 402, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1321

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Swatntra Singh S/o. Shri Sidhnath Singh, R/o. 592Gha/53C, Rajeev Nagar, Thana-P.G.I., Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Mohd. Shamshad S/o. Shri Mohd. Iliyas, R/o. Moh. H.No. 578-A, Lala Mahavir Prasad Road Kasai bar, Sadar Kant, Ahmadpur Urf Kamlapur Dilkusha, Thana Kantt, Tehsil Sadar, Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1323
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Karuna Consaltents Pvt. Ltd., Director Smt. Bhawana Pandey D/o. Shri Lakshmi Datt Pandey, R/o. Moh. 153/1, Jasola, New Delhi, Permanent Address: Himmatpur, Mota Haldu, Thesil Lalkuan, Haldwani, Distt. Nainital, Mining Project at Gata No. 705 Khand-08, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Karuna Consaltents Pvt. Ltd., Director Smt. Bhawana Pandey D/o. Shri Lakshmi Datt Pandey, R/o. Moh. 153/1, Jasola, New Delhi, Permanent Address: Himmatpur, Mota Haldu, Thesil Lalkuan, Haldwani, Distt. Nainital, Mining Project at Gata No. 705, Khand-07, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Karuna Consaltents Pvt. Ltd., Director Smt. Bhawana Pandey D/o. Shri Lakshmi Datt Pandey, R/o. Moh. 153/1, Jasola, New Delhi, Permanent Address: Himmatpur, Mota Haldu, Thesil Lalkuan, Haldwani, Distt. Nainital, Mining Project at Gata No. 705 Khand-06, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1326
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kamala Shankar Yadav S/o. Shri Baba Prasad Yadav, R/o. Vill. Ahirauli, Post Shitalganj, Thana Kotawali Madiyahu, Distt. Jaunpur, Mining Project at Gata No. 728, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1327
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Akhilanand Mishra S/o. Shri Ram Sagar Mishra, R/o. Vill. Mishrapur, Tehsil Sagadi, Distt. Azamgarh, Shri Aashish Kumar Tiwari S/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Moh. 51Ga, Katara Raja Himmat Singh, Tehsil & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 732, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Akhilanand Mishra S/o. Shri Ram Sagar Mishra, R/o. Vill. Mishrapur, Tehsil Sagadi, Distt. Azamgarh, Shri Aashish Kumar Tiwari S/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Moh. 51Ga, Katara Raja Himmat Singh, Tehsil & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 737, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shailendra Singh S/o. Shri Narayan Singh, R/o. Vill. Rajupur, Post Adalhat, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 399, Vill. Jigana, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre., Distt. Mirzapur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1330
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Jay Maa Vindhyavasini Contractor, Vill. Saravanpur, Durgapur Road, Amethi, Distt. Amethi, Prop. Shri Ajay Kumar Pandey S/o. Shri Ashok Kumar Pandey, R/o. Vill. Korari Girdhar Shahpur, Tehsil & Distt. Amethi and Shri Abhishek Tiwari S/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Vill. Katara Raja Himmat Singh, Tehsil & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1331
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ritesh Singh S/o. Shri Om Prakash Singh, R/o. Vill. Sevrai, Thana Gahmar, Tehsil Jamaniya, Distt. Ghazipur, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Kanchan Pandey W/o. Shri Amitabh Pandey, R/o. Moh. Bhatawa Ki Pokhari, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 2.75 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1333
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ramesh Kumar Singh S/o. Late Devpujan Singh, R/o. Vill. Kanchanpur, Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 309, Vill. Baradih. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1334
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ramashankar Dubey S/o. Shri Surendra Dubey, R/o. Kamhari, Bramh Nagar, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 142, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1335
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Nikshay Pandey S/o. Shri Rishikant Pandey, R/o. Moh. Bhatawa Ke Pokhari, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 142, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Chandrabhan Singh S/o. Shri Hariraj Singh, R/o. Line par, Chau Ki Basti, Distt. Muradabad, Mining Project at Gata No. 1K (Khasara No. 39), Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Chandrabhan Singh S/o. Shri Hariraj Singh, R/o. Line par, Chau Ki Basti, Distt. Muradabad, Mining Project at Gata No. 1K (Khasara No. 40), Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri SidhiNath Singh S/o. Shri Mahadev Singh & Shri Budhiram S/o. Shri Shyama Singh, R/o. Vill. Sonpur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1K, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Babu Narayan Kushwaha S/o. Shri Ram Sahay Kushwaha, R/o. Mo. Ramedi Taraus Shahar-Meerpur and Shri Byas Varma S/o. Shri Triveni Prasad Verma, R/o. H.No. 568Kh/219, Geetapalli, Aalambag, Thana Krishna Nagar, Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 497 & 198 Vill. Sonpur Chakjata, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Raj Kumar Singh S/o. Vijay Pratap Singh, R/o. Gaughat, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 626, Vill. Bhuili, Teh. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1341
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Mamrej Construction Pvt. Ltd., Director Shri Harishankar Dubey S/o. Shri Nathuni Dubey, R/o. Flat No. 84, Balaji Nagar Colony, Samane Ghat, Thana Lanka, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 118Mi, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.25 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shyam Bahadur Singh S/o. Shri Jawahir Singh, R/o. Danghar, Hydil Colony, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Anju Singh W/o. Shri Yogendra Pratap Singh, R/o. Pahiti, Post Lahaura, Thana Marihan, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1344
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Vindhyavasini Enterprises, Prop. Shri Rajendra Prasad Pathak S/o. Ramruchi Pathak, R/o. Sa. Mudiladih, Thana Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 02, Vill. Sariya, Teh. Chunar, Area 03.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1345
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Abhay Kumar Singh S/o. Shri Suresh Kumar Singh, R/o. Vill. Pachokhara, Thana & Tehsil Marihan, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 02, Vill. Sariya, Teh. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Birendra Kumar Singh S/o. Late Lal Bahadur Singh, R/o. Vill. Kanhaipur, Thana Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 38Mi, Vill. Kudaran, Teh. Chunar, Area 04.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Maa Mundeshwari Devi Enterprises, Prop. Shri Sohan S/o. Shri Raghunath, R/o. Vill. Paharpur, Thana Shahabganj, Tehsil Chakiya, Distt. Chandauli, Mining Project at Gata No. 207, Vill. Alhua, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Jay Maa Vaishno Stone Works, Part. Shri Gyanendra Pratap Singh S/o. Shri Akhilesh Kumar Singh, R/o. Vill. Mahmoodpur, Thana Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Chhatrabali Singh S/o. Shri Vakil Singh, R/o. Ben Tiyari Chakiya, Distt. Chandauli, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.25 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1350
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pradeep Kumar S/o. Ram Naresh Yadav, R/o. Dohari, Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 177, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

[135]

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Sunita Singh W/o. Shri Surendra Kumar Singh, R/o. Dakahi, Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 399, Vill. Jigana, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1352
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sri Sanjay Singh S/o. Shri Jhagadu Singh, R/o. Hinauti Mafi, Rastogi Talab, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 38 & 01, Vill. Kudaran & Basdih, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jayprakash Singh S/o. Late Lal Bahadur Singh, R/o. Vill. Kanhaipur, Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 399, Vill. Jigana, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Abhiyan Infrastructure, Shri Abhishek Singh S/o. Bharat Singh, R/o. Moh. Satyanganj, Post & Thana Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1355
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Khaki Baba Construction Company, Prop. Shri Ramesh Singh S/o. Shri Ghurahu Singh, R/o. Imariti Colony, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 732, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Javed Ahmad S/o. Shri Ali Jamir Khan, R/o. Rasulpur, Thana Adalhat, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 730, Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sanjay Bhai Patel S/o. Shri Jagdish, R/o. Ramrasahi, Post Patihatta, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1358
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Chandrabali Yadav, S/o. Shri Birju, R/o. Devnathpur, Adhwar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 703, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Maa Vindhyavasini Constrction, Prop. Shri Madhusudan Singh, S/o. Rambadan Singh R/o. Prabhapuram Colony, Urmaura Road, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 705, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Vindhyavasini Enterprises, Prop. Shri Rajendra Prasad Pathak S/o. Late Ramruchi Pathak, R/o. Mudiladeeh, Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 157, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1361
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Dilip Buildcon Ltd., Director Shri Dileep Suryavanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryvanshi R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Colar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 1k, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Maa Sheetala Stone, Prop. Shri Mithilesh Singh S/o. Shri Ramcharittar Singh, R/o. Vill. Adalpura, Thana & Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1k, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1363
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. R.K. Construction Company, Prop. Shri Rajkumar Singh S/o. Shri Vijay Pratap Singh, R/o. Gau Ghat, Thana Kotawali Shahar Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1k, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Gulbadan S/o. Shri Setu, R/o. Vill. Sonpur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 170, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Asha Ram Contractors, Prop. Shri Asha Ram S/o. Late Satyanarayan, R/o. Vill. Bahuti (Parmapur), Thana Lalganj, Tehsil Marihan, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/3, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Krishna Enterprises, Prop. Shri Dayashankar Upadhyay S/o. Late, Dalsringar Upadhyay, R/o. Kolhar, Kotawali Dehat, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/4, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Bol Bam Eint Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jata Shankar Tripathi, R/o. Vill. Bhualpur & Post Sikhar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/5, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Shubham Udyog, Shri Shubham Raj Singh S/o. Shri Tilakraj Singh, R/o. Vill. Bhaurupur, Ajagana, Thana Jigana, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 9Gh/2, Vill. Khaira, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Vindhya Green, Infra Promotors Pvt. Ltd., Director Shri Gajendra Prasad Singh S/o. Shri Jagdish Singh, R/o. Vill. Jamuai, Tehsil Marihan, Distt. Mirzapur, Hall Pata Sangmohal Cloth Shop Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 592/1, Vill. Gahiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. H.P. Traders, Prop. Shri Haushila Prasad Dubey S/o. Shri Aditya Narayan Dubey, R/o. Vill. Rampur, Post Kolhua, Thana Chilh, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/2, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Rakesh Kumar Pandey, Prop. Shri Rakesh Kumar Pandey S/o. Srhi Lalmani Pandey, R/o. Moh. D.J. Colony, Tarakapur, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 03Mi/1, Vill. Gogaon, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Shri Ramayan Construction, Smt. Dayawati Singh W/o. Rajendra Prasad Singh, R/o. Krishnapuri Colony, Bharuhana, Post Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 03Mi/2, Vill. Gogaon, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Bol Bam Eint Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jata Shankar Tripathi, R/o. Vill. Bhualpur & Post Sikhar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 105/2, Vill. Manjhar Kalan, Tehsil Chunar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s. Vidhata Associates, Prop. Smt. Madhuri Singh, W/o. Shri Ravindra Kumar Singh, R/o. Champa Kunj, Nagawan, Lanka, Sadar, Distt. Varanasi, Sand Mining Project at Gata No. 140/1, Vill. Basaratpur, Tehsil Chunar, Area 9.88 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rahul Singh,R/o-H.No.- D-31, Bhuneshwar Colony Orderly Bazar Sadar, Varanasi, U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone) Mining Project for Area: 9.00 Acre/ 4.00 Ha , Sand Stone (Building Stone) mining at Araji No.- 6438 Ga, Village- Naugawan, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Dev Jhoti Das, Moh.- Vidhyanchal, Tehsil- Sadar,District- Mirzapur, U.P., Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone) Mining Project at Gata No.- 307/4, Area-0.80 ha, Moh.- Village Kamapur Kalan, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-0.80 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1377
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Meela Devi W/o Shri Umashankar Vill: & Post Sikhad, Tesil Chunar, Distt: Mirzapur,UP, Sand Stone Mine' project at Gata no. 187Mi, Village Madfa Teshil Chunar, Distt: Mirzapur, UP Leased area 1.5175 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arun Kumar Tripathi, Director, S/o Shri Kapil Muni Tripathi, R/o- Saraswati Nagar Colony, Opp. Of TCI, Chandanpur, Than- Maduwadih, Tehsil- Sadar, District- Varansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Sand stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-141, at Village- Chiraiyai, Tehsil-Chunar, District Mirzapur, U.P. M/s P.B. Infratech Pvt. Ltd., Lease area-0.890 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajendra Singh, Owner, R/o- Village- 7/364, Shivpuram, Gora Bazar, Thana-Kotwali Nagar, District- Raebareli, U.P., M/s Jagriti Infratech Pvt. Ltd., Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone) Mine Project at Gata No.- 547, Village-Bhojpur Pahadi, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-2.01 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Dileep Suryavanshi,Director, R/o- Plot No.- 05, Inside Govind Narayan Singh Gate Chunabhatti Kolar Road Bhopal, M.P., Proposed of Building Stone, (Sand Stone) Mining Project at Araji No.- 1, Village- Sonpur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-1.01 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Kusum Kali, R/o-Village - Baluwa Bajahur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P, Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone mining) Mine Project at Gata No./Khasra No.- 258, Village - Baluwa Bajahur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P., (Leased Area-0.7 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Praveen Kumar S/o Shri Anil Kumar, R/o- Mahalla-S.R.23, Golghar, Tehsil & District- District- Varanasi, U.P., Proposed for Sand Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mine, at Gata No./Araji No.- 997 mi, Village- Sindhora, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P., (Area: 0.80 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Virendra Kumar Singh, R/o- Village- Kudaran,Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Proposed of "Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-399, at Village-Kudaran, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -1.616 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Mihtilesh Kumari W/o Shri Chiraunji Lal, R/o- Chandradeepa, Jangi Road, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur,U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Gata No./Araji No.-36/6/5, at Village-Sonbarsa, Tehsil- Lalganj, District-Mirzapur, U.P., Leased Area -0.809 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Surendra Kumar Singh, R/o- Village- Dakahi, Thana- Ahraura, District- Mirzapur, U.P.M/s Shiv Stone works. , Proposed of "Building Stone (Sand stone) Mining Project at Araji No.-37, Village- Dakahi, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., M/s Shiv Stone works. , Leased Area -1.21 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Govind Singh, R/o- Village- Basaratpur, Adalpura, Thiresapur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,M/s Dipali Traders, Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Araji No.-01, at Village- Ahirupur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,M/s Dipali Traders, Leased Area -1.01 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Bhagwati Shivhare, R/o- 421/4, C.P. Mission Compound, Thana- Sipri Bazar, District- Jhansi, U.P., M/s Ankur Enterprises, , Extraction of Building Stone, Khanda, Gitti & Boulder at Gata No.-587,KhandNo.-04,Village- Nahari, Tehsil-Naraini, District- Mirzapur, U.P., M/s Ankur Enterprises, Leased Area -2.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o- Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil- Sadar,District- Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.-188 mi, Khand No.- V/1, Village- Lahaura, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area- 2.02 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o- Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil- Sadar,District- Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.-188 mi, Village- Lahaura, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-0.909 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o- Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil- Sadar,District- Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.- 37, Village- Dakahi,Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-1.21Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Indulata Pandey,R/o- Sahaspur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur,U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.- 1141, Village- Darhiram,Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-0.607 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Alok Dhar Dubey S/o Shri Prakash Dhar Dubey, R/o- Chhapka, Tehsil-Robertsganj, Dsitrict- Sonebhadra, U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) with the average production capacity of 18,200 Cubic meter/ Year at Gata No./Araji No.-997mi, at Village- Sindhora, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P.,Leased Area - 1.82 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Village-Sariya, Thana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "Sand Stone" Project at Araji No.-01, at Village-Ahirupur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -1.01 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Village-Sariya, Thana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "SandStone" Project at Araji No.-01, at Village-Ahraura, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -1.01 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rahul Singh S/o Shri Gautam Singh, R/o- 36/10-7, Kaivalya Dham Colony, Durga Kund, District- Varansi, U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Gata No./Araji No.-78, at Village- Khamhawa Jamati, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Leased Area -0.607 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Sushila Devi, Owner, Village-Dhuriya, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. , Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Araji No.-428, at Village-Dhuriya, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. Lease area-1.414 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1397
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jai Prakash Singh, R/o- Village- Jigna, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of "Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-399, at Village-Jigna, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -1.01 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Lalli, Owner,R/o- Village- Dhuria, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone) Mine, at Gata No.- 177, Village- Dhuria, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.(Area: 1.01 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ajay Kumar Singh S/o Shri Basant Ram Singh, R/o- Rampur Sakteshgarh, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "Sand Stone Project" at Araji No.-639, at Village- Rampur Sakteshgarh, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Leased Area -3.64 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1400
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arun Kumar Tripathi (Partner) S/o Shri Kapil Muni Tripathi, R/o- Saraswati Nagar Colony, Opp. of TCI, chandanpur, Thana- Maduwadih, Sadar, District- Varanasi (U.P.), Proposed Building Stone (Sandstone) mine, at Gata No./Araji No. /Plot no. – 141) at Village- Chiraiya, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, Uttar Pradesh of M/s Sriram Infrastructure., Lease Area: 2.02 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1401
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ajay Kumar Singh, R/o- 514151 A, Ambrosia, Lanka, Varanasi,Mirzapur,Uttar Pradesh, Proposed "Building Stone (Sand Stone)" Project at Gata No.-142, VillageSonpur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. (Applied Area : 1.01 ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1402
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Prashant Kumar Singh S/o Shri Ramdhani Singh, R/o Patelnagar Garaudi,Thana- Adalhat, Tehsil- Chaunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of "Building Stone(Sand Stone) Mine" Project at located Araji No.-01 Ka, at Village- Sonpur , Tehsil- Chaunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -0.809 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Village-Sariya, Thana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "Sand Stone" Project at Araji No.-01, at Village-Ahirupur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -0.809

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Dayawati Singh W/o Shri Rajendra Prasad Singh Address- Krishnapuri, Bharuhana, Sadar, Mahuana, Mirzapur, Proposed Sand Mining Project at Gata No. 03 Mi, (Khand No. - 02), (Area 5.0 Ha.) in Village: Gogaon, Tehsil: Sadar & District: Mirzapur, Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1405
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Bihari Yadav, R/o- Village– Khamhwajamati , Tehsil-Chunar, District – Mirzapur, Uttar Pradesh By M/s Adarsh Construction & Suppliers (Shri Lal Bihari Yadav), Proposed of "Building stone (Sandstone)Mine "Project at Arazi No.-597Jha & 597 Tra, Village– Khamhwajamati , Tehsil-Chunar, District – Mirzapur, Uttar Pradesh By M/s Adarsh Construction & Suppliers (Shri Lal Bihari Yadav) Area 2.545 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1406
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mahusoodan Singh, R/o-Prabhapuram Colony, Umraura Road Robertsganj, Sonbhadra, U.P., M/s Maa Vindhyavasini Construction, Proposed of "Building Stone (Sand Stone) Mining" Project at Gata No.-180/2, at Village- Bhagautidei, Tehsil-Chunar, District- Mirzapur, U.P., M/s Maa Vindhyavasini Construction, Leased Area -1.21 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Manish Kumar, R/o Ward no. 23, Near Main market, Ahraura, Tehsil- Chunar, Mirzapur, U.P., Proposed of Building stone(Sandstone)" Project at Gata No.-519, Village– Ghasipur, TehsilChunar, District–Mirzapur, Uttar Pradesh, (Area : 2.02 ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Prashant Maurya S/o Shri Vinod Kumar Maurya Address- Sundar Ghat, Mahuaria, Mirzapur, (U.P.), Proposed "Sand Mining Project" located at Gata No.-03mi Khand No.-03 , Village- Gogaon, Tehsil- Sadar & District- Mirzapur, Uttar Pradesh, (Area:5.0 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1409
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sarjeet Singh, R/o- 410, Kesar Bhawan, Ganeshganj, Aghauli, Mirzapur, U.P , Proposed of Building Stone (Sandstone) mining project at Araji No.- 36/6/5 Village- Sonbarsa, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P., Area :0.809 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ramakant Chaubey S/o Shri Ram Dular Chaubey, R/o- Village- Karaundi, Post-Moin Kumar Bhabhua, Kaimur (Bhabhua), Bihar, Proposed Project of "Building Stone (Sand stone) Mining" located at Araji No - 37 , Village: Dakahi, Tehsil-Chunar, District Mirzapur, Uttar Pradesh, (Area- 1.818 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arjun Singh, R/o- Village- Hinauti Mafi, Tehsil- Gothaura ,District-Mirzapur,U.P. , Proposed for "Building stone (Sandstone)" Project at Arazi No.-360, Village– Adhwar, Tehsil-Chunar, District–Mirzapur, Uttar Pradesh By Shri Arjun Singh, Area – 1.01 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1412
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Sunita Singh, R/o- Village-Tiyara, District Chandauli, Uttar Pradesh, Proposed of Building Stone (Sandstone) mine at Araji/Gata No.- 88, village Kukuhipur, Tehsil-Chunar, District- Mirzapur, U.P., Area- 2.424 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ashok Kumar Rai, R/o- S 20 53, Plot No.- 57 58, Buddha Vihar Mall Road Cantt., District- Varanasi, U.P., Proposed of Building Stone (Sand stone) Mining Project at Araji No. - 703, Village: Bhagauti Dei, Tehsil-Chunar, District – Mirzapur (U.P.), M/s Shriram Enterprises, Area:1.01 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Subhash Singh, R/o- Village And Post- Akorhi, District- Mirzapur, Uttar Pradesh, Proposed for "Building stone (Sandstone)" Project at Arazi No.- 307/4, Village– Kamapur Kalan, Tehsil- Lalganj, District–Mirzapur, Uttar Pradesh By Shri Subhash Singh, Area-0.809

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02159 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/MIRZAPUR/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vikas Gupta, R/o- Mohalla Bundelkhandi, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P., Proposed Building Stone (Sand stone) Mining Project" at Arazi No. – 494 Ga,Village- Devarikalan, Tehsil- Madihan, District – Mirzapur (U.P.) Applied Area – 1.518 Ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद MIRZAPUR में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, MIRZAPUR ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1416
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sri. Rajeev Agrawal, CGM (T) cum Regional Officer, U.P. M/s National Highways Authority Of India (NHAI), Sand/Moram Mining, Project at Gata No, 246, 472, Village-Khebandha,Tehsil- Robertsganj,District-Sonbhadra,UP.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1417
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Mr. Shriran Panday, Owner, S/o Shri Hanuman Prasad Panday, R/o Village- Vardiya , Tehsil- Rabertsganj, Distt.- Sonebhadra, U.P., M/s Kaimuranchal Stone Crushing Company, EC for Gitti/Boulder (Dolo Stone) at Araji No. 921 K at Village- Vardiya , Tehsil- Rabertsganj, Sonebhadra, U.P, M/s Kaimuranchal Stone Crushing Company,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1418
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Satish Kumar Upadhyay S/o Ravindra Kumar Upadhyay, Add.- Bandhawa, Kanchwa, District- Mirzapur, U.P., Proposed "Sand/Morrum Mining" Project at Araji No.- 166 (Khand No.-01), Village- Nagawan, Tehsil- duddhi, District- Sonebhadra, U.P.,M/s Aman Asociates (Leased Area-8.097 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ajay Kumar Singh S/o Shri Baijnath Singh, M/a A.K.S. Industries 514/15, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt: Varanasi., Proposed 'Granite (Gitti & Boulder) Mine Project at Gata no. 2Ga, Village Jata Juwa, Tehsil Dudhi, Distt: Sonbhadra,U.P. Lease area 1.670 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1420
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Gyanendra Tripathi, Add.- Ward No.- 21, Ashok Nagar, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed Project of "Dolo Stone",(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 7536 Ga Mi, Khand No.- 02, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Leased Area -4.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1421
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Amit Mittal, Add.- 61, Bari Dala, Dala, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed "Dolo Stone"(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 5593 ka, Khand No.- 08, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, M/s Amit Enterprises, Leased Area -4.230 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District- Sonebhadra, U.P Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1423
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District- Sonebhadra, U.P. Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vijendra Kumar S/o Shri Laldhari Kushwaha, R/o Village- Sarai, Post-Ramgarh, Tehsil- Robertsganj, District - Sonbhadra (U.P.). , Proposed Project of riverbed Sand / Morrum Mining" from private land (Niji Bhoomi) at Arazi No. 166 Kh, in Village- Nagwa, Tehsil-Dudhi, District- Sonbhadra, Uttar Pradesh., Area 2.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1425
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Abhishek Kumar Singh S/o Arvind Kumar Singh, R/o- Village & Post- Chhitauni, District- Varanasi, U.P., M/s Unnti Engineering, Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Son River located at Gata No.- 221 Cha, Village- Sasnai, Tehsil- Obra, District-Sonbhadra, U.P., M/s Unnti Engineering , Lease Area: 18.215 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Harivansh Singh S/o- Bagholan, R/o Village- Ghaghara, Post- Ghaghara Tehsil - Dudhi
District -Sonbhadra (U.P.). , Proposed Project of riverbed "Sand/ Morrum Mining" from private land (Niji Bhoomi) at Arazi No. 6400k, 6400kh, area- 1.876 ha in Village- Ghaghara, Tehsil- Dudhi, District- Sonbhadra, Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajeev Kumar Sharma,R/o- 59- Chakarpuri Paper Mil Colony Near Metro City Nishatganj Mahanagar Lucknow,,Uttar Pradesh, Proposed for Mining of Gitti Boulder (Dolo Stone) Mining Lease Area at Araji No:-4478 Chha, Village-Billimarkundi, Tehsil –Obra District-Sonbhadra , Uttar Pradesh, Area 1.80 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ajay Kumar Singh S/o Late Shri Onkar Nath Singh, R/o-18/188, Ayappa Temple, Sector-8. Obra, Tehsil-Obra, Distt-Sonbhadra (U.P), Proposed for "Billi Markundi Building Stone Gitty/Boulders Dolostone Mining Project (Khand-4)" at Gata no./ Arazi No. 7536 Ga. Mi, near Village - Billi Markundi, Taluka: Obra, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area - 4.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arun Singh Yadav, R/o- Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District-Sonbhadra, U.P., M/s Shri Mahadev Enterprises, Proposed Project of Building Stone (Gitti/ Boulder (Dolo Stone)), in Gata No.- 4949 Kha, Village-Billimarkundi, Tehsil-Obra, District- Sonbhadra, U.P., (Area : 5.880 ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jonnavalasa Venkata Ramana Rao S/o Shri Suranna Jonnavalasa R/o – B – 12, Industrial Development Area, Maula Ali, District- Hyderabad (Telangana),M/s S.K. Bio Extract And Applications Pvt. Ltd., Proposed Project of "Sand/Morrum Mining Project" located at Araji No. 246, Khand – Ba, Village - Khebandha, Tehsil - Obra , District- Sonbhadra, Uttar Pradesh,M/s S.K. Bio Extract And Applications Pvt. Ltd., Area- 6.0 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ravindra Mishra, R/o- Village- Khargupur, Tehsil- Raja Talab, District-Varanasi, U.P, Proposed Project Building Stone Gitti/ Boulder (Sand Stone), Mine Araji No.-30/73, Village –Sukrit, Tehsil –Robertsganj, District-Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area- 1.2545 ha,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Geetanjali Chaube W/o Shri Sanjeet Kumar Chaube R/o Near Degree College, Obra, Sonebhadra (U.P), M/s Harikeshwar Enterprises, Proposed Project of Billi Markundi Khanda, Boulder,(Dolo Stone) Deposit Mining Project (Area 1.504) at Arazi No./Khasra/Gata No 5430ka, 5430kha, 5470, 5469kha, 5431kha, 5468kha, near village-Billi Markundi, Tehsil –Obra, District – Sonbhadra, Uttar Pradesh, M/s Harikeshwar Enterprises (Area 1.504 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/SONBHADRA/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sukh Sagar Prasad Upadhyay, R/o- Kota Dala Sonbhdra U.P.,Proposed of Sand/Morrum Mining Project Son River at Araji No: 531 ङ, Khand No: 6, Village-Sasnai, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra U.P.,Area-18.214 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद SONBHADRA में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, SONBHADRA ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sonbhadra/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s M/s B.C.S. Enterprises, Pro.-Shri Chandra Bhushan Gupta S/o Shri Ramlakhan Gupta, R/o- Obra, District-Sonbhadra mining of Dolo Stone Boulders at Arazi no. 4419Kh, 4419G, 4422K Mi, 4416K, 7577 Kh, 4420Mi, Area-4.86 Acre, Village-Billi-Markundi, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sonbhadra की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sonbhadra में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sonbhadra ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1435
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02172 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sonbhadra/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Eshana Construction, Pro.-Shrimati AAfrina Khan W/o Shri Istiyak Khan, R/o-Village Billi-Markundui, Obra, Sonbhadra mining of Dolo Stone Boulders at Arazi no.5355K, 5359Kh, 5361, 5363K, 5351K, 5352, 5353, 5354, 5362, 5355Kh, 5356, 5357Kh and 5351Kh, Area-5.80 Acre, Village-Billi-Markundi, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sonbhadra की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sonbhadra में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sonbhadra ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Sonebhadra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02151 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Kannauj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

River Bed Ordinary Sand Mining Project, Gatano. 22kha, 42kha, 42ga, 43ka, Village-Katri Durjanapur, Kannauj Kuldeep Narayan Katiyar/143211, Nekpur Kalan, Fatehgadh,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur Dehat द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kannauj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Kannauj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Kannauj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Kanpur Dehat को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02135 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Banda/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ajit Singh Malhotra khand no 7,17,18,21,23,25,27,28,29,30,35,37,38,40,177,176Mi, Area 62.48 acre, Vill. Amlaur Khadar, Teh. Pailani, BANDA,210126

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Banda ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02135 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Banda/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

BRAJESH TIWARI Kolawalraipur, Gata No-721, 722, 723, Naraini Banda

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Banda ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1439
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02135 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Banda/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

KATYAYNI NATURAL RESOURCES LTD Gata No. Part of 195/1Village- Lahureta, Tehsil- Naraini, District Banda, BANDA

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Banda ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02135 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Banda/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Pehalwan Traders (Old Name R.S.I STONE WORLD PRIVATE LIMITED) Gata No. 2/1, 2/2 and 2/4 (5.80 Hectares), Vill./Ghat- Khairai, Pailani, BANDA

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Banda ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02135 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Banda/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

S.R. Innovation LLP, Gata no- 100, Khand no- 1(block-24), Village- Khaptiaha Kalan, Tah- Pailani, Disstt- Banda

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Banda ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02135 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Banda/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

SG PROJECTS LIMITED Area- 44.46 Acre (18.0Ha) On Ken River ForSand/Morrum Mining Project at Khand No/GataNo-60 Village- Sadikhadar Tehsil- Pailani , District-Banda(U.P)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Banda में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Banda ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02140 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Chitrakoot/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

RAKESH KUMAR MISHRA CONTRACTOR
AND SUPPLIER, GATA N.170 MI,VILLAGE SAIPUR, TEHSIL-KARWI, DIST.-CHITRAKOOT

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Chitrakoot की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Chitrakoot में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Chitrakoot ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1444
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02140 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Chitrakoot/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

RAULI KALYANPUR GRANITE, GATA NO-2131/3 RAULI KALYANPUR KARWI CHTRAKOOT, CHITRAKOOT, 210202

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Chitrakoot की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Chitrakoot में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Chitrakoot ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02147 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Hamirpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Khare Lal Verma S/o Shri Mukund Lal Verma Gata No.-476, Village- Pahra, Tehsil-Sarila, District-District- Hamirpur, U.P., Leased Area -1.62 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hamirpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hamirpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Hamirpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02147 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Hamirpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sapan Kumar Agrawal S/o Late Sudhakar Agrawal Gata No.- 526, Village- Khadakhar, Tehsil- Rath, District- Hamirpur, U.P.,Leased Area -0.80 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hamirpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hamirpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Hamirpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Adarsh Stone Mill (Mohammad Arshad Khan S/o Mohammad Rafique Khan) Gata No.-426, at Village- Palka, Tehsil-Mahoba, District -Mahoba, U.P. Lease area-1.214 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1448
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Adya Enterprises, Gata No.1119, Vill. Kabrai, Dist. Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ajay Singh Stone Mill (Ajay Singh S/o Shri Ram Kishore Singh), Gata No.-199 Khanda No.- 07, of Area- 0.8090 ha (1.99 Acres), at Village- Kumhraura, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Leased Area -0.8090 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Alok kumar Shukla S/o Gopal Chandra Shukla Gata No.-1027, , Area-2.024 ha, Village- Kharka Tehsil and District- Mahoba, U.P.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Amar Chandra Rajpoot, Gata No 822, Vill. Bamhauri Beldaran, Teh. Charkhari, Dist. Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Anand Mohan Yadav, Gata No. 735, Khand No. 5 Naya, Vill. Daharra, Teh. & Dist. Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ashirwad Murti Singh S/o Late Rammurti Singh Gata No.-512, Khanda No.- 02 new, Area-1.214 ha, Village- Gauharir, Tehsil and District- Mahoba, U.P.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Brij Mohan Singh, Gata No 1032, Vill. Makarbai, Teh. & Dist. Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Brij Mohan Singh, Gata No 199, Khand No. 3 Naya, Vill. Kumhraura, Teh. & Dist. Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1456
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Brijendra Pratap Singh s/o Late Chandra Bali Singh Gata No.- 512, Khanda No.-04 New, Area-1.214, Village- Gauhari, Tehsil- and District- Mahoba, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Brijraj Singh Contractor(Brijraj Singh S/o Shri Kuber Singh) Gata No.-979, Khanda No.- 04, at Village- Gahra, Tehsil & District- Mahoba, U.P.,, Leased Area -1.113 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

C.P.S.K. Ventures Pvt. Ltd.(Sanjay Kumar Sahu S/o Shri Chhanga Prasad Sahu) GataNo.- 967 (Khand No.- 05), Village- Kabrai, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 3.036),

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

DEVENDRA KUMAR GUPTA, GATA
N. 3136, KHAND N. 02 Naya, VILLAGE-Jaitpur, TEHSIL Kulpahar, DIST.-MHOBA

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Devendra Shivhare S/O Shri Ram Manohar ShivhareGata no 1370 Khand no 08 vill-Kulpahar Teh Kulpahar Dist-Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1461
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Devendra Singh S/o Shri Mulayam Singh Arazi No. 712 (Khand 04) Village-Chhikhara, Tehsil- Sadar, District- Mahoba (U.P.). Area: 2.024 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Dinesha Chandra Sahu, Gata No. 512, Khand No. 1 Naya, Vill. Gauhari, Teh. & Dist. Mahoba.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Dinesha Chandra Sahu, Gata No. 512, Khand No. 6 Naya, Vill. Gauhari, Teh. & Dist. Mahoba.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Divyanshu singh S/o Dilip Kumar singh Gata No. 1021 , Area- 1.214Ha. in Village Makarbai , Tehsil: Sadar & District Mahoba, Uttar Pradesh.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1465
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Divyanshu singh S/o Dilip Kumar singh Gata No.979 Khand No 02 New , Area-2.429Ha. in Village Gahara , Tehsil: Sadar & District Mahoba, Uttar Pradesh.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Divyanshu singh S/o Dilip Kumar singh Gata No.979 Khand No 03 New , Area-2.429Ha. in Village Gahara , Tehsil: Sadar & District Mahoba, Uttar Pradesh.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ganga Charan S/o Shri Ram Swaroop,(Siyarani Rajpoot Filling Station) Araji No.- 288, Khand No.- 4, Village: Majhol, Tehsil: Charkhari District: Mahoba State: Uttar Pradesh, Area: 0.809 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Gaurav Bajpai S/o Shri Bhuvan Prakash Bajpai, Gata No.- 93, Khand No.-01, Area- , at Village- Bari, Tehsil & District- Mahoba, U.P. ,Leased Area -1.012 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Himwant Singh S/o Shri Balwant Singh Gata No.- 2702, Khand No.-01 New, Village-Pahara, Tehsil and District- Mohaba,U.P., (Leased Area-2.022 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ideal Buildtech Private Limited, Gata No.-2456 Kha, Khand No.- 02,Village- Pahra, Tehsil-Mahoba, District- Mahoba, U.P.,(Leased Area :4.0 ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ishwar Saran Gupta S/O Shri Nand Kishore Gupta GataNo.- 149 (Khand No.-35), Village- Bari, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.012 ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

J S Enterprises (Jyoti Sachan D/o Shri Ashok Sachan), Gata No.- 192, Village- Mochipura, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, U.P., Lease Area – 4.048 ha ,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Janmejay Singh S/o Shri Mangal Singh located Gata No.-1939, Area- 1.214 ha, at Village- Pahra, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Leased Area -1.214 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1474
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Kalyan Singh S/O Shri Badri Singh Gata no 1939 vill- Pahara Teh and Dist-Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Kanhaiya Enterprises,Gata No. 967, Khand No. – 03 Naya, Village Kabrai, Tehsil & District Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 2.024 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Kanhiya Enterprisse (Sunaina W/o- Shri Mahesh Tiwari) Arazi No. 989, Khand No. – 07, Village Makarbai, Tehsil Mahoba & District Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 0.809 Ha.) in

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1477
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Kiran Kumari D /o Shri Manohar Lal Arazi No. 989, Khand No. – 19,Village-Makarbai, Tehsil- Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh, (Area- 1.619 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1478
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Mohit Singh S/o Shri Brajnandan Singh Araji No.-188, (Khand -03 New, 02 old), Village- Mahua Itaura, Tehsil-Kulpahad, District- Mahoba, U.P., Lease area- 1.214 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Mujiburrahman S/o Shri Abdul Majeed Arazi No. 339 (Khand No. – 30 Naya, 19 Purana),Village: Daharra,Tehsil -Mahoba & District -Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 1.214 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1480
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

N H CONSTRUCTION, ARAZI No. 989, KHAND No. 05, LEASE AREA 0.809, Vill. MAKARBAI, Teh. MAHOBA, MAHOBA, 210424

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1481

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Nagendra Infrastructure (Kiran Tripathi W/o sajay Tripathi) Araji No.-01, Khand No.- 02, at Village- Baghwa, Tehsil-Mahoba, District- Mahoba, U.P., Lease area-0.4040 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1482
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Narayan Singh S/o Shri Badri Singh Gata No 989 Khand No. 01, Village– Makarbai, Tehsil- Sadar, District–Mahoba, Uttar Pradesh. (Area- 1.619 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1483
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Narayan Singh, Gata No. 339, Khand 10 Naya, Vill. Daharra, Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1484
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Neeraj Yadav, Gata No 721, Vill. Daharra, Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

new Annpurna Granite (Amita Singh W/O Shri Anil Singh), Gata No.- 339, Khand No.-21 New 32 Old, Village- Daharra, Tehsil -Sadar, District-Mahoba, U.P., Leased Area -1.619 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

OM Construction and Supplier (Satyendra Kumar Agnihotri S/o Shri Jageshwar Prasad Agnihotri) Gata No. 323, Khand No. - 06 Naya, Village- Mochipura,Tehsil-Sadar , District- Mahoba, Uttar Pradesh,M/s OM Construction and Supplier, Area-0.607 Ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Pathak Granite, Gata No. 1164, Vill. Kahra, Teh. Dist. Mahoba.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

PNC Infratech Ltd (Ashwani Rawat S/o Shri Devi Prasad Rawat) Gata No.-199, Khand No.- 01, Village- Naigawan, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, U.P., (Applied Area : 4.00 ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Praveen kumar Tripathi S/o Shri Narendra Kumar Tripathi Gata No.- 339, Khand No.-06 New, Village- Daharra, Tehsil and District- Mohaba,U.P., (Leased Area-1.214 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Priyanshi Singh Pahihar, Gata No. 93, Khand 03, Vill. Bari. Teh. & Dist. Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vijay Bahadur Singh, Khasra No.-1370, Khand no 04 New 03 Old ,Village - Kulpahad, Tehsil-Kulpahad, District- Mahoba, U.P., Lease area- 2.024 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vaibhav Singh S/o- Kalyan Singh, Gata No. -2611,Village- Pahra, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, Uttar Pradesh, Area- 1.882 Ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Pushpendra Singh Yadav S/o Shri Shivpal Singh Yadav Arazi No.- 20 kha, Village: Naigawan, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, State-Uttar Pradesh. Area -1.729 Ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Rafique Khan, Gata No. 339, Khand No. 22 Naya, Daharra, Dist. Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Rahul Singh S/o Shri Rajendra Kr. Singh Arazi No. 989, Khand No. – 16, Village-Makarbai, Tehsil- Sadar , District- Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 4.048 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Rahul Singh S/o Shri Rajendra Kr. Singh, Arazi No. 935, Khand No. – 02 ,n Village - Makarbai, Tehsil- Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 3.643 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

RAKESH KUMAR MISHRA, GATA N.188, Khand No. 1 Naya VILLAGE Mahua Itaura, TEHSIL-Kulpahar, DIST.-Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ram Karan Misra Contractor, Gata No. 199, Khand No. 04 Naya, Kumhraura Maff, Teh. & Dist. Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ram Khilavan Shukla S/o Shri Devi Prasad Gata No.-2561, Khand No.- 02, at Village-Pahara, Tehsil-Sadar, District- Mahoba, U.P., Lease area-1.21 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1500
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ram Singh S/o Shri Sitaram Singh Gata No.-339Khand 08 Naya , Village- Daharra, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.129.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1501
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ratnesh sahu S/o Shri Laxmi Narayan Sahu Gata No.-128 Khand 03 New , Village-Marhathi, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 0.809Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ratnesh sahu S/o Shri Laxmi Narayan Sahu Gata No.-512Khand 03 New , Village-Gauhari, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 0.809Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1503
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Rituraj Singh S/o Shri Yuvaraj Singh Gata No.- 918 , Village- Kharka, Tehsil-Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.129.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1504
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

RIYAZUDDIN S/o Saiuddin A.B. ASSOCIATES, Arazi No. 1517, Leased Area-1.542 Ha, Village-Pahra, TehsilSadar, Mahoba, U.P.-210427

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1505
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

S S Infratech Raj Kumar Sharma S/o Shri Nand Lal Sharma Araji No. /Plot No. – 712, Khand No.–05, Area 2.024 ha (5.00 Acres) at Village – Chhikahra, TehsilSadar, District- Mahoba, Uttar Pradesh of M/s S.S. Infratech.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sadhusharan Vishwakarma Araji No.-1097, Khand No.- 08, at Village-Utiya, TehSil-Sadar, District- Mahoba, U.P.,Lease area-0.809 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1507
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sahu Stone Crushing Industries (Kirti Rani Sahu W/o Shri Sanjay Kumar Sahu), Gata No.- 2/4 (Khand No.-09), Village- Jujhar, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 3.441 ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1508
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sandeep Construction & Suppliers (Thakur Deen Yadav S/o Shri Vishwanath) Arazi No- 339 (Khand No: 12) Area 0.809 ha. in Village- Daharra Tehsil- Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh, M/s,Area 0.809 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1509
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sandeep Kumar Sahu, Gata No. 216, Khand 2 Naya, Vill. Gauhari, Teh & Dist. Mahoba

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1510
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Satyam Shivam Contractor (Savitri Devi W/o Shri Santosh Singh) , Gata No.- 93, Khand No.- 06, Villlage- Bari, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P., Area -1.012 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shabir khan S/o Shri Masoor Ali Gata No.- 128, Khanda No.-02, Area-0.809, Village-Marhathi, Tehsil- and District- Mahoba, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1512
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shiv Baran Singh S/o Shri Shyam Arazi No. - Gata No. 989, Khand No. 14, Village Makarbai, Tehsil- Sadar,
District- Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 1.214 a.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1513
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shiv Baran Singh S/o Shri Shyam Arazi No.- 989, Khand No. – 11 , Village-Makarbai, Tehsil- Sadar & District -Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 0.809 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shivam Granite (Ramkishor Singh S/o Shri Guru Prasad Singh) Arazi No. 339, Khand No. – 26 New 29 Old,Village- Daharra, Tehsil- Mahoba , District -Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 1.619 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1515
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Balaji Suntech power Energy Pvt Ltd. (Prop.- Smt Arati saxena W/o Ashok Kumar) Gata No.-534/3, New , Area-0.809, Village- Urwara, Tehsil & District-Mahoba, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1516
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sukirti Singh W/o Sh. Ramkishore Singh Gata No.-93, Khand No.- 07, Village- Bari, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.012 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1517
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sunita devi W/o Devendra Singh Gata No.-2101/2Khand 05 , Village- Sijahari, Tehsil-Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.214.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1518
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Uma Shankar Mishra Gata No.- 3136, Khanda No.- 03 new, Area-0.809 ha, Village-Jaitpur, Tehsil- Kulpahar, District- Mahoba, U.P.,(Leased Area-0.809 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1519
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sunita Devi S/o Shri Devendra Singh Gata No.-356, Khand No.- 04, at Village-Dudhaiya, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Leased Area -1.619 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Upendra Kumar Shukla S/o Shri Ramkhilawan Shukla Arazi No.- 2509, 2516 Village-Pahra, Tehsil- Sadar & District -Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 1.303 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1521
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Usha Bajpai W/o Shri Bhuvan Prakash Bajpai Gata No.-989, KhandNo.-09, at Village- Makarbai , Tehsil-Sadar, District- Mahoba, U.P., Lease area-0.809 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Vinay Kumar Rai S/o Raj Nath Rai Gata No.- 953, Khanda No.- 01 New , Area-1.214, Village- Daharra, Tehsil & District- Mahoba, U.P.,(Leased Area-1.214 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1523
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Vineeta Verma w/o Late Shri Virendra Kumar Gata No. 735, Khand No. - 06 New (Old-07), Area- 1.012 ha. in Village- Daharra, Tehsil Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1524
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

VIPUL KUMAR AGRAWAL, gata 2101/2 khand 06 Sijhari, Dist. MAHOBA, 210425

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1525
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Wakar Fatima Usmani W/o Md Shoyeb Gata No.- 2702, Khanda No.-03 New, Area-2.024, Village- Pahara, Tehsil- and District- Mahoba, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Wazid Stone Crusher Udyog (Wazid Ali S/o Shri Yakub Ali) at Gata No.- 291, Khand No.- 01 New, Village- Majhol, Tehsil- Charkhari, District- Mohaba,U.P., (Leased Area-0.809 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02158 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Mahoba/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Ramkishore Singh S/o Shri Guruprasad Singh, Gata No.- 339, Khand No.- 09, at Village- Daharra, Tehsil & District- Mahoba, U.P., M/s Shivam Granite, Leased Area -0.809 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Mahoba में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Mahoba ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 2 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Banda को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02132 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bagpat/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s MHG Landstockist Pvt. Ltd.- Sand Mining located at Gata No-212 ,216-224, 232-246, 379, 381-385, 391,392, Khand No.-03, Village- Subhanpur, Tehsil-Khekra, Distt.- Baghpat

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Meerut द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bagpat की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bagpat में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bagpat ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Meerut को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02132 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bagpat/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Manish Chauhan- Sand Mining located at Gata No.-1/2/1, Village-Badarkha Salarpur, Tehsil- Badaut, Disst.- Baghpat, U.P.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Meerut द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bagpat की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bagpat में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bagpat ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Meerut को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1530
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02132 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bagpat/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s HSM HOLDINGS Village- Sankroud, Tehsil- Khekra, DistrictBaghpat

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Meerut द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bagpat की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bagpat में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bagpat ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Meerut को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1531
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02132 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bagpat/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s MANGAL INFRA REALTY PVT LTD KHASRA NO 1/2, VILLAGE GAURIPUR KHADAR, DISTRICT AND TEHSIL BAGHPAT

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Meerut द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bagpat की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bagpat में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bagpat ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Meerut को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1532
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02132 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bagpat/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Apollo Retailers Pvt. Ltd., Gata No.-1/2, Village- Chaprauli Khadar, Tehsil-Badaut, District-Baghpat, U.P.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Meerut द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bagpat की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bagpat में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bagpat ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Meerut को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1533
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02169 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shamli/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

EC of the Proposed Sand Minor Mineral Mines at Gata No.-228 over an area of 20.469 ha, Village-Bidauli, , Distt.- Shamli, M/s Deep Builders

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Muzaffarnagar द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shamli की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shamli में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shamli ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Muzaffarnagar को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02169 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shamli/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 4.213 ha (10.41 acre) along River Yamuna in Gata No.- 1671 & 674, at Village- Issopur Khurgan, Tehsil- Kairana, District- Shamli, U.P., (Leased Area-4.213 Ha)
Shri Manju Singh W/o Shri Jay Kumar Singh, R/o- 502, Awas Vikas, District- Fatepur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Muzaffarnagar द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shamli की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shamli में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shamli ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Muzaffarnagar को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02165 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Saharanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Adesh Pandey , Gata No.-378/2 & 379/2, Village- Sherpur Pelo, Tehsil- Behat, District- Saharanpur, U.P. (Lease Area 7.00 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Saharanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Saharanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Saharanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Saharanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Saharanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02165 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Saharanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Prime Vision Industries Ltd, Gata No 1/1, Yamuna River (Lease Area 52.63 Hectare) Village- Dariya Baramad,Tehsil and District Saharanpur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Saharanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Saharanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Saharanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Saharanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Saharanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02165 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Saharanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at khand No/ Gata no 03, Lot No 03 (Area 08.05 hectare) mining lease Village Rehna, Tehsil-Behat, District- Saharanpur, U.P operated by Shri Satendra Kumar S/o Shri Virendra Singh, Village & Post Khaira Najafgarh,Nai Dilli

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Saharanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Saharanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Saharanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Saharanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Saharanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02165 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Saharanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at Gata No 14/1 (Area 3.10 Hectare) mining lease Village Badshahi Bagh Ra Tehsil - Behat , District Saharanpur, UP operated by Shri Rajesh Kumar S/o Shri Ranveer Singh, R/o- Garhi Birwal, Tehsil- Indri, District- Karnal, Haryana

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Saharanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Saharanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Saharanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Saharanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Saharanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02165 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Saharanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at Gata No.-179/2,Village-Rahna, Tehsil-Behat, District- Saharanpur, U.P, (Leased Area-3.75 ha) mining lease operated by Shri Sanjay Bhatiya S/o Late Shri Anand Prakash Bhatiya by R/o- 1/472, Ramchandrapuri, Maida Mill Phatak, Thana-Qutubsher

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Saharanpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Saharanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Saharanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Saharanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 3 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Saharanpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02138 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bulandshahr/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Mr Mohammad Ali
S/o Late Mr Fakir
Mohammad

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bulandshahr द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bulandshahr की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bulandshahr में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bulandshahr ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 4 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bulandshahr को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1541
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02138 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bulandshahr/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Mr Jitendra S/o Mr
Aan Singh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bulandshahr द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bulandshahr की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bulandshahr में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bulandshahr ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 4 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bulandshahr को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1542
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02127 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Agra/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Dolly Garg, W/o Shri Brajesh, R/o - H.No.- 12/40, Nagala Udaiya Road, Kheragarh, Distt.- Agra, U.P., M/s Mahakali Conctruction - Sand Mining (Sand Mining Project from Yamuna River of M/s Mahakali Conctruction - Sand Mining located at Gata No.-1,2, Village-Sawami Ahatmali, Tehsil- Sadar, Disst.-Agar, U.P., M/s Mahakali Conctruction - Sand Mining, Lease Area 6.07 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Agra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Agra की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Agra में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Agra ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 4 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Agra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02127 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Agra/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arun Kumar S/o Late Shri Rambilash Singh, R/o- A1/123, D.L.F. Dilshad Vistar 2, Sahibabad Pasaunda, District- Ghazaibad, U.P., M/s Rishabh Herbal Pvt. Ltd.(Akbara-2 Ordinary Sand Mining at Yamuna River" Project at Gata No.-1175 Sh, Village- Akbara-2, Tehsil- Kirawali, District- Agar, U.P.,(Leased Area: 8.09 Ha))

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Agra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Agra की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Agra में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Agra ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 4 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Agra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02127 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Agra/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ram Gopal Chaudhary S/o Shri Kaloo Ram Chaudhary, H.No.-162/2 Vijay Nagar, Gali No.-2, District- Etawah (River Bed Ordinary Sand Mining Project from Yamuna River for M/s R G Construction located at Gata No.-63/2, Village- Karmana, Tehsil- Agra, District- Agra, U.P., Sanctioned Lease Area: 6.07 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Agra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Agra की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Agra में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Agra ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 4 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Agra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02127 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Agra/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Harivansh Lal Verma S/o Bhagoti Prasad Verma, Owner, Village- Dhem, P.O.- Bhambuwa , Tehsil- Colonelganj, District- Gonda, U.P. (Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Ankur Construction, located at Gata No.- 1064 Mi, Village- Madra, Tehsil- Agar, District- Agar, U.P., Lease Area: 6.07 ha (6.07 acre),)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Agra द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Agra की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Agra में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Agra ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 4 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Agra को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao /2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Shyam Enter Prisess prop. Sri Gopal Panday S/o Late Sri Gaurishankar Pnaday,
R/O - H. No.-622, A.B. Nagar, Lucknow Distt.- Lucknow, Pin Code - 226022

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1547
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02148 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Hardoi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Dhrmveer Gupta, A-3, 1996, New Civil Lines, Indra Prasad, Hordoi

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hardoi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hardoi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Hardoi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02148 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Hardoi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sunita Singh W/o Shri Pawan Kumar Singh, R/o- B- 708, Sector- C, Mahanagar, Lucknow, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hardoi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hardoi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Hardoi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02148 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Hardoi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajveer singh S/o Shri Veerendra Singh, 122/1 Kailashpuri, Sandi Road, Distt.-Hardoi, U.P., M/s Awadh Construction

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hardoi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hardoi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Hardoi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1550
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Abimanyu Choudhury S/o Shri Naresh Choudhury, Director, W 21 1st Floor Rajori Garden, New Delhi, M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Brij Kishore Dawivedi S/o Shri Maharaj Narayan Dwivedi, R/o- 972, Indra Nagar, District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1552
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pradeep Kumar Dixit S/o Shri Mahesh Kumar Dixit, Address- 167, Kevta Talab, Civil Line, Tehsil & District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1553
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Gopal Pandey S/o Shri Gauri Shankar Pandey, R/o- H.No.- Old 622, New 1000, D.S.N. College Road, Tehsil & District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anand Kumar S/o Shri Jai Prakash Yadav, R/o- Village- Michkura Mahulara, Tehsil- Milkipur, District- Faizabad, U.P., M/s Maa Vindyawashini Builders

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1555
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Nadu S/o Shri Babu Lal, Add.- Jawahar Nagar, Khurd-Kotwali, Tehsil & District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1556
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sanjay SinghChauhan S/o Shri Brijbhan Singh Chauhan, R/o- Banthara Sikandarpur, District- Lucknow, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1557
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ankit Singh, Village- Magarwara, Tehsil & District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1558
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kamlesh Chaurasiya S/o Shri Ram Narayan, R/o- 248/2, Lok Nagar, District-Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mohd.Armaan S/o Shri Mohd Usmaan, R/o- Village- Saharawa, Tehsil- Purwa, District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao /2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vishvash Opratap Singh, Owner, Manikapur, Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shailendra Singh, Owner, Gurudhari Unnao, Safipur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1562
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao /2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Gawar Construction Ltd.,Owner, Gurgaon, Haryana

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1563
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Charu Chandra Srivastava S/o Late Shri S.B. Srivastava, R/o- Mohalla-Rakabganj, Tehsil- Sadar, District- Lucknow, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1564
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anuj Jaiswal S/o Late Shri Satya Narayan Jaiswal, R/o- Village & Post- Ajgain, Tehsil- Hasanganj, District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jai Chand Singh, S/o Shri Shiv Narayan Singh Vill: Hanuman Colony, Sufipura, Distt: Bahraich,U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1566
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao /2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sunil Kuymar,Owner, R/o- Banthar, District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1567
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sunil Kuamr Yadav S/o Shri Surajbhan Yadav, R/o- Village & Post- Sarosi, Tehsil & District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1568
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Brij Kishor Dewedi S/o Shri Mahraj Narain Dewedi, R/o- H. No.-972, Indira Nagar, Thana- Sadar, Tehsil- Sadar, District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1569
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao /2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ankit S/o Shri Jay Shankar,R/o- Village- & Post- Banther, District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1570
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02148 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Hardoi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ashish Kumar Pandey S/o ShriAnil Kumar Pandey, R/o- Anang Behta, Tehsil-Sadar, District- Hardoi, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hardoi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Hardoi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Hardoi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Akshat Singh, R/o- A BEE City 99, Type- 2 Colony, A B Nagar, District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1572
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jitendra Kumar S/o Shri Ramesh Chandra Sahu, R/o-Lohcha, Haraha, Achalganj, District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1573
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Brij Kishor Dwivedi, R/o- H No 972 Indra Nagar Thana Sadar Tehsil- sadar, District - Unnao UP,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1574
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sudheer urf Anuj Sharma S/o Shri Rajkumar Sharma R/o: Village- Sheshpur Nari, Tehsil & District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1575
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao /2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Kamlesh Kumari, R/o- 7/60, Katra, Tehsil- Bangarmau, District- Unnao, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1576
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02173 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Unnao /2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jitendra Kumar S/o Ramesh Chandra Sahu, R/o- Lohcha, Haraha, Achalganj

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Unnao में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Unnao ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Unnao को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1577
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02163 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Raebareli/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/S Raalpur Ordinary Sand Mining Project Gata No. 1436/22, 1437, Khand no. 1/A, Vill. Raalpur, Tehsil Lalganj, Raebareli

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Raebareli द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Raebareli की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Raebareli में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Raebareli ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Raebareli को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed River Bed Sand Mining Project from Gomti River located at Gata No.-182 Mi, 184, 186, 199 Kh, 200, 201,203 Mi, Village- Jheejha Mau, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, U.P., (Total Lease Area: 5.238 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ghaghra River located at Khand No.-03 (Gata No.-498 Jha) Village - Udhiya, Tehsil -Ramnagar, District - Barabanki, U.P., Sanctioned Lease Area - 11.00 Ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Ghaghra River for M/s Laxmi Dev, located at Khand No.- 02, (Gata No.-498 Jha), Village- Udhaiya, Tehsil-Ramnagar, District- Barabanki, U.P., Sanctioned Lease Area: 12 ha,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1581
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Brick Earth Mining Project located at Khasra No./Gata No.-985, 1054, 1170 Ga, 909, 913, 916, 978 Jh & 1179 in Village- Medua, Tehsil- Ram Sanehighat, District-Barabanki, U.P.,(Leased Area: 4.202 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1582
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Mine Project" at Khasra No./Gata No.-325, Village- Jata, Tehsil-Nawabganj , District- Barabanki, U.P., (Leased Area-0.506 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1583
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for Soil Mining Project at Khasra No./Gata No.- 221, Village- Daudpur, Tehsil- Nawabganj, Distrct- Barabanki, U.P., Leased Area -0.696 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1584
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Earth Mining to be in used in "Earth Filling by Ordinary Soil Excavation, at Khasra No.- 196, Village-Mohammadpur Kirat, Tehsil-Ramsanehight, District-Barabanki, U.P.,Leased Area -0.5086 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1585
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-311 Ka,Village- Jata, Barauli, District- Barabanki, U.P., (Leased Area-0.421 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1586
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Earth Mine at Khasra No./Gata No.- 42, Village- Sohilpur, Tehsil-Ramsanehighat, District-Barabanki, U.P, Leased Area -0.122 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1587
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Project of Ordinary Sand Mine at Gata No.- 1 Gh, Village- Kothri Gauriya, Tehsil- Sirauligauspur, District- Barabanki,U.P., Lease area-2.1833 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Earth Mine at Khasra/Gata No.- 316, Village- Jata, Tehsil- Nawabganj , District- Barabanki,U.P., Lease Area: 0.567 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1589
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Ordinary Earth Mine At Gata No.- 594, Village- Ruhera, Tehsil- Ramnagar, Barabanki, U.P., M/s Chauhan Enterprises, Area: 0.379 ha,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Earth Mine at Gata No. 100 & 101,,Village- Manjhar, Tehsil-Haidergarh, Barabanki,U.P. Area- 1.65 Ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1591

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Riverbed Ordinary Sand mine, Village Kothri Gauriya (Gata No.- 685/2/1, 685/2/2, 758/3, 674, 675/1, 758/1 & 758/1) Tehsil- Sirauli Gauspur & District - Barabanki, Developed By Shrimati Bhanmati, Area 1.6035 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Soil Mine, over an area 1.396 ha. in Khasra/Gata No.– 444, 461 & 473Mi in Village- Sarai Akbarabad, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Lease area-1.619 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1593
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Earth Mine At Gata No. 732, 734 & 736Mi, Village- Pachhim Belawn, Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 1.3286 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1594
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed simple soil excavation form Gata Nos. 520, 506 at Village- palhari , Tehsil – Navabganj, District - Barabanki, Uttar Pradesh, Area – 0.444 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1595
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Soil Mine, at Khasra/Gata No.– 231, 482, 502 & 530 in village Mohammadpur, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,Area: 0.995 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Soil Mine, at Khasra/Gata No.– 2711 , village Barel (Bahar Seema), Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area: 0.177 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1597
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Soil Mine, at Khasra/Gata No.– 353, 354 & 355, Village- Jata, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area: 0.722 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1598
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for Soil Mine at Khasra/Gata No.– 1067Ga in village- Bahlolpur, Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.410 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Soil Mine Project at Khasra/Gata No.– 31kh, 34kh, 35, 36kh & 39 in village Shahpur, Tehsil Nawabganj,District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 1.487 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1600
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Soil Mine Project at Khasra/Gata No.– 966, 967 & 968 in village Rahramau, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.775 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1601
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Project Soil Mine, Village-Amoli Hissampur, Tehsil-Ramnagar, District-Barabanki, U.P., developed by Shri Hitendra Verma, (Applied Area : 1.128),

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Project Soil Mine, Village-Meerpur, Tehsil-Nawabganj, District-Barabanki, developed by M/s K. M. Construction (Jitendra Singh) (Applied Area : 0.809),

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Soil Mine, Project at Khasra/Gata No.–260Ja,260Jha,260La,260Ra & 260Gya in village Salarpur, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh. Area 1.15 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1604
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Soil Mine, Khasra/Gata No.– 311Ka , Village- Jata, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.843 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1605
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Soil Mine, Khasra/Gata No.– 505 , Village- Jata, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.843 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Ordinary earth Mine, Khasra/Gata No.– 183 G, 183 K & 186 in village Saheliya, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.290 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our ordinary earth Mine, Khasra/Gata No.– 487, 525mi, 475 & 710 in village Rampur joga, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.8529 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Ordinary earth Mine, at Khasra/Gata No.– 462Ka & 480 , Village- Umrapur Raisaheb, Tehsil- Ramsanehighat, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.390 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for Ordinary Earth Mine, Khasra/Gata No.– 294, 445, 446, 447 & 462, Village- Sarai Akbarabad, Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 1.71 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1610
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Ordinary earth Mine, Khasra/GataNo.– 37 & 42, village - Sultanpur,Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.774 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Soil Mine at Khasra/GataNo.- 272 Da & 289 Mi, Village-Chandamau,Tehsil-Ramnagar, District:- Barabanki, Uttar Pradesh., Area 0.865 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1612
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for Ordinary earthmine, at Khasra/GataNo.-709 atVillage-Chhedanagar,Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki, Uttar Pradesh by Vivek verma, Area- 0.402 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1613
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for Ordinary earth mine at Gata No.- 179, Village- Gehndwer, Tehsil- Nawabganj, District Barabanki, developed by Pratap Singh, (Area- 0.78 ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1614
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary earth mine at Gata no.- 1179, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189 & 1194 Village- Mirzapur, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, (Area- 1.435ha.) developed by Sri Ajay Kumar.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1615
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary earth mine at Khasra/Gata No.- 1001, 1015, 1014 & 1010 mi at Village- Mohammadpur, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, Uttar Pradesh developed by Ankit Kumar shukla, Area- 2.061 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1616
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary earth Mine,Khasra/GataNo.– 182, 183, 195 & 198, Village-Sultanpur,Tehsil-Nawabganj, District:-Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.738 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1617
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary earth Mine at Khasra/GataNo.– 292 & 293in village Parsa, Tehsil- Sirauligauspur & District- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.418 ha. in

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1618
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposes of Ordinary earth Mine, Khasra/GataNo.– 466& 471in village-Parsa,Tehsil-Sirauli Gauspur, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.607 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1619
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02136 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Barabanki/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of "Ordinary earth mine"at Khasra/Gata no.- 347 & 365, Village- Jata, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki in Area- 0.897 ha. developed by Shri Ramu

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Barabanki में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Barabanki ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1620
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02154 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lakhimpur Kheri/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

River Bed Ordinary Sand mining at River Jauraha at Gata No. 947, Village-Manjha, Tehsil-Nighasan, District-Kheri, U.P. (Leased Area-11.809 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lakhimpur Kheri की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lakhimpur Kheri में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lakhimpur Kheri ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1621
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02154 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lakhimpur Kheri/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Brick Earth Mining Project located at Gata No.-322, 750, 808, 810, 1478, 411, 1417, 268, 1420, 86, Area- 4.334 ha, at Village- Kiriyara, Tehsil-Mohammdi,District- Kheri, U.P., M/s Khan Bricks Field,(Leased Area: 4.334 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lakhimpur Kheri की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lakhimpur Kheri में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lakhimpur Kheri ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1622
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02154 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lakhimpur Kheri/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Brick Earth Mining Project located at Khasra No.- 777, 785, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 371 & 379, at Village- Jamunia Rana & Rehjania,Tehsil- Mitauli, District-Kheri,U.P.,M/s Qadri Bricks Feild,(Leased Area:3.766 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lakhimpur Kheri की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lakhimpur Kheri में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lakhimpur Kheri ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1623
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02154 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Lakhimpur Kheri/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Riverbed Ordinary Sand Mining Project located at Gata no. 443, Vill: Mudi, Tehsil Dhaurhara, Distt: Kheri.U.P. L.area 6.87 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lakhimpur Kheri की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Lakhimpur Kheri में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Lakhimpur Kheri ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1624
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-65 & Area- 1.727 ha in Village- Borumau, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1625
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation"Project at Gata No.- 266, 91, 92, 90, Village- Pashchim Gaon, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow,U.P.,(Leased Area-1.4875 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of " Soil/ Clay Excavative for Brick Kiln Site" at Gata No.-527, 665, 680, at Village-Kurauni, Tehsil-Sarojini Nagar,District-Lucknow, U.P., Leased Area -1.489 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1627
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Earth Earth Excavation from Khasra/Gata No.- 163,165, at Village- Barakhempur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,(Leased Area: 2.751Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1628
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Brick Earth Mining Project located at Gata No.-1482, 138, 873, 875, 884, 922, 967 Sa, 854, 915, 972, 977 and 818, at Village- Kurauni, Kishunpur, Kuudiya and Banthara Sikandarpur, Tehsil- Sarojini Nagar,District- Lucknow, U.P., M/s Anil Ent Udyog,(Leased Area: 4.6161 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1629
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Brick Earth Mining Project located at Gata No.-728, 749, 725, 315, 317, 682, 722, 703, 706, 244, 247, at Village- Khandedev, Dadupur, Tehsil- Sarojini Nagar,District- Lucknow, U.P., M/s S.K. Brick Field,(Leased Area: 3.825 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1630
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-194,Village- Sairpur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,M/s Usha Construction Area: 0.8810 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1631
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-624,Village- Rasoolpur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,M/s Usha Construction Area: 0.6570 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1632
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-441,Village- Rajauli, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.(Area: 0.8953 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1633
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-320, 222,Village- SaIidapur, Tehsil-B.K.T.,District- Lucknow, U.P, (Area: 1.2160 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-2467 Kha, 2490 Ga, 1212, 1213, Village- Thari, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P., Area: 0.975 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1635
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 134, Village- Naguvamau Khurd, Tehsil-B.K.T, District- Lucknow, U.P., (Leased Area-0.355 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 735, 923, Village- Bhaurumau, Tehsil- B.K.T., District- Lucknow, U.P.,M/s Sadbhav Engineers Ltd. (Leased Area- 0.410 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-1378, Village- Malaha, Tehsil-Malihabad, District- Lucknow, U.P.,M/s Sadbhav Engineers Ltd. (Leased Area-1.520 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-1377 Sa, Village- Malaha, Tehsil-Malihabad, District- Lucknow, U.P.,M/s Sadbhav Engineers Ltd. (Leased Area-0.7850 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1639
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 191, Village- Papnamu, Tehsil-Sadar, District-Lucknow, U.P., M/s PNC Infratech Ltd.(Leased Area-1.35 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 163, 561 & 669, Village- Dhatingra, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area- 4.099 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1641
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-394, Village- Sonava, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-4.360 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1642
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-288, Village- Sonava, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-4.101 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-364, 365 & 367 Village- Parsau, Pargana- Mahona, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-1.261 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-1730/20 & 1730/23, Village- Shipuri, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area- 0.530 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-1117 & 1141 Ka, Village-Paharpur, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-1.377 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-12, 16 Aa, 20 Sa Mi & 21 Sa, Village- Hardaurpur, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-3.648 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1647
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-873, 1029, 1197, Village-Dharurahara, Teshil- Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-0.7160 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1648
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-369, Village- Saraura, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-0.623 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1649
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-336, Village- Saraura, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-0.5780 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1650
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-826 Sa, Village- Barauna, Tehsil-Sarojni Nagar, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-3.228 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1651
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-350, 351, 1183 Ka, 1307, 1572, 1537, 633, 659, 630, 631, 520 Kha, Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District-Lucknow, U.P.(Leased Area-2.559 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1652
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-53, Village- Nizampur , Tehsil-Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-1.066 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1653
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-1819, 1820, 1822, Village- Gauriya Kala,Tehsil- Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P. (Leased Area-2.238 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1654
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-1205Kh, located in Village-Jehta,Tehsil- Lucknow, District- Lucknow, U.P. (Leased Area-0.7590 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1655
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-963, Village-Dhanua Saad, Tehsil-Mohanlalganj, District-Lucknow,U.P.(Leased Area-1.631 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1656
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-678, located in Village- Sadrauna, Tehsil- Sarojani Nagar, District- Lucknow, U.P..(Leased Area-3.428 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-518, 529 Sa, 540, located in Village-Palenhada, Tehsil -Sarojini Nagar, District- Lucknow, U.P. , M/s Ambay Build Infra Pvt. Ltd., (Leased Area-1.423 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-548 Jha, located in Village- Kaliya Khera, Tehsil -Sarojini Nagar, District- Lucknow, U.P. ,M/s Rajeev Associates, (Leased Area-4.87 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1659
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Khasra No.-114, located in Village-Malaha, Tehsil-Malihabad, District- Lucknow, U.P..(Leased Area-0.511 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1660
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-1421, 1428, 1429,Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P., (Leased Area-1.6503 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Soil Excavation Project at Gata No.- 855, located in Village-Raipur Raja, Tehsil-B.K.T, District- Lucknow, U.P.,M/s SVGS Enterprises Leased Area -0.4480 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1662
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Soil Excavation Project at Gata No.- 312, located in Village-Sultanpur, Tehsil-B.K.T, District- Lucknow, U.P.,M/s SVGS Enterprises Leased Area -0.7344 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1663
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed"Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.– 757, Village- Kuroni, Tehsil- Sarojani Nagar, District- Lucknow, U.P., Lease area-0.7160 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Soil Mining project at Gata No- 95, 79Ka, 79Kha Village-Chaurahiya, Tehsil-Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.,M/s Ujjwal India Enterprises, Lease area-0.56 ha.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1665
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Earth Excavation Mining Projec at Gata No.-602, 62/1, Villag-Shivpuri, Tehsil-Bakshi ka Talab,District- Lucknow,U.P.,M/s Shree Balaji Infratech and Developer,(Lease Area: 1.804 ha),

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Earth Mine, at Khasra No.-1531ja & 1609ka ,Village-Gauriya kala, Tehsil-Mohanlalganj, District- Lucknow,U.P., developed by Shri Kamal Kishor, 1.53 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-225, in Vill.: Dada Sikandarpur, Tehsil: Mohanlalganj, District- Lucknow, Uttar Pradesh. (Lease Area: 0.914 Ha.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02156 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Luknow/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-701/2, 701/3, 835 in Village: Kolwa Bhanora, Tehsil: Malihabad, District- Lucknow, Uttar Pradesh. Area-0.879 Ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Luknow में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Luknow ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sand Mining Project at Khasra No.-257 Ka, Village- Dhanwan, Tehsil- Biswan, DISTT.- Sitapur, U.P., M/s Saini Traders

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1670
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sand Mining Project at Gata No.- 609Ka, 610Ka, Village- Kyotana Hardopatti, Tehsil-Laharpur, Distt.- Sitapur, U.P., M/s Radhey Construction,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Sand/ Mining Project at Gata No.- 1105 Mi, 1328 ka, 1104 Mi, 1325, Village- Raghunathpur, Tehsil-Misrikh, District- Sitapur, U.P., M/s Kamal Enterprises, Lease Area 10.132 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

River Bed Sand Mining in River Kadhina at Gata No.- 325, 348, 356, 357, 360, 391, Area- 7.315 ha, Village- Bhithaura Bahadur Nagar, Tehsil- Moholi, District- Sitapur, (Leased Area-7.315 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Sand Mining" Project In Sharda River at Gata No.-8 Ka/ 195, Village- Ratauli, Tehsil- Laharur, District-Sitapur, U.P.,(Leased Area: 8.0 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Sand Mining" Project at Gomti River at Gata No.-337 Mi & 330, Village- Ajizpur, Tehsil- Mishrikh, District-Sitapur, U.P., M/s Bharat Construction (Leased Area:5.12 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1675
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Sand Mining" Project at Sharda River at (Khand- Aa) Gata No.- 8 Ka/195,, Village- Ratauli, Tehsil- Laharpur, District-Sitapur, U.P., M/s Abhaya Pratap Singh (Leased Area:8.782 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1676
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed " Ordinary Soil Execavation" Project at Gata No.- 180, 166/2, 165, 167, 168, 169, 171/2, 171/2, 172, 235/2, 176, 390,318, 207, 195, 196, 159, 163, 10/2, 273, 274 Ka, Village- Murtajanagar, Tehsil- Mahoodabad, District-Sitapur,U.P.,(Leased Area-2.502 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1677
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.- 313 Ka, 314, 316 Ka, 317, 334 Ka, 189, 432 Ka, 40, Village- Angrasi,Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Leased Area-0.9805 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-90, 353, 478 Ka, 549, 572 Ga, 585, 587, 612, 613, 691, 705, 777, 778 Ga, Village- Khapura, Tehsil & District-Sitapur, U.P., (Leased Area-2.183 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.- 03, 97, Village-Singhariya,Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Leased Area-1.219 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1680
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.- 809, 811, 813, Village-Ramnagar,Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Leased Area-0.518 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1681
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-1238, 1241, 1243, 1254, 1252, Village- Katesar, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P.(Leased Area-0.593 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Earth" Mining Project located at Gata No.-735, 732 Kha, 734 Kha, 732 Ka, 734 Ka, 699, Village- Neri, Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Lease Area: 0.801ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Earth" Mining Project located at Gata No.-7, 373, 374, 585, 587, 588, 589, 620, 692, 693, 706, 808, 809, 812, 463, 464, 467, 468, 469, 501, 683, 60, 481, 204, 338 ka , 279, 281 ka, 341, Village-Khapura, Tehsil & District- Sitapur, U.P.,M/s Ramraj Construction (Lease Area: 4.085ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Ordinary Earth" Mining Project located at Gata No.-125 mi, 1238 mi, , Village-Dhanai Khera, Tehsil & District- Sitapur, U.P., M/s Ramraj Construction, (Lease Area: 1.295 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1685
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Soil Mine Project from Khasra/Gata No.-486 Kha & 486 Gha, at Village-Chilvara(Khairabad), Tehsil & District- Sitapur, U.P.,(Leased Area: 4.028 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1686
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ajay Soil Mining Project (Category B2) from Khasra No.-447, Village-Tahpur, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P., (Lease Area: 0.591 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Soil Eccavation Project at Gata No.-176, 166/2, 167, 168, 169, 171/2, 135/2, 318, 172, 207, 195, 196, 180, 390,, Village- Murtajanagar, Tehsil-Mahmoodabad, District- Sitapur, U.P., (Lease Area:2.176 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Ordinary Sand Mining Project at Gata No.-21 Ka/20,at Village- Manjha Setuhee, Tehsil-Laharpur, District- Sitapur, U.P.,Leased Area -1.0720 ha,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ordinary Earth Mining Project at Gata No.-1288, 1289, Village- Katesar, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P., (Lease Area: 0.562 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for Umesh Soil Mining Project (for category B2) at Gata No.- 122/1, Village- Dhanaikheda, Tehsil & District- Sitapurr, U.P., Leased Area -1.00 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1691
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for our Soil Mine, over an area 1.037 ha. in Khasra/Gata No.– 307, 764, 766, 668, 671, 682Ga, 749Kha, 750Ga, 779kha & 780Kha in village- Narhi, Tehsil & District:- Sitapur, Uttar Pradesh.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed of Ramraj Coal Soil Mining Project Village- Dhanaikheda, Tehsil Sitapur, District Sitapur, State-Uttar Pradesh Area – 3.035 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed for Soil Excavation from Gata No.- 03, 97 Village-Singhariya, Tehsil & District- Sitapur, U.P. (Area – 1.219 ha).

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02171 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sitapur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Soil Excavation Project at Gata No.- 195, Village- Badi, Tehsil- Sidhauli, District- Sitapur, U. P., Area: 0.392 ha.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sitapur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sitapur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 5 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Lucknow को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02129 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Ayodhya/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Santosh kumar jaisawal, Mining area-Rudauli, Gata no-2Gha, 613, 1,2, (Area in Hec-2.50), vill-Sarai nasir and barai, Tahsil-Rudauli, Ayodhya

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Ayodhya द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Ayodhya की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Ayodhya में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Ayodhya ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Ayodhya को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02145 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Gonda/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Aradhya Enterprises, Prop. Shri Ajay Kumar Singh, Mining area-vill-Sonauli Mohmmadpur, Gata no-6186JA, (Area in Hec-6.00), Tahsil-Tarabganj, Gonda.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Ayodhya द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Gonda की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Gonda में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Gonda ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Ayodhya को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02167 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sant Kabir Nagar/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Subedar Yadav S/o Late-Pitamber Yadav ,Vill-Dadwa,Post-Rajgadh, Dist-Gorakhpur Mining Project- Address- Total Area25.0hect. of Gata No.-1150 of Vill-Narayanpur, tehsil-Dhanghata, District-Sant Kabir Nagar

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Basti द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sant Kabir Nagar की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sant Kabir Nagar में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sant Kabir Nagar ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Basti को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02167 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sant Kabir Nagar/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ahmad S/o Mustfa Shekh, Vill-Shekhpurwa, tehsil-Mankapur, Dist-Gonda, Proposed for Ordinary Sand Mining to be used in Riverbed of Ghaghara M/s A.R. Vito Minerals from Gata No.-3225, Village-Chhapar Magaarbi, Teshil- Dhanghata, District- Sant Kabir Nagar, U.P.,Leased Area -3.364 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Basti द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sant Kabir Nagar की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sant Kabir Nagar में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sant Kabir Nagar ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Basti को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02170 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Siddharth Nagar/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sunil Kumar Jaiswal, Date: 29/09/2021 S/o- Shri Chhotelal Jaiswal R/o-Vill.- Tandiya Bazar, Thana-Jogiya Udaipur District- Siddharthnagar, Proposed for "Ordinary Sand Mining Project", at Gata No. 259 ग, 258 ग & 258 ख, Village/Ghat-Chivarahiya, Tehsil-Naugarh, District-Siddharth Nagar , U.P. , (Lease Area: Area-2.32 Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Basti द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Siddharth Nagar की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Siddharth Nagar में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Siddharth Nagar ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Basti को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1700
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02134 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Balrampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ajit Kumar Mishra S/o Shri kailash nath Mishra, Civil Line, Balrampur, Mining Project Address-Total Area2.387hect. of Gata No.-5, 7क, 30क मि, 28 of Vill-Ahlad Nagar, District-Balrampur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Basti द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Balrampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Balrampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Balrampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Basti को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1701
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02133 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Ballia/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Shiva Enterprises, Maharajganj, Gata No 593, Village Khaira Khas, Tehsil Belthara Road, District Ballia

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Azamgarh द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Ballia की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Ballia में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Ballia ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Azamgarh को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1702
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02130 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Azamgarh/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Anil Sing, Gata No 767, Village-Sahbadiya Sultanpur, Tehsil-Sagari, District-Azamgarh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Azamgarh द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Azamgarh की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Azamgarh में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Azamgarh ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Azamgarh को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02174 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Varanasi/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-293, 300, Village- Paranapur, Tehsil- Sadar, District- Varansai, U.P.M/s Gammon Engineers & Contractors Pvt. Ltd.(Leased Area-3.123Ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Varanasi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Varanasi की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Varanasi में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Varanasi ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Varanasi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02144 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Ghazipur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Proposed Project of River Bed "Sand/Morrum Mining"on the river bed of Ganga River, at Gata No.- 1255 Ka (Area 15 ha) in Village- Bara, Tehsil- Sewrai, Distt.- Ghazipur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Varanasi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Ghazipur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Ghazipur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Ghazipur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Varanasi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1705
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02144 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Ghazipur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

EC of Proposed River Bed Sand Mining Project from Ganga River of M/s Tejaswa Gas Service Sand Mining at Gata No-2, Village- Gangbarar Tari, Tehsil- Zamania Distt.-Ghazipur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Varanasi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Ghazipur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Ghazipur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Ghazipur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Varanasi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02139 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Chandauli/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

EC of Proposed River Bed Sand Mining Project from Ganga River of M/s Rajesh Prasad Yadav and Son located at Arazi No.-2, Khand No.-01, Village- Hasanpur, Tehsil- Sakaldiha, Distt-.Chandauli, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Varanasi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Chandauli की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Chandauli में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Chandauli ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Varanasi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1707
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02139 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Chandauli/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

EC of Proposed River Bed Sand Mining Project from Ganga River of Shri Ajay Kumar Singh located at Arazi No-2 Ga, Khand No.-03, Village- Puravijai, Tehsil-Sakaldiha, Distt.-Chandauli, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Varanasi द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Chandauli की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Chandauli में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Chandauli ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Varanasi को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02146 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Gorakhpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Dev Narayan, Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Rapti River bed, for located at Block No.-02, Gata No.- 04, Village- Tal Mahulani, Tehsil-Campierganj, District-Gorakhpur, U.P., Lease Area: 5.0 ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Gorakhpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Gorakhpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Gorakhpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1709
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02146 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Gorakhpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rakesh Chauhan, Owner, Proposed Project of riverbed Ordinary Sand Mining on the riverbed of Rapti River located at Gata No.-10/2, Block No.- 02,Village- Nadua Lalpur Ehatmali, Tehsil- Sadar, District- Gorakhpur, U.P., (Lease Area: 5.0 ha)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Gorakhpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Gorakhpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Gorakhpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1710

Ref. No H 02146 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Gorakhpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sanjay Kumar Maddeshiya S/o Shri Shivnath Prasad, Proposed Ordinary Sand Mining Project from Ganghra river for at Gata No.- 648, Village- Malauli, Tehsil- Gola, District- Gorakhpur, U.P.,Leased Area -5.0 ha,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Gorakhpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Gorakhpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Gorakhpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02146 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Gorakhpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shrimati Rajni Shahi, Proposed Project of Ordinary Sand Mining Project on the riverbed Ghaghra River at Gata No.-Gha, Block No.-04, Village-Ratanpura, Teshsil-Gola, District- Gorakhpur, U.P., M/s Aarchis Enterprises, Lease Area: 5.0 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Gorakhpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Gorakhpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Gorakhpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02157 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Maharajganj/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sandhya Pandey W/o Shri Dinesh Pandey, Proposed of Sand Mining Project from River Bed of Rohin river at Gata No.- 247 Ga,at Village- Baikunthpur, Tehsil- Nautanwa, District- Maharajgaj, U.P.,Leased Area -5.475 ha,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Maharajganj की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Maharajganj में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Maharajganj ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02141 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Deora/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Raj Pratap Yadav S/o Shri Bhagwat Prasad Yadav, Proposed "Sand Mining" at Ghaghra River Bed at Gata No. - 396/1 , Village: Takia Dharahara Khadar, Tehsil: Salempur, District: Deoria, State: Uttar Pradesh,Area: 11.70 Ha

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Deora की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Deora में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Deora ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Gorakhpur को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02131 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Badaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Moor Singh S/o Shri Karan Singh, Mahmoodpur, Than- Sunagadi, Tehsil-Patiyali, District- Kasaganj,U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Badaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Badaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Badaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02131 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Badaun/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jitendra Kumar, Owner, S/o Shri Gyanchand, Ward No.- 4, Dineshpur, Tehsil-Gadarpur, District- Udhamsingh Nagar(U.K.), M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Badaun की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Badaun में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Badaun ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02161 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Pilibhit/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mohammad Arif,Owner, Gohar Neariya, District- Pilibhit, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Pilibhit की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Pilibhit में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Pilibhit ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Shivendra Singh, Ambedkarnagar, District- Shahjahanpur,U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Gurudev Mishra, District- Shahjahanpur,U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02161 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Pilibhit/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mahendra Kumar Agarwal S/o Babulal Agarwal, R/o- Ward No.- 04, Tilak Nagar Khatima,Udham Singh Nagar

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Pilibhit की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Pilibhit में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Pilibhit ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1720
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02161 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Pilibhit/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Nisha Dulvani S/o Harvansh Dunwani, R/o- H.No.- 19, Madhuban Colony, Mohalla Nai Basti, District- Pilibhit, U.P., M/s Shri Om Brick Field

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Pilibhit की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Pilibhit में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Pilibhit ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1721

Ref. No H 02161 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Pilibhit/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rais Ahmad S/o Munne Ansari, R/o- Saraini Tirkunia, Amaria,District- Pilibhit, U.P., M/s Singh Brick Field

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Pilibhit की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Pilibhit में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Pilibhit ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1722
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Kumar erma S/o Shri Chote Lal Verma R/o-Village-Gadhiya Saraili,Tehsil- Puwayan, District-Shahahanpur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1723
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Deepu Gupta, R/o- Madan Nagar, Jalalabad, District- Shahjahanpur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1724
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Deepu Gupta, R/o- Madan Nagar, Jalalabad, District- Shahjahanpur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1725
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Gurudev Mishra, District- Shahjahanpur , U.P., M/s Satya Om Enterprises

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arivind Verma, District- Shahjahanpur, U.P., M/s Balaji Construction and Supplier

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1727
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Ashi Parveen, R/o- Khudaganj, Nayaganj,District- Shahjahanpur, U.P,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1728
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mohd Jahid, R/o- 94, Bhangshan Miranpur Katar, Tehsil- Tilhar,District-Shahjahanpur, U.P,M/s Hira Brick Field

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1729
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mumtaz, R/o- 130 Umarpur,Tehsil- Tilhar, District- Shahjahanpur, U.P, M/s Sabri Brick Field

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1730
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Taj Mohammad, R/o- Dhakiya Hamidnagar, District- Shahjahanpur, U.P, M/s Chand Brick Field

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1731

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Mamata Agarwal, R/o- 90 Ka cha Katra,District- Shahjahanpur, U.P, M/s Singhal Ent Udyog

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1732
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Prem Prakash Narang, R/o-Krishna Nagar, District- Shahjanpur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kuldeep Singh, R/o- Kasbhara, Tehsil-Puwanya,District- Shahjahanpur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1734
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh KumarVerma. Owner, R/o- Gadhiya, Sareli lalpur,District-Shahjahanpur, U.P.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1735
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Jagjeet Singh, R/o-Birasini, Tehsil- Tilhar, District- Shahjahanpur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Mubshara Bi, W/o Sajid khan Bragad, R/o- Village- Shahbaznagar, Tehsil-Sadar, District -Shahjahanpur,U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1737
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Kumar Verma, S/o Shri Chotte Lal verma, Village: gadhiya sareli, lalpur, Shahjahnpur, U.P

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1738
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Radha Krishan Gupta, S/o Shri Ramnarayan Gupta, R/o Village-Hundal Khel, Tehsil- Sadar, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1739
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Harsh Raj Tiwari, R/o- Village: siktiha, Lakhimpur kehri, U.P

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1740
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sachin Kumar, R/o- Village: Badagaon, Puwanya, Shahjahnpur, U.P

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Chotelal, R/o-Village – Daulatpur Mu. , District- Shahjahanpur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shree Kant Verma, R/o- Nizampur Gautiya, Shahbaznagar, M/S Shree Shyamji Enterprises

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1743
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Chotelal, R/o-Village – Daulatpur Mu. , District- Shahjahanpur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1744
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02168 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Shahjahanpur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shree Kant Verma, R/o- Nizampur Gautiya, Shahbaznagar, M/S Shree Shyamji Enterprises

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Shahjahanpur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Shahjahanpur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1745
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02137 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bijnor/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anuj Bansal, HN-30, Qazi Zadgan, Moh- Katarmal, Tehsil- Chandpur, District-Bijnor, U.P., M/s Bansal Bricks

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bijnor की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bijnor में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bijnor ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02137 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bijnor/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pankaj Vesh S/o Shri Ashok, 191, Katarmal, Tehsil- Chandpur, District- Bijnor, U.P., M/s Sagar Bricks Works

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bijnor की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bijnor में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bijnor ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1747
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02137 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bijnor/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Yash Pal Singh S/o Ramswaroop Singh, R/o-Village- Mathera Chauhan, Tehsil-Nagina, District- Bijnor, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bijnor की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bijnor में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bijnor ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02137 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bijnor/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Satyendra Singh S/o Shri Brijendra Singh, R/o- A-7, Mangal Vihar Colony, Nikat Nangla Maulvi Aligarh Shehar Col, District- Aligarh, U.P., M/s Brijwala Infra Solution Pvt. Ltd.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bijnor की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bijnor में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bijnor ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1749
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02128 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Amroha/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Pawan Chauhan S/o Shri Ram Pal Singh, R/o-Village- Pal, Salempur Gosain, Gajraula, Amroha,U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Amroha की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Amroha में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Amroha ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1750
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02137 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Bijnor/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Dilip Kumar Ojha S/O Shri Hanuman Prasad Ojha R/O-184, N Block, Kidwai Nagar, Kanpur Nagar, U.P,M/S JAYANTI ENTREPRENEUR PVT. LTD.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bijnor की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Bijnor में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Bijnor ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnor को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Mr. Neelam Mathur, Owner, M/s Krishna Construction, H.No.-31, Anand Bhawan, Sant Pual College, Civil Lines, Distt.- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Smt. Neelam Mathur, Owner, H.No.- 31, Anand Bhawan, Sant Paul College, Civil Lines, Distt.- Moradabad, U.P., M/s Krishna Construction

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1753
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pradeep Chaudhary S/o Shri Rajendra Singh, Village- Pachokra Khanpur, Tehsil- Kanth, District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1754
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sher Alam S/o Islam Ali, Village- Rustumapur, Tehsil- Bilari, District- Moradabad,U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1755
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Amit Kumar S/o Shri Giriraj Singh, R/o-Suraj Nagar Pital Nagar, Tehsil-Moradabad, District-Moradabad,U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1756
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Lakhvindar Singh, Shri Mahendra Singh & Shri Jugendra Singh, S/o Shri Sarjeet Singh, R/o- Jamna Jamni Chauhadda, Tehsil- Sadar, District- Rampur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1757

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Gurmeet Singh, R/o- Asadullahpur, Tehsil- Milak, District- Rampur, U.P., M/s A.A. Cable Layers

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sunny Garg, Owner, R/o- Ramraj Road, Bazpur, District- Udham Singh Nagar, Uttarakhand

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arun Kumar Goyal S/o Shri Deewan Chand, R/o- Subhash Nagar,Uttarakhand

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1760
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Saurabh Kumar Tomar, R/o- Shop No.- 02, Before Meenar, Harthala, Moradabad, U.P.., M/s Shiv Shakti Enterprises

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Anjali Kapoor W/o Shri Sharad Kapoor R/o- H.No.- C-13, Gandhi Nagar, Teshil & District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1762
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kailash Singh S/o Shri Rajveer Singh, R/o- Village- Milak Ghansurpur Bamniya, District- Amroha, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1763
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vijendra Singh S/o Late Shri Ram Singh, Resident of Vidya Nagar Mau, Thana-Civil Lines, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1764
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mudassir Khan, Owner, R/o- Rampur Bheela, PO- Sarkara Khas, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1765
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Arshad Ali S/o Shri Munan Ahamad, R/o- Pipli Chak, District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mohd Saleem, Owner, R/o- Village- Milak Sihora, Posr- Munda Pandey,Tehsil & District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1767
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pappi Chaudhari S/o Shri Ahmad Jan,R/o-Chamraua, Post- Akka Dilari,District-Moradabad,U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Nazim Ali, Owner, Village- Rampur Bheela Sakara Khas, Tehsil & District- Moradabad,U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1769
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Danish, Owner, R/o- Village- Salempur Nawada, Chaudharpur, Tehsil- Amroha, District- Amoraha, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Imran Ali, Owner, R/o- Barwara Manjhra, P.O.-Bhaisiya, District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kuldeep Singh, Owner,R/o- D-39, Deen Dayal Nagar, Phase-2, District-Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1772
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Yogesh Kumar S/o Shri Param Singh, R/o- House No.- E-10, New Moradabad Oop. Power House-2, Sector- 01, District-Moradabad, U.P.,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Radhey Shyam S/o Shri Ramswaroop, R/o- Chakarpur, Tehsil- Bajpur, District- Udham Singh Nagar, Utttarakhand

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1774

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Satpal Singh, R/o- Village- Bhoovra Ehatmali, Tehsil- Swar, District- Rampur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1775
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rishipal Singh S/o Shri Tularam Singh, R/o- Village- Bhatawali, P.O.- Kazipura, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1776
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sameer Khan, Owner, R/o- Plot No.- 14-15, First Floor, Shri Sai Hospital, Mansarovar Colony, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sagar Gupta, Owner, R/o- Mohalla-Mahajan, P.O.- Chandausi, District-Sambhal, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1778
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mohammad Rafi , Owner, R/o- Village- Milak Bujpur Asha, P.O.- Veerpur Than, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pawan Kumar, Owner, R/o-Mohiuddinpur, Kamelpur Dhanora, Tehsil & District- Amroha, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mohd. Akhlak S/o Shri Mohd. Ishak, R/o- Pandit Nagala, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1781

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Monu Pal, Owner, Village- Hussainpur Hameer, Tehsil- Bilari District- Moradabad, U.P,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1782
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri, Owner, R/o- Lalpur Hameer, Faridpur Hameer, Tehsil- Bilari ,District- Moradabad, U.P,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1783
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Yogesh Chandra, Owner, R/o- ,K.G.K College, Surya Nagar , Tehsil & District- Moradabaad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Yogesh Kumar S/o Shri Param Singh, R/o- House No.- E-10, New Moradabad Opposite power house- 2 sector 1,District- Moradabad, UP,

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1785
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Brahmpal Singh, R/O- Ampur Dhamman, Tehsil – Tanda, District – Rampur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1786
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Kumar Gupta, R/o- Mohalla- Nausar, Jalalabad District- Shahjahanpur,U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1787
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Amit Kumar S/o shri Giriraj Singh
R/o- Suraj nagar Pilat Basti,
District – Moradabad , Uttar Pradesh.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1788
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Bisharat Husain, R/o-Village-Chaudharpur, (DiDoli),Tehsil & District-Amroha, U.P,Amroha,Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Imran Ali, Owner, R/o- Viillage-Barwara, P.O-Bhaisiya Tehsil & District-Moradabad (U.P),

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajendra Singh R/o Munda Pande, District- Moradabad, Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pradeep Kumar S/o Shri Rajendra R/Oo – Village Pachokara khanapur – Post – Kuchawli, Chhajlet, Tehsil - Moradabad, District - Moradabad, Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02166 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sambhal/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Kumar S/o Shri Rajpal Singh, R/o Kanharpur Nagla Barah, Tehsil-Bisauli, District - Badaun, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sambhal की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sambhal में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sambhal ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1793
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Subhan, R/o- Village- Karanpur, P.O.- Yusufpur Nagaliya, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1794
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

M/s Umar Goods Transport & Ent. , Add.- Bhojpur Dharampur, Near B.S.N.L. Kashipur Road, District-Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1795

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sameer Khan, R/o- Plot No 14-15, 1st Floor Beside Sri Sai Hospital Mansarovar Colony Tehsil District Moradabad,,Moradabad,Moradabad,Uttar Pradesh,M/s Verner Enviro India Pvt Ltd.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Malkit Singh, R/o- Math Khera, Tehsil- Swar, District- Rampur, U.P., M/s Baba Deep Singh Enterprises

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Nusrat Naim Siddiqui, Date: 30/12/2021 S/o- Late Shri Rashidullah Siddiqui R/o- Ekta Vihar, Shaukat Ali Road, Civil Lines, Tehsil- Sadar, District- Rampur (U.P.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Name Ali S/o Shri Maseeta R/o-Narpat Nagar Dudawala, Tehsil- Swar, District-Rampur, U.P.,
M/s Imran Traders

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1799
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Naame Ali S/o Shri Maseeta R/o—Narpat Nagar Doondawala, Tehsil- Swar, District-Rampur, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ayush Bhedda S/o Shri Mahesh Pal, R/o – Near Primary School, Katha Bagpat,Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1801
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Vijendra Singh S/o Late Shri Ram Singh R/o – Bank Colony, Harthala Tehsil & District- Moradabad (U.P.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Gaurav Agarwal S/o Shri Jaideep Agarwal R/o Badrinath Marg, Kalagarh Sukhri, Kotdwar, Pauri Garhwal

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1803
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pawan Kumar S/o Shri Mahendra Singh Residential Address – Village-Muhiuddinpur, Post- kamelpur dhanaura, Amroha, Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1804
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Gurmeet Singh, Partner R/o- Asadullahpur, Tehsil- Milak, District- Rampur, U.P., M/s A. A.Cable Layers

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1805
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sumit Chaudhary, R/o- Mahendari Sikandarpur, Chhajlet, District- Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1806
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02166 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Sambhal/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Rajesh Kumar S/o Shri Rajpal Singh, R/o Kanharpur Nagla Barah, Tehsil-Bisauli, District- Badaun, U. P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sambhal की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Sambhal में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Sambhal ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1807
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Nazim Ali S/o Shri Muslim Residential Address – Village Rampur bheela, Post Sarkara khas, District- Moradabad, Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Mou Raza, R/o- ill-Lakhanpur ladapur, Post-Udhamawala, Roshanpura, Moradabad, Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pappi Choudhry, R/o- Ahmad Jan Chamraua Post Office Akka Dilari Moradabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1810
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Abdul Vahab S/O Abdul Gaffar R/o- Mohalla -Lal Masjid, Tehsil- Sadar ,District-Rampur, U.P

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Pawan Kumar, R/o- Village- Muhiuddinpur, Post Kamelpur Dhanaura, Tehsil-Amroha, District- Amroha (U.P.)

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1812
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Kuldeep Singh, R/o- D-39, Deendayal Nagar, Phase- 2, Near Wave Mall, Tehsil & District- Moraadabad, U.P.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1813
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02164 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Rampur/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Sunny Garg S/o- Shri Meghraj Garg, Gata No- 659 & 671, Village- Doondawala, Ehatmali, Swar, Rampur, UP

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Rampur में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Rampur ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1814
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Ravindra Chaudhary S/o Shri Ram Ratan Singh, Village- Pachokra Khanpur, Post- Kuchawali, District- Moradabad, Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1815
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 02160 /सी–6/सा–407/नोडल खनन /काबनो/Moradabad/2023 Date 20.10.2023

पंजीकृत

Shri Atul Singh, R/o- Village- Bhatawali, District- Moradabad ,Uttar Pradesh

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad की सूची में आपके खनन पट्टे का नाम अंकित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.— [***

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद Moradabad में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध खनन पट्टों की सूची में आपकी इकाई भी सम्मिलित है। आपकी इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, Moradabad ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 7 / आई0एम0एस0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय की प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6/नोडल–खनन)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

List of 160 Mining Leases which have valid CTO

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
1	M/s. Lifemap Builders Pvt. Ltd. Shri Ajay Kumar Singh S/o. Shri Baijnath, R/o. 51415A, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 142, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
2	Smt. Usha Devi W/o. Shri Arvind Kumar, R/o. Koiran Bazar, Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 137, Vill. Kanchanpur, Teh. Chunar, Area 2.80 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
3	M/s. Jay Maa Bhandari Stone Works, Prop. Shri Gulab Das S/o. Paras Nath, R/o. Koiran Bazar, Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 484, Vill. Patti Kalan, Teh. Chunar, Area 2.34 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
4	Shri Abhay Singh, S/o. Shri Jagat Narayan Singh, R/o. Vill. Lalpur, Adhawar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 484, Vill. Patti Kalan, Teh. Chunar, Area 2.31 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
5	Shri Vikas Singh, R/o- 8044 near Dot Pul Rambag, Tehsil- Sadar, District- Prayagraj, U.P., M/s Sarita Construction Company/106546 Proposed of Building Stone (Gitti, Boulder) mine at Khasra No./Plot No.- 719, Khand No.-02, Area- 2.024 Ha (5.00 Acres) at Village- Chhatahara Ghurehtha, Tehsil- Bara, District- Allahabad, U.P., M/s Sarita Construction Company/106546	Prayagraj	Granted
6	Shri Vikas Singh , R/o- 80/44 near Dot Pul Rambag, Tehsil- Sadar, District- Prayagraj, U.P., M/s Sarita Construction Company Proposed of Building Stone (Khanda & Gitti, Boulder) Mining Project at Khasra No./ Plot No.- 719, Khand No.- 01, at Village- Chhatahara Ghurehtha, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, U.P., M/s Sarita Construction Company, (Leased Area- 2.024 ha)	Prayagraj	Granted
7	Shri Durgesh Pratap Singh S/o Shri Satrubandhan Singh, R/o- Village- Koshnakalan, Tehsil- Meja, District- Prayagraj,U.P., M/s Maa Savitri Stones Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti) Mine" Project at Khasra No./Plot No./Gata No.-3114, 3115, Khand No.-18, at Village- Koshnakalan, Tehsil- Meja, District- Prayagraj,U.P., M/s Maa Savitri Stones, Lease area-2.024 ha.,	Prayagraj	Granted
8	Smt. Kusum Devi, Owner, R/o- Pandila, Post- Ismailganj, Thana- Tharvai, District- Prayagraj , U.P., M/s Kusum Construction Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project located at Gata No.-174, Khanda No.- B/4, Village- Bangaliya, Tehsil-Meja District- Prayagraj , U.P., M/s Kusum Construction, Leased Area -2.024 ha	Prayagraj	Granted
9	Smt. Shakuntla W/o Shri Punjab Singh, R/o-Village-Bisenpur, Post-Dohariya, Thana-Meja, District-Allahabad,Uttar Prades Proposed of Ordinary River Sand Mining project at Khand No-31, Village-ParanipurIII (from tower of hightension line up to constructing tower of high tension line) & Kandla Mawaiya (Ganga River), Tehsil- Meja/Handiya District- Prayagraj, U.P.,Area 5.0 Ha	Prayagraj	Granted
10	Shri Ravindra Kumar (Prop) S/o Shri Rajendra Prasad Jaiswal R/o- 463/380A/1, F/1, New Basti Keedganj District – Prayagraj, Uttar Pradesh Proposed of Building Stone (Gitti / Boulder / Khanda) mine, at Khasra no. /Plot no./Gata No.- 1, 522, Khand No.D.H./7 Area 4.0480 ha (10.00 Acres) at Village – Dharawal, TehsilMeja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s Jyoti Associates.	Prayagraj	Granted
11	Sunita Singh W/o Shri Dinesh Pratap Singh R/o – Rajapur, Bharatganj Tehsil - Meja, District – Prayagraj U.P. Proposed Building Stone (Gitti / Boulder / Khanda) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. – 01 , Khand No.–G/1, at Village – Gudgawa, TehsilMeja, District- Prayagraj , Uttar Pradesh of Smt. Sunita Singh, Area 2.024 ha.	Prayagraj	Granted
12	Shri Deepak Singh, R/o- Village – Hinauti Pandey, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Deepak Singh. Proposed of Building Stone (Gitti/Boulder/Khanda) Sandstone mine, at Khasra no./Plot no./Gata No.-272, Khand No.6, Area 0.809 ha (2.00 Acres) at Village – Hinauti Pandey, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Deepak Singh.	Prayagraj	Granted
13	Shri Arun Kumar Singh (Prop) S/o Shri Dharmendra Pratap Singh R/o: 529 Manda Khas Tehsil- Meja, District–Prayagraj U.P. Proposed of building stone (Gitti, Boulder, Khanda) sandstone mine at Araji No. /Plot No./Gata No- 1Mi, khand no.–K/3, at village – Kewalpur, tehsil- Meja, district- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Arun Kumar Singh, area 2.024 ha	Prayagraj	Granted
14	Shri Ram Kesarwani, R/o- Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh Proposed of Building Stone (Gitti, Boulder, Khanda) Sand Stone mine at Araji No./Plot No./Gata No.-2098, Khand No.–41 and 43, at Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Ram Kesarwani, Area- 4.048 ha	Prayagraj	Granted
15	Shri Nirmal Kumar Chaubey (Prop) S/o Shri Balwant Chaubey Add:- Chhorhar Hanumanganj District–Balia, U.P Proposed Building Stone (Khanda, Boulder Gitti) Sandstone mine located at Araji No. /Plot No. Gata No- 174, Khand No.–B/3, Area 2.0240 ha (5.0 Acres) at Village – Bangliya, Tehsil-Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh, Area- 2.0240 ha	Prayagraj	Granted
16	Shri Shailendra Kumar Dubey S/o Shri Indra Kumar Dubey, R/o. Vill. Kalana Dubey, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 36/6/5, Vill. Sonbarsa, Teh. Lalganj, Area 2.50 Acre., Distt. Mirzapur	MIRZAPUR	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
17	Shri Vishal Dubey S/o. Shri Ramjidhar Dubey, R/o. Vill. Kalana, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 36/5/2, Vill. Sonbarsa, Teh. Lalganj, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
18	Shri Anirudh Kumar Tiwari S/o. Shri Vikramadity Tiwari, R/o. Vill. Chauguna, Post-Kador, Distt. Sant Ravidas Nagar (Bhadohi), Mining Project at Gata No. 83 Kh, Vill. Bhusi Patharaha (Niji), Teh. Lalganj, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
19	Smt. Mithilesh Dubey W/o. Shri Ramji Dubey, R/o. Vill. Kalana Dubey, Gaipura, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 3Kh & 3Gh, Vill. Manikpur (Niji), Teh. Lalganj, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
20	Shri Shambhu Nath Yadav W/o. Shri Binnar Yadav, R/o. Vill. Devari Kalan, Teh. Marihan, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 478, Vill. Devari Kalan, Teh. Marihan, Area 6.25 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
21	J.B.S. Stone, Prop. Jaypal Gupta S/o. Late Keshav Prasad Gupta, R/o. Vill. Barkachha Kalan, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 501 Ka & Ga, Vill. Devari Kalan (Niji), Teh. Marihan, Area 5.00, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
22	Shri Suraj S/o. Late Shitala Prasad, R/o. Moh. Pakki Saray, Thana Kotawali Shahar, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1537R, Vill. Bahuti (Niji), Marihan, Area 6.47 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
23	Shri Keshav Nath Tiwari S/o. Late Ramnagina, R/o. Vill. Pahari Barkchha, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1537R, Vill. Bahuti (Niji), Teh. Marihan, Area 4.94, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
24	Shri Akhilesh Kumar Singh S/o. Shri Raj Bahadur Singh, R/o. Vill. Bhaidpur, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 508/1, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 1.55 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
25	Shri Moh. Shah S/o. Shri Jamat Ali Shah, R/o. Vill. Harharpur Dunda Shubhali, Thana Bahedi, Distt. Barelli, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhaura, Teh. Sadar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
26	M/s. Satya Prakash Construction Company, Prop. Shri Satya Prakash Singh S/o. Shri Devraj Singh, R/o. Chakgaura Bisen, P.O. Nakati, Mishrauli, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 2Mi, 3, 5 & 6 Mi, Vill. Chakgaura Bisen, Teh. Sadar, Area 1.30 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
27	Shri Shyam Bahadur Singh S/o. Shri Jawahir Singh, R/o. Danghar, Hydil Colony, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 562, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 1.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
28	Smt. Shiv Kumari Devi W/o. Shri Sushil Kumar Mishra, R/o. Vindhyapuri Colony, Bharuhana, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 562, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 1.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
29	M/s. Khaki Baba Construction Company, Prop. Shri Ramesh Singh S/o. Shri Ghurahu Singh, R/o. Imariti Colony, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhora, Teh. Sadar, Area 11.01 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
30	M/s. Unnati Construction, Prop. Shri Vivek Kumar Singh S/o. Shri Arvind Kumar Singh, R/o. Vill. Chhitauni, Thana-Chaubeypur, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997Mi, Vill. Sindhaura, Teh. Sadar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
31	M/s. Vindhya Stone Products, Prop. Shri Sanjay Kumar Dubey S/o. Shri Vidda Prasad Dubey, R/o. Dharsara, Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 547 Mi, Vill. Bhojpur Pahari, Teh. Sadar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
32	M/s. Ivitech India Pvt. Ltd. Director Shri Prashant Singh S/o. Shri Surendra Singh, R/o. Sarswati Nagar, TCI Ke Peechhe, Distt. Varanasi, Mining Project at Gatat No. 547, Vill. Bhojpur Pahari, Teh. Sadar, Area 4.96 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
33	Smt. Vimlesh Devi W/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Chandleva, Thana-Padri, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gatat No. 703Anh, Vill. Chandleva Kalan, Teh. Sadar, Area 2.00, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
34	Shri Devendra Pratap Singh S/o. Late Musafir Singh, R/o. Chuppepur, Ramashankar Nagar Colony, Teh. Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 708Ja Mi, Vill. Chandleva Kalan, Teh. Sadar, Area 4.00, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
35	Smt. Suneeta Devi W/o. Shri Ramu Gupta, R/o. Vill. Purainiya, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
36	Shri Moh. Shah S/o. Shri Jamat Ali Shah, R/o. Vill. Harharpur Dunda Shubhali, Thana Bahedi, Distt. Barelli, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
37	Shri Jagdish Singh S/o. Shri Ram Briksh Singh, R/o. Vill. Barawan, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 360, Vill. Adhavar, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
38	Shri Alok Kumar S/o. Shri Jokhan Singh, R/o. Vill. Manjhawa, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
39	Shri Sripati Singh S/o. Late Sitaram Singh, R/o. Katwamafi, Chakiya, Distt. Chandauli and Shri Jitendra Kumar Singh S/o. Shri Sabhajit Singh, R/o. Agarsand, Paragana-Haveli, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428 Acre, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
40	Shri Ashok Kumar Sharma S/o. Shri Vansh Narayan Sharma, R/o. Vill. Puradurvasa (Ahraura) Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428 Acre, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 5.00, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
41	Shri Pankaj Singh S/o. Shri Jagtamba Singh, R/o. Vill. Awaleshpur, Thana Rohaniya, Teh. Sadar, Distt. Varanasi. After dead of Mining Lease Holder to transfer Name of Shri Jagtamba Singh S/o. Shri Aditya Narayan Singh, R/o. Vill. Ramgarh Kalan, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
42	M/s. Ajayashish Construction & Infra Pvt. Ltd., Vill. Sarvanpur, Durgapur Road, Distt. Amethi, Director Shri Ajay Kumar Pandey S/o. Shri Ashok Kumar Pandey, R/o. Vill. Pure Agavan Majare Korari Girdharshah, Thana, Teh. Amethi, Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
43	M/s. Ajayashish Construction & Infra Pvt. Ltd., Vill. Sarvanpur, Durgapur Road, Distt. Amethi, Director Shri Ajay Kumar Pandey S/o. Shri Ashok Kumar Pandey, R/o. Vill. Pure Agavan Majare Korari Girdharshah, Thana & Teh. Amethi, Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
44	Shri Rajesh Bhai Patel S/o. Late Jagdish Singh, R/o. Vill. Ramrasahi, Post Patihata, Chunar, Mirzapur, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 05.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
45	Shri Neeraj Upadhyay S/o. Shri Harishankar Upadhyay, R/o. Vill. & Post Patihata, Teh. Chunar, Mirzapur, Mining Project at Gata No. 703, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
46	Smt. Vijeta Singh W/o. Shri Hemant Kumar Singh, R/o. Patel Nagar (Garaudi), Post Adalhat, Mirzapur, Mining Project at Gata No. 705, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
47	Shri Abhay Singh S/o. Shri Jagat Narayan Singh, R/o. Vill. Lalpur, Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 705, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
48	Shri Ganga Sagar Singh S/o. Shri Meghvaran Singh, R/o. Vill. Karampur, Tehsil Saidpur, Distt. Ghazipur, Mining Project at Gata No. 730, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
49	M/s. J.A.M. Marbal & Minerals, Part. Shri Mata Prasad S/o. Shri Ram Prasad, R/o. Vill. Paharpur, Tehsil Naraini, Distt. Banda, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
50	Shri Ashok Kumar Mishra S/o. Shri Ramakant Mishra, R/o. Vill. Bihara, Post Pila Kothi, Thana Kotwali Karvi, Distt. Chitrakoot, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
51	Moh. Shah S/o. Shri Jamat Ali Shah R/o. Vill. Harharpur Dunda Shubhali, Thana Bahedi, Distt. Bareilly, Mining Project at Gata No. 732, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
52	M/s. S.R. Developers, Prop. Smt. Renu Singh W/o. Shri Sandip Kumar Singh, R/o. Sa. Koronation Kalindi Vile Flat No. 402, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
53	Shri Swatntra Singh S/o. Shri Sidhnath Singh, R/o. 592Gha/53C, Rajeev Nagar, Thana-P.G.I., Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
54	Mohd. Shamshad S/o. Shri Mohd. Iliyas, R/o. Moh. H.No. 578-A, Lala Mahavir Prasad Road Kasai bar, Sadar Kant, Ahmadpur Urf Kamlapur Dilkusha, Thana Kantt, Tehsil Sadar, Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
55	M/s. Karuna Consaltents Pvt. Ltd., Director Smt. Bhawana Pandey D/o. Shri Lakshmi Datt Pandey, R/o. Moh. 153/1, Jasola, New Delhi, Permanent Address: Himmatpur, Mota Haldu, Thesil Lalkuan, Haldwani, Distt. Nainital, Mining Project at Gata No. 705 Khand-08, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
56	M/s. Karuna Consaltents Pvt. Ltd., Director Smt. Bhawana Pandey D/o. Shri Lakshmi Datt Pandey, R/o. Moh. 153/1, Jasola, New Delhi, Permanent Address: Himmatpur, Mota Haldu, Thesil Lalkuan, Haldwani, Distt. Nainital, Mining Project at Gata No. 705, Khand-07, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
57	M/s. Karuna Consaltents Pvt. Ltd., Director Smt. Bhawana Pandey D/o. Shri Lakshmi Datt Pandey, R/o. Moh. 153/1, Jasola, New Delhi, Permanent Address: Himmatpur, Mota Haldu, Thesil Lalkuan, Haldwani, Distt. Nainital, Mining Project at Gata No. 705 Khand-06, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted

Annexure

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
58	Shri Kamala Shankar Yadav S/o. Shri Baba Prasad Yadav, R/o. Vill. Ahirauli, Post Shitalganj, Thana Kotawali Madiyahu, Distt. Jaunpur, Mining Project at Gata No. 728, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
59	Shri Akhilanand Mishra S/o. Shri Ram Sagar Mishra, R/o. Vill. Mishrapur, Tehsil Sagadi, Distt. Azamgarh, Shri Aashish Kumar Tiwari S/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Moh. 51Ga, Katara Raja Himmat Singh, Tehsil & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 732, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
60	Shri Akhilanand Mishra S/o. Shri Ram Sagar Mishra, R/o. Vill. Mishrapur, Tehsil Sagadi, Distt. Azamgarh, Shri Aashish Kumar Tiwari S/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Moh. 51Ga, Katara Raja Himmat Singh, Tehsil & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 737, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
61	Shri Shailendra Singh S/o. Shri Narayan Singh, R/o. Vill. Rajupur, Post Adalhat, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 399, Vill. Jigana, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre., Distt. Mirzapur	MIRZAPUR	Granted
62	Shri Ritesh Singh S/o. Shri Om Prakash Singh, R/o. Vill. Sevrai, Thana Gahmar, Tehsil Jamaniya, Distt. Ghazipur, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
63	Smt. Kanchan Pandey W/o. Shri Amitabh Pandey, R/o. Moh. Bhatawa Ki Pokhari, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 2.75 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
64	Shri Ramesh Kumar Singh S/o. Late Devpujan Singh, R/o. Vill. Kanchanpur, Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 309, Vill. Baradih. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
65	Shri Ramashankar Dubey S/o. Shri Surendra Dubey, R/o. Kamhari, Bramh Nagar, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 142, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
66	Shri Nikshay Pandey S/o. Shri Rishikant Pandey, R/o. Moh. Bhatawa Ke Pokhari, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 142, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
67	Shri Chandrabhan Singh S/o. Shri Hariraj Singh, R/o. Line par, Chau Ki Basti, Distt. Muradabad, Mining Project at Gata No. 1K (Khasara No. 39), Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
68	Shri Chandrabhan Singh S/o. Shri Hariraj Singh, R/o. Line par, Chau Ki Basti, Distt. Muradabad, Mining Project at Gata No. 1K (Khasara No. 40), Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
69	Shri Babu Narayan Kushwaha S/o. Shri Ram Sahay Kushwaha, R/o. Mo. Ramedi Taraus Shahar-Meerpur and Shri Byas Varma S/o. Shri Triveni Prasad Verma, R/o. H.No. 568Kh/219, Geetapalli, Aalambag, Thana Krishna Nagar, Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 497 & 198 Vill. Sonpur Chakiata, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
70	Shri Raj Kumar Singh S/o. Vijay Pratap Singh, R/o. Gaughat, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 626, Vill. Bhuili, Teh. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
71	Shri Shyam Bahadur Singh S/o. Shri Jawahir Singh, R/o. Danghar, Hydil Colony, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
72	Smt. Anju Singh W/o. Shri Yogendra Pratap Singh, R/o. Pahiti, Post Lahaura, Thana Marihan, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
73	Shri Abhay Kumar Singh S/o. Shri Suresh Kumar Singh, R/o. Vill. Pachokhara, Thana & Tehsil Marihan, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 02, Vill. Sariya, Teh. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
74	Shri Birendra Kumar Singh S/o. Late Lal Bahadur Singh, R/o. Vill. Kanhaipur, Thana Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 38Mi, Vill. Kudaran, Teh. Chunar, Area 04.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
75	M/s. Maa Mundeshwari Devi Enterprises, Prop. Shri Sohan S/o. Shri Raghunath, R/o. Vill. Paharpur, Thana Shahabganj, Tehsil Chakiya, Distt. Chandauli, Mining Project at Gata No. 207, Vill. Alhua, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
76	M/s. Jay Maa Vaishno Stone Works, Part. Shri Gyanendra Pratap Singh S/o. Shri Akhilesh Kumar Singh, R/o. Vill. Mahmoodpur, Thana Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
77	Shri Chhatrabali Singh S/o. Shri Vakil Singh, R/o. Ben Tiyari Chakiya, Distt. Chandauli, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.25 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
78	Shri Pradeep Kumar S/o. Ram Naresh Yadav, R/o. Dohari, Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 177, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted

Annexure -3

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
79	Smt. Sunita Singh W/o. Shri Surendra Kumar Singh, R/o. Dakahi, Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 399, Vill. Jigana, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
80	M/s. Khaki Baba Construction Company, Prop. Shri Ramesh Singh S/o. Shri Ghurahu Singh, R/o. Imariti Colony, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 732, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
81	Shri Javed Ahmad S/o. Shri Ali Jamir Khan, R/o. Rasulpur, Thana Adalhat, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 730, Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
82	Shri Sanjay Bhai Patel S/o. Shri Jagdish, R/o. Ramrasahi, Post Patihatta, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
83	Shri Chandrabali Yadav, S/o. Shri Birju, R/o. Devnathpur, Adhwar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 703, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
84	M/s. Maa Vindhyavasini Constrction, Prop. Shri Madhusudan Singh, S/o. Rambadan Singh R/o. Prabhapuram Colony, Urmaura Road, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 705, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
85	M/s. Vindhyavasini Enterprises, Prop. Shri Rajendra Prasad Pathak S/o. Late Ramruchi Pathak, R/o. Mudiladeeh, Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 157, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
86	M/s. Dilip Buildcon Ltd., Director Shri Dileep Suryavanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryvanshi R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Colar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 1k, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
87	M/s. Maa Sheetala Stone, Prop. Shri Mithilesh Singh S/o. Shri Ramcharittar Singh, R/o. Vill. Adalpura, Thana & Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1k, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
88	Shri Gulbadan S/o. Shri Setu, R/o. Vill. Sonpur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 170, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
89	M/s. Vindhya Green, Infra Promotors Pvt. Ltd., Director Shri Gajendra Prasad Singh S/o. Shri Jagdish Singh, R/o. Vill. Jamuai, Tehsil Marihan, Distt. Mirzapur, Hall Pata Sangmohal Cloth Shop Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 592/1, Vill. Gahiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
90	M/s. H.P. Traders, Prop. Shri Haushila Prasad Dubey S/o. Shri Aditya Narayan Dubey, R/o. Vill. Rampur, Post Kolhua, Thana Chilh, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/2, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
91	Shri Dileep Suryavanshi,Director, R/o- Plot No.- 05, Inside Govind Narayan Singh Gate Chunabhatti Kolar Road Bhopal, M.P., Proposed of Building Stone, (Sand Stone) Mining Project at Araji No.- 1, Village- Sonpur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-1.01 ha)	MIRZAPUR	Granted
92	Shri Surendra Kumar Singh, R/o- Village- Dakahi, Thana- Ahraura, District- Mirzapur, U.P.M/s Shiv Stone works. , Proposed of "Building Stone (Sand stone) Mining Project at Araji No.-37, Village- Dakahi, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., M/s Shiv Stone works. , Leased Area -1.21 ha	MIRZAPUR	Granted
93	Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Village-Sariya, Thana-Ahraura, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "Sand Stone" Project at Araji No.-01, at Village-Ahirupur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -1.01 ha	MIRZAPUR	Granted
94	Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Village-Sariya, Thana-Ahraura, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "SandStone" Project at Araji No.-01, at Village-Ahraura, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -1.01 ha	MIRZAPUR	Granted
95	Shri Rahul Singh S/o Shri Gautam Singh, R/o- 36/10-7, Kaivalya Dham Colony, Durga Kund, District-Varansi, U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Gata No./Araji No.-78, at Village- Khamhawa Jamati, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Leased Area -0.607 ha	MIRZAPUR	Granted
96	Shri Jai Prakash Singh, R/o- Village- Jigna, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of "Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-399, at Village-Jigna, Tehsil-Chunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -1.01 ha	MIRZAPUR	Granted
97	Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Village-Sariya, Thana-Ahraura, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "Sand Stone" Project at Araji No.-01, at Village-Ahirupur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -0.809	MIRZAPUR	Granted
98	Shri Mahusoodan Singh, R/o-Prabhapuram Colony, Umraura Road Robertsganj, Sonbhadra, U.P., M/s Maa Vindhyavasini Construction, Proposed of "Building Stone (Sand Stone) Mining" Project at Gata No.-180/2, at Village- Bhagautidei, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., M/s Maa Vindhyavasini Construction, Leased Area -1.21 ha	MIRZAPUR	Granted
99	Shri Prashant Maurya S/o Shri Vinod Kumar Maurya Address- Sundar Ghat, Mahuaria, Mirzapur, (U.P.), Proposed "Sand Mining Project" located at Gata No.- 03mi Khand No.-03 , Village- Gogaon, Tehsil- Sadar & District- Mirzapur, Uttar Pradesh, (Area:5.0 Ha.)	MIRZAPUR	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
100	Shri Sarjeet Singh, R/o- 410, Kesar Bhawan, Ganeshganj, Aghauli, Mirzapur, U.P , Proposed of Building Stone (Sandstone) mining project at Araji No.- 36/6/5 Village-Sonbarsa, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P., Area :0.809 Ha	MIRZAPUR	Granted
101	Shri Ramakant Chaubey S/o Shri Ram Dular Chaubey, R/o- Village- Karaundi, Post- Moin Kumar Bhabhua, Kaimur (Bhabhua), Bihar, Proposed Project of "Building Stone (Sand stone) Mining" located at Araji No - 37 , Village: Dakahi, Tehsil-Chunar, District Mirzapur, Uttar Pradesh, (Area- 1.818 Ha.)	MIRZAPUR	Granted
102	Shri Arjun Singh, R/o- Village- Hinauti Mafi, Tehsil- Gothaura ,District-Mirzapur,U.P. , Proposed for "Building stone (Sandstone)" Project at Arazi No.-360, Village– Adhwar, Tehsil-Chunar, District–Mirzapur, Uttar Pradesh By Shri Arjun Singh, Area – 1.01 ha.	MIRZAPUR	Granted
103	Shri Ashok Kumar Rai, R/o- S 20 53, Plot No.- 57 58, Buddha Vihar Mall Road Cantt., District-Varanasi, U.P., Proposed of Building Stone (Sand stone) Mining Project at Araji No. - 703, Village: Bhagauti Dei, Tehsil-Chunar, District – Mirzapur (U.P.), M/s Shriram Enterprises, Area:1.01 ha	MIRZAPUR	Granted
104	Shri Subhash Singh, R/o- Village And Post- Akorhi, District- Mirzapur, Uttar Pradesh, Proposed for "Building stone (Sandstone)" Project at Arazi No.- 307/4, Village– Kamapur Kalan, Tehsil- Lalganj, District–Mirzapur, Uttar Pradesh By Shri Subhash Singh, Area-0.809	MIRZAPUR	Granted
105	Shri Vikas Gupta, R/o- Mohalla Bundelkhandi, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P., Proposed Building Stone (Sand stone) Mining Project" at Arazi No. – 494 Ga,Village- Devarikalan, Tehsil-Madihan, District – Mirzapur (U.P.) Applied Area – 1.518 Ha.	MIRZAPUR	Granted
106	Smt. Geetanjali Chaube W/o Shri Sanjeet Kumar Chaube R/o Near Degree College, Obra, Sonebhadra (U.P), M/s Harikeshwar Enterprises, Proposed Project of Billi Markundi Khanda, Boulder,(Dolo Stone) Deposit Mining Project (Area 1.504) at Arazi No./Khasra/Gata No 5430ka, 5430kha, 5470, 5469kha, 5431kha, 5468kha, near village- Billi Markundi, Tehsil –Obra, District – Sonbhadra, Uttar Pradesh, M/s Harikeshwar Enterprises (Area 1.504 Ha	SONBHADRA	Granted
107	Shri Sukh Sagar Prasad Upadhyay, R/o- Kota Dala Sonbhdra U.P.,Proposed of Sand/Morrum Mining Project Son River at Araji No: 531 ङ, Khand No: 6, Village- Sasnai, Tehsil- Obra, District-Sonbhadra U.P.,Area-18.214 Ha	SONBHADRA	Granted
108	M/s M/s B.C.S. Enterprises, Pro.-Shri Chandra Bhushan Gupta S/o Shri Ramlakhan Gupta, R/o- Obra, District-Sonbhadra mining of Dolo Stone Boulders at Arazi no. 4419Kh, 4419G, 4422K Mi, 4416K, 7577 Kh, 4420Mi, Area-4.86 Acre, Village-Billi-Markundi, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra	Sonbhadra	Granted
109	M/s Eshana Construction, Pro.-Shrimati AAfrina Khan W/o Shri Istiyak Khan, R/o- Village Billi-Markundui, Obra, Sonbhadra mining of Dolo Stone Boulders at Arazi no.5355K, 5359Kh, 5361, 5363K, 5351K, 5352, 5353, 5354, 5362, 5355Kh, 5356, 5357Kh and 5351Kh, Area-5.80 Acre, Village-Billi-Markundi, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra	Sonbhadra	Granted
110	Pehalwan Traders (Old Name R.S.I STONE WORLD PRIVATE LIMITED) Gata No. 2/1, 2/2 and 2/4 (5.80 Hectares), Vill./Ghat- Khairai, Pailani, BANDA	Banda	Granted
111	RAKESH KUMAR MISHRA CONTRACTOR AND SUPPLIER, GATA N.170 MI,VILLAGE SAIPUR, TEHSIL-KARWI, DIST.-CHITRAKOOT	Chitrakoot	Granted
112	RAULI KALYANPUR GRANITE (ARVIND KUMAR MISHRA S/O SHRI AWADHESH PRASHAD MISHRA,), GATA NO-2131/3 RAULI KALYANPUR KARWI CHTRAKOOT, CHITRAKOOT, 210202	Chitrakoot	Granted
113	Ajay Singh Stone Mill (Ajay Singh S/o Shri Ram Kishore Singh), Gata No.-199 Khanda No.- 07, of Area- 0.8090 ha (1.99 Acres), at Village- Kumhraura, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Leased Area - 0.8090 ha	Mahoba	Granted
114	Amar Chandra Rajpoot, Gata No 822, Lease Area 0.708 Hac. Vill. Bamhauri Beldaran, Teh. Charkhari, Dist. Mahoba	Mahoba	Granted
115	Ashirwad Murti Singh S/o Late Rammurti Singh Gata No.-512, Khanda No.- 02 new, Area-1.214 ha, Village- Gauharir, Tehsil and District- Mahoba, U.P.,	Mahoba	Granted
116	Brijendra Pratap Singh s/o Late Chandra Bali Singh Gata No.- 512, Khanda No.-04 New, Area-1.214, Village- Gauhari, Tehsil- and District- Mahoba, U.P.	Mahoba	Granted
117	C.P.S.K. Ventures Pvt. Ltd.(Sanjay Kumar Sahu S/o Shri Chhanga Prasad Sahu) GataNo.- 967 (Khand No.- 05), Village- Kabrai, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 3.036),	Mahoba	Granted
118	Divyanshu singh S/o Dilip Kumar singh Gata No. 1021 , Area- 1.214Ha. in Village Makarbai , Tehsil: Sadar & District Mahoba, Uttar Pradesh.	Mahoba	Granted
119	Divyanshu singh S/o Dilip Kumar singh Gata No.979 Khand No 02 New , Area- 2.429Ha. in Village Gahara , Tehsil: Sadar & District Mahoba, Uttar Pradesh.	Mahoba	Granted
120	Divyanshu singh S/o Dilip Kumar singh Gata No.979 Khand No 03 New , Area- 2.429Ha. in Village Gahara , Tehsil: Sadar & District Mahoba, Uttar Pradesh.	Mahoba	Granted
121	Siyarani Rajpoot Filling Station, Araji No.-288, Khand No.- 4, Village: Majhol, Tehsil: Charkhari District: Mahoba State: Uttar Pradesh, Area: 0.809 Ha	Mahoba	Granted
122	Himwant Singh S/o Shri Balwant Singh Gata No.- 2702, Khand No.-01 New, Village- Pahara, Tehsil and District- Mohaba,U.P., (Leased Area-2.022 Ha)	Mahoba	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
123	Ideal Buildtech Private Limited, Gata No.-2456 Kha, Khand No.- 02,Village- Pahra, Tehsil-Mahoba, District- Mahoba, U.P.,(Leased Area :4.0 ha.)	Mahoba	Granted
124	Ishwar Saran Gupta S/O Shri Nand Kishore Gupta GataNo.- 149 (Khand No.-35), Village- Bari, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.012 ha.)	Mahoba	Granted
125	Janmejay Singh S/o Shri Mangal Singh located Gata No.-1939, Area- 1.214 ha, at Village- Pahra, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Leased Area -1.214 ha	Mahoba	Granted
126	Kiran Kumari D /o Shri Manohar Lal Arazi No. 989, Khand No. – 19,Village- Makarbai, Tehsil- Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh, (Area- 1.619 Ha.)	Mahoba	Granted
127	Mohit Singh S/o Shri Brajnandan Singh Araji No.-188, (Khand -03 New, 02 old), Village- Mahua Itaura, Tehsil-Kulpahad, District- Mahoba, U.P., Lease area- 1.214 ha.	Mahoba	Granted
128	NAGENDRA INFRASTRUCTURE, GATA No. 01, KHAND No. 02, LEASED AREA 0.809 Hac., Vill. BAGHWA, Teh. & Dist. MAHOBA, 210424	Mahoba	Granted
129	Narayan Singh S/o Shri Badri Singh Gata No 989 Khand No. 01, Village– Makarbai, Tehsil- Sadar, District–Mahoba, Uttar Pradesh. (Area- 1.619 Ha.)	Mahoba	Granted
130	Narayan Singh, Gata No. 339, Khand 10 Naya, Vill. Daharra, Mahoba	Mahoba	Granted
131	PNC Infratech Ltd (Ashwani Rawat S/o Shri Devi Prasad Rawat) Gata No.-199, Khand No.- 01, Village- Naigawan, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, U.P., (Applied Area : 4.00 ha.)	Mahoba	Granted
132	Shri Vaibhav Singh, Arazi/Gata No. -2611,Village- Pahra, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, Uttar Pradesh, Area- 1.882 Ha.,	Mahoba	Granted
133	Rahul Singh S/o Shri Rajendra Kr. Singh Arazi No. 989, Khand No. – 16, Village- Makarbai, Tehsil- Sadar , District- Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 4.048 Ha.)	Mahoba	Granted
134	Rahul Singh S/o Shri Rajendra Kr. Singh, Arazi No. 935, Khand No. – 02, Village -Makarbai, Tehsil- Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 3.643 Ha.)	Mahoba	Granted
135	Ram Singh S/o Shri Sitaram Singh Gata No.-339 Khand 08 Naya , Village- Daharra, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 0.809.)	Mahoba	Granted
136	Ratnesh sahu S/o Shri Laxmi Narayan Sahu Gata No.-128 Khand 03 New , Village- Marhathi, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 0.809Ha.)	Mahoba	Granted
137	Ratnesh sahu S/o Shri Laxmi Narayan Sahu Gata No.-512 Khand 03 New, Village- Gauhari, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 0.809Ha.)	Mahoba	Granted
138	Rituraj Singh S/o Shri Yuvaraj Singh Gata No.- 918 , Village- Kharka, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.129.)	Mahoba	Granted
139	RIYAZUDDIN S/o Saiuddin A.B. ASSOCIATES, Arazi No. 1517, Leased Area-1.542 Ha, Village- Pahra, TehsilSadar, Mahoba, U.P.-210427	Mahoba	Granted
140	S S Infratech, Raj Kumar Sharma S/o Shri Nand Lal Sharma Araji No. /Plot No. – 712, Khand No.–05, Area 2.024 ha (5.00 Acres) at Village – Chhikahra, TehsilSadar, District- Mahoba, Uttar Pradesh	Mahoba	Granted
141	Sadhusharan Vishwakarma Araji No.-1097, Khand No.- 08, at Village-Utiya, TehSil- Sadar, District- Mahoba, U.P.,Lease area-0.809 ha.	Mahoba	Granted
142	Sahu Stone Crushing Industries (Kirti Rani Sahu W/o Shri Sanjay Kumar Sahu), Gata No.- 2/4 (Khand No.-09), Village- Jujhar, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 3.441 ha.)	Mahoba	Granted
143	Sandeep Construction & Suppliers (Thakur Deen Yadav S/o Shri Vishwanath) Arazi No- 339 (Khand No: 12) Area 0.809 ha. in Village- Daharra Tehsil- Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh, M/s,Area 0.809 ha.	Mahoba	Granted
144	Shiv Baran Singh S/o Shri Shyam Arazi No. - Gata No. 989, Khand No. 14, Village Makarbai, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 1.214 a.)	Mahoba	Granted
145	Shiv Baran Singh S/o Shri Shyam Arazi No.- 989, Khand No. – 11 , Village- Makarbai, Tehsil- Sadar & District -Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 0.809 Ha.)	Mahoba	Granted
146	Vinay Kumar Rai S/o Raj Nath Rai Gata No.- 953, Khanda No.- 01 New , Area-1.214, Village- Daharra, Tehsil & District- Mahoba, U.P.,(Leased Area-1.214 ha)	Mahoba	Granted
147	Wazid Stone Crusher Udyog (Wazid Ali S/o Shri Yakub Ali) at Gata No.- 291, Khand No.- 01 New, Village- Majhol, Tehsil- Charkhari, District- Mohaba,U.P., (Leased Area-0.809 Ha)	Mahoba	Granted
148	Smt. Ratna Jadaun W/o Virendra Singhy Jadaun, R/o- E-7, M-708, Arera Colony Bhopal, M.P., Proposed River Bed Sand Mining Project at Gata No.-523, Village- Khakuora , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 20.0 ha)	Jhansi	Granted
149	Shri Anand Kumar Yadav S/o Shri Sadhu Ram Yadav, 27, Isai Chowki, Khailar, Tehsi & District- Jhansi, U.P.,, Proposed for Building Stone (Gitti & Khandas, Boulder Mining at Gata No.-669, Khand No.-27, Village- Khailar, Tehsi -Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area- 2.023 ha.	Jhansi	Granted
150	Shri Rajendra Singh Yadav S/o Shri Lakhan Yadav, R/o- C.P. Mission Compound, Tehsil & District- Jhansi, U.P., M/s Shivam Steels,, Building Stone, Khanda & Boulder, Gitti/Ballast Mining at Gata No.- 205/02,, Khand No.- 01, at Village- Bhadarwara Bujurg, Tehsil-Garautha, District - Jhansi, U.P. , M/s Shivam Steels, Lease area-1.618 ha.	Jhansi	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
151	Shri Devashish Biswas, Owner, R/o- B-603, 6th floor Aleesha Apartment, 3 way Road, Raja Ram Mohan Rai Marg, District- Lucknow, U.P., M/s Dee. Enterprises, Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-181, Khand No.-01,at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District- Jhansi, U.P. M/s Dee. Enterprises, Lease area-2.023 ha.	Jhansi	Granted
152	Shri Sushil Kumar Gupta, R/o- A.M, 2/14 Virangana Nagar, Thana- Nawabad, Tehsil & District- Jhansi, U.P., M/s Sushil Stone Gramodhyog, Proposed of Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mine Project at khand no- 03, Village- Khairo, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Sushil Stone Gramodhyog, Leased Area -2.023 ha	Jhansi	Granted
153	Shri Jayram Singh Niranjan, Owner, Near Risala Temple Azadpura, Tehsil & District- Lalitpur,U.P., Proposed for Khanda, Gitti & Boulder Mining at Araji No.- 02/1, Khand No.- 04, Village-Lakhanpura, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Leased Area -1.00 ha	Lalitpur	Granted
154	Shri Mohammad Jawed,Owner, R/o- 41 Raipur, IIM Road, District-Lucknow, U.P., M/s M P Infra, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project on the River Bed of River Betwa located at Gata No.- 1396 G, Khand No.- 02, Village-Bhedikhurd, Tehsil- Kalpi, District-Jalaun, Uttar Pradesh. M/s M P Infra, Sanctioned Lease Area-20.242Ha	Jalaun	Granted
155	Shri Anand Gupta S/o Shri Laxminarayan Gupta, R/o- Maharajpur, Kanpur Nagar, U.P., Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project having lease area- 20.242 ha (50.1 acre)along River Betwa in Gata No.- 1396 Ga, Khand No.- 04, at Village- Bhedikhurd, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 20.242 ha.	Jalaun	Granted
156	Shri Ankit Gupta S/o Shri Vijay Shankar Gupta, Owner, H.No.-843, Sector- 19, Indira Ngar, Lucknow, U.P., M/s Maa Raktdantika Contractors and Suppliers Pvt. Ltd., Proposed river bed sand/Morrum Mining from Betwa River for M/s Maa Raktdantika Contractors and Suppliers Pvt. Ltd., located at Gata No.-1396 Ga,Khand No.- 2, Village- Bhedi Khued, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P.,(Leased Area-20.242 Ha)	Jalaun	Granted
157	M/s Shyam Enter Prisess prop. Sri Gopal Panday S/o Late Sri Gaurishankar Pnaday, R/O - H. No.-622, A.B. Nagar, Lucknow Distt.- Lucknow, Pin Code - 226022	Unnao	Granted
158	Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ghaghra River located at Khand No.-03 (Gata No.-498 Jha) Village - Udhiya, Tehsil -Ramnagar, District - Barabanki, U.P., Sanctioned Lease Area - 11.00 Ha.	Barabanki	Granted
159	Shri Santosh kumar jaisawal, Mining area-Rudauli, Gata no-2Gha, 613, 1,2, (Area in Hec-2.50), vill-Sarai nasir and barai, Tahsil-Rudauli, Ayodhya	Ayodhya	Granted
160	M/s Shiva Enterprises, Maharajganj, Gata No 593, Village Khaira Khas, Tehsil Belthara Road, District Ballia	Ballia	Granted

Annexure-3

List of 36 Mining Leases Whome CTO Applications are under Process

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Pending Applications for Grant/Renewal of CTO. (Yes/No)
1	Shri Manoj Kumar Singh S/o Shri Jagdish Singh, R/o- Present Add- 70 C/5B/1A, Uttari Lokpur, Naini, District-Pryagraj, U.P. Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti) Mine" Project at Khasra No./Plot No./Gata No.-3460, Khand No.-17, at Village- Koshnakalan, Tehsil- Meja, District- Prayagraj,U.P., Lease area-1.619 ha.,	Prayagraj	Yes
2	Shri Rana Ranjan Singh S/o. Late Rameshwar Singh, R/o. Vill. Matikhana, Post Belan Baraudha, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 112Mi & 121Mi, Vill. Matikhana (Niji), Teh. Lalganj, Area 1.75 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Yes
3	Shri Girija Shankar S/o. Shri Mulraj, R/o. Vill. Mudaila, Thana Saray Khvaja, Teh. Shahganj, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1537/Kha/1, Vill. Bahuti (Niji), Teh. Marihan, Area 6.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Yes
4	Shri Premji Tripathi S/o. Late Shivmurti Tripathi, R/o. Vill. & Post Bharpura, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1312 Mi, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1312 Mi, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Yes
5	M/s. Bol Bam Eint-Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jatashankar Tripathi, R/o. Vill. Marpha, Po. Hinauti, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhora, Teh. Sadar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Yes
6	M/s. Dynamik Riyalcon Pvt. Ltd. B-41-G-3F Dilshad Gordane Sahdara, New Delhi, Prop. Shri Dinesh Khandelwal S/o. Shri K.C. Khandelwal, R/o. 211C, RatanDham Apartment, Maikrobertganj, Kanpur Nagar, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 03.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Yes
7	Shri Dinesh Khandelwal S/o. Shri K.C. Khandelwal, R/o. 211C, Ratandham Apartment, Makrobertganj, Kanpur Nagar, Mining Project at Gata No.428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Yes
8	Shri Jonnavalasa Venkata Ramana Rao S/o Shri Suranna Jonnavalasa R/o – B – 12, Industrial Development Area, Maula Ali, District- Hyderabad (Telangana),M/s S.K. Bio Extract And Applications Pvt. Ltd., Proposed Project of "Sand/Morrum Mining Project" located at Araji No. 246, Khand – Ba, Village - Khebandha, Tehsil - Obra , District- Sonbhadra, Uttar Pradesh,M/s S.K. Bio Extract And Applications Pvt. Ltd., Area- 6.0 ha.	SONBHADRA	Yes
9	Devendra Singh S/o Shri Mulayam Singh Arazi No. 712 (Khand 04) Village- Chhikhara, Tehsil- Sadar, District- Mahoba (U.P.). Area: 2.024 ha.	Mahoba	Yes
10	Gaurav Bajpai S/o Shri Bhuvan Prakash Bajpai, Gata No.- 93, Khand No.-01, Area- , at Village- Bari, Tehsil & District- Mahoba, U.P. ,Leased Area -1.012 ha	Mahoba	Yes
11	Mujiburrahman S/o Shri Abdul Majeed Arazi No. 339 (Khand No. – 30 Naya, 19 Purana),Village: Daharra,Tehsil -Mahoba & District -Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 1.214 Ha.)	Mahoba	Yes
12	Satyam Shivam Contractor (Savitri Devi W/o Shri Santosh Singh) , Gata No.- 93, Khand No.- 06, Villlage- Bari, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P., Area -1.012 ha	Mahoba	yes
13	Sunita devi W/o Devendra Singh Gata No.-2101/2Khand 05 , Village- Sijahari, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.214.)	Mahoba	yes
14	Sunita Devi S/o Shri Devendra Singh Gata No.-356, Khand No.- 04, at Village- Dudhaiya, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Leased Area -1.619 ha	Mahoba	yes
15	Shri Siddharth Yadav S/o Shri Jitendra Singh Yadav R/o- 364, Pratappura Nagra, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.)., Proposed for Khailar Khanda- Boulder/ Gitty- Ballast Mining Project at Gata No.-669 (Khand No.07), Village- Khailar, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, Uttar Pradesh by Shri Siddharth Yadav, Area- 2.530 Ha.	Jhansi	Yes
16	Smt. Shruti Dubey W/o Shri Tarun Gupta, R/o- 1346 Kunj Vihar Colony, Civil Line, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.), Proposed for Chaukari KhandaBoulder/ Gitty- Ballast Mining Project at Gata No.1127, Khand No.-03, Village-Chaukari, Tehsil-Garautha, District-Jhansi, Uttar Pradesh by Smt. Shruti Dubey, Area- 0.8090 Ha.	Jhansi	Yes
17	Shri Jitendra Pratap Singh Yadav S/o Shri Chhatrapal Singh Yadav, R/o- 50 Purana Raiganj, Seepari bazar, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.), Proposed for Khailar KhandaBoulder/ Gitty- Ballast Mining Project at Gata No. 669 (Khand No.21), Village- Khailar, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, Uttar Pradesh by Shri Jitendra Pratap Singh Yadav, Area- 2.023 Ha.	Jhansi	Yes
18	Shri Deeraj Kumar Prajapati S/o Shri Jitendra Kumar Prajapati, R/o- H.No.- 511, New Basti, District: Jhansi, Uttar Pradesh, Proposed Project of Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast (Gitti) Mine at Arazi No.- 464 (Khand-01), Village- Pahara, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, Uttar Pradesh, Area 1.618 ha	Jhansi	Yes

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Pending Applications for Grant/Renewal of CTO. (Yes/No)
19	Shri Sanjay Parecha, R/o-Ao 28 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.), Proposed Khanda- Boulder/ Gitty-Ballast Mining Project Area 2.0 Ha. for a Production of 60,000m 3 /yr at Gata No.310,Khand No.-4, Village- Dagariyarund , Tehsil-Sadar, District-Jhansi	Jhansi	Yes
20	Shri Rajendra Mishra, R/o- 127/581, S-Block Vinoba Nagar, Juhi, Kanpur Nagar, U.P., Proposed Project of "Building Stone, Khanda, Boulder, Ballast (Gitty) Mine" located at Gata No-152,Khand No.- 02, Village- Daun, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., M/s Deep Builders, Area: 1.214	Jhansi	Yes
21	Shri Dhiraj Kumar Prajapati S/o Shri Jitendra Kumar Prajapati R/o-511,New Basti, Jhansi, Uttar Pradesh, Proposed Building Stone "Khandas, Gitti, Boulder Mining Project" at Gata No. 98 (Khand – 05) ,Village: Karanpura, Tehsil: Garautha, District: Jhansi, State: Uttar Pradesh, Area: 0.809 Ha	Jhansi	Yes
22	Shri Satyam Gupta S/o Saurabh Gupta, R/o- 944, Civil Lines, Tehsil & District- Jhnasi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.- 22, Khand No.-07, Village- Dunara, Tehsil -Sadar, District-Jhansi, U.P., Leased Area -3.237 ha	Jhansi	Yes
23	Shri Sagar Parecha, Owner,R/o-Village-Dangariyarund, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P.,, Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder & Gitti)Mine" Project at Araji No.-310, Khand No.- 03, at Village-Dangariyarund , Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P.,Lease area-2.0 ha.	Jhansi	Yes
24	Shri Amit Singh, R/o- 1087/1 Station Road , PNB Bank K Pass, District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti- Boulder) Mine" Project at Gata No.-669, Khand No.-01, at Village-Khailar, Tehsil & District- Jhansi, U.P. Leased Area -2.509 ha	Jhansi	Yes
25	Shri Amit Singh, R/o- 1087/1 Station Road , PNB Bank K Pass, District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti- Boulder) Mine" Project at Gata No.-669, Khand No.-04, at Village-Khailar, Tehsil & District- Jhansi, U.P. Leased Area -2.225 ha	Jhansi	Yes
26	Smt. Shashi Devi W/o Shri VIrendra Kumar, R/o- House No.-168/19, Noniya Mohal, District-Banda,U.P.,M/s Shubh Construction, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project along river Betwa in Gata No.- 321 Ga, Village- Salemapur , Tehsil- Moth, District-Jhansi, U.P., (Leased Area-10.0 ha)	Jhansi	Yes
27	Shri Anoop Kumar Singh S/o Shri Dharmjeet Singh, R/o- B-27/70, 2ND Floor, Barhar Kothi, Durga Kund Road, Near Gurudham Crossing, Varanasi, U.P., M/s M.C.C. Mahadev Construction Pvt. Ltd., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-19, Khand No.-05, at Village- Paraaichha, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P. M/s M.C.C. Mahadev Construction Pvt. Ltd. , Lease area-2.023 ha.	Jhansi	Yes
28	Shri Srimati Saraswati Dubey, R/o- 81 Bajrang Colony Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mining" Project at Gata No.-603, Khand No.- 02, at Village- Sywari (Siori), Tehsil- Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Leased Area -1.214 ha	Jhansi	Yes
29	Shri Anoop Kuamr Singh, R/o-H.No.-B-30/5, Plot No.-914/915, Ambrosiya Apartment , B.H.U Road, Sadar,Varanasi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khandas, Gitti & Boulder) Mining" Project located at Gata No.-22, Khanda No.- 01, at Village-Paraichha , Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Leased Area -1.902 ha	Jhansi	Yes
30	Shri Anup Kumar Singh, R/o- B30/5, Flat No.- 914/915, Ambrosiya Apartment, B.H.U. Road, Tehsil-Sadar, District- Varansi, U.P., Proposed Project of Building Stone,(Khandas & Gitti, Boulder) Mine Project located at Gata No./Plot No.- 22, Khand No.- 01, Area- 1.902 Ha (4.698 Acres), Villlage-Paraichha, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Mahadev Construction Company, Leased Ar	Jhansi	Yes
31	Shri Ravaraja S/o shri Seetal Singh, Village -Jugupura, Devgarh Road, Lalitpur, District- Lalitpur, U.P., Proposed Building Stone (khanda, Gitti & Boulder, Ballast) Mining Project at Gata No.-1498, Khand No.-04, Village-Gadiya, Tehsil-Talbehat, District- Lalitpur, U.P. Lease area-2.023 ha.	Lalitpur	Yes
32	Shri Phool Singh Yadav S/o Shri Shuk Dayal,394, Basalguwa, Tabehat, Lalitpur, U.P., Proposed for (Khanda, Gitti & Boulder)Mining at Araji No.- 93/1, Khand No.- 05, Village-Lakhanpura, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Leased Area -2.024 ha	Lalitpur	Yes
33	M/s Adesh Pandey , Gata No.-378/2 & 379/2, Village- Sherpur Pelo, Tehsil- Behat, District-Saharanpur, U.P. (Lease Area 7.00 Ha)	Saharanpur	Yes
34	Proposed for our Soil Mine, at Khasra/Gata No.– 353, 354 & 355, Village- Jata, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area: 0.722 ha.	Barabanki	Yes
35	Proposed for our Ordinary earth Mine, Khasra/Gata No.– 183 G, 183 K & 186 in village Saheliya, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.290 ha	Barabanki	Yes
36	Shri Sunny Garg, Owner, R/o- Ramraj Road, Bazpur, District- Udham Singh Nagar, Uttarakhand	Rampur	Yes

Type text here

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H03793 / सी–2 / एन0जी0टी0–66 / 2023 *Date 08.12.2023*

M/s Shri Aditya Singh S/o Shri Jagdish Singh, R/o-House No.-109, Purani Bindki, Fatehpur, U.P. Proposed Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.-159Ka,159Kha,159Gha,113,163,165,Village- Mavaiya Mustakil, Tehsil- Bindki, District- Fatehpur, U.P. (Area – 1.392 ha).

यह कि M/s Shri Aditya Singh S/o Shri Jagdish Singh, R/o-House No.-109, Purani Bindki, Fatehpur, U.P. Proposed Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.-159Ka,159Kha,159Gha,113,163,165,Village- Mavaiya Mustakil, Tehsil- Bindki, District- Fatehpur, U.P. (Area – 1.392 ha). जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176 / 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

".....15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन / संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा / पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4. पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त फतेहपुर।
5. जिला खान अधिकारी, फतेहपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1827
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Prakash Brick Field, Owner, Village- Medua, Tehsil- Ram Sanehighat, District- Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed Brick Earth Mining Project located at Khasra No./Gata No.-985, 1054, 1170 Ga, 909, 913, 916, 978 Jh & 1179 in Village- Medua, Tehsil- Ram Sanehighat, District- Barabanki, U.P.,(Leased Area: 4.202 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1828
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sonu Yadav, Owner, R/o- Village- Lokhriha, Nawabganj, District- Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Mine Project" at Khasra No./Gata No.-325, Village- Jata, Tehsil-Nawabganj , District- Barabanki, U.P., (Leased Area-0.506 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1829
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ashok Kumar,R/o Village-Chandamau, Tehsil- Ramnagar, Distrct-Barabanki, U.P.,

खनन स्थल–
Proposed for Soil Mining Project at Khasra No./Gata No.- 221, Village- Daudpur, Tehsil-Nawabganj, Distrct- Barabanki, U.P., Leased Area -0.696 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1830
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Mahendra Pratap Singh,Director, R/o-380 Manas Enclave CIMAP, Imdira Nagar, Lucknow, U.P.,

खनन स्थल–
Proposed of Earth Mining to be in used in "Earth Filling by Ordinary Soil Excavation, at Khasra No.-196, Village-Mohammadpur Kirat, Tehsil-Ramsanehight, District- Barabanki, U.P.,Leased Area -0.5086 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1831
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Atul Kumar Singh S/o Shri Amar Singh, R/o- Village- Jata, Barauli, District- Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 311 Ka,Village- Jata, Barauli, District- Barabanki, U.P., (Leased Area-0.421 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1832
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sarvesh Kumar Yadav, R/o- Village-Sohilpur, Tehsil-Ramsanehighat, District-Barabanki, U.P

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mine at Khasra No./Gata No.- 42, Village- Sohilpur, Tehsil-Ramsanehighat, District-Barabanki, U.P, Leased Area -0.122 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1833
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Shubham Yadav, Owner, R/o-Ordinary Earth Mine at Gata No.- 316, Village- Jata, Tehsil- Nawabganj , District-Barabanki,U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mine at Khasra/Gata No.- 316, Village- Jata, Tehsil- Nawabganj , District- Barabanki,U.P., Lease Area: 0.567 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1834
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Supendra Singh, R/o-Ordinary Earth Mine At Gata No.- 594, Village- Ruhera, Tehsil- Ramnagar, Barabanki, U.P., M/s Chauhan Enterprises, Area: 0.379 ha,

खनन स्थल–
Proposed Ordinary Earth Mine At Gata No.- 594, Village- Ruhera, Tehsil- Ramnagar, Barabanki, U.P., M/s Chauhan Enterprises, Area: 0.379 ha,

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1835
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ajay Kumar, R/o-Ordinary Earth Mine at Village- Manjhar, Tehsil- Haidergarh, Barabanki,U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mine at Gata No. 100 & 101,,Village- Manjhar, Tehsil- Haidergarh, Barabanki,U.P. Area- 1.65 Ha.,

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1836
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Amarkesh Yadav, Owner, R/o- Village-Sarai Akbarabad, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh.

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine, over an area 1.396 ha. in Khasra/Gata No.– 444, 461 & 473Mi in Village-Sarai Akbarabad, Tehsil -Nawabganj, District:-Barabanki, Uttar Pradesh, Lease area-1.619 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1837
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajesh Rastogi, R/o- Village- Pachhim Belawn, Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh,

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mine At Gata No. 732, 734 & 736Mi, Village- Pachhim Belawn, Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 1.3286 Ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1838
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–	खनन स्थल–
Shri Ashok Kumar Srivastva S/o Late Mathura Prasad , Resident H No. 2/24 Vineet Khand, Gomati Nagar Lucknow, Uttar Pradesh	Proposed simple soil excavation form Gata Nos. 520, 506 at Village- palhari , Tehsil – Navabganj, District - Barabanki, Uttar Pradesh, Area – 0.444 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1839
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Lavneesh Gupta, R/o-Village - Mohammadpur, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine, at Khasra/Gata No.– 231, 482, 502 & 530 in village Mohammadpur, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,Area: 0.995 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Vivek Verma, R/o- Village- Barel (Bahar Seema), Tehsil-Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine, at Khasra/Gata No.– 2711 , village Barel (Bahar Seema), Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area: 0.177 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1841

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jung Bahadur, R/o-village- Bahlolpur, Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,

खनन स्थल–
Proposed for Soil Mine at Khasra/Gata No.– 1067Ga in village- Bahlolpur, Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.410 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1842
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Mohd. Wahid Ali, R/o- Village-Shahpur, Tehsil-Nawabganj, District Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine Project at Khasra/Gata No.– 31kh, 34kh, 35, 36kh & 39 in village Shahpur, Tehsil Nawabganj,District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 1.487 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1843
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
M/s Priyanshi Construction, R/o- Village-Rahramau, Tehsil-Nawabganj, District Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine Project at Khasra/Gata No.– 966, 967 & 968 in village Rahramau, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.775 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1844
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Hitendra Verma, R/o- Village-Amoli Hissampur, Tehsil-Ramnagar, District Barabanki, U.P.,

खनन स्थल–
Proposed of Project Soil Mine, Village-Amoli Hissampur, Tehsil-Ramnagar, District- Barabanki, U.P., developed (Applied Area : 1.128),

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1845
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jitendra Singh, R/o- Village-Meerpur, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki, developed by M/s K. M. Construction

खनन स्थल–
Proposed of Project Soil Mine, Village-Meerpur, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki, developed by M/s K. M. Construction (Jitendra Singh) (Applied Area : 0.809),

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Neeraj Kumar, R/o-village Salarpur, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh.

खनन स्थल–
Proposed of Soil Mine, Project at Khasra/Gata No.–260Ja,260Jha,260La,260Ra & 260Gya in village Salarpur, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh. Area 1.15 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1847
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Mukesh Kumar, R/o- Village-Barauli, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh

खनन स्थल–
Proposed of Soil Mine, Khasra/Gata No.– 311Ka , Village- Jata, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.843 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1848
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sumit Singh, R/o- Salhipur Kanjas, District- Pratagarh, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Soil Mine, Khasra/Gata No.– 505 , Village- Jata, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.843 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1849
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ashish Gupta, R/o- village Rampur joga, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh "

खनन स्थल–
Proposed for our ordinary earth Mine, Khasra/Gata No.– 487, 525mi, 475 & 710 in village Rampur joga, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.8529 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1850
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sarvesh Kumar Yadav, R/o- Village-Lalpur Majre, Tehsil-Ramsanehighat, District-Barabanki, U.P

खनन स्थल–
Proposed for our Ordinary earth Mine, at Khasra/Gata No.– 462Ka & 480 , Village- Umrapur Raisaheb, Tehsil- Ramsanehighat, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.390 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1851

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajiv Kumar Yadav, R/o- Village- Katra, Post- Jahangeerabad,Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh

खनन स्थल–
Proposed for Ordinary Earth Mine, Khasra/Gata No.– 294, 445, 446, 447 & 462, Village- Sarai Akbarabad, Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 1.71 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1852
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Subham Yadav, R/o- village - Sultanpur,Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,

खनन स्थल–
Proposed for our Ordinary earth Mine, Khasra/GataNo.– 37 & 42, village - Sultanpur,Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.774 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1853
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Durgesh Kumar, R/o- Village-Chandamau,Tehsil-Ramnagar, District:-Barabanki, Uttar Pradesh.,

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine at Khasra/GataNo.- 272 Da & 289 Mi, Village-Chandamau,Tehsil-Ramnagar, District:- Barabanki, Uttar Pradesh., Area 0.865 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1854
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Vivek Verma, R/o- Near Rajkiy Inter College, Next To Shankar Ji Mandir, Lakhperabagh, Barel, Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for Ordinary earthmine, at Khasra/GataNo.-709 atVillage-Chhedanagar,Tehsil-Nawabganj, District-Barabanki, Uttar Pradesh by Vivek verma, Area-0.402 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1835
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Pratap Singh, R/o- Village- Lokhariha Purwa, Jata, District- Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for Ordinary earth mine at Gata No.- 179, Village- Gehndwer, Tehsil- Nawabganj, District Barabanki, developed by Pratap Singh, (Area- 0.78 ha.)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1856
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ajay Kumar, R/o- Village- Kareemabad , Malauli, Tehsil- Nawabganj, District - Barabanki,(U.P.)

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary earth mine at Gata no.- 1179, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189 & 1194 Village- Mirzapur, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, (Area- 1.435ha.) developed by Sri Ajay Kumar.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1837
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ankit Shukla, R/o-Village- Sonaran Purwa, Chaugava, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary earth mine at Khasra/Gata No.- 1001, 1015, 1014 & 1010 mi at Village- Mohammadpur, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, Uttar Pradesh developed by Ankit Kumar shukla, Area- 2.061 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1838
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Amarkesh Yadav, R/o- Village- Gopalpur, Majre Mahuamau, Darhara, District- Barabanki, U.P

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary earth Mine,Khasra/GataNo.– 182, 183, 195 & 198, Village- Sultanpur,Tehsil- Nawabganj, District:-Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.738 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1859

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Devansh Singh, R/o- 594 Ka 397 Nilmatha Cant, Lucknow Chhawani, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary earth Mine at Khasra/GataNo.– 292 & 293in village Parsa, Tehsil- Sirauligauspur & District- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.418 ha. in

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1860
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Proposes of Ordinary earth Mine, Khasra/GataNo.– 466& 471in village-Parsa,Tehsil-Sirauli Gauspur, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.607 ha.

खनन स्थल–
Proposes of Ordinary earth Mine, Khasra/GataNo.– 466& 471in village-Parsa,Tehsil-Sirauli Gauspur, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.607 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Proposed of "Ordinary earth mine"at Khasra/Gata no.- 347 & 365, Village- Jata, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki in Area- 0.897 ha. developed by Shri Ramu

खनन स्थल–
Proposed of "Ordinary earth mine"at Khasra/Gata no.- 347 & 365, Village- Jata, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki in Area- 0.897 ha. developed by Shri Ramu

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1862
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03790 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Munaveer Ali, Village- Kiriyara, Tehsil- Mohammdi,District- Kheri, U.P., M/s Khan Bricks Field

खनन स्थल–
Proposed Brick Earth Mining Project located at Gata No.-322, 750, 808, 810, 1478, 411, 1417, 268, 1420, 86, Area- 4.334 ha, at Village- Kiriyara, Tehsil- Mohammdi,District- Kheri, U.P., M/s Khan Bricks Field,(Leased Area: 4.334 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखीमपुर खीरी।
5. जिला खान अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1803
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03790 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sarafat Ali S/o Shri Riyasat Ali, R/o-Village- Peerpur, Post- Manikpur, District-Hardoi, U.P.

खनन स्थल–
Proposed Brick Earth Mining Project located at Khasra No.- 777, 785, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 371 & 379, at Village- Jamunia Rana & Rehjania,Tehsil-Mitauli, District- Kheri,U.P.,M/s Qadri Bricks Feild,(Leased Area:3.766 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखीमपुर खीरी।
5. जिला खान अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1864
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Indrapal S/o Late Kallu, Nivasi: Borumau, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-65 & Area- 1.727 ha in Village-Borumau, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1865
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ran Singh, Propritor, Project at Gata No.- 266, 91, 92, 90, Village- Pashchim Gaon, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow,U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation"Project at Gata No.- 266, 91, 92, 90, Village- Pashchim Gaon, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow,U.P.,(Leased Area-1.4875 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1866
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sandeep Singh, Village- Sakra Dakshin, District- Ambedkar Nagar, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of " Soil/ Clay Excavative for Brick Kiln Site" at Gata No.-527, 665, 680, at Village-Kurauni, Tehsil-Sarojini Nagar,District-Lucknow, U.P., Leased Area -1.489 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1807
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Kanhaiya Lal Sharma S/o Shri Lal Babu Singh, R/o- B-603, Shalimar Emreld, Jppling Road, Batlar Palace Crossingh, Lucknow, U.P., M/s NH DRA INFRACON PVT LTD.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Earth Excavation from Khasra/Gata No.- 163,165, at Village- Barakhempur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,(Leased Area: 2.751Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sushil Kumar Chandani, R/o- Sikandarpur Banthara, Tehsil- Sarojini Nagar,District- Lucknow, U.P., M/s Anil Ent Udyog

खनन स्थल–
Proposed Brick Earth Mining Project located at Gata No.-1482, 138, 873, 875, 884, 922, 967 Sa, 854, 915, 972, 977 and 818, at Village- Kurauni, Kishunpur, Kuudiya and Banthara Sikandarpur, Tehsil- Sarojini Nagar,District- Lucknow, U.P., M/s Anil Ent Ud

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1869
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sushil Kumar Chandani, R/o- Sikandarpur Banthara, Tehsil- Sarojini Nagar,District- Lucknow, U.P., M/s S.K. Brick Field

खनन स्थल–
Proposed Brick Earth Mining Project located at Gata No.-728, 749, 725, 315, 317, 682, 722, 703, 706, 244, 247, at Village- Khandedev, Dadupur, Tehsil- Sarojini Nagar,District- Lucknow, U.P., M/s S.K. Brick Field,(Leased Area: 3.825 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1870
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Usha Yadav, Village- Sairpur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,M/s Usha Construction

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-194,Village- Sairpur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,M/s Usha Construction Area: 0.8810 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1871

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jagat Pal Singh S/o Shri Om Prakash, R/o- D.S.E.- 962, Sector- C, Jankipuram, District- Lucknow, U.P., M/s Shri O.P. Enterprises

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.- 624,Village- Rasoolpur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,M/s Usha Construction Area: 0.6570 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1872
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jagat Pal Singh S/o Shri Om Prakash, R/o- D.S.E.- 962, Sector- C, Jankipuram, District- Lucknow, U.P., M/s Shri O.P. Enterprises

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.- 441,Village- Rajauli, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.(Area: 0.8953 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1873
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Putti Lal, Ram Prasad, Kailash, Babu Lal S/o Shri Girdhari, R/o- Village- Narharpur, Tehsil- B.K.T.,District- Lucknow, U.P

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.- 320, 222,Village- Salidapur, Tehsil- B.K.T.,District- Lucknow, U.P, (Area: 1.2160 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1874
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Nitin Gupta S/o Nanhkau Gupta, Add.-97/53, Behta, Sorojini Nagar, Lucknow,U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-2467 Kha, 2490 Ga, 1212, 1213, Village-Thari, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P., Area: 0.975 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1875
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Heera Lal Mishra, R/o- Plot No.- 4587, Sector-B, Pocket No.- 5 & 6, Basant Kunj, New Delhi M/s Rail Vikas Nigam Ltd.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 134, Village- Naguvamau Khurd, Tehsil-B.K.T, District- Lucknow, U.P., (Leased Area-0.355 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1876
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajeev Kumar Singh S/o Shri Naubat Singh, R/o- H.No.- 592 JH/247, Ravindra Nagar, Telibag, District- Lucknow, U.P., M/s Sadbhav Engineers Ltd.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 735, 923, Village- Bhaurumau, Tehsil- B.K.T., District- Lucknow, U.P.,M/s Sadbhav Engineers Ltd. (Leased Area-0.410 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1877
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajeev Kumar Singh S/o Shri Naubat Singh, R/o- H.No.- 592 JH/247, Raibareli Road, Telibag, District- Lucknow, U.P., M/s Sadbhav Engineers Ltd.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1378, Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P.,M/s Sadbhav Engineers Ltd. (Leased Area-1.520 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1878
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajeev Kumar Singh S/o Shri Naubat Singh, R/o- H.No.- 592 JH/247, Raibareli Road, Telibag, District- Lucknow, U.P., M/s Sadbhav Engineers Ltd.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1377 Sa, Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P.,M/s Sadbhav Engineers Ltd. (Leased Area-0.7850 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1879
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Chakresh Jain S/o hri NC Jain, R/o- D-39, Kamla Nagar, Thana- New Agar, District-Lucknow, U.P., M/s PNC Infratech Ltd.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-191, Village- Papnamu, Tehsil- Sadar, District-Lucknow, U.P., M/s PNC Infratech Ltd.(Leased Area-1.35 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1880
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 163, 561 & 669, Village- Dhatingra, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-4.099 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-394, Village- Sonava, Tehsil- B.K.T, District-Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-4.360 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1882
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-288, Village- Sonava, Tehsil- B.K.T, District-Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-4.101 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1883
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 364, 365 & 367 Village- Parsau, Pargana- Mahona, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-1.261 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1884
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1730/20 & 1730/23, Village- Shipuri, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-0.530 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1117 & 1141 Ka, Village- Paharpur, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-1.377 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 12, 16 Aa, 20 Sa Mi & 21 Sa, Village- Hardaurpur, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-3.648 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Raj Kumar Singh s/o Shri Hansraj Singh, Add.- 16A/1K, Shubham Nagar NEAR Yojna Nagar, Teshil- Lucknow, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 873, 1029, 1197, Village- Dharurahara, Teshil- Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-0.7160 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1888
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rakesh Kumar,S/o Shri Jiyalal, R/o-Narharpur, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-369, Village- Saraura, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-0.623 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1889
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ram Sagar, Shri Sarvjeet S/o Shri Chandrapal Gupta, R/o- Rajapur, Saraura, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-336, Village- Saraura, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-0.5780 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1890
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Anand Kumar Yadav S/o Shri Jai Prakash Yadav, R/o- Village- Michkura, Tehsil- Milkipur, District- Faizabad, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 826 Sa, Village- Barauna, Tehsil- Sarojni Nagar, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-3.228 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1891

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajeev Kumar Singh,R/o- H.No.- 592 Jha/226, Ravindra Nagar, Telibagh, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-350, 351, 1183 Ka, 1307, 1572, 1537, 633, 659, 630, 631, 520 Kha, Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-2.559 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1892
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Shalini Singh W/o Shri Uday Pratap Singh, R/o-3/90, Vishwas Khand, Gomti Nagar, District-Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-53, Village- Nizampur , Tehsil- Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-1.066 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ram Kunwar S/o Shri Salik Ram, Village- Tant Ka Purwa, Gauriya Kala,Tehsil- Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1819, 1820, 1822, Village- Gauriya Kala,Tehsil- Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P. (Leased Area-2.238 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Amit Kumar Yadav S/o Shri Ram Kishan, R/o- H.No.- 886, Gomti Nagar Vistar, Sector-05, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1205Kh, located in Village- Jehta,Tehsil- Lucknow, District- Lucknow, U.P. (Leased Area-0.7590 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Bhagwan Deen S/o Matadeen, R/o-Village-Dhanua Saad, Tehsil-Mohanlalganj, District-Lucknow,U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-963, Village-Dhanua Saad, Tehsil- Mohanlalganj, District-Lucknow,U.P.(Leased Area-1.631 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1896
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Surendra Singh S/o hri Ved Ram Singh, R/o- 617/1604, Digdiga, Vishal Khand Gomti Nagar, District- Lucknow,U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-678, located in Village- Sadrauna, Tehsil- Sarojani Nagar, District- Lucknow, U.P..(Leased Area-3.428 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1897
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Sunil Kumar Mishra,R/o- 27 Jalvau Vihar, Sector-L, Ashiyana,District-Lucknow,U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 518, 529 Sa, 540, located in Village- Palenhada, Tehsil -Sarojini Nagar, District- Lucknow, U.P. , M/s Ambay Build Infra Pvt. Ltd., (Leased Area-1.423 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1898
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajeev Kumar Singh S/o Naubat Singh, R/o-H.No.+592 Jha/247, Raebareli Road, Telibagh, District- Lucknow, U.P., M/s Rajeev Associates

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-548 Jha, located in Village- Kaliya Khera, Tehsil - Sarojini Nagar, District- Lucknow, U.P. ,M/s Rajeev Associates, (Leased Area-4.87 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1899
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Rajkumari D/o Shri Ram Lakhan, R/o-Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District-Lucknopw, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Khasra No.-114, located in Village-Malaha, Tehsil-Malihabad, District- Lucknow, U.P..(Leased Area-0.511 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1900
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Gaurav Rajpal S/o Shri Anand Rajpal, R/o- Near St. Basil School, Khiri Ghat, Tehsil- Basti, District- Lucknow, U.P.,M/s Rajpal Traders and Packagers

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1421, 1428, 1429,Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P., (Leased Area- 1.6503 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ritesh Singh S/o Rajesh Singh, R/o-F-11, Kanti Puram, Kanchanpur, Matiyari,Dewa Road, Chinhat, District-Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Soil Excavation Project at Gata No.- 855, located in Village-Raipur Raja, Tehsil-B.K.T, District- Lucknow, U.P.,M/s SVGS Enterprises Leased Area -0.4480 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1902
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ritesh Singh S/o Rajesh Singh C/o Smt. Garima Singh, R/o- F-11, Kanti Puram, Kanchanpur, Matiyari,Dewa Road, Chinhat, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Soil Excavation Project at Gata No.- 312, located in Village-Sultanpur, Tehsil-B.K.T, District- Lucknow, U.P.,M/s SVGS Enterprises Leased Area -0.7344 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1903

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–

खनन स्थल–
Proposed"Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.– 757, Village- Kuroni, Tehsil- Sarojani Nagar, District- Lucknow, U.P., Lease area-0.7160 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sandeep Kumar Singh, R/o-D-2226, Indira Nagar,Lucknow, U.P., M/s Ujjwal India Enterprises. "

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Soil Mining project at Gata No- 95, 79Ka, 79Kha Village-Chaurahiya, Tehsil-Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.,M/s Ujjwal India Enterprises, Lease area-0.56 ha.,

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1905
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Subhanshu Pratap Singh, R/o-13 Bhola Vihar Colony Sitaput Madiyaon Tehsil-Bakshi ka Talab,District-Lucknow,U.P., M/s Shree Balaji Infratech and Developer

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Excavation Mining Projec at Gata No.-602, 62/1, Villag-Shivpuri, Tehsil-Bakshi ka Talab,District- Lucknow,U.P.,M/s Shree Balaji Infratech and Developer,(Lease Area: 1.804 ha),

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1906
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Kamal Kishor, R/o- ,Village-Gauriya kala, Tehsil-Mohanlalganj, District-Lucknow,U.P.,

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mine, at Khasra No.-1531ja & 1609ka ,Village-Gauriya kala, Tehsil-Mohanlalganj, District- Lucknow,U.P., developed by Shri Kamal Kishor, 1.53 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1907

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Buddha Lal, R/o- -Village-Dada Sikandarpur, Gadiana, Tehsil-Mohanlalganj , District-Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-225, in Vill.: Dada Sikandarpur, Tehsil: Mohanlalganj, District- Lucknow, Uttar Pradesh. (Lease Area: 0.914 Ha.)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1908
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Basanti Tripathi W/o Shri Shivakant Tripathi, Add.-617K/359, Dwivedi Niwas, Vikas Khand-3, Gomti Nagar, Lucknow Uttar Pradesh

खनन स्थल–
Proposed of "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-701/2, 701/3, 835 in Village: Kolwa Bhanora, Tehsil: Malihabad, District- Lucknow, Uttar Pradesh. Area-0.879 Ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1909

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rambachan S/o Shri Baizu, R/o- Village- Dhuriya, Post- Gadaicha, Tehsil- Mahmoodabad, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed " Ordinary Soil Execavation" Project at Gata No.- 180, 166/2, 165, 167, 168, 169, 171/2, 171/2, 172, 235/2, 176, 390,318, 207, 195, 196, 159, 163, 10/2, 273, 274 Ka, Village- Murtajanagar, Tehsil- Mahoodabad, District-Sitapur,U.P.,(Leased Area-2.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1910

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Vinod Kumar S/o Shri Hardwari Lal, R/o- Village- Dhakhiya Aeliya, Thana- Imaliya Sulatanpur, Tehsil & District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.- 313 Ka, 314, 316 Ka, 317, 334 Ka, 189, 432 Ka, 40, Village- Angrasi,Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Leased Area-0.9805 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Naimish Kumar S/o Shri Ram Kishan, R/o- Chichahi, Post- Madhwapur, Kamlapur, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-90, 353, 478 Ka, 549, 572 Ga, 585, 587, 612, 613, 691, 705, 777, 778 Ga, Village- Khapura, Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Leased Area-2.183 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1912

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rishpal Singh /o Shri Sukhdev Singh,
R/o- Keshav Green Nagar, Ahata Kaptan,
Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.- 03, 97, Village- Singhariya,Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Leased Area-1.219 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1913

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Pradeep Tiwari S/o Shri Rameshwar Tiwari, R/o-Mo.- Behati Laharpur, Tehsil-Laharpur , District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.- 809, 811, 813, Village- Ramnagar,Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Leased Area-0.518 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1914

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Kumar Awasthi S/o Shri Uttam Kumar Awasthi, R/o- Village- Fattepur, Moh.- Nabinagar, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-1238, 1241, 1243, 1254, 1252, Village- Katesar, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P.(Leased Area-0.593 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sanjay Singh S/o Shri Rampal Singh,
R/o-H.No.-C-15, Awas Vikas Colony, Tehsil
& District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth" Mining Project located at Gata No.-735, 732 Kha, 734 Kha, 732 Ka, 734 Ka, 699, Village- Neri, Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Lease Area: 0.801ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1916

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Geeta Shukla W/o Shri Vimlesh Shukla, R/o- Ranikothi, District- Sitapur, U.P., M/s Ramraj Construction

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth" Mining Project located at Gata No.-7, 373, 374, 585, 587, 588, 589, 620, 692, 693, 706, 808, 809, 812, 463, 464, 467, 468, 469, 501, 683, 60, 481, 204, 338 ka , 279, 281 ka, 341, Village-Khapura, Tehsil & District- Sitapur, U.P.,

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1917

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Geeta Shukla W/o Shri Vimlesh Shukla, R/o- Ranikothi, District- Sitapur, U.P., M/s Ramraj Construction

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth" Mining Project located at Gata No.-125 mi, 1238 mi, , Village-Dhanai Khera, Tehsil & District- Sitapur, U.P., M/s Ramraj Construction, (Lease Area: 1.295 ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1918

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–

खनन स्थल–
Proposed of Soil Mine Project from Khasra/Gata No.-486 Kha & 486 Gha, at Village-Chilvara(Khairabad), Tehsil & District- Sitapur, U.P.,(Leased Area: 4.028 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ajay Kumar, Owner, R/o- Maharaj Nagar, Mudrasan,Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ajay Soil Mining Project (Category B2) from Khasra No.-447, Village- Tahpur, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P., (Lease Area: 0.591 ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1920

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ranbachan S/o Shri Baizu, R/o + Village- Dhuriya, Post- Gadaicha, Tehsil- Mahmoodabad, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Soil Eccavation Project at Gata No.-176, 166/2, 167, 168, 169, 171/2, 135/2, 318, 172, 207, 195, 196, 180, 390,, Village- Murtajanagar, Tehsil- Mahmoodabad, District- Sitapur, U.P., (Lease Area:2.176 ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Pawan Kumar S/o Shri Uttam Kumar,R/o- Village- Raipurganj, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mining Project at Gata No.-1288, 1289, Village- Katesar, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P., (Lease Area: 0.562 ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1922

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Umesh Kumar Giri, Owner, R/o- Geet Vihar,Deeddaylpuram, Indira Nagar, Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for Umesh Soil Mining Project (for category B2) at Gata No.- 122/1, Village- Dhanaikheda, Tehsil & District- Sitapurr, U.P., Leased Area -1.00 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1923
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ashfaq Ahmad, R/o- village- Narhi, Tehsil & District:- Sitapur, Uttar Pradesh.

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine, over an area 1.037 ha. in Khasra/Gata No.– 307, 764, 766, 668, 671, 682Ga, 749Kha, 750Ga, 779kha & 780Kha in village- Narhi, Tehsil & District:- Sitapur, Uttar Pradesh.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1924

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Arjit Shukla Ramraj, R/o-Coal Movers And Logistics Mohalla Navinagar, Rani Kothi, Butsganj Sitapur, Uttar Pradesh

खनन स्थल–
Proposed of Ramraj Coal Soil Mining Project Village- Dhanaikheda, Tehsil Sitapur, District Sitapur, State-Uttar Pradesh Area – 3.035 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1925
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Arvind Kumar S/o Shri Ram Asre R/o: Village- Hardoi Chungi, Krishna Nagar District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for Soil Excavation from Gata No.- 03, 97 Village-Singhariya, Tehsil & District- Sitapur, U.P. (Area – 1.219 ha).

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Dhirendra Pratap Singh S/o Shri Jaykaran Singh R/o- Village-Magraura ,Tehsil- Sidhauli District- Sitapur Uttar Pradesh.

खनन स्थल–
Proposed Soil Excavation Project at Gata No.- 195, Village- Badi, Tehsil- Sidhauli, District- Sitapur, U. P., Area: 0.392 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1927

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Abimanyu Choudhury S/o Shri Naresh Choudhury, Director, W 21 1st Floor Rajori Garden, New Delhi, M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd.

खनन स्थल–
Katri Hariharpur Ehatmali Sand/Morrum Mine on Ganga River at Gata No.-102, Village- Katri Hariharpur Ehatmali, Tehsil- Sadar District-Unnao, U.P., Lease Area: 15.089 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1928

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Brij Kishore Dawivedi S/o Shri Maharaj Narayan Dwivedi, R/o- 972, Indra Nagar, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of mining permit for Simple Soil Excavation form Khasra/Gata Nos.2035, Khand No. 777, Area– 2.897 ha at Village- Hadaha, Tehsil & District - Unnao, Uttar Pradesh

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1929
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Pradeep Kumar Dixit S/o Shri Mahesh Kumar Dixit, Address- 167, Kevta Talab, Civil Line, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Simple Soil Mine Excavation from Khasra/Gata No.- 247, 249, 86, 90 & 91, Area- 0.687 ha, at Village- Devarakhurd, Tehsil & District- Unnao, U.P.,(Leased Area: 0.687 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Gopal Pandey S/o Shri Gauri Shankar Pandey, R/o- H.No.- Old 622, New 1000, D.S.N. College Road, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ganga River located at Gata No.-286, Village - Katari Pariyar, Tehsil & District- Unnao, U.P.i, U.P., Sanctioned Lease Area - 26.0566 Ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Anand Kumar S/o Shri Jai Prakash Yadav, R/o- Village- Michkura Mahulara, Tehsil- Milkipur, District- Faizabad, U.P., M/s Maa Vindyawashini Builders

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-79, located in Village-Barha, Tehsil- Purwa, District-Unnao, U.P. ,M/s Maa Vindyawashini Builders,(Leased Area: 1.2715 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1932
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Nadu S/o Shri Babu Lal, Add.- Jawahar Nagar, Khurd-Kotwali, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Excavation Project" at Gata No.- 115, 119, 127, Villae- Dewara Khurd, Tehsil- Unnao, District- Unnao,U.P.,Leased Area -0.866 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1933
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sanjay SinghChauhan S/o Shri Brijbhan Singh Chauhan, R/o- Banthara Sikandarpur, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Mining Permit for Simple Soil Excavative(Period- 3.0 month) Project at Gata No.-353, at Village-Lala Khera Majra Paharpur, Tehsil-Purwastrict- Unnao,U.P.Leased Area -0.5566

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ankit Singh, Village- Magarwara, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of "Ordinary Soil Excavative Project" at Gata No.-147, 148, at Village-Dewra Khurd,Tehsil & District- Unnao, U.P., Leased Area -0.354ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Kamlesh Chaurasiya S/o Shri Ram Narayan, R/o- 248/2, Lok Nagar, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Excavation from Khasra/Gata No.- 1332,at Village- Sudesha Bahadur, Tehsil- Unnao, District- Unnao, U.P.,,(Leased Area: 0.481 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Mohd.Armaan S/o Shri Mohd Usmaan,
R/o- Village- Saharawa, Tehsil- Purwa,
District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-183,Village- Datauli, Tehsil- Purwa, District- Unnao, U.P., Area: 0.261 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1937

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Vishvash Opratap Singh, Owner, Manikapur, Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed " Ordinary Earth Mine " at Khasra No./Gata No.- 1165 & 1166, Village- Baunamau, Tehsil- Sadar , District-Unnao, U.P., , (Leased Area-0.4390 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1938
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Shailendra Singh, Owner, Gurudhari
Unnao, Safipur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Mine" at Gata No.- 489 & 497, Village- Jujharpur, Tehsil-Safipur, District- Unnao, U.P., (Leased Area-2.548 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1939

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
M/s Gawar Construction Ltd.,Owner, Gurgaon, Haryana

खनन स्थल–
Proposed Ordinary Earth Mine over an area 4.958 ha in Khasra No./Gata No.- 171 Ka & 171 Kha in Village- Banigon, Tehsil- Purwa, District- Unnao, U.P.,Leased Area -4.958 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Charu Chandra Srivastava S/o Late Shri S.B. Srivastava, R/o- Mohalla-Rakabganj, Tehsil- Sadar, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed " Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-4936, Village- Kantha, Tehsil- Purwa, District- Unnao, U.P., (Leased Area-1.329 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Anuj Jaiswal S/o Late Shri Satya Narayan Jaiswal, R/o- Village & Post- Ajgain, Tehsil- Hasanganj, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Brick Earth Mining Project" at Gata No.- 6420, 6422, 4171, 6419, 6443, 2014, 1407, 1408, 1409, 1673, 1, located at Village- Baoli, Jansar, Rainapur, Kaithan Khera & Dariyapur, Tehsil- Hasanganj, District- Unnao, U.P., M/s Vipin Brick Field, (Area

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jai Chand Singh, S/o Shri Shiv Narayan Singh Vill: Hanuman Colony, Sufipura, Distt: Bahraich,U.P.

खनन स्थल–
Proposed Riverbed Sand Mining Project from Ganga River located at Gata No.-13 Mi,over an area of 5.3660 ha situated in Village - Manpur Ahatmali, Tehsil- Beeghpur, District- Unnao, U.P., U.P., Sanctioned Lease Area - 5.3660 Ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1943

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sunil Kuymar,Owner, R/o- Banthar, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Soil Excavation Project at Gata No. - 1615, 1617, 1617Mi, 1597, 1619Mi, 1698Mi & 1699Mi, Village- Aanta, Pargana Hadha,Tehsil & District- Unnao (UP), Area: 1.018 Ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1944

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sunil Kuamr Yadav S/o Shri Surajbhan Yadav, R/o- Village & Post- Sarosi, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth Excavation Project" at Khasra/Gata No.-206, located at Village & Post- Sarosi, Tehsil & District- Unnoa, U.P. (Area:0.4050 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1945

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Brij Kishor Dewedi S/o Shri Mahraj Narain Dewedi, R/o- H. No.-972, Indira Nagar, Thana- Sadar, Tehsil- Sadar, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Earth Excavation from Khasra/Gata No.- 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, Area-0.759 ha, at Village- Kushalpur Vasaina, Tehsil & District- Unnao, U.P.,(Leased Area: 0.759 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ankit S/o Shri Jay Shankar,R/o-Village- & Post- Banther, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-1038, 1033, 1035, 1036, 1045, 1046, 1047,Village-Aata, Tehsil- Sadar, District-Unnao,U.P.(Leased Area-0.8377 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1947

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Akshat Singh, R/o- A BEE City 99, Type- 2 Colony, A B Nagar, District-Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Soil Mine located at Khasra/Gata No.-356, 357, 358 & 359, Village- Hadha, Tehsil & District-Unnao, U.P., (Leased Area-1.2335 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jitendra Kumar S/o Shri Ramesh Chandra Sahu, R/o-Lohcha, Haraha, Achalganj, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of "Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.- 918Kha, 921Ka, Village- Himmatgarh, Tehsil- Hasanganj, District- Unnao, U.P. (Area – 1.075 ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1949

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Brij Kishor Dwivedi, R/o- H No 972 Indra Nagar Thana Sadar Tehsil- sadar, District - Unnao UP,

खनन स्थल–
Proposed "Simple Soil Execavation Project"(Period 6.0 month) at Gata No.-1892, Village- Benther, Tehsil & District- Unnao, U.P., (Leased Area-1.265 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1990

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sudheer urf Anuj Sharma S/o Shri Rajkumar Sharma R/o: Village- Sheshpur Nari, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for Soil Excavation from Gata No.- 1679, 1683, 1684 Village- Aata, Tehsil & District- Unnao, U.P. (Area – 0.853ha).

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Kamlesh Kumari, R/o- 7/60, Katra,
Tehsil- Bangarmau, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of "Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.- 116, Village- Kakraora, Tehsil- Safipur, District- Unnao, U.P. (Area – 1.0120 ha).

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1992

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jitendra Kumar S/o Ramesh Chandra Sahu, R/o- Lohcha, Haraha, Achalganj

खनन स्थल–
Proposed for Ordinary Earth Mining at Gata No.-1063, at Village- Mahnaura, Tehsil- Hasnganj, District-Unnao, U.P., Lease area-0.6900 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1933

Ref. No H 03797 / वृत्त–6 / सा0– 766 / बन्दी आदेश / 2023 *Date 08-12-2023*

सेवा में,

M/s Gammon Engineers & Contractors Pvt. Ltd.
Soil Execavation Project, (Leased Area-3.123Ha) at Gata No.-293, 300,
Village-Paranapur, Tehsil- Sadar,
District- Varansai, U.P.

यह कि M/s Gammon Engineers & Contractors Pvt. Ltd. Soil Execavation Project, (Leased Area-3.123Ha) at Gata No.-293, 300, Village-Paranapur, Tehsil- Sadar,District- Varansai, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176 / 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन / संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा / पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
5. जिला खान अधिकारी, वाराणसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03787/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Smt. Nisha Dulvani S/o Harvansh Dunwani,
R/o- H.No.- 19, Madhuban Colony, Mohalla Nai Basti,
District- Pilibhit, U.P., M/s Shri Om Brick Field
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Smt. Nisha Dulvani S/o Harvansh Dunwani, R/o- H.No.- 19, Madhuban Colony, Mohalla Nai Basti, District- Pilibhit, U.P., M/s Shri Om Brick Field जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, पीलीभीत।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, पीलीभीत।
5..जिला खान अधिकारी, पीलीभीत।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03787/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rais Ahmad S/o Munne Ansari,
R/o- Saraini Tirkunia, Amaria,District- Pilibhit, U.P., M/s Singh Brick Field
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rais Ahmad S/o Munne Ansari, R/o- Saraini Tirkunia, Amaria,District- Pilibhit, U.P., M/s Singh Brick Field जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, पीलीभीत।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, पीलीभीत।
5..जिला खान अधिकारी, पीलीभीत।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Shivendra Singh, Ambedkarnagar, District- Shahjahanpur,U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Shivendra Singh, Ambedkarnagar, District- Shahjahanpur,U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर–प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786 / सी–7 / विविध–370 / खनन / 2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Gurudev Mishra, District- Shahjahanpur,U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Gurudev Mishra, District- Shahjahanpur,U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176 / 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10. 2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी. टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन / संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा / पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh Kumar erma S/o Shri Chote Lal Verma
R/o-Village-Gadhiya Saraili,Tehsil- Puwayan, District-Shahahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rajesh Kumar erma S/o Shri Chote Lal Verma R/o-Village-Gadhiya Saraili,Tehsil- Puwayan, District-Shahahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Deepu Gupta,
R/o- Madan Nagar, Jalalabad, District- Shahjahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Deepu Gupta, R/o- Madan Nagar, Jalalabad, District- Shahjahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Deepu Gupta,
R/o- Madan Nagar, Jalalabad, District- Shahjahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Deepu Gupta, R/o- Madan Nagar, Jalalabad, District- Shahjahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Gurudev Mishra,
District- Shahjahanpur , U.P., M/s Satya Om Enterprises
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Gurudev Mishra, District- Shahjahanpur , U.P., M/s Satya Om Enterprises जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Arivind Verma,
District- Shahjahanpur, U.P., M/s Balaji Construction and Supplier
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Arivind Verma, District- Shahjahanpur, U.P., M/s Balaji Construction and Supplier जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Smt. Ashi Parveen,
R/o- Khudaganj, Nayaganj,District- Shahjahanpur, U.P,
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Smt. Ashi Parveen, R/o- Khudaganj, Nayaganj,District- Shahjahanpur, U.P, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Mohd Jahid,
R/o- 94, Bhangshan Miranpur Katar, Tehsil- Tilhar,District- Shahjahanpur,
U.P,M/s Hira Brick Field
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Mohd Jahid, R/o- 94, Bhangshan Miranpur Katar, Tehsil- Tilhar,District- Shahjahanpur, U.P,M/s Hira Brick Field जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Mumtaz,
R/o- 130 Umarpur,Tehsil- Tilhar, District- Shahjahanpur,
U.P, M/s Sabri Brick Field
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Mumtaz, R/o- 130 Umarpur,Tehsil- Tilhar, District- Shahjahanpur, U.P, M/s Sabri Brick Field जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Taj Mohammad,
R/o- Dhakiya Hamidnagar, District- Shahjahanpur,
U.P, M/s Chand Brick Field
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Taj Mohammad, R/o- Dhakiya Hamidnagar, District- Shahjahanpur, U.P, M/s Chand Brick Field जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर–प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Smt. Mamata Agarwal,
R/o- 90 Ka cha Katra,District- Shahjahanpur,
U.P, M/s Singhal Ent Udyog
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Smt. Mamata Agarwal, R/o- 90 Ka cha Katra,District- Shahjahanpur, U.P, M/s Singhal Ent Udyog जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Kuldeep Singh,
R/o- Kasbhara, Tehsil-Puwanya,
District- Shahjahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Kuldeep Singh, R/o- Kasbhara, Tehsil-Puwanya,District-Shahjahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh KumarVerma. Owner,
R/o- Gadhiya, Sareli lalpur,District- Shahjahanpur, U.P.,
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rajesh KumarVerma. Owner, R/o- Gadhiya, Sareli lalpur,District-Shahjahanpur, U.P., जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh Kumar Verma, S/o Shri Chotte Lal verma,
Village: gadhiya sareli, lalpur, Shahjahnpur, U.P
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rajesh Kumar Verma, S/o Shri Chotte Lal verma, Village: gadhiya sareli, lalpur, Shahjahnpur, U.P जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Harsh Raj Tiwari,
R/o- Village: siktiha, Lakhimpur kehri, U.P
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Harsh Raj Tiwari, R/o- Village: siktiha, Lakhimpur kehri, U.P जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Sachin Kumar,
R/o- Village: Badagaon, Puwanya, Shahjahnpur, U.P
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Sachin Kumar, R/o- Village: Badagaon, Puwanya, Shahjahnpur, U.P जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh Chotelal,
R/o-Village – Daulatpur Mu. , District- Shahjahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rajesh Chotelal, R/o-Village – Daulatpur Mu. , District- Shahjahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shree Kant Verma,
R/o- Nizampur Gautiya, Shahbaznagar, M/S Shree Shyamji Enterprises
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shree Kant Verma, R/o- Nizampur Gautiya, Shahbaznagar, M/S Shree Shyamji Enterprises जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh Chotelal,
R/o-Village – Daulatpur Mu. , District- Shahjahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rajesh Chotelal, R/o-Village – Daulatpur Mu. , District- Shahjahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shree Kant Verma,
R/o- Nizampur Gautiya, Shahbaznagar, M/S Shree Shyamji Enterprises
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shree Kant Verma, R/o- Nizampur Gautiya, Shahbaznagar, M/S Shree Shyamji Enterprises जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Annexure-5

List of 04 Mining Leases Which are not Functional

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Lease
1	Shri Abhay Pratap Singh S/o Shri Arun Pratap Singh,R/o- Murhas, Post- Jaitpur, Tehsil & District- Farrukhabad, U.P. Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-942, 945, 984, Village-Gagoli, Tehsil- Sadar, District- Farrukhabad, U.P.,(Leased Area-1.2510 Ha)	Farrukhabad	Not Functional
2	Shri Bhupendra Singh S/o Shri Ramratn Singh, R/o- Manohar Nagar, Pikhana, District- Farrukhabad, U.P., Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-04, Village- Meerpur, Tehsil -Farrukhabad, District- Farrukhabad, U.P., (Leased Area-1.1980 1.1980 Ha)	Farrukhabad	Not Functional
3	Shri Anil Kumar S/o Shri Ranjesh, R/o- Village-Aakhoonpur Raipur Khas,Lakhanpur, Tehsil- Kaimganj, District- Farrukhabad, U.P., Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-313,Village- Lakhanpur, Tehsil- Kaimganj, District- Farrukhabad, U.P, (Leased Area-0.3280 Ha)	Farrukhabad	Not Functional
4	Shri Siddharth S/o Shri Shashi Kumar, Village- Lohaie, Tehsil- Kaimganj, District- Farrukhabad, U.P., Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-496, 527, 902 Mi, 1100, 1101, 865, 1114, located in Village- Purauri,Tehsil- Kaimganj, District- Farrukhabad, U.P. (Leased Area-1.4126 Ha)	Farrukhabad	Not Functional

Annexure-6

List of 436 Mining Leases under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
1	Shri Anantram Shakya S/o Shri Kalicharan, R/o- Kuiyanboot Dhilawal, Post- Pachpukhara, Tehsil-Sadar, District- Farrukhabad, U.P., M/s Kamla Contractor & Supplier Assampur Amritpur, Proposed for Ordinary Sand Mining Project at Gata No.33, Village-Assampur, Teshil-Amritpur, District-Farrukhabad, U.P., M/s Kamla Contractor & Supplier Assampur Amritpur,Leased Area -10.05 ha	Farrukhabad	Under Verification
2	Shri Nagebdra Singh, R/o - MIG-02 Mahabalipuram, Kanpur Nagar, U.P., M/s Vaishnavi Enterprises, River Ordinary Sand Mining at Araji/Gata/Khand No.-2Mi, Area 26.00 Acre (10.50 Ha) , Village-Katari Sunaudha, Tehsil- Bihaur, Distt.- Kanpur Nagar, U.P.,M/s Vaishnavi Enterprises, (Leased Area-10.50 Ha)	Kanpur Nagar	Under Verification
3	Shri Suresh Chandra Dani (Prop.), R/o- Gaujajali, Bichli Haldawani, District- Nainital, Uttar Khand, Proposed of River Bed Sand Mining along Ganga river, at Gata No.- 72, at Village/Ghat- Katri Manpur, Tehsil- Sadar, District- Farrukhabad, U.P., of Shri Suresh Chandra Dani,Leased Area -10.177 ha	Farrukhabad	Under Verification
4	Shri Suresh Chandra Dani, R/o- Gaujajali, Bichli Haldawani, District- Nainital, Uttar Khand, Proposed of River Bed Sand Mining along river bed of Ganga river, at Gata No.- 1/3, at Village-Sinauli, Tehsil- Kaimganj, District- Farrukhabad, U.P., of Shri Suresh Chandra Dani,Leased Area -10.177 ha	Farrukhabad	Under Verification
5	Shri Jamidar Singh S/o. Shri Vikrmajit Singh, R/o. Vill. Semara, Khulua, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997Mi, Vill. Sindhaura, Teh. Sadar, Area 12.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
6	Smt. Neelam Singh W/o. Shri Ghanshyam Singh, R/o. Ghasipur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 485 & 486, Vill. Patti Kalan, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
7	Shri Subodh Shukla, R/o- Bagkuchha, District- Farrukhabad, M/s R.C. Construction Company, Mining of Minor Mineral (Ordinary Sand), at Plot No.- 970 Ka, 1162, Village- Bhaupur Chaurasi, Tehsil- Amritpur, District- Farrukhabad, U.P., M/s R.C. Construction Company, (Leased Area-7.194 Ha)	Farrukhabad	Under Verification
8	M/s Moti Construction Company, R/o- 405 Kh, Naya Patel Nagar, Tehsil- Orai, Distrcit- Jalaun, River Sand Mine, at Khasra No.- 698K, 699 & 721, Village- Katri Ludhwa Khera (Rani Ghat), Tehsil - Sadar, District.- Kanpur, U.P.,M/s Moti Construction Company, (Leased Area-21.58 Ha)	Kanpur Nagar	Under Verification
9	Shri Chandershekhar Chaurasia S/o Deen Dayal Chaurasia, R/o 28, Brahmapuri Colony, Near Jugauli Crossing,Faizabad Road, Lucknow,U.P., M/s Eureka Mines and Minerals LLP, River Bed Sand Mining Project from Yamuna River of M/s Eureka Mines and Minerals LLP located at Gata No.-1598 Cha, Village- Samuhi, Tehsil- Ghatampur, District- Kanpur Nagar, (Leased Area-27.5 Ha)	Kanpur Nagar	Under Verification
10	Shri Suneel Raajak S/o Shri Hira Rajak, R/o- 1333, Pragatisheel Colony Road, Vijay Nursing Home, Narmda Road, Bhita Thana- Gorakhpur, Distt- Jabalpur(M.P) Sand/ Mining Project of Shri Sunil Rajak (Area 8.00 ha) Near Village-Pratappur, Tehsil-Bara, District- Allahahbd, U.P., Lease Area 8.00 Ha	Prayagraj	Under Verification
11	Smt. Srimani Gupta W/o Shri Ashok Kumar Gupta, R/o- Mayur Vihar Jhalwa, Tehsil- Sadar, Distt.-Allahabad EC of mining lease for extraction of Sand/Morrum from river bed Yamuna at Zone No./Gata No/ Khand No.-11/3 and 11/4, Area- 24.28 ha. (60.00 Acres) Village- Diya, Tehsil-Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P.,Lease Area: 24.28 Ha	Kaushambi	Under Verification
12	Shri Sanjeev Kumar Gupta, S/o Shri Surendra Kumar Gupta, R/o Shri 437/189, Nevada Colony, Ashok Nagar, Tehsil-Sadar, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 4, Village-Semri Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)	Prayagraj	Under Verification
13	Shri Sarvesh Kumar Pathak, S/o Shri Lalji Pathak, R/o Muriladih, Thana-Ghorawal, District-Sonebhadra, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 2, Village-Pandua, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)	Prayagraj	Under Verification
14	Shri Vidyabhushan Singh, S/o Shri Ramesh Singh, R/o Village-Pawari, Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 5, Village-Naudiha, Amilia, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)	Prayagraj	Under Verification
15	Shri Udai Pratap Singh, S/o Shri Budhiram Singh, R/o 86B, Mohile Nagar, Allapur, Thana-George Town, Tehisl-Sadar, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 11, Village-Kanjasa, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)	Prayagraj	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
16	Smt. Sunita Singh, W/o Shri Raviraj Singh, R/o Village-Pawari, Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. M/s Raj Construction Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 6, Village-Majhiyari and Bhadhaur, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-10.0 Ha)	Prayagraj	Under Verification
17	Shri Dhirendra Kumar Dwivedi, S/o ShriRamesh Chandra Dwivedi, R/o 115C/2B/1, Tarakutir Road, Lukarganj, Thana-Khuldabad, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No.11, Village/Ghat-Birwal, Kainua, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)	Prayagraj	Under Verification
18	Smt. Sunita Singh, W/o Shri Raviraj Singh, R/o H.N. 53-A, Shaktinagar, Chaka, FCI, Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. M/s Raj Construction Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No.16, Village-Madauka, Meerakpur and Mahewapatti (Paschim), Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)	Prayagraj	Under Verification
19	Shri Ajay Lal, S/o Shri Ram Chandra Patel, R/o Chitauri, Post-Jasra, Thana-Choorpur, District-Allahabad, U.p. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Zone No./Plot No. 12, Village/Ghat-Deoria, Bikar and Iradatgang, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)	Prayagraj	Under Verification
20	Smt Sunit Singh W/o Raviraj Singh, Address: Shri Surendra Kumar S/o Late Shivmurti Bhartiya, Owner, R/o- Village - Berui, Tehsil- Phoolpur, Distt.- Allahabad, U.P., M/s Raj Construction Sand/ Mining from River bed of yamuna at khand No.- 14, at Village- Baswar, Tehsil- Karchhana, Distt.- Allahabad, U.P., M/s Raj Construction, (Leased Area-12.00 Ha)	Prayagraj	Under Verification
21	Shri Kalpanal Karwaria, Owner, R/o- 1203, Ahiyapur, Malwiya Nagar, Distt.- Allahabad, U.P., M/s K.K Associates Morrum Mining at Yamuna river, Khand No.-16/2 & 16/3, Village- Mahewa, Tehsil-Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P., M/s K.K Associates, (Leased Area-20.23 Ha)	Kaushambi	Under Verification
22	Shri Saiyad Sahil Ali S/o Shri Mohd. Rajan Babu, House No.- 1/8/40, Village- Kumharan Tola, Post-Sahadatganj, Cantt., Distt.- Faizabad, U.P. Proposed River Bed from Yamuna River located at Khand No. - 15/41 & 15/42, Village- Umrawan, Tehsil- Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P., (Leased Area-24.28 Ha)	Kaushambi	Under Verification
23	Shri Yamuna Prasad Shukla S/o Shri Siyaram Shukla, Owner, Village- Kohrar Bazar, Thana & Tehsil - Meja, Distt.- Allahabad, M/s Yamuna Enterprises Sand Mining from River Bed of Tons at Khand-45, Area- 6.0 ha (14.82 Acres) , Village- Sulmai to Sodhiya, Tehsil- Karchhana, Distt.- Allahabad, U.P.,M/s Yamuna Enterprises, (Leased Area-6.0 Ha)	Prayagraj	Under Verification
24	Shri Sanjeev Kumar Gupta, S/o Shri Surendra Kumar Gupta, Owner, R/o 437/189, Nevada Colony, Ashok Nagar, Tehsil-Sadar, District-Allahabad, U.P. Sand Mining from River Bed of Yamuna River from Khand No.-3, Area 8.00 Ha (19.76 Acres) , Village- Bhilor, Tehsil- Bara, Distt.- Allahabad, U.P.,M/s C.L. Gupta & Sons, (Leased Area-8.00 Ha)	Prayagraj	Under Verification
25	Shri Arun Kumar S/o Late Shri Ram Vilas Singh, R/o- A1/123, D.L.F. Dilshad Vistar 2, Sahibabad Pasaunda, District- Ghazaibad, U.P. Sand/ Morrum from river bed of Yamuna, at Zone No./ Gata No./ Khand No.-11/15 and 11/16, Area 24.28 Ha(60.00 Acres), at Village- Diya Uparhar, Tehsil-Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., M/s Rishab Herbal Pvt Ltd., (Leased Area-24.28 Ha)	Kaushambi	Under Verification
26	Shri Rajesh Mishra, Owner, R/o- Village and Post- Ayah, Tehsil and District- Fatehpur, U.P., M/s Rajesh Mishra Construction And Suppliers Proposed River Bed sand/Morrum Mining in Yamuna River for Gata No.- 130, 131, 180, 181, 184, 185, 187 and 189, Area- 16.78 ha (41.46 Acres), Village-Gokan, Tehsil & District- Fatehpur, U.P., M/s Rajesh Mishra Construction And Suppliers(Leased Area-16.78 Ha)	Fatehpur	Under Verification
27	Shri Ravindra Kumar Pandey S/o Shri Ram Krishna Pandey, R/o- Nimbi, Post- Khai, Tehsil-Karchhana, District- Allahabad, U.P., M/s Bajarang Construction River Bed Sand Mining in River Tons, at Zone No./ Gata No./ Khand No.- 44, Area- 6.0 ha(14.82 Acres) at Village-Bagheda and Dharwara, Tehsil- Karchhana , District- Allahabad, U.P., M/s Bajarang Construction, Lease Area- 6.0 ha	Prayagraj	Under Verification
28	M/s S.S Brothers & Company, Owner, R/o- 107 a, Mori, Daraganj, District- Allahabad, U.P., River Bed Sand Mining in River Tons, at Zone No./ Gata No./ Khand No.- 08, Area- 8.0 ha(19.76 Acres) at Village-Kachara, Mishrpur, Nagarwar, Tehsil- Bara, District- Allahabad, U.P., M/s S.S Brothers & Companyn, Lease Area- 8.0 ha	Prayagraj	Under Verification
29	Shri Santosh Kumar Yadav S/o Shri Deena Nath Singh Yadav, Owner, R/o- H.No.- 184, Eldico Green, Gomati Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Enterprises Proposed "Sand/Morrum Mining " Project in Yamuna River at Gata No.-467, 466, 454, 425, 426, 427, 428, 430 & 431, Village-Adhawal, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P.,(Leased Area: 6 Ha)	Fatehpur	Under Verification
30	Shri Sunil Kumar Pandey S/o Shri Anand Shankar Pandey, Village- Badahari, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P. Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Harsh Enterprises, located at Plot No.-13/18, 13/19, Village- Badahari, Tehsil- Manjhanpur, District-Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 24.28 Ha	Kaushambi	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
31	Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District- Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed " Sand/Morrum Mining" at Yamuna Bed River, Gata No.-108 to 120, 124 to 133 & 153 & 162, Area - 35.63 Ha (88.00 Acres)Village- Oti, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd., (Leased Area-35.63 Ha)	Fatehpur	Under Verification
32	Shri Kesri Nandan Singh, S/o Sri Rama Shankar Singh, R/o Vastu Nagar Haweliya Jhunsi, Tehsil Phoolpur, Distt: Allahabad. Morrum nine Katri (Khand 14/11 to 14/12) Vill: Katri, Teshil Manjahanpur Distt: Kaushambi- 24.28 ha.	Prayagraj	Under Verification
33	Shri Chandrika Prasad S/o Late Munnar , Owner, (Lessee), R/o Ibrahimpur Tehsil- Chinar, Disrict- Mirzapur, U.P. Proposed Capacity Expansion Project "Gitti- Stone, Boulder & Khandas ine' at Gata No.- 2098/B of Area- 15.00 Acres (6.07 ha), Village- Bhatauti, Tehsil- Meja, District-Allahabad, U.P., Lease Area: 6.07 Ha	Prayagraj	Under Verification
34	Shri CEO Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority(UPEIDA), C-11 Second Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P. Proposed Sand/Morrum Mining" Project at Gata No.-9/18, 9/19, Village- Nanda Ka Purva, Tehsil- Chail, District-Kaushambi, U.P., (Leased Area:24.280 Ha)	Kaushambi	Under Verification
35	Shri Sudhakar Katiyar, Owner, R/o- Village- Maseni, Tehsil- Farrukhabad, District-Farrukhabad Proposed River Bed Sand/Morrum Mining in River Ganga at Village-Bhithaura, Gata No.-AS-1, Gata No.- 771/1/9 to 771/2/9, Area- 12.0 ha(29.65 Acres) at Village- Asani, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., Lease Area: 12.0ha	Fatehpur	Under Verification
36	Shri Deepak Chaurasia R/o 393/161,Ashok Nagar Allhabad UP Proposed Cluster of Mines of Bhatauti Gitti, Patthar & Boulder Mining project at plot no- 2062/86, plot no- 2089/87, plot no-2089/88, plot no -2089/89 plot no2089/90, plot no2089/91, plot no2089/92, (Area- 36.82 Ha or 91 Acre) at Village - Bhatauti Tehsil - Maja, District - Allahabad , UP.	Prayagraj	Under Verification
37	Shri Manish Ojha, R/o Village- Katieya, Chayal, District - Kaushambi, U.P. Proposed Moram Mining Project at Yamuna River bed, Khand No. - 10/17 & 10/18 over an area of 24.28 Ha situated in Village - Kataieya, Tehsil - Chayal, District - Kaushambi, U.P.	Kaushambi	Under Verification
38	Shri Vijay Kumar Agarwal S/o Late Shri Rameshwar Prasad Agarwal, R/o: 12/10, Dr. Lohia Marg, Tehsil - Sadar, District - Allahabad (U.P.) Proposed "Gitti, Pathar & Khandas Mining" at Bhukhand No. 85 Area - 12.50 Acres (5.061 Ha) Village-Bhatauni, Tehsil - Meja, District-Allahabad, Uttar Pradesh	Prayagraj	Under Verification
39	Shri Rajesh Kushwaha S/o Late Shri Mahadev Prasad, R/o- 20/17, Rasoolpur, Allahabad, U.P., M/s Rajesh Enterprises Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Rajesh Enterprises located at Khand No.- 15/43 to 15/44, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 59.99 acre(24.28 ha)	Kaushambi	Under Verification
40	Shri Mohd. Asif Usmani S/o Mohd. Mukwil Usmani, R/o- A 1068/5 G.T.B. Nagar, Karaili, District- Allahabad, M/s Bharat Earth Movers Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for M/s Bharat Earth Movers, located at Khand No.- 15/45 to 15/46, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 24.28 ha (60 Acre), Effective Area- 18.88 ha (46.65)	Kaushambi	Under Verification
41	Shri Shesh Narayan Karwariya S/o Shri Liladhar Karwariya, Village- Tenva, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for Shri Shesh Narayan Karwariya located at Khand No.-16/16 & 16/17, Village- Jamunapur, Tehsil- Manjhanpur, District-Kaushambi,, U.P., Lease Area: 24.28 ha, Effective Working Area: 16.38 Ha	Kaushambi	Under Verification
42	Shri Pankaj Kumar S/o Shri Bhagwan Das, Owner, R/o- Mahmoodpur Manauri, Tehsil- Chayal, District- Kaushambi, U.P., M/s Jai Bajarang Traders Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Jai Bajarang Traders located at Khand No.- 11/05 to 11/06, Village- Diya Uparhar, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Lease Area: 24.28 ha (59.97 acre),	Kaushambi	Under Verification
43	Shri Sanjay Tyagi ,Managing Director, M/s Devyash Project & Infra-Structure Pvt. Ltd., Village- Ramnagar Kauhan, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P. Proposed Sand/Morrum Mining Project in Yamuna River at Khand No.- R.K. 1A,(Gata No.-Part of 144 etc, 40, 36, 32, 68, 5) , Village- Ramnagar Kauhan, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., Sanctioned Lease Area: 34.81 Ha	Fatehpur	Under Verification
44	Shri Shivpratap Singh Chandel S/o Shri Kallu Singh, R/o- 20-A, Gautam Nagar, Tehsil- Sadar, District- Fatehpur, U.P., M/s Jai Shakti Realcon Pvt. Ltd. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 40.48 ha (100.0 acre) along River Yamuna in Gata No.- 391 Mi (Khand No.- 04), Village- Korra Kanak, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Jai Shakti Realcon Pvt. Ltd. (Leased Area-40.48 Ha)	Fatehpur	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
45	Shri Bishan Singh S/o Ghanaram, R/o- 650, C.I.C. Campus Jhokan Bagh, Jhansi, U.P., M/s Ghanarm Infraengineers Pvt. Ltd. Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Ghanarm Infraengineers Pvt. Ltd. located at Khand No.- SG- 01, Gata No.- 191, 272, 378, 379, 380, 293/2, Village- Sangolipur Garha, Tehsil- Khanga, District- Fatehpur, U.P., Sanctioned Lease Area: 31.57 ha (78.0 acre).	Fatehpur	Under Verification
46	Shri Arun Kumar Mishra, M/s Dijiyana Mining Corporation Pvt. Ltd.,Vishnupuri Annex Indore "Korra Kanak" Sand/Morrum Mining Project over an area of 40.48 ha, (Khand No.- 03, Gata No.- 383 Mi, 391) near Village-Korra Kanak, Tehsil & District- Fatehpur, U.P.	Fatehpur	Under Verification
47	Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District- Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed " Sand/Morrum Mining" at Yamuna Bed River, Gata No.-108 to 120, 124 to 133 & 153 & 162, Area - 35.63 Ha (88.00 Acres)Village- Oti, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd., (Leased Area-35.63 Ha)	Fatehpur	Under Verification
48	Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District- Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed Moram Mining Project at Yamuna River bed, Khand No. - 302, 301, 296, 297, 286 mi, 271 mi, 287 mi, 270 mi, 269 mi, 259, 58 mi, 255, 254, 253, 291, 252, 251, 292, 290, 289, 288, 287, 294, & 293, at Khand No.- A-10, OF Area-40.48, Ha(100.03 Acres) Village - Adhawal, Tehsil & District - Fatepur, U.P.,M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd.	Fatehpur	Under Verification
49	Shri Vidhya Bhushan Singh, Owner, at Khasra No./Plot No.- 107, Khand No.- 8 & 9, Area- 2.631 Ha, Village- Surwadlapur, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P. Proposed Project of Sand Stone (Gitti-Pathhar, Khandas & Boulder) Mine Project at Khasra No./Plot No.- 107, Khand No.- 8 & 9, Area-2.631 Ha, Village- Surwadlapur, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P., (Leased Area-1.01 ha)	Prayagraj	Under Verification
50	Shri Vijay Bahadur, R/o- Panti Meja Khas, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P. Proposed of Sand Stone (Gitti- Pathhar, Khandas, Boulder) mine at Khasra No./ Plot No.- 1 mi, Khand No.-K/2, Area-2.02 Ha (5.0 Acres) at Village- Kewalpur, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P., of Shri Vijay Bahadur	Prayagraj	Under Verification
51	Smt. Madhubala Ojha W/o Shri Manish Ojha, R/o- Shyam Colony, Vishunipur, Near Bhagwatiganj, Balrampur, U.P.,M/s Aditya Building Material Supplier and Contractor Proposed Morrum Mining Project at Yamuna River Bed at Gata No- 33, 34, 38, 39, 50, 51, 56, 57, Khnad No. S.P.- 1 & 2, Village- Salempur, Tehsil- Khaga, District- Fatehpur, U.P.,M/s Aditya Building Material Supplier and Contractor ,(Leased Area-30.36 Ha)	Fatehpur	Under Verification
52	Shri Abhishek Singh S/o Shri Jai Prakash Singh, R/o- Village- Shivpuri, Thana- Khakhareru, Tehsil-Khanga, District- Fatehpur, U.P. Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining at River Yumana Project at Khand No.- R-3, Gata No- 34 mi, 54, 55, 97, 96, 56, 53, 35, 95, 57, 58, 52, 51, 92, 91, 59, 60, 50, 89, 90, 62, 61, 49, Village- Ranipur, Tehsil- Khaga, District- Fatepur, U.P., Lease Area: 34.41 ha	Fatehpur	Under Verification
53	Shri Indrasan Maurya S/o Bhrigunath, R/o-Khand No.- 7/17, Village- Rasulpur Byur, Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P Proposed river bed Sand/Morrum from river bed Yamuna at Khand No.-7/17, Village- Rasulpur Byur, Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P.,Lease Area: 9.0 Ha	Kaushambi	Under Verification
54	Shri Kamlesh Kumar Singh, R/o- Para V.W, Dhanupur, Tehsil- Handiya, District-Prayagraj, U.P. Proposed Project of Building Stone (Gitti, Boulder) Mine Project at Khasra No./Plot No.- 107, Khand No.- 7 & 8, Village- Surwadlapur, Tehsil-Meja, District- Allahabad, U.P., (Leased Area-2.631 ha)	Prayagraj	Under Verification
55	Shri Sanjay Kumar S/o Late Jagat Narayan, Owner, R/o- Mahmoodpur, Manauri, District- Kaushambi, U.P., M/s Sagar Brick Field. Extraction of Sand/Morrum from river bed Yamuna at Zone No./Gata No/ Khand No.- 8/3 and 8/4, Village- Rushai, Saidpur,Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P.,M/s Sagar Brick Field., Lease Area: 24.28 Ha	Kaushambi	Under Verification
56	Shri Mahip Singh, R/o- Bishen Ka Pura, Post-Dohriya Uruwa, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P. Proposed for ordinary sand mining from river bed of Ganga river at Khand No.- 30, at Village-Paranipur- II (Bara Shiv Temple to High Tension Line Tower) & Imlauti, Tehsil- Meja/ Handiya, District- Prayagraj, U.P., M/s Mahip Construction/88944,Leased Area -5.0 ha	Prayagraj	Under Verification
57	Shri Kadam Raj Singh S/o Late hanu Pratap Singh, R/o- Village-Amaaw Madhupur, District-Jaunpur, U.P. Proposed for Ordinary Sand Mining from river bed of Ganga River located at Khand No.-27,Village- Chaudhraan, Tehsil- Karchhana, District- Prayagraj, U.P., Lease Area: 5.00 Ha ,	Prayagraj	Under Verification
58	Smt. Reeta Singh W/o Shri Vijay Bahadur,R/o- Village- Sinhapur, Post- Saaripur, Tehail-Aurai, District- Bhadohi, U.P. Proposed for Ordinary Sand Mining from river bed of Ganga River located at Khand No.-25, Village- Kabra to Diha and Kakra to Jamunipur, Tehsil- Karchhana, District-Prayagraj, U.P., Lease Area: 4.00 Ha ,	Prayagraj	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
59	Shri Manoj Kumar Mishra S/o Shri Mahesh Kumar, R/o- Dudhua, Post & Thana- Utraanv, Tehsil- Handiya, District- Prayagraj, U.P. Proposed of Ordinary Sand Mining Project on River bed of Tons, at Khand No.- 42, Village-From Ganga Tons Sangam to Bhaganpur, Tehsil- Karchhana, District- Prayagraj, U.P.,Leased Area -5.00 ha	Prayagraj	Under Verification
60	Shri Upendra Kumar Gupta S/o Shri Minnilal Gupta, R/o- House No.- E-91, Shri Nath Vihar Colony, Flat No- 2, Chilla Road, District- Banda, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 7.13 ha (17.61) along River Ken in Khanda No.- BA-1,Gata No.- 43 mi, 44 mi, Village- Bara, Tehsil- Bindki, District- Fatehpur, U.P., M/s Shreebamdev Global Pvt. Ltd., (Leased Area-7.13 Ha)	Fatehpur	Under Verification
61	Shri Nitin Nishad, R/o- 252 C, Nai Basti, Kydganj, District- Prayagraj, U.P. Proposed Capacity Expansion of Sand Stone (Gitte- Pathhar, Khandas, Boulder) mine at Khasra No./Plot No.- 2098, Khand No.- 51A, at Village- Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P., M/s Nitin Nishad/90873, Leased Area -2.631 ha	Prayagraj	Under Verification
62	Shri Varun Kumar, R/o- Ward No.- 70, Sindhi Tola, Shankargarh, District- Prayagraj, U.P. Proposed of "Building Stone (Gitti- Boulder) Sand Stone Mine" Project at Khasra No./Plot No./Gata No-174, Khand No.-B/9, at Village- Bangaliya, Tehsil- Meja, District-Prayagraj, U.P.,M/s Varun Kumar/110803, Leased Area -4.048 ha	Prayagraj	Under Verification
63	Shri Ravi Jain, Director, R/o- 214 2nd Floor Bardhman Plaza Neta Ji Subhash Place, Delhi, M/s Amoras Trading India Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna River located at Khasra No./Gata No.- 389, 391, Village-Korra Kanak, Tehsil-Fatehpur, District-Fatehpur, U.P., M/s M/s Amoras Trading India, Lease Area: 40.0 ha	Fatehpur	Under Verification
64	Smt. Mansi Rastogi W/o Shri Deepak Rastogi, Owner, H.No.- 132 HIG, Preetam Nagar, Gayasuddinpur, Uprhar, District- Allahabad, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for M/s Balaji Coal Company, located at Khand No.- 9/8 to 9/10, Village- Umarwal, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 18 ha,	Kaushambi	Under Verification
65	Shri Javed Ali, R/o- Subhash Nagar Saini, Tehsil- Sirathu,District- Kaushambi, U.P. , M/s Aman Brick Field Proposed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna Riverbed for located at Khand No.-10/19 to 10/21, Village- Kataieya, Tehsil- Chayal, District- Kaushambi, U.P. , M/s Aman Brick Field, Lease Area: 10.0 ha	Kaushambi	Under Verification
66	Shri Sunil Kumar S/o Shri Chandan Singh, R/o- H.N.-239/18, Shanti Nagar, Gurgaon, Haryana, M/s The Sunworld Travels Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna River located at Gata No.- 4, 5, 16, 17, 18, 25, 48 & 56, Village- Ghazipur, Tehsil-Khaga, District-Fatehpur, U.P., M/s The Sunworld Travels, Lease Area: 15.0 ha	Fatehpur	Under Verification
67	Shri Adhya Prasad Mishra S/o Late Shri Kamla Sankar Mishra, R/o- Dighiya Babgani Manda, Teshil- Meja, District- Prayagraj, U.P. Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Araji No./Plot No.275, 278, Khand No.- DH/13, at Village- Dharawal, Teshil- Meja, District- Prayagraj, U.P. Lease area-4.048 ha.	Prayagraj	Under Verification
68	Smt. Rinku Singh W/o ShriUday Kuamar, R/o- 16 F 811, Kajirpur, Naini, District- Prayagraj, U.P. Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Sand Stone Mine" Project located at Araji No./Plot No.-59, 98, Khand No.- 05, at Village-Parvezabad, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, U.P., M/s Mateshree Associates, Leased Area -6.072 ha	Prayagraj	Under Verification
69	Shri Chandan Kumar Maurya S/o Shri Ram Khelawan Maurya, R/o- Village-Pipari, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, U.P. Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder)Mining" Project at Gata No.-275, 276, Khand No.- D.H/12, at Village- Dharawal, Tehsil-Meja, District -Prayagraj, U.P., Lease area-6.758 ha	Prayagraj	Under Verification
70	Shri Somesh Bhardwaj S/o Shri Om Prakash Bharadwaj, R/o- Ganj, Mahoba, District-Fatehpur, U.P., M/s Ambey Granite Proposed of Sand/Morrum Mining Project at Guruwal Composite at Gata No.- 53 to 71, 74 to 86, 91, 132 to 134, Khand No.- 01, Village- Guruwal, Tehsil- Khaga, District-Fatehpur, U.P., M/s Ambey Granite, (Lease Area: 50.00 ha)	Fatehpur	Under Verification
71	Shri Hemandas Gawri (Prop) Shri Chanchal Das Gawri R/o- 21A, Lukarganj (Near Police Chowki) Tehsil- Sadar, District – Prayagraj U.P.,M/s J.H. Traders Proposed Building Stone (Khanda, Boulder, Gitty) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. Gata No- 1251, Khand No.–05, at Village – Kohdar, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s J.H. Traders, Area 8.097 ha	Prayagraj	Under Verification
72	Shri Ravi Shankar Gupta S/o Late Hira Laal, R/o- Daranagar, Tehsil- Sirathu, District- District- Kaushambi, U.P., Proposed river bed Sand/Morrum Mining Project along river Yamuna located at , Khand No.- 9/25 to 9/26, Village-Mohammadabad Kewat Ka Purwa, Tehsil-Chayal, District- Kaushambi, U.P., (Leased Area-16.00 Ha)	Kaushambi	Under Verification
73	Shri Ateek Ahmad R/o: Plot No.-154, Vivek Nagar, Kanpur Sagar Road, Kabrai, Mahoba-210424 Uttar Pradesh Proposed Building Stone (Gitti-Boulder) Sand Stone mine, at Khasra no. /Plot no./ Gata No. – 1144, Khand No.3, Area 2.024 ha. (5.0 Acres) at Village – Mamauli, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s Kumar Garnitey/90284.	Prayagraj	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
74	Smt. Nirmila Devi D/o Shri Vishwanath R/o- 191C/ 146C Chaukhandi, Kydganj District- Prayagraj, U.P Proposed of "Ordinary Sand Mining at Yamuna River" having mine area: 8.0 ha., located at Khand No. 7, Village- Manpur, Ojha Patti, Barhula, Tehsil- Bara, District: Prayagraj	Prayagraj	Under Verification
75	Shri Santosh Tiwari S/o Shri Surendra Tiwari, R/o- Mo. No.- C-144, Sector-E, Thana- Aliganj, District- Lucknow, U.P. Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Yamuna River located at Khand No.- 15/35 to 15/39, (Khand Sr. No.- 03) Village- Umrawan , Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., (Lease Area: 10.00 ha)	Kaushambi	Under Verification
76	Shri Akhilesh Kumar Singh S/o Late Rakesh Bahadur Singh, R/o- 162- Chilbila Nahwai Manda, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P.,M/s Akhilesh Kumar Singh Proposed of Building Stone (Khanda & Gitti, Boulder) Mining Project at Araji No./ Gata No.- 1 Kha, Khand No.- V/6, , at Village- Veerpur,Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P.,M/s Akhilesh Kumar Singh, (Leased Area- 2.834 ha)	Prayagraj	Under Verification
77	Shri Atul Kumar Tiwari, R/o-Village – Sikikalan, Tehsil- Meja, District-Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Atul Kumar Tiwari. Proposed of Building Stone (Gitti/Boulder/Khanda) mine, at Khasra No. /Plot No./Gata No.- 984 (2), 665, 666 and 669, Area 2.834 ha. (7.00 Acres) at Village – Sikikalan, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Atul Kumar Tiwari.	Prayagraj	Under Verification
78	Shri Jagdish Prasad S/o Shri Baljor Shri Jagdish Prasad,Village- Mohammadabad Kewat Ka Purwa, Tehsil-Chayal, District-Kaushambi,U.P., M/sMaa Vaishno Traders Proposed "Sand/ Morrum Mining" Project at Khand No.- 9/27 to 9/29, VillageMohammadabad Kewat Ka Purwa, Tehsil-Chayal, District- Kaushambi, U.P. (Leased Area : 21.50 ha.)	Kaushambi	Under Verification
79	Shri Achintay Karvariya S/o Shri Kapil Muni Karvariya R/o – 1184 Malviya Nagar, Thana-Atarsuiya, Tehsil-Sadar, District- Prayagraj, U.P. Proposed Sand/ Moram Mining From Yamuna Riverbed Located at Khand No. 14/07 To 14/10, Village- Katri, Tehsil- Manjhanpur District: Kaushambi (U.P.) Lease Area: 17.0	Kaushambi	Under Verification
80	Smt. Renu W/o Shri Satendra Kumar R/o- Ahiran Ka Pura, Dari Tehsil- Meja, District – Prayagraj U.P., M/s Jai Maa Aadi Group Proposed Building Stone (Gitti/Boulder/Khanda) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. - 275, Khand No.–DH/14, at Village – Dharawal, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s Jai Maa Aadi Group, Area 1.012 ha.	Prayagraj	Under Verification
81	Shri Usha Rani Gavri (Prop) W/o Shri Hemandas Gavri Office Add: 3rd Floor, Flat No.104 Skandh Apartment, Lukarganj, Prayagraj. Permanent Add:- 21A, Lukarganj (Near Police Chowki) Thana-Kuldabad, Tehsil- Sadar, District – Prayagraj U.P. Proposed Building Stone (Khanda, Boulder, Gitty) Sandstone mine at Araji No. /Plot No./Gata No- 174, Khand No.–B/10, at Village – Bangaliya, Tehsil-Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s M.K.A. Enterprises, Area 2.428 ha	Prayagraj	Under Verification
82	Shri Diwakar Singh, R/o- Village- Kosanakalan Manda, Tehsil- Meja, District- Prayagraj Uttar Pradesh, M/s D.P.S Enterprises Proposed of Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. Gata No- 174, Khand No.–B/5, at Village – Bangaliya, Tehsil- Meja, District-Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s D.P.S Enterprises, Area 2.0240 ha	Prayagraj	Under Verification
83	Shri Ravi Nandan, R/o- at Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh Proposed of Building Stone (Gitti, Boulder, Khanda) Sand Stone mine at Araji No./Plot No./Gata No.- 2098, Khand No.–52, at Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Ravi Nandan, Area 4.048 ha)	Prayagraj	Under Verification
84	Shri Rajeev Kumar Singh S/o Shri Surendra Bahadur Singh R/0-Village Rajapur, Post – Bharatganj, Tehsil Meja, District- Prayagraj (U.P.) Proposed of "Building Stone Sand Stone (Khanda, Boulder Gitti) Mining Project" located at Araji No. 1Mi, khand K/1, Village- Kevalpur, Tehsil- Meja & District- Prayagraj, Uttar Pradesh, (Area 1.214 Ha.)	Prayagraj	Under Verification
85	Smt. Santoshi Singh W/o Shri Deepak Kumar Singh R/o: 12, Hanumanbag Colony Mamfordganj, Thana- Colonelganj, Tehsil- Sadar, District- Prayagraj-U.P. Proposed Project is toextract Sand Stone at located Araji No./Plot No./Gata No.- 2061, Khand No.–1B, Area 8.097 ha (20.0 Acres) at Village – Bhatauti, Tehsil-Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh.	Prayagraj	Under Verification
86	Smt. Saroj Singh, R/o- Village- Bangliya, Tehsil - Meja, District- Prayagraj, U.P. Proposed of Building Stone (Khanda/ Boulder/Khanda) Sand Stone mine at Araji No./Gata No.- 174, Khand No.–B/2, at Village –Bangaliya, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Smt. Saroj Singh, Area 1.619 ha.	Prayagraj	Under Verification
87	Shri Sunil Kesharwani, S/o Shri Ram Babu Kesharwani R/o –744, G T Road, Bamrauli, Distt-Prayagraj, U.P. Proposed river bed Sand/Morrum Mining having lease area 16.00 ha (40 acre) along river Yamuna in Khand No. 9/3 to 9/4 at Village – Piparhata, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, U. P. of M/s Vishwanath Enterprises, Area 16.00 ha	Kaushambi	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
88	Smt. Yaduvanshi Pragya Singh D/o Shri Yaduvanshi Ashok Kumar Singh Add.- K-1 Block D, Shalimar Grand-10 Jopling Road, Lucknow, U.P. Proposed "Sand/ Morrum Mining" Project at Adhawal Composite-2 Gata No.- 331, 333 to 335, 339 to 343, 346 to 351, 362 to 366, 376, 380 to 390, 392, 395 to 397, 407, Village- Adhawal, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P. (Applied Area : 45.0 ha.)	Fatehpur	Under Verification
89	M/s. Om Jay Infradevlopers, Partner Shri Rahul Singh S/o. Om Prakash Singh R/o. House No. 31, Bhuneshwar Nagar Colony, Ardali Bazar, Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 6438Ga, Vill. Naugawan, Teh. Lalganj, Area 9.88 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
90	M/s. Dilip Buildcon Ltd., Director Shri Dilip Survanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryavanshi, R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chunabhatti Kolar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 760, 762, 766, 768 & 770, Vill. Semari Mangradaha (Niji), Area 4.00 Teh. Lalganj, Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
91	M/s. Dilip Buildcon Ltd., Director Shri Dilip Survanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryavanshi, R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chunabhatti Kolar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 764, Vill. Semari Mangradaha (Niji), Teh. Lalganj, Area 6.20 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
92	Shri Jagdish Chandra Diwedi S/o. Late Ramrekha Diwedi, R/o. Visundarpur, Civil Lines, Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 484, Vill. Devari Kalan (Niji), Teh. Marihan, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
93	Shri Dhanpal Singh S/o. Shri Khajan Singh, R/o. Moh. Shankarpur, Ghaziabad and Shri Bramhdatta S/o. Shri Shivdatta R/o. Moh. C-729, Sector-C, Maha Nagar, Lucknow, Mining Project at Gata No. 17Gha, Vill. Pathraur (Niji), Teh. Marihan, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
94	Shri Amod Kumar Singh S/o. Shri Devendra Chaudhari, R/o. Vill. Bathuva, Pathrahiya, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1K, 1J, 1An, 1Tha and 1Tha, Vill. Dhanawal (Niji), Marihan, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
95	M/s. Vindhya Stone Products, Prop. Shri Sanjay Kumar Dubey S/o. Shri Vidda Prasad Dubey, R/o. Dharsara, Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhaura, Sadar, Area 7.48 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
96	M/s. Rudra Bali Traders, Prop. Shri Rajesh Kumar Singh S/o. Shri Ramji Singh, R/o. Basaratpur, Adalpura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhora, Teh. Sadar, Area 3.00 Acre. Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
97	M/s. Sadguru Suppliers, Prop. Shri Alokdhar Dubey S/o. Shri Jay Prakash Dubey, R/o. Chhapka, Thana-Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997Mi, Village Sindhora, Teh. Sadar, Area 4.50. Distt. Sonbhadra.	MIRZAPUR	Under Verification
98	Shri Santosh Kumar Pandey S/o. Shri Lakshmi Narayan Pandey, R/o. Vill. Mahuari Kalan, Thana-Vindhyachal, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 2442 to 2444, 2456, 2458, Vill. Mahuari Kalan, Teh. Sadar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
99	Smt. Lakshmi Devi W/o. Shri Ashok Kumar Yadav, R/o. Moh. Ghurahupatti, Civilin Line, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
100	M/s. Soma Enterprises, Banjara Hills, Hyderabad, Prop. Shri P.R. Koteshwar Roy S/o. Shri Venkateshwar Roy, R/o. Banjara Hills, Hyderabad, Hall Pata - Vibhuti Glass Factory, Ramnagar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 139, 140/1, 141/1, 141/2, 143/1, Vill. Dhauhan, Teh. Chunar, Area 5.79 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
101	Smt. Madhurima Singh W/o. Shri Akshya Pratap Singh, R/o. Vill. & Post Jamo Gauriganj, Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 01, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
102	M/s. Dynamik Riyalcon Pvt. Ltd. B-41-G-3F Dilshad Gordane Sahdara, New Delhi, Prop. Shri Dinesh Khandelwal S/o. Shri K.C. Khandelwal, R/o. 211C, RatanDham Apartment, Maikrobertganj, Kanpur Nagar, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
103	Shri Hari Lal Prajapati S/o. Shri Moti Ram Prajapati, Shri Moti Ram Prajapati S/o. Shri Shivnath Prajapati, R/o. Vill. Korari, Girdhar Shahpur, Teh. & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
104	Shri Hari Lal Prajapati S/o. Shri Moti Ram Prajapati, Shri Moti Ram Prajapati S/o. Shri Shivnath Prajapati, R/o. Vill. Korari, Girdhar Shahpur, Teh. & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirza	MIRZAPUR	Under Verification
105	Shri Sunil Kumar Pandey S/o. Shri Devi Prasad Pandey, R/o. Bankelal Tandon ji Ki Gali, Wellesellyganj, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 730, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
106	Shri Amrita Singh W/o. Shri Vishal Singh, R/o. House No. J-12/15 H-3, Bauliyabag, Ramkatora, Chetganj, Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 728, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
107	M/s. Jay Maa Vindhyavasini Contractor, Vill. Saravanpur, Durgapur Road, Amethi, Distt. Amethi, Prop. Shri Ajay Kumar Pandey S/o. Shri Ashok Kumar Pandey, R/o. Vill. Korari Girdhar Shahpur, Tehsil & Distt. Amethi and Shri Abhishek Tiwari S/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Vill. Katara Raja Himmat Singh, Tehsil & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
108	Shri SidhiNath Singh S/o. Shri Mahadev Singh & Shri Budhiram S/o. Shri Shyama Singh, R/o. Vill. Sonpur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1K, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
109	Mamrej Construction Pvt. Ltd., Director Shri Harishankar Dubey S/o. Shri Nathuni Dubey, R/o. Flat No. 84, Balaji Nagar Colony, Samane Ghat, Thana Lanka, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 118Mi, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.25 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
110	M/s. Vindhyavasini Enterprises, Prop. Shri Rajendra Prasad Pathak S/o. Ramruchi Pathak, R/o. Sa. Mudiladih, Thana Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 02, Vill. Sariya, Teh. Chunar, Area 03.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
111	Sri Sanjay Singh S/o. Shri Jhagadu Singh, R/o. Hinauti Mafi, Rastogi Talab, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 38 & 01, Vill. Kudaran & Basdih, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
112	Shri Jayprakash Singh S/o. Late Lal Bahadur Singh, R/o. Vill. Kanhaipur, Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 399, Vill. Jigana, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
113	M/s. Abhiyan Infrastructure, Shri Abhishek Singh S/o. Bharat Singh, R/o. Moh. Satyanganj, Post & Thana Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
114	M/s. R.K. Construction Company, Prop. Shri Rajkumar Singh S/o. Shri Vijay Pratap Singh, R/o. Gau Ghat, Thana Kotawali Shahar Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1k, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
115	M/s. Asha Ram Contractors, Prop. Shri Asha Ram S/o. Late Satyanarayan, R/o. Vill. Bahuti (Parmapur), Thana Lalganj, Tehsil Marihan, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/3, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
116	M/s. Krishna Enterprises, Prop. Shri Dayashankar Upadhyay S/o. Late, Dalsringar Upadhyay, R/o. Kolhar, Kotawali Dehat, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/4, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
117	M/s. Bol Bam Eint Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jata Shankar Tripathi, R/o. Vill. Bhualpur & Post Sikhar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/5, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
118	M/s. Shubham Udyog, Shri Shubham Raj Singh S/o. Shri Tilakraj Singh, R/o. Vill. Bhaurupur, Ajagana, Thana Jigana, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 9Gh/2, Vill. Khaira, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
119	M/s. Rakesh Kumar Pandey, Prop. Shri Rakesh Kumar Pandey S/o. Srhi Lalmani Pandey, R/o. Moh. D.J. Colony, Tarakapur, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 03Mi/1, Vill. Gogaon, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
120	M/s. Shri Ramayan Construction, Smt. Dayawati Singh W/o. Rajendra Prasad Singh, R/o. Krishnapuri Colony, Bharuhana, Post Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 03Mi/2, Vill. Gogaon, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
121	M/s. Bol Bam Eint Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jata Shankar Tripathi, R/o. Vill. Bhualpur & Post Sikhar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 105/2, Vill. Manjhar Kalan, Tehsil Chunar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
122	M/s. Vidhata Associates, Prop. Smt. Madhuri Singh, W/o. Shri Ravindra Kumar Singh, R/o. Champa Kunj, Nagawan, Lanka, Sadar, Distt. Varanasi, Sand Mining Project at Gata No. 140/1, Vill. Basaratpur, Tehsil Chunar, Area 9.88 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Under Verification
123	Shri Rahul Singh,R/o-H.No.- D-31, Bhuneshwar Colony Orderly Bazar Sadar, Varanasi, U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone) Mining Project for Area: 9.00 Acre/ 4.00 Ha , Sand Stone (Building Stone) mining at Araji No.- 6438 Ga, Village- Naugawan, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P.	MIRZAPUR	Under Verification
124	Shri Dev Jhoti Das, Moh.- Vidhyanchal, Tehsil- Sadar,District- Mirzapur, U.P., Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone) Mining Project at Gata No.- 307/4, Area-0.80 ha, Moh.- Village Kamapur Kalan, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-0.80 ha)	MIRZAPUR	Under Verification
125	Smt. Meela Devi W/o Shri Umashankar Vill: & Post Sikhad, Tesil Chunar, Distt: Mirzapur,UP, Sand Stone Mine' project at Gata no. 187Mi, Village Madfa Teshil Chunar, Distt: Mirzapur, UP Leased area 1.5175 ha.	MIRZAPUR	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
126	Shri Arun Kumar Tripathi, Director, S/o Shri Kapil Muni Tripathi, R/o- Saraswati Nagar Colony, Opp. Of TCI, Chandanpur, Than- Maduwadih, Tehsil- Sadar, District- Varansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Sand stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-141, at Village- Chiraiyai, Tehsil- Chunar, District Mirzapur, U.P. M/s P.B. Infratech Pvt. Ltd., Lease area-0.890 ha.	MIRZAPUR	Under Verification
127	Shri Rajendra Singh, Owner, R/o- Village- 7/364, Shivpuram, Gora Bazar, Thana- Kotwali Nagar, District- Raebareli, U.P., M/s Jagriti Infratech Pvt. Ltd., Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone) Mine Project at Gata No.- 547, Village-Bhojpur Pahadi, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-2.01 ha)	MIRZAPUR	Under Verification
128	Smt. Kusum Kali, R/o-Village - Baluwa Bajahur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P, Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone mining) Mine Project at Gata No./Khasra No.- 258, Village - Baluwa Bajahur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P., (Leased Area-0.7 ha)	MIRZAPUR	Under Verification
129	Shri Praveen Kumar S/o Shri Anil Kumar, R/o- Mahalla-S.R.23, Golghar, Tehsil & District- District-Varanasi, U.P., Proposed for Sand Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mine, at Gata No./Araji No.- 997 mi, Village- Sindhora, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P., (Area: 0.80 Ha)	MIRZAPUR	Under Verification
130	Shri Virendra Kumar Singh, R/o- Village- Kudaran,Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Proposed of "Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-399, at Village-Kudaran, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -1.616 ha	MIRZAPUR	Under Verification
131	Smt. Mihtilesh Kumari W/o Shri Chiraunji Lal, R/o- Chandradeepa, Jangi Road, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur,U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Gata No./Araji No.-36/6/5, at Village-Sonbarsa, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -0.809 ha	MIRZAPUR	Under Verification
132	Shri Govind Singh, R/o- Village- Basaratpur, Adalpura, Thiresapur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,M/s Dipali Traders, Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Araji No.-01, at Village- Ahirupur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,M/s Dipali Traders, Leased Area -1.01 ha	MIRZAPUR	Under Verification
133	Shri Bhagwati Shivhare, R/o- 421/4, C.P. Mission Compound, Thana- Sipri Bazar, District- Jhansi, U.P., M/s Ankur Enterprises, , Extraction of Building Stone, Khanda, Gitti & Boulder at Gata No.-587,KhandNo.-04,Village- Nahari, Tehsil- Naraini, District- Mirzapur, U.P., M/s Ankur Enterprises, Leased Area -2.0 ha	MIRZAPUR	Under Verification
134	Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o- Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil-Sadar,District- Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.-188 mi, Khand No.- V/1, Village- Lahaura, Tehsil-Chunar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-2.02 Ha)	MIRZAPUR	Under Verification
135	Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o- Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil-Sadar,District- Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.-188 mi, Village- Lahaura, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,(Leased Area-0.909 Ha)	MIRZAPUR	Under Verification
136	Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o- Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil-Sadar,District- Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.- 37, Village- Dakahi,Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,(Leased Area-1.21Ha)	MIRZAPUR	Under Verification
137	Shri Indulata Pandey,R/o- Sahaspur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur,U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.- 1141, Village- Darhiram,Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-0.607 Ha)	MIRZAPUR	Under Verification
138	Shri Alok Dhar Dubey S/o Shri Prakash Dhar Dubey, R/o- Chhapka, Tehsil- Robertsganj, Dsitrict-Sonebhadra, U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) with the average production capacity of 18,200 Cubic meter/ Year at Gata No./Araji No.-997mi, at Village- Sindhora, Tehsil- Sadar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -1.82 ha	MIRZAPUR	Under Verification
139	Smt. Sushila Devi, Owner, Village-Dhuriya, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. , Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Araji No.-428, at Village-Dhuriya, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. Lease area-1.414 ha.	MIRZAPUR	Under Verification
140	Smt. Lalli, Owner,R/o- Village- Dhuria, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone) Mine, at Gata No.- 177, Village- Dhuria, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.(Area: 1.01 Ha)	MIRZAPUR	Under Verification
141	Shri Ajay Kumar Singh S/o Shri Basant Ram Singh, R/o- Rampur Sakteshgarh, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "Sand Stone Project" at Araji No.-639, at Village- Rampur Sakteshgarh, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Leased Area -3.64 ha	MIRZAPUR	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
142	Shri Arun Kumar Tripathi (Partner) S/o Shri Kapil Muni Tripathi, R/o- Saraswati Nagar Colony, Opp. of TCI, chandanpur, Thana- Maduwadih, Sadar, District- Varanasi (U.P.), Proposed Building Stone (Sandstone) mine, at Gata No./Araji No. /Plot no. – 141) at Village- Chiraiya, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, Uttar Pradesh of M/s Sriram Infrastructure., Lease Area: 2.02 ha.	MIRZAPUR	Under Verification
143	Shri Ajay Kumar Singh, R/o- 514151 A, Ambrosia, Lanka, Varanasi,Mirzapur,Uttar Pradesh, Proposed "Building Stone (Sand Stone)" Project at Gata No.-142, VillageSonpur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. (Applied Area : 1.01 ha.)	MIRZAPUR	Under Verification
144	Shri Prashant Kumar Singh S/o Shri Ramdhani Singh, R/o Patelnagar Garaudi,Thana- Adalhat, Tehsil-Chaunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of "Building Stone(Sand Stone) Mine" Project at located Araji No.-01 Ka, at Village- Sonpur , Tehsil- Chaunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -0.809 ha	MIRZAPUR	Under Verification
145	Smt. Dayawati Singh W/o Shri Rajendra Prasad Singh Address- Krishnapuri, Bharuhana, Sadar, Mahuana, Mirzapur, Proposed Sand Mining Project at Gata No. 03 Mi, (Khand No. - 02), (Area 5.0 Ha.) in Village: Gogaon, Tehsil: Sadar & District: Mirzapur, Uttar Pradesh	MIRZAPUR	Under Verification
146	Shri Bihari Yadav, R/o- Village– Khamhwajamati , Tehsil-Chunar, District – Mirzapur, Uttar Pradesh By M/s Adarsh Construction & Suppliers (Shri Lal Bihari Yadav), Proposed of "Building stone (Sandstone)Mine "Project at Arazi No.-597Jha & 597 Tra, Village– Khamhwajamati , Tehsil-Chunar, District – Mirzapur, Uttar Pradesh By M/s Adarsh Construction & Suppliers (Shri Lal Bihari Yadav) Area 2.545 ha	MIRZAPUR	Under Verification
147	Shri Manish Kumar, R/o Ward no. 23, Near Main market, Ahraura, Tehsil- Chunar, Mirzapur, U.P., Proposed of Building stone(Sandstone)" Project at Gata No.-519, Village– Ghasipur, TehsilChunar, District–Mirzapur, Uttar Pradesh, (Area : 2.02 ha.)	MIRZAPUR	Under Verification
148	Smt. Sunita Singh, R/o- Village-Tiyara, District Chandauli, Uttar Pradesh, Proposed of Building Stone (Sandstone) mine at Araji/Gata No.- 88, village Kukuhipur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Area- 2.424 ha.	MIRZAPUR	Under Verification
149	Sri. Rajeev Agrawal, CGM (T) cum Regional Officer, U.P. M/s National Highways Authority Of India (NHAI), Sand/Moram Mining, Project at Gata No, 246, 472, Village-Khebandha,Tehsil-Robertsganj,District-Sonbhadra,UP.	SONBHADRA	Under Verification
150	Mr. Shriran Panday, Owner, S/o Shri Hanuman Prasad Panday, R/o Village- Vardiya , Tehsil-Rabertsganj, Distt.- Sonebhadra, U.P., M/s Kaimuranchal Stone Crushing Company, EC for Gitti/Boulder (Dolo Stone) at Araji No. 921 K at Village- Vardiya , Tehsil- Rabertsganj, Sonebhadra, U.P, M/s Kaimuranchal Stone Crushing Company,	SONBHADRA	Under Verification
151	Shri Satish Kumar Upadhyay S/o Ravindra Kumar Upadhyay, Add.- Bandhawa, Kanchwa, District-Mirzapur, U.P., Proposed "Sand/Morrum Mining" Project at Araji No.- 166 (Khand No.-01), Village-Nagawan, Tehsil- duddhi, District- Sonebhadra, U.P.,M/s Aman Asociates (Leased Area-8.097 ha)	SONBHADRA	Under Verification
152	Ajay Kumar Singh S/o Shri Baijnath Singh, M/a A.K.S. Industries 514/15, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt: Varanasi., Proposed 'Granite (Gitti & Boulder) Mine Project at Gata no. 2Ga, Village Jata Juwa, Tehsil Dudhi, Distt: Sonbhadra,U.P. Lease area 1.670 ha.	SONBHADRA	Under Verification
153	Shri Gyanendra Tripathi, Add.- Ward No.- 21, Ashok Nagar, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed Project of "Dolo Stone",(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 7536 Ga Mi, Khand No.- 02, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Leased Area -4.0 ha	SONBHADRA	Under Verification
154	Shri Amit Mittal, Add.- 61, Bari Dala, Dala, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed "Dolo Stone"(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 5593 ka, Khand No.- 08, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, M/s Amit Enterprises, Leased Area -4.230 ha	SONBHADRA	Under Verification
155	Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District-Sonebhadra, U.P Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha.	SONBHADRA	Under Verification
156	Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District-Sonebhadra, U.P. Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha	SONBHADRA	Under Verification
157	Shri Vijendra Kumar S/o Shri Laldhari Kushwaha, R/o Village- Sarai, Post- Ramgarh, Tehsil-Robertsganj, District - Sonbhadra (U.P.). , Proposed Project of riverbed Sand / Morrum Mining" from private land (Niji Bhoomi) at Arazi No. 166 Kh, in Village- Nagwa, Tehsil-Dudhi, District-Sonbhadra, Uttar Pradesh., Area 2.0 ha	SONBHADRA	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
158	Shri Abhishek Kumar Singh S/o Arvind Kumar Singh, R/o- Village & Post- Chhitauni, District-Varanasi, U.P., M/s Unnti Engineering, Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Son River located at Gata No.- 221 Cha, Village- Sasnai, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra, U.P., M/s Unnti Engineering , Lease Area: 18.215 ha	SONBHADRA	Under Verification
159	Shri Harivansh Singh S/o- Bagholan, R/o Village- Ghaghara, Post- Ghaghara Tehsil - Dudhi District -Sonbhadra (U.P.). , Proposed Project of riverbed "Sand/ Morrum Mining" from private land (Niji Bhoomi) at Arazi No. 6400k, 6400kh, area- 1.876 ha in Village- Ghaghara, Tehsil- Dudhi, District- Sonbhadra, Uttar Pradesh	SONBHADRA	Under Verification
160	Shri Rajeev Kumar Sharma,R/o- 59- Chakarpuri Paper Mil Colony Near Metro City Nishatganj Mahanagar Lucknow,,Uttar Pradesh, Proposed for Mining of Gitti Boulder (Dolo Stone) Mining Lease Area at Araji No:-4478 Chha, Village-Billimarkundi, Tehsil –Obra District-Sonbhadra , Uttar Pradesh, Area 1.80 ha.	SONBHADRA	Under Verification
161	Shri Ajay Kumar Singh S/o Late Shri Onkar Nath Singh, R/o-18/188, Ayappa Temple, Sector-8. Obra, Tehsil-Obra, Distt-Sonbhadra (U.P), Proposed for "Billi Markundi Building Stone Gitty/Boulders Dolostone Mining Project (Khand-4)" at Gata no./ Arazi No. 7536 Ga. Mi, near Village - Billi Markundi, Taluka: Obra, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area - 4.0 ha	SONBHADRA	Under Verification
162	Shri Arun Singh Yadav, R/o- Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., M/s Shri Mahadev Enterprises, Proposed Project of Building Stone (Gitti/ Boulder (Dolo Stone)), in Gata No.-4949 Kha, Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., (Area : 5.880 ha.)	SONBHADRA	Under Verification
163	Shri Ravindra Mishra, R/o- Village- Khargupur, Tehsil- Raja Talab, District- Varanasi, U.P, Proposed Project Building Stone Gitti/ Boulder (Sand Stone), Mine Araji No.-30/73, Village –Sukrit, Tehsil –Robertsganj, District-Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area- 1.2545 ha,	SONBHADRA	Under Verification
164	River Bed Ordinary Sand Mining Project, Gatano. 22kha, 42kha, 42ga, 43ka, Village-Katri Durjanapur, Kannauj Kuldeep Narayan Katiyar/143211, Nekpur Kalan, Fatehgadh,	Kannauj	Under Verification
165	Shalendra Yadav, Sand/Morrum mining along River Yamuna, Khand No. 31/4, village- Patyora, Tehsil- Hamirpur, District- Hamirpur, State- Uttar Pradesh(Lease Area- 36.437 ha, Production Capacity-5,82,912 m3/annum)	Hamirpur	Under Verification
166	Ajit Singh Malhotra khand no 7,17,18,21,23,25,27,28,29,30,35,37,38,40,177,176Mi, Area 62.48 acre, Vill. Amlaur Khadar, Teh. Pailani, BANDA,210126	Banda	Under Verification
167	BRAJESH TIWARI Kolawalraipur, Gata No-721, 722, 723, Naraini Banda	Banda	Under Verification
168	KATYAYNI NATURAL RESOURCES LTD Gata No. Part of 195/1Village- Lahureta, Tehsil-Naraini, District Banda, BANDA	Banda	Under Verification
169	S.R. Innovation LLP, Gata no- 100, Khand no- 1(block-24), Village- Khaptiaha Kalan, Tah- Pailani, Disstt- Banda	Banda	Under Verification
170	SG PROJECTS LIMITED Area- 44.46 Acre (18.0Ha) On Ken River ForSand/Morrum Mining Project at Khand No/GataNo-60 Village- Sadikhadar Tehsil- Pailani , District-Banda(U.P)	Banda	Under Verification
171	Khare Lal Verma S/o Shri Mukund Lal Verma Gata No.-476, Village- Pahra, Tehsil- Sarila, District-District- Hamirpur, U.P., Leased Area -1.62 ha	Hamirpur	Under Verification
172	Sapan Kumar Agrawal S/o Late Sudhakar Agrawal Gata No.- 526, Village- Khadakhar, Tehsil- Rath, District- Hamirpur, U.P.,Leased Area -0.80 ha	Hamirpur	Under Verification
173	Adarsh Stone Mill (Mohammad Arshad Khan S/o Mohammad Rafique Khan) Gata No.-426, at Village- Palka, Tehsil-Mahoba, District -Mahoba, U.P. Lease area-1.214 ha.	Mahoba	Under Verification
174	Adya Enterprises, Gata No.1119, Vill. Kabrai, Dist. Mahoba	Mahoba	Under Verification
175	Alok kumar Shukla S/o Gopal Chandra Shukla Gata No.-1027, Area-2.024 ha, Village- Kharka Tehsil and District- Mahoba, U.P.,	Mahoba	Under Verification
176	Anand Mohan Yadav, Gata No. 735, Khand No. 5 Naya, Vill. Daharra, Teh. & Dist. Mahoba	Mahoba	Under Verification
177	Brij Mohan Singh, Gata No 1032, Vill. Makarbai, Teh. & Dist. Mahoba	Mahoba	Under Verification
178	Brij Mohan Singh, Gata No 199, Khand No. 3 Naya, Vill. Kumhraura, Teh. & Dist. Mahoba	Mahoba	Under Verification
179	Brijraj Singh Contractor(Brijraj Singh S/o Shri Kuber Singh) Gata No.-979, Khanda No.- 04, at Village- Gahra, Tehsil & District- Mahoba, U.P.,, Leased Area -1.113 ha	Mahoba	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
180	DEVENDRA KUMAR GUPTA, GATA N. 3136, KHAND N. 02 Naya, VILLAGE-Jaitpur, TEHSIL Kulpahar, DIST.-MHOBA	Mahoba	Under Verification
181	Devendra Shivhare S/O Shri Ram Manohar ShivhareGata no 1370 Khand no 08 vill- Kulpahar Teh Kulpahar Dist-Mahoba	Mahoba	Under Verification
182	Dinesha Chandra Sahu, Gata No. 512, Khand No. 1 Naya, Vill. Gauhari, Teh. & Dist. Mahoba.	Mahoba	Under Verification
183	Dinesha Chandra Sahu, Gata No. 512, Khand No. 6 Naya, Vill. Gauhari, Teh. & Dist. Mahoba.	Mahoba	Under Verification
184	J S Enterprises (Jyoti Sachan D/o Shri Ashok Sachan), Gata No.- 192, Village- Mochipura, Tehsil-Sadar, District- Mahoba, U.P., Lease Area – 4.048 ha ,	Mahoba	Under Verification
185	Kalyan Singh S/O Shri Badri Singh Gata no 1939 vill- Pahara Teh and Dist-Mahoba	Mahoba	Under Verification
186	Kanhaiya Enterprises,Gata No. 967, Khand No. – 03 Naya, Village Kabrai, Tehsil & District Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 2.024 Ha.)	Mahoba	Under Verification
187	Kanhiya Enterprisse (Sunaina W/o- Shri Mahesh Tiwari) Arazi No. 989, Khand No. – 07, Village Makarbai, Tehsil Mahoba & District Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 0.809 Ha.) in	Mahoba	Under Verification
188	N H CONSTRUCTION, ARAZI No. 989, KHAND No. 05, LEASE AREA 0.809, Vill. MAKARBAI, Teh. MAHOBA, MAHOBA, 210424	Mahoba	Under Verification
189	Neeraj Yadav, Gata No 721, Vill. Daharra, Mahoba	Mahoba	Under Verification
190	new Annpurna Granite (Amita Singh W/O Shri Anil Singh), Gata No.- 339, Khand No.-21 New 32 Old, Village- Daharra, Tehsil -Sadar, District-Mahoba, U.P., Leased Area -1.619 ha	Mahoba	Under Verification
191	OM Construction and Supplier (Satyendra Kumar Agnihotri S/o Shri Jageshwar Prasad Agnihotri) Gata No. 323, Khand No. - 06 Naya, Village- Mochipura,Tehsil- Sadar , District- Mahoba, Uttar Pradesh,M/s OM Construction and Supplier, Area- 0.607 Ha.,	Mahoba	Under Verification
192	Pathak Granite, Gata No. 1164, Vill. Kahra, Teh. Dist. Mahoba.	Mahoba	Under Verification
193	Praveen kumar Tripathi S/o Shri Narendra Kumar Tripathi Gata No.- 339, Khand No.-06 New, Village- Daharra, Tehsil and District- Mohaba,U.P., (Leased Area-1.214 Ha)	Mahoba	Under Verification
194	Priyanshi Singh Pahihar, Gata No. 93, Khand 03, Vill. Bari. Teh. & Dist. Mahoba	Mahoba	Under Verification
195	Shri Vijay Bahadur Singh, Khasra No.-1370, Khand no 04 New 03 Old ,Village -Kulpahad, Tehsil-Kulpahad, District- Mahoba, U.P., Lease area- 2.024 ha.	Mahoba	Under Verification
196	Pushpendra Singh Yadav S/o Shri Shivpal Singh Yadav Arazi No.- 20 kha, Village: Naigawan, Tehsil-Mahoba, District- Mahoba, State-Uttar Pradesh. Area -1.729 Ha.	Mahoba	Under Verification
197	Rafique Khan, Gata No. 339, Khand No. 22 Naya, Daharra, Dist. Mahoba	Mahoba	Under Verification
198	RAKESH KUMAR MISHRA, GATA N.188, Khand No. 1 Naya VILLAGE Mahua Itaura, TEHSIL-Kulpahar, DIST.-Mahoba	Mahoba	Under Verification
199	Ram Karan Misra Contractor, Gata No. 199, Khand No. 04 Naya, Kumhraura Maff, Teh. & Dist. Mahoba	Mahoba	Under Verification
200	Ram Khilavan Shukla S/o Shri Devi Prasad Gata No.-2561, Khand No.- 02, at Village- Pahara, Tehsil-Sadar, District- Mahoba, U.P., Lease area-1.21 ha.	Mahoba	Under Verification
201	Sandeep Kumar Sahu, Gata No. 216, Khand 2 Naya, Vill. Gauhari, Teh & Dist. Mahoba	Mahoba	Under Verification
202	Shabir khan S/o Shri Masoor Ali Gata No.- 128, Khanda No.-02, Area-0.809, Village- Marhathi, Tehsil- and District- Mahoba, U.P.	Mahoba	Under Verification
203	Shivam Granite (Ramkishor Singh S/o Shri Guru Prasad Singh) Arazi No. 339, Khand No. – 26 New 29 Old,Village- Daharra, Tehsil- Mahoba , District -Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 1.619 Ha.)	Mahoba	Under Verification
204	Shri Balaji Suntech power Energy Pvt Ltd. (Prop.- Smt Arati saxena W/o Ashok Kumar) Gata No.-534/3, New , Area-0.809, Village- Urwara, Tehsil & District- Mahoba, U.P.	Mahoba	Under Verification
205	Sukirti Singh W/o Sh. Ramkishore Singh Gata No.-93, Khand No.- 07, Village- Bari, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.012 ha)	Mahoba	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
206	Uma Shankar Mishra Gata No.- 3136, Khanda No.- 03 new, Area-0.809 ha, Village- Jaitpur, Tehsil-Kulpahar, District- Mahoba, U.P.,(Leased Area-0.809 ha)	Mahoba	Under Verification
207	Upendra Kumar Shukla S/o Shri Ramkhilawan Shukla Arazi No.- 2509, 2516 Village- Pahra, Tehsil-Sadar & District -Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 1.303 Ha.)	Mahoba	Under Verification
208	Usha Bajpai W/o Shri Bhuvan Prakash Bajpai Gata No.- 989, KhandNo.- 09, at Village- Makarbai , Tehsil-Sadar, District- Mahoba, U.P., Lease area-0.809 ha.,	Mahoba	Under Verification
209	Vineeta Verma w/o Late Shri Virendra Kumar Gata No. 735, Khand No. - 06 New (Old-07), Area-1.012 ha. in Village- Daharra, Tehsil Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh.	Mahoba	Under Verification
210	VIPUL KUMAR AGRAWAL, gata 2101/2 khand 06 Sijhari, Dist. MAHOBA, 210425	Mahoba	Under Verification
211	Wakar Fatima Usmani W/o Md Shoyeb Gata No.- 2702, Khanda No.-03 New, Area-2.024, Village-Pahara, Tehsil- and District- Mahoba, U.P.	Mahoba	Under Verification
212	Ramkishore Singh S/o Shri Guruprasad Singh, Gata No.- 339, Khand No.- 09, at Village- Daharra, Tehsil & District- Mahoba, U.P., M/s Shivam Granite, Leased Area -0.809 ha	Mahoba	Under Verification
213	Smt. Priyanka Seth, W/o Shri Saurabh Gupta, R/o 905, Chandra Vihar Colony, Tehsil & District: Jhansi, U.P, Proposed of "Sand/Morrum Mining" at Betwa River Bed at Gata No. 321 (Khand – 01) of Area: 4.5 Ha, Village: Saujna, Tehsil: Moth, District: Jhansi, State: Uttar Pradesh.	Jhansi	Under Verification
214	Shri Devendra Kumar Gupta, R/o- 160 OM Shanti Nagar, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., M/s Saksham Contractor and Suppliers, Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-181, Khand No.- 04, at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District -Jhansi, U.P.,M/s Saksham Contractor and Suppliers, Lease area-0.8090 ha.	Jhansi	Under Verification
215	Shri Devendra Kumar Gupta, R/o- Gata No.-181, Khand No.- 03, at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District -Jhansi, U.P., M/s Saksham Contractor and Suppliers, Proposed of " Building Stone (Khanda,Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-181, Khand No.- 03, at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District -Jhansi, U.P. Lease area-1.214 ha.	Jhansi	Under Verification
216	Shri Pawan Kumar Seth S/o Shri Bhagwat Prasad, R/o- Damele Chowk, Mauranipur,District-Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-479, 480, Khand No.- 01, at Village-Kanja, Tehsil-Mauranipur, District-Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha.,	Jhansi	Under Verification
217	Shri Akhil Pratap Singh S/o Shri Raj Bahadur Singh, R/o- Village- Chhapar, Post- Bharosa, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti)" Project at Gata No.-87, Khand No.-02, at Village- Dasna, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Lease area-0.809 ha.,	Jhansi	Under Verification
218	Shri Pawan Kumar Seth S/o Shri Bhagwat Prasad, R/o- Damele Chowk, Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti)Mining" Project at Gata No.-1619, Khand No.- 03, at Village- Rauni, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.618 ha.	Jhansi	Under Verification
219	Smt. Archana Gupta W/o Shri Devendra Kumar Gupta, 160, Om Shanti Nagar, Laxmi Gate, Jhansi Khas, Jhansi-284002., Proposed for Building Stone (Khandas, Gitti, Boulder Mining at Gata No.-515, 16, 17, Khand -03, Village- Sirbo, Chanpura, Tehsil-Garautha,District- Jhansi, U.P., Lease area- 1.214 ha.	Jhansi	Under Verification
220	Shri Tarun Gupta S/o Shri Ashok umar Gupta, R/o- 1346 Naya 712, Kunj Bihari Colony, Gwalior Road, Tehsil & District- Jhansi,U.P., Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease Area 14.00 ha (34.58 acre) along river Betwa in Gata No.- 01, 218 Ka, Village- Kudri, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 14.00 ha, Shri Tarun Gupta	Jhansi	Under Verification
221	Kamlesh Sahu (Shri Ashish Yadav), R/o- Village- Palar, Badagaon, Distt.- Jhansi, U.P., Shamsherpura Sand Mine on Betwa River located at Gata No. 01 Village - Shamsherpura, Tehsil- Teharauli, Distt.-Jhansi , U.P., (Leased Area-12.140 Ha)	Jhansi	Under Verification
222	Smt. Manju Kushwaha, 429, Bada Gaon Gate, Teachers colony, Jhansi, 284001, Diaspore-Pyrophilyte Mining project at Plot No. 1002, Village-Parvasi, Tehsil & District Jhansi, 10.12 Ha	Jhansi	Under Verification
223	Shri Jjaideep Rai(Shri Yogendra Pramani,R/o-356/4, Civil Line Thana-Nawabad, Tehsil- Sadar, istrict-Jhansi, U.P)., Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for located at Khand No.- 240, Khand No.-04, Village- Himanpura, Tehsil-Kalpi, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 16.194 ha)	Jalaun	Under Verification
224	Shri Buddh Singh S/o Shri Shatrujeet Singh R/o - 816, Moth, Poonch, Tehsil- Moth District- Jhansi, U. P., M/s Buddh Singh Granite, Proposes of Building Stone (Khanda, Boulder, Balast) Mining at Gata No./Araji No.–281, Khand No. 01, at Village –Madaurakhurd, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh of M/s Buddh Singh Granite, Area 0.890 ha	Jhansi	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
225	Shri Shivpal Singh S/o- Shri Kartar Singh R/o - Village & Post-Khilli Tehsil- Moth, District- Jhansi (U.P.), Proposed Project of "Building Stone Khanda – Boulder/ Gitti- Ballast Mining " located at Gata No. 455 (Khand No. - 01), in Village- Pachobai, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh, Area 0.809 Ha.	Jhansi	Under Verification
226	Shri Sagar Parecha, R/o- Ao 27 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.), Proposed for Building Stone, khanda, gitty, boulder Mining Project Area 1.214 Ha. for a Production of 36420 m 3 /yr at Gata No.1127,Khand No.-2, Village- Chaukari, Tehsil- Garautha, District-Jhansi State- Uttar Pradesh by Prop. Shri Sushil Parecha	Jhansi	Under Verification
227	Shri Ratan Singh Yadav S/o- Shri Hiralal R/O- Village: Poonchha, Thana: Poonchha District: Jhansi, U.P., M/s Ratan Stone Gramudyog, Proposed Project of "Building stone, Khanda – Boulder/ Gitti - Baillast Mining" located at Gata No- 505 (Khand-01), Area 1.618 Ha. in Village Patha, Tehsil- Garautha, District Jhansi, U.P., M/s Ratan Stone Gramudyog	Jhansi	Under Verification
228	Shri Satish Yadav S/o - Shri Kartar Singh Yadav R/O- Village and P.O. - Khilli, Thana – Poonch, Tehsil : Moth, Distt: Jhansi, (U.P.), Proposed Project of "Building stone, Khanda – Boulder/ Gitti - Ballast Mining" located at Gata No- 23 (Khand-04), Area 1.30 Ha. in Village Dasna, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh.	Jhansi	Under Verification
229	Shri Milan Yadav S/O- Shri Pramod Kumar R/O- 612 H.No, Kamal Singh Colony, Khati Baba District: Jhansi (U.P.), Proposed Project of "Building stone, Khanda – Boulder/ Gitti -Ballast Mining" located at Gata No- 442₹ (Khand-01), in Village Dongri, Tehsil- Sadar, District Jhansi, Uttar Pradesh, Area 1.618 Ha.	Jhansi	Under Verification
230	Shri Anoop Parecha, R/o- Bo 30 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mine" Project at Gata No.-277, Khand No.- 02, at Village-Silari, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.416 ha.,	Jhansi	Under Verification
231	Shri Jitendra Singh, R/o-Village- Nawada, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Proposed River Bed Sand Mining Project at Gata No.-28, 67, 73, 76, Khand No.-02, Village- Nawada, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 14.0 ha)	Jhansi	Under Verification
232	Shri Pramod Kumar Gupta S/o Shri Ram Narayan Gupta, R/o- 1215 Civil Line, Shakti Nagar, B.K.D,Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder & Gitti) Mining" Project at Gata No.-669, Khand No.-03, at Village- Khailar , Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha.,	Jhansi	Under Verification
233	Smt. Khushbu Yadav W/o Shri Neelesh, R/o- 17, Kamal Residency, Shivaji Nagar, District- Jhansi, U.P., M/s Brij Construction Company, Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder & Gitti) Mining" Project at Gata No.-244, Khand No.-01, at Village-Musawali, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Brij Construction Company, Lease area-1.821 ha.,	Jhansi	Under Verification
234	Shri Anoop Parecha, R/o- Bo 30 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mine" Project at Gata No.-3096, Khand No.- 12, at Village-Bijauli, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-0.8090 ha.,	Jhansi	Under Verification
235	Smt.Ragini Dubey, R/o-B.A. 5 K.K. Puri Colony, Seeparee, Tehsil &District-Jhansi, U.P., Proposed of Red Morrum Mine Project at Gata No.-2232, Khand No.- 04, at Village-Jhansi, U.P., Lease area-0.8090 ha.,	Jhansi	Under Verification
236	Smt. Anupama Yadav W/o Shri Charan Singh Yadav, R/o- 178, CP Mission Compound, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-23, Khand No.- 07, at Village-Dasna, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Lease area-2.00 ha.,	Jhansi	Under Verification
237	Shri Sandeep Singh Yadav, Owner, R/o-143, Barwa Sagar, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mining" Project at Gata No.-37/4, at Village-Jarbo, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.011 ha.,	Jhansi	Under Verification
238	Shri Suraj Prasad Gupta S/o Shri Kalicharan Gupta, R/o- Kabrai, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Proposed of " Building Stone (Gitti , Khanda & Boulder) Mining" Project at Gata No.-745/2, at Village-Makarbai , Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.182 ha.,	Jhansi	Under Verification
239	Shri Deepak Wadhi S/o Shri Jagmohan Wadhi, R/o- 1533, Janki Puram, Civil Line,Tehsil & District-Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Gitti , Khanda & Boulder) Mining" Project at Gata No.-856, Khand No.-04, at Village-Pali Pahari, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-0.728 ha.,	Jhansi	Under Verification
240	Shri Pramd Kumar Gupta S/o Late Ramnarayan Guupta, R/o- Shaktinagar Gwalior Road, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti)" Project at Araji No.-1195/11 & 1219/11,at Village- Digara, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.396 ha.,	Jhansi	Under Verification
241	Shri Pravendra Singh S/o Shri Vishun Singh, R/o- 240/4, Ao Kachahari Chauraha Civil Lines,Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Boulder & (Gitti) Bailast) Mining" Project at Gata No.- 120, Khand No.-01, Village- Majhari, Tehsil- Tahrauli, District- Jhansi, U.P., , Leased Area -0.809 ha	Jhansi	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
242	Shri Harpal Singh, R/o- 206 Katra, Gursarai Dehat, Tehsil- Garautha, District- Jhnasi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti)Mining" Project at Gata No.-226, Khand No.-07, at Village-Sirvo, Tehsil- Garautha, District- Jhnasi, U.P., Leased Area -0.809 ha	Jhansi	Under Verification
243	Shi Anoop Singh Patel S/o Shri Khyali Ram Patel, R/o- Mohalla Parvaripur, Tehsil & District-Mainpuri, U.P., Proposed Building Stone (khanda, Gitti & Boulder) Mining Project at Gata No.-295, Khand No.-01, Village-Khilara, Tehsil-Mauranipur, District Jhansi, U.P. Lease area-0.809 ha.	Jhansi	Under Verification
244	Shri Vijay Kumar Khatri S/o Shri R.M. Khatri, R/o- Purana 45 Naya 762, Civil Lines,District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda,Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-267, Khand No.- 01, at Village- Silari, Tehsil-Moth, District -Jhansi, U.P. Lease area-1.416 ha.	Jhansi	Under Verification
245	Shri Raj Kumar Parecha S/o Shri Ishwar Das Pareacha, R/o- 1533, Jankipuram Civil Lines,Tehsil & District -Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Gata No.-06, Khand No.- 01, at Village- Punawali Kalan, Tehsil & District -Jhansi, U.P. Lease area-2.428 ha.	Jhansi	Under Verification
246	ShriVinay Kumar S/o Shri Lala Ram Verma, R/o- 748, Vanshi Gauhara, Thana- Korwali Mainpuri, District- Mainpuri, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Gata No.-105, Khand No.- 01, at Village- Athodna, Tehsil-Sadar, District -Jhansi, U.P. Lease area-2.023 ha.	Jhansi	Under Verification
247	ShriVinay Kumar S/o Shri Lala Ram Verma, R/o- 748, Vanshi Gauhara, Thana- Korwali Mainpuri, District- Mainpuri, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Gata No.-442 Ga, Khand No.- 02, at Village- Dongri, Tehsil-Sadar, District -Jhansi, U.P. Lease area-1.618 ha.	Jhansi	Under Verification
248	Smt. Anupama Yadav W/o Shri Charan Singh Yadav, R/o- B-178, c.p. Misssion Compund, Jhansi, U.P., M/s Raj Construction Company, Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder)Mining" Project at Gata No.-173, Khand No.- 01, at Village- Dhawar, Tehsil-Moth, District -Jhansi, U.P., M/s Raj Construction Company, Lease area-2.832 ha.	Jhansi	Under Verification
249	Shri Harsh Kochar, C-1, & C-2, Industrial Estate, Jhansi, M/s J.K. Minerals, Proposed for Diaspore-Pyrophyllite Mining Project at Khasra No.- 1340, 1344, 1345, 1339, 1328, and Bawal Tanda 421, 422, at Village- Palar, Bewal & Tanda, Tehsil- Jhansi, U.P.,(Leased Area:72.50 Ha)	Jhansi	Under Verification
250	Smt. Saraswati Dubey W/o Shri Sanjay Dubey, R/o- 81, Bajrang Colony, Block Side of Medical College, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder)Mining" Project at Gata No.-326, Khand No.-01,at Village- Todi, Tehsil-Moth, District Jhansi, U.P. Lease area-0.809 ha.	Jhansi	Under Verification
251	Shri Chaudhary Ubaid Ahmad Thekedar S/o Shri Shahid Hussain, R/o- Nai Basti Banki, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) & Red Morrum Mining" Project at Gata No.-585, Khand No.-01,at Village- Bhandra, Tehsil-Mauranipur, District Jhansi, U.P. Lease area-2.0 ha., Shri Chaudhary Ubaid Ahmad Thekedar	Jhansi	Under Verification
252	Smt. Triveni Devi W/o Shri Ratan La Ahirwar, R/o- 365, Nainagarh, Nagra,Jhansi,U.P., Proposed for Punawali Kalan(Gitti-Ballast & Khanda, Boulder) Mine" Project at Gata No.-2449, 2451/2, Village-Punawali Kalan, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Leased Area -5.0 Acres	Jhansi	Under Verification
253	Shri Arvind Kumar Nagayach, Owner, R/o- 808 Ramnagar Ajnaari Road, Railway Crossing K pass , Orai, District- Jhansi, U.P., M/s Nikhil Enterprises, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-515, Khand No.- 04, at Village- Sirvo, Tehsil- Garautha, District-Jhansi, U.P., Leased Area -2.023 ha	Jhansi	Under Verification
254	Shri Anirudha Singh, Owner, R/o- 860 C.P. Mission Compound, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P., M/s Friends Enterprises, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-1293, Khand No.- 02, at Village- Karari, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., Leased Area -2.023 ha	Jhansi	Under Verification
255	Shri Deepak Changani S/o Shri Chetan Lal, Owner,R/o- H.No.-1042, CIC Camapus, Jhokan Bag, Tehsil & District- Jhansi, U.P. Proposed River Bed Sand Mining Project from Managoru River at Gata No.-794, Village- Atpei , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 2.50 ha), Proposed River Bed Sand Mining Project from Managoru River at Gata No.-794, Village- Atpei , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 2.50 ha)	Jhansi	Under Verification
256	Shri Sujeet Tiwari, R/o-372/28, Babulal Karkhane K Pass, Civil lines,Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P.,M/s Sanika Construction, Proposed Project of riverbed "Ordinary Sand Mining" on the riverbed of River Gorboro at Gata No.- 373, 374, 382, 383, 384, 386, 387, 782, 800, 692 at Village-Navada, Tehsil-Mauranipur, District-Jhansi, U.P.,M/s Sanika Construction,Leased Area -3.0 ha	Jhansi	Under Verification
257	Shri Ishwar Das Parecha, R/o- 57/A, Sundar Vihar Colony, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mining" Project located at Araji No.-696, Khand No.-01 , at Village-Karari, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Leased Area -2.023 ha	Jhansi	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
258	Shri Jai Ram Yadav S/o Shri Badri Prasad, R/o- Village-Khalishpur, Tehsil- Budhanpur, District-Azmgarh, U.P., M/s Jai Ram Engineers Contractors, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mining" Project at located Gata No.-281, Khanda No.- 05, Area - 1.780 ha , at Village-Madaurakhurd, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P.,M/s Jai Ram Engineers Contractors, Leased Area - 1.780 ha	Jhansi	Under Verification
259	Shri Ashish Kumar Singh S/o Shri Kailash Singh, R/o- Station Road, Paraichha, Tehsil & District-Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No./Araji No./Plot No.-719, at Village- Goramachhiya, Tehsil & District- Jhansi, U.P., M/s Ashish Enterprises, Leased Area -1.214 ha	Jhansi	Under Verification
260	Smt. Rita Gupta W/o Shri Sanjay Kumar Gupta, R/o- 49, Kailash Residency, Than- Kotwali, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Khasra No.-03, at Village- Sirov , Tehsil-Garautha, District-Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha.	Jhansi	Under Verification
261	Shri Sujeet Bahadur Singh, S/o- Shri Harihar Singh, R/o- Village- Sersa, Tehsil- Moth, District-Jhansi, U.P.,M/s Harihar Stone Gramodhyog, Proposed of Building Stone (Gitti- Pathhar, Khandas, Boulder) mine at Gata No./Araji No./ Plot No.- 12, Khand No.-02, Area- 0.890 Ha (2.25 Acres) at Village- Paraichha, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Harihar Stone Gramodhyog	Jhansi	Under Verification
262	Shri Anurudh Kumar Khare S/o Shri Siyasaran Khare, R/o- 34, Purani Kotwali, Pachkuiya, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed Project of Building Stone,(Khandas & Gitti, Boulder) Mine Project located at Gata No./Araji No./Plot No.- 87, Khand No.- 01, Area- 1.214 Ha, Villlage-Dasna, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Khare Traders, Leased Area -1.214ha	Jhansi	Under Verification
263	Shri Sujeet Bahadur Singh, S/o- Shri Harihar Singh, R/o- Village- Sersa, Tehsil- Moth, District-Jhansi, U.P., Proposed Project of Building Stone,(Khandas & Gitti, Boulder) Mine Project located at Gata No./Araji No./Plot No.- 281, Khand No.- 01, Area- 0.890 Ha (2.25 Acres), Villlage-Marodakhurd, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Harihar Stone Gramodhyog, L	Jhansi	Under Verification
264	Sri Radhika Raman Yadav, Thekedar, Village Lighaura, Tehsil Garautha, District-Jhansi, U.P., Khanda, Gitty/Boulders (Building stone) project at Gata no./Araji no./Plot no. 1098, Khand-01,at Village Sakarar, Tehsil Mauranipur, District-Jhansi., Lease area 1.618 ha.M/s Radhika Raman yadav thekedar	Jhansi	Under Verification
265	Shri Bishan Singh S/o Shri Ghanaram , Director, For- Ghanaram Infra Engineers Pvt. Ltd., R/o 818 west Patel Nagar, New Delhi, Proposed Sand/Morrum Mining Project for M/s Ghanaram Infra Engineers Pvt. Ltd., located at Gata No./Zone No./Khand No- 01 Ka, Village- Kukargaon, Tehsil-Tehrauli, District- Jhansi, U.P.,(Leased Area-30.361 Ha)	Jhansi	Under Verification
266	Shri Rajesh Singh , M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd. , W-21, First Floor, Rajauri Garden, Dehli, Erach (Khand-01/Area- 40.468 ha) Sand/Morrum Mine on Betwa River at Khand No.- 01, Village- Erach Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd., Sanctioned Lease Area: 40.468 ha	Jhansi	Under Verification
267	Shri Shrestha Sahu S/o Shri Vinod Sahu, Owner, R/o- 940/80 Civil Line ,Jhansi, U.P., M/s Vardan Construction, Area- 30.0 Acre/ 12.140 Ha. for River Sand/Morrum Mining at Khand No./ Gata No.-1129, Village- Dikauli, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Vardan Construction (Leased Area-12.140 Ha)	Jhansi	Under Verification
268	Shri Mayank Tomar, Lesses, i26, Bapu Nagar, Bhilwara, Rajasthan, Dhawaker River Sand/Morrum Mine at Khasra No.-1984 & 2009, at Village- Dhawaker, Tehsil- Mauranipur, District- Jhansi, U.P., (Leased Area-12.14 Ha)	Jhansi	Under Verification
269	Shri Ashish Yadav S/o Ram Pratap, R/o- Village- Palar, Badagaon, Tehsil & District.- Jhansi, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Chelra Sand Mine on Betwa River at Khand No.- 1055, 1107, Villgae- Chelra, Tehsil- Moth, District-Jhansi, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.,(Leased Area-16.187 Ha)	Jhansi	Under Verification
270	Shri Akarshit Sharma, Address: H.No.-74, C.O.D. Farm, Jwalanagar, Vikash Nagar, Tehsil- Sadar, District- Rampur, M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Luhargaon Sand Mine On Betwa River at Khand No.- 01, Village- Luhargaon, Tehsil- Tahrauli, District- Jhansi, U.P.,M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., (Leased Area-12.14 Ha)	Jhansi	Under Verification
271	Shri Sharad Pratap Singh S/o Shri Shyam Sundar Singh, R/o- Village- 240, 4A, Kachahri Chauraha, Distt.- Jhansi, U.P., M/s Sharad Enterprises, River Sand Mining at Araji/Gata/Khand No.-184, Area 22.00 Acre (8.903 Ha) , Village- Paraicha, Tehsil- Moth, Distt.- Jhansi, U.P.,M/s Sharad Enterprise, (Leased Area-8.903 Ha)	Jhansi	Under Verification
272	Shri Karan Singh Rathore S/o- Bharath Singh Rathore, A/49 Basant Vihar Panchayawala, Near Raysal School, Jaipur, Vaishali Nagar, Rajasthan, M/s Shri Kuberkamna Marbles Pvt. Ltd., Mailwara Sand Mine on UR River located at Gata No. 950, 966 at Village - Mailwara, Tehsil- Mauranipur, Distt.-Jhansi , U.P., (Leased Area-14.164 Ha)	Jhansi	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
273	Shri Akarshit Sharma S/o Sanjeev K. Sharma, H. No.- 74, C.O.D. Farm Jwalanagar, Vikas Nagar, Tehsil-Sadar, Distt.- Rampur, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Pachauro Sand / Morrum Mine on Sukhnai River located at Gata No. 968, 796, 797, 1102 at Village - Pachauro, Tehsil-Mauranipur, Distt.- Jhansi , U.P., (Leased Area-8.093 Ha)	Jhansi	Under Verification
274	Shri Aman Deep Singh S/o Shri Ranjeet Singh, Katghar, Veer Shah Hazari, Moradabad- 244001, M/s A.D. Agro Foods Pvt. Ltd., Tharro Sand Mine on Betwa River located at Gata No. 01, 319, Village - Tharro, Tehsil- Garautha, Distt.- JHANSI , U.P., M/s A.D. Agro Foods Pvt. Lt, (Leased Area-20.234 Ha)	Jhansi	Under Verification
275	Shri Kailash Chand, E7 M708, Arera Colony, Bhopal, M.P., M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd., Devri Sand Mine on Dhasan River located at Gata No 381/10, 332/1, Village - Devri, Tehsil- Garautha, Distt.- JHANSI , U.P., M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd., (Leased Area-21.044 Ha)	Jhansi	Under Verification
276	Shri Ashok Kumar Rai, Prop., M/s Maa Betwa Trading Company, R/o Village-Badora, Post-Ghisauli, District-Jhansi, U.P., Sand/Moram mining at Araji/Gata No. 278 & 293, Village-Teharka, Tehsil-Garautha, District-Jhansi, U.P. (Leased Area-20.234 Ha).	Jhansi	Under Verification
277	Sri. Sujeet Bahadur Singh, S/o Sri Hari Har Singh, Village-Sersa, Tehsil-Moth, Jhansi, U.P., EC for Stone Ballast/Khanda Boulder Mine at Araji No. 19, Village-Paraicha, Tehsil-Moth, Jhansi, U.P.	Jhansi	Under Verification
278	Shri Rajeev Singh S/o Shri Brijendra Pratap Singh, R/o--Ambedkar Nagar Colony, Kabrai, District-Mahoba, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder, Patiya, Lalmorrum etc) Mining" Project at Araji No.-93/1, Khanda No.- 07, at Village- Lakhanapur, Tehsil-Lalitpur, District-Lalitpur, U.P., Leased Area -2.134ha	Lalitpur	Under Verification
279	Shri Lakshhmi Shankar,Adwaha, Post- Muhara, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Proposed for Khanda, Gitti Mining Project at Araji No.-02/1, Khand-02, Village- Lakhanpura, Tehsil-Lalitpur,District-Lalitpur,U.P., Lease area- 2.550 ha.	Lalitpur	Under Verification
280	Shri Bhupendra Singh, Owner,R/o- Village-Pachauni, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Proposed of Riverbed Sand /Morrum mine at Khasra/Gata No.- 01, Khand No.-01, Village-Pachauni, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Leased Area -2.023 ha	Lalitpur	Under Verification
281	Shri Jai Hind Singh Bundela, Owner,R/o- Village-Pachauni, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Proposed of Riverbed Sand /Morrum mine at Khasra/Gata No.- 01,Khand No.-02 , Village-Pachauni, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Leased Area -1.618 ha	Lalitpur	Under Verification
282	Shri Kaushal Kishore Soni, Owner,R/o-Village- Balargua, Talbehat, District-Lalitpur, U.P., M/s Natraj Builders, Proposed for River Sand Mine at Khasra/Araji No.-391, Village- Balargua, Talbehat, District-Lalitpur, U.P., M/s Natraj Builders,(Area: 3.238 Ha)	Lalitpur	Under Verification
283	Smt. Karuna Parecha Ruchi Satya,R/o-1533, Jankipuram Civil Line , Jhansi, Proposed of Khanda,Gitti mine at Araji/Gata No.- 02/1, Khand No.-03, Villlage- Lakhanpura, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Lease Area 1.0 Ha	Lalitpur	Under Verification
284	Shri Santosh Kumar Singh, Village-Lakhanapur, District- Lalitpur, U.P., Proposed for Khand Gitti Mining Project at Araji No.- 09, Village-Lakhanapur, District- Lalitpur, U.P,Area-1.396 Ha	Lalitpur	Under Verification
285	Shri Ravendra Singh Chauhan, Owner, 440, Near National Convent School, Lalitpur, U.P., Padwa River Sand Mine at Araji No.- 01, at Villge- Padwa, Tehsil- Mahaoni, District- Lalitpur, U.P., M/s Ramraja Minerals, Leased Area -2.60 ha	Lalitpur	Under Verification
286	Sri. Deependra Singh Chauhan, MS KRISHNA ENTERPRISES, 115, Vijay nagar, Kanpur Road, District- Lucknow, Uttar Pradesh-226023, Sand Mining at River Sharda, Village-Mudi, Gata No. 443, Tehsil, Dhaurahra, District Lakhimpur Khiri, U.P.	Lalitpur	Under Verification
287	M/s Mount Victoria Granites Ltd, 36/34, Pal Mohan Mension, East Patel Nagar, New Delhi, Stone Mining Project at Vill-Madwari, Distt-Lalitpur, U.P. (Leased Area-3.583 Hac)	Lalitpur	Under Verification
288	M/s Mount Victoria Granites Ltd, 36/34, Pal Mohan Mension, East Patel Nagar, New Delhi-110008, Sand Stone Mining at Vill-Madwari, Distt-Lalitpur,U.P.(Leased Area-4.127 Hac)	Lalitpur	Under Verification
289	Shri Nikhil Jain,R/o- 13- A, unv Block, Shalimarbagh, Delhi, M/s Abundance Toujours Pvt. Ltd., Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Betwa River located at Gata No.- 747, Khand No.- 03, Village- Pathrehta , Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., (Lease Area: 16.194 ha)	Jalaun	Under Verification
290	Shri Bishan Singh, R/o- 240/4A, Civil Lines Kachahari Chauraha, Tehsil- Jhansi, District- Jhansi, U.P., Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Betwa River located at Gata No.- 240, Khand No.- 03, Village- Hamanpur, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., (Lease Area: 13.360 ha)	Jalaun	Under Verification
291	Shri Nirmal Kant Tiwari,R/o-204, Budhauliyana Rath,District- Hamirpur,U.P.,M/s Mankameshwar Infrastructure, Proposed river bed Ordinary Sand Mining from Betwa River at Gata No.-1396 , Khand No.-1,Village- Bhedi Khurd, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., M/s Mankameshwar Infrastructure, (Leased Area-20.42 Ha)	Jalaun	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
292	Shri Devendra Kumar Gupta S/o Shri Shiv Kumar Gupta, Owner, R/o 160- Om Shanti Nagar, Jhansi U.P., M/s Shaksham Contractors Suppliers, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for , located at Gata No.- 317 Mi, Khand No.- 03, Village- Kurauna, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P.,M/s Shaksham Contractors Suppliers(Leased Area-20.242 Ha)	Jalaun	Under Verification
293	Shri Rajesh Singh, M/s Kuber Kamna Marbels Pvt. Ltd., 312- Ganpati Plaza, Bhati, 41 M. Road, Rajasthan, Basrehi Sand/Morrum Mine on the Betwa River for M/s Kuber Kamna Marbels Pvt. Ltd. at Gata No.- 596, Khand No.-02,(Area- 16.194 Ha), Village-Basrehi, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P.,	Jalaun	Under Verification
294	Shri Chandershekhar Chaurasia S/o Deen Dayal Chaurasia, R/o 28, Brahmapuri Colony, Near Jugauli Crossing,Faizabad Road, Lucknow,U.P., M/s Eureka Mines and Minerals LLP, Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ken River of M/s Eureka Mines and Minerals LLP located at Gata No.-747 (Khand No.- 01), Village- Pathreta, Tehsil- Kalpi, District-Jalaun, Uttar Pradesh. Sanctioned Lease Area-40.02 Ha	Jalaun	Under Verification
295	Shri Devendra Kumar Gupta S/o Shri Shiv Kumar Gupta, Owner, R/o 160- Om Shanti Nagar, Jhansi U.P., M/s Sakshm Contractors Suppliers, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for M/s Sakshm Contractors Suppliers, located at Gata No.- 2513, 2629, Khand No.- 02, Area-20.242 ha (50.00 Acres)Village- Kharka, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 20.242 ha	Jalaun	Under Verification
296	Shri Ajay Kumar Kattiyar, Owner R/o- 117/721 Q-Block, Kakadev Sarada Nagar, Naveen Nagar, District- Kanpur Nagar,U.P., M/s New Pooja Construction, Total Area- 22.0 Acres (8.906 Ha),Effective Workable Area- 17.30Acres (7.012 Ha), River Sand/Morrum Mining Project at Gata No.-1782, 1783, Khand No.- 02, Village- Mohana, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P., M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd., Sanctioned L	Jalaun	Under Verification
297	Shri Maheep Kumar Ojha S/o Shri Ramdeo Prasad Ojha, Village- Dhushah, Tehsil- Balrampur, District-Balrampur, U.P., M/s Bindu and Ram Construction Company, Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River for M/s Bindu and Ram Construction Company, located at Gata No.- 1396 Ga and Khand No.- 03, Village- Bhedi Khurd, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., Sanctioned Lease Area: 20.242 Ha , Effective Ar	Jalaun	Under Verification
298	Shri Umesh Chandra Bansal S/o Shri Kailash Narayan Bansal, Village- Jauti Road, Near Radha Krishan Temple, Porsa, District- Muraina, U.P., M/s Kanhaiyan Lal And Sons, Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River for M/s Kanhaiyan Lal And Sons located at Gata No.- 1782, 1783, Khand No- 03,Village- Muhana, Tehsil- Orai, District-Jalaun, U.P., Sanctioned Lease Area: 8.906 ha , Effective Workable Area- 8.016 Ha	Jalaun	Under Verification
299	Shri Suresh Chandra Gupta S/o Shri Narayan Das Gupta, Owner, H.No.- 60, Ganesh Bazar, Jhansi City, District- Jhansi, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta, Area- 40.0 Acre/16.194 Ha. for River Sand/Morrum Mining Project at Khand No.- 03, Gata No.- 267, 268 ,Village- Kyotra, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta (Leased Area-16.194 Ha)	Jalaun	Under Verification
300	Sri Bishan Singh S/o Shri Ghanaram Singh R/o H.No. 240/4A, Civil Lines, Kachhehri Chauraha, Distt: Jhansi, U.P., Sand/Morrum Mining from Betwa River Gata no. 240 Khand no.5, Vill: Himanpura, Tehsil Kalpi, Dsitt: Jalaun.U.P. Lease Area 16.194 ha.	Jalaun	Under Verification
301	Shri Yashpal Singh Parmar, Owner, M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd., District- Chhatarpur, M.P., Area-40.0 Acre(16.194 ha) for River Sand/Morrum Mining at Khand No.-04, Gata No.- 2558, 2563, Village- Bandhauli, Tehsil- Urai, District- Jalaun, U.P., M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd (Leased Area-16.194 Ha)	Jalaun	Under Verification
302	Shri Suresh Chandra Gupta S/o Shri Narayan Das Gupta, Owner, H.No.- 60, Ganesh Bazar, Jhansi City, District- Jhansi, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta, Sand/Morrum Mining from betawa river for M/s Suresh Chandra Gupta at Gata No. 596 Khand No. 1, Village- Basrehi, Tehsil- Kalpi, District-Jalaun, U.P. (Area 16.194ha)	Jalaun	Under Verification
303	Shri Sharif Khan, Owner, R/o- 315 Nemi Nagar, Extension- Vaishalinagar, Jaipu , M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Karthara Sand Mine on Betwa River at Khand No.- 01,Gata No.- 208, Villgae-Karthara, Tehsil- Orai, District-Jalaun, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.,(Leased Area-6.882 Ha)	Jalaun	Under Verification
304	Shri Vishwas Parmani, S/o H. Parmani, R/o - Asssociated Commerce, Pipriya, Distt.-Hoshangabad(M.P.), M/s Associated Commerce, Sand/ Morum Mining Project from Betwa River for M/s Associated Commerce located at Gata No.-747/16, Village-Patharehta, Tehsil-Kalpi, Disst.-Jalaun, U.P., M/s Associated Commerce, Lease Area 8.90 Ha	Jalaun	Under Verification
305	Sri Mahesh Kumar Dubery,, EC for Khanda/Gitti/Boulder Stone Mining Project at Gata No-892/3, Vill-Chhirwali, Tehsil-Konch, Distt-Jalaun, U.P. (Leased Area 2.70 Acres)	Jalaun	Under Verification
306	Sri. Brijendra Singh, Village-Nrew Ramnagar Orai, Tehsil-Orai, District-Jalaun, Sand/Morum Mining Project at Gata No-860/19, Village-Simiriya, Tehsil-Orai, District Jalaun (Leased Area 3.112 Hac)	Jalaun	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
307	M/s MHG Landstockist Pvt. Ltd.- Sand Mining located at Gata No-212 ,216-224, 232-246, 379, 381-385, 391,392, Khand No.-03, Village- Subhanpur, Tehsil-Khekra, Distt.-Baghpat	Bagpat	Under Verification
308	M/s Manish Chauhan- Sand Mining located at Gata No.-1/2/1, Village-Badarkha Salarpur, Tehsil-Badaut, Disst.- Baghpat, U.P.,	Bagpat	Under Verification
309	M/s HSM HOLDINGS Village- Sankroud, Tehsil- Khekra, DistrictBaghpat	Bagpat	Under Verification
310	M/s MANGAL INFRA REALTY PVT LTD KHASRA NO 1/2, VILLAGE GAURIPUR KHADAR, DISTRICT AND TEHSIL BAGHPAT	Bagpat	Under Verification
311	M/s Apollo Retailers Pvt. Ltd., Gata No.-1/2, Village- Chaprauli Khadar, Tehsil- Badaut, District-Baghpat, U.P.,	Bagpat	Under Verification
312	EC of the Proposed Sand Minor Mineral Mines at Gata No.-228 over an area of 20.469 ha, Village-Bidauli, , Distt.- Shamli, M/s Deep Builders	Shamli	Under Verification
313	Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 4.213 ha (10.41 acre) along River Yamuna in Gata No.- 1671 & 674, at Village- Issopur Khurgan, Tehsil- Kairana, District- Shamli, U.P., (Leased Area-4.213 Ha) Shri Manju Singh W/o Shri Jay Kumar Singh, R/o- 502, Awas Vikas, District- Fatepur	Shamli	Under Verification
314	M/s Prime Vision Industries Ltd, Gata No 1/1, Yamuna River (Lease Area 52.63 Hectare) Village-Dariya Baramad,Tehsil and District Saharanpur	Saharanpur	Under Verification
315	Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at khand No/ Gata no 03, Lot No 03 (Area 08.05 hectare) mining lease Village Rehna, Tehsil-Behat, District- Saharanpur, U.P operated by Shri Satendra Kumar S/o Shri Virendra Singh, Village & Post Khaira Najafgarh,Nai Dilli	Saharanpur	Under Verification
316	Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at Gata No 14/1 (Area 3.10 Hectare) mining lease Village Badshahi Bagh Ra Tehsil - Behat , District Saharanpur, UP operated by Shri Rajesh Kumar S/o Shri Ranveer Singh, R/o- Garhi Birwal, Tehsil- Indri, District- Karnal, Haryana	Saharanpur	Under Verification
317	Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at Gata No.-179/2,Village-Rahna, Tehsil-Behat, District- Saharanpur, U.P, (Leased Area-3.75 ha) mining lease operated by Shri Sanjay Bhatiya S/o Late Shri Anand Prakash Bhatiya by R/o- 1/472, Ramchandrapuri, Maida Mill Phatak, Thana-Qutubsher	Saharanpur	Under Verification
318	Mr Mohammad Ali S/o Late Mr Fakir Mohammad	Bulandshahr	Under Verification
319	Mr Jitendra S/o Mr Aan Singh	Bulandshahr	Under Verification
320	Smt. Dolly Garg, W/o Shri Brajesh, R/o - H.No.- 12/40, Nagala Udaiya Road, Kheragarh, Distt.-Agra, U.P., M/s Mahakali Conctruction - Sand Mining (Sand Mining Project from Yamuna River of M/s Mahakali Conctruction - Sand Mining located at Gata No.-1,2, Village-Sawami Ahatmali, Tehsil- Sadar, Disst.-Agar, U.P., M/s Mahakali Conctruction - Sand Mining, Lease Area 6.07 Ha)	Agra	Under Verification
321	Shri Arun Kumar S/o Late Shri Rambilash Singh, R/o- A1/123, D.L.F. Dilshad Vistar 2, Sahibabad Pasaunda, District- Ghazaibad, U.P., M/s Rishabh Herbal Pvt. Ltd.(Akbara-2 Ordinary Sand Mining at Yamuna River" Project at Gata No.-1175 Sh, Village- Akbara-2, Tehsil- Kirawali, District- Agar, U.P.,(Leased Area: 8.09 Ha))	Agra	Under Verification
322	Shri Ram Gopal Chaudhary S/o Shri Kaloo Ram Chaudhary, H.No.-162/2 Vijay Nagar, Gali No.-2, District- Etawah (River Bed Ordinary Sand Mining Project from Yamuna River for M/s R G Construction located at Gata No.-63/2, Village- Karmana, Tehsil- Agra, District- Agra, U.P., Sanctioned Lease Area: 6.07 ha)	Agra	Under Verification
323	Shri Harivansh Lal Verma S/o Bhagoti Prasad Verma, Owner, Village- Dhem, P.O.- Bhambuwa , Tehsil- Colonelganj, District- Gonda, U.P. (Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Ankur Construction, located at Gata No.- 1064 Mi, Village- Madra, Tehsil- Agar, District- Agar, U.P., Lease Area: 6.07 ha (6.07 acre),)	Agra	Under Verification
324	Shri Dhrmveer Gupta, A-3, 1996, New Civil Lines, Indra Prasad, Hordoi	Hardoi	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
325	Shri Sunita Singh W/o Shri Pawan Kumar Singh, R/o- B- 708, Sector- C, Mahanagar, Lucknow, U.P.	Hardoi	Under Verification
326	Shri Rajveer singh S/o Shri Veerendra Singh, 122/1 Kailashpuri, Sandi Road, Distt.- Hardoi, U.P., M/s Awadh Construction	Hardoi	Under Verification
327	Shri Ashish Kumar Pandey S/o ShriAnil Kumar Pandey, R/o- Anang Behta, Tehsil- Sadar, District- Hardoi, U.P.	Hardoi	Under Verification
328	M/S Raalpur Ordinary Sand Mining Project Gata No. 1436/22, 1437, Khand no. 1/A, Vill. Raalpur, Tehsil Lalganj, Raebareli	Raebareli	Under Verification
329	Proposed River Bed Sand Mining Project from Gomti River located at Gata No.-182 Mi, 184, 186, 199 Kh, 200, 201,203 Mi, Village- Jheejha Mau, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, U.P., (Total Lease Area: 5.238 ha)	Barabanki	Under Verification
330	Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Ghaghra River for M/s Laxmi Dev, located at Khand No.- 02, (Gata No.-498 Jha), Village- Udhaiya, Tehsil- Ramnagar, District- Barabanki, U.P., Sanctioned Lease Area: 12 ha.	Barabanki	Under Verification
331	Proposed Project of Ordinary Sand Mine at Gata No.- 1 Gh, Village- Kothri Gauriya, Tehsil- Sirauligauspur, District- Barabanki,U.P., Lease area-2.1833 ha.	Barabanki	Under Verification
332	Proposed of Riverbed Ordinary Sand mine, Village Kothri Gauriya (Gata No.- 685/2/1, 685/2/2, 758/3, 674, 675/1, 758/1 & 758/1) Tehsil- Sirauli Gauspur & District -Barabanki, Developed By Shrimati Bhanmati, Area 1.6035 Ha	Barabanki	Under Verification
333	River Bed Ordinary Sand mining at River Jauraha at Gata No. 947, Village-Manjha, Tehsil-Nighasan, District-Kheri, U.P. (Leased Area-11.809 ha)	Lakhimpur Kheri	Under Verification
334	Proposed Riverbed Ordinary Sand Mining Project located at Gata no. 443, Vill: Mudi, Tehsil Dhaurhara, Distt: Kheri.U.P. L.area 6.87 ha.	Lakhimpur Kheri	Under Verification
335	Sand Mining Project at Khasra No.-257 Ka, Village- Dhanwan, Tehsil- Biswan, DISTT.- Sitapur, U.P., M/s Saini Traders	Sitapur	Under Verification
336	Sand Mining Project at Gata No.- 609Ka, 610Ka, Village- Kyotana Hardopatti, Tehsil- Laharpur, Distt.- Sitapur, U.P., M/s Radhey Construction,	Sitapur	Under Verification
337	Sand/ Mining Project at Gata No.- 1105 Mi, 1328 ka, 1104 Mi, 1325, Village-Raghunathpur, Tehsil- Misrikh, District- Sitapur, U.P., M/s Kamal Enterprises, Lease Area 10.132 Ha	Sitapur	Under Verification
338	River Bed Sand Mining in River Kadhina at Gata No.- 325, 348, 356, 357, 360, 391, Area- 7.315 ha, Village- Bhithaura Bahadur Nagar, Tehsil- Moholi, District- Sitapur, (Leased Area-7.315 Ha)	Sitapur	Under Verification
339	Proposed "Ordinary Sand Mining" Project In Sharda River at Gata No.-8 Ka/ 195, Village- Ratauli, Tehsil- Laharur, District-Sitapur, U.P.,(Leased Area: 8.0 Ha)	Sitapur	Under Verification
340	Proposed "Ordinary Sand Mining" Project at Gomti River at Gata No.-337 Mi & 330, Village- Ajizpur, Tehsil- Mishrikh, District-Sitapur, U.P., M/s Bharat Construction (Leased Area:5.12 Ha)	Sitapur	Under Verification
341	Proposed "Ordinary Sand Mining" Project at Sharda River at (Khand- Aa) Gata No.-8 Ka/195,, Village- Ratauli, Tehsil- Laharpur, District-Sitapur, U.P., M/s Abhaya Pratap Singh (Leased Area:8.782 Ha)	Sitapur	Under Verification
342	Proposed Ordinary Sand Mining Project at Gata No.-21 Ka/20,at Village- Manjha Setuhee, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P.,Leased Area -1.0720 ha,	Sitapur	Under Verification
343	M/s Aradhya Enterprises, Prop. Shri Ajay Kumar Singh, Mining area-vill-Sonauli Mohmmadpur, Gata no-6186JA, (Area in Hec-6.00), Tahsil-Tarabganj, Gonda.	Gonda	Under Verification
344	Shri Subedar Yadav S/o Late-Pitamber Yadav ,Vill-Dadwa,Post-Rajgadh, Dist-Gorakhpur Mining Project- Address- Total Area25.0hect. of Gata No.-1150 of Vill-Narayanpur, tehsil-Dhanghata, District-Sant Kabir Nagar	Sant Kabir Nagar	Under Verification
345	Shri Ahmad S/o Mustfa Shekh, Vill-Shekhpurwa, tehsil-Mankapur, Dist-Gonda, Proposed for Ordinary Sand Mining to be used in Riverbed of Ghaghara M/s A.R. Vito Minerals from Gata No.-3225, Village-Chhapar Magaarbi, Teshil- Dhanghata, District- Sant Kabir Nagar, U.P.,Leased Area -3.364 ha	Sant Kabir Nagar	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
346	Shri Sunil Kumar Jaiswal, Date: 29/09/2021 S/o- Shri Chhotelal Jaiswal R/o-Vill.-Tandiya Bazar, Thana-Jogiya Udaipur District- Siddharthnagar, Proposed for "Ordinary Sand Mining Project", at Gata No. 259 ग, 258 ग & 258 ख, Village/Ghat-Chivarahiya, Tehsil-Naugarh, District-Siddharth Nagar , U.P. , (Lease Area: Area-2.32 Ha)	Siddharth Nagar	Under Verification
347	Shri Ajit Kumar Mishra S/o Shri kailash nath Mishra, Civil Line, Balrampur, Mining Project Address-Total Area2.387hect. of Gata No.-5, 7क, 30क मि, 28 of Vill-Ahlad Nagar, District-Balrampur	Balrampur	Under Verification
348	M/s Anil Sing, Gata No 767, Village-Sahbadiya Sultanpur, Tehsil-Sagari, District-Azamgarh	Azamgarh	Under Verification
349	Proposed Project of River Bed "Sand/Morrum Mining"on the river bed of Ganga River, at Gata No.- 1255 Ka (Area 15 ha) in Village- Bara, Tehsil- Sewrai, Distt.- Ghazipur	**Ghazipur**	Under Verification
350	EC of Proposed River Bed Sand Mining Project from Ganga River of M/s Tejaswa Gas Service Sand Mining at Gata No-2, Village- Gangbarar Tari, Tehsil- Zamania Distt.-Ghazipur	**Ghazipur**	Under Verification
351	EC of Proposed River Bed Sand Mining Project from Ganga River of M/s Rajesh Prasad Yadav and Son located at Arazi No.-2, Khand No.-01, Village- Hasanpur, Tehsil- Sakaldiha, Distt-.Chandauli, U.P.	**Chandauli**	Under Verification
352	EC of Proposed River Bed Sand Mining Project from Ganga River of Shri Ajay Kumar Singh located at Arazi No-2 Ga, Khand No.-03, Village- Puravijai, Tehsil-Sakaldiha, Distt.-Chandauli, U.P.	**Chandauli**	Under Verification
353	Shri Dev Narayan, Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Rapti River bed, for located at Block No.-02, Gata No.- 04, Village- Tal Mahulani, Tehsil-Campierganj, District-Gorakhpur, U.P., Lease Area: 5.0 ha	Gorakhpur	Under Verification
354	Shri Rakesh Chauhan, Owner, Proposed Project of riverbed Ordinary Sand Mining on the riverbed of Rapti River located at Gata No.-10/2, Block No.- 02,Village- Nadua Lalpur Ehatmali, Tehsil- Sadar, District- Gorakhpur, U.P., (Lease Area: 5.0 ha)	Gorakhpur	Under Verification
355	Shri Sanjay Kumar Maddeshiya S/o Shri Shivnath Prasad, Proposed Ordinary Sand Mining Project from Ganghra river for at Gata No.- 648, Village- Malauli, Tehsil-Gola, District- Gorakhpur, U.P.,Leased Area -5.0 ha,	Gorakhpur	Under Verification
356	Shri Shrimati Rajni Shahi, Proposed Project of Ordinary Sand Mining Project on the riverbed Ghaghra River at Gata No.-Gha, Block No.-04, Village-Ratanpura, Teshsil-Gola, District- Gorakhpur, U.P., M/s Aarchis Enterprises, Lease Area: 5.0 Ha	Gorakhpur	Under Verification
357	Shri Sandhya Pandey W/o Shri Dinesh Pandey, Proposed of Sand Mining Project from River Bed of Rohin river at Gata No.- 247 Ga,at Village- Baikunthpur, Tehsil-Nautanwa, District- Maharajgaj, U.P.,Leased Area -5.475 ha,	Maharajganj	Under Verification
358	Shri Raj Pratap Yadav S/o Shri Bhagwat Prasad Yadav, Proposed "Sand Mining" at Ghaghra River Bed at Gata No. - 396/1 , Village: Takia Dharahara Khadar, Tehsil: Salempur, District: Deoria, State: Uttar Pradesh,Area: 11.70 Ha	Deora	Under Verification
359	Shri Moor Singh S/o Shri Karan Singh, Mahmoodpur, Than- Sunagadi, Tehsil- Patiyali, District- Kasaganj,U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.	Badaun	Under Verification
360	Shri Jitendra Kumar, Owner, S/o Shri Gyanchand, Ward No.- 4, Dineshpur, Tehsil-Gadarpur, District- Udhamsingh Nagar(U.K.), M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.	Badaun	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
361	Shri Mohammad Arif,Owner, Gohar Neariya, District- Pilibhit, U.P.	Pilibhit	Under Verification
362	Shri Mahendra Kumar Agarwal S/o Babulal Agarwal, R/o- Ward No.- 04, Tilak Nagar Khatima,Udham Singh Nagar	Pilibhit	Under Verification
363	Shri Prem Prakash Narang, R/o-Krishna Nagar, District- Shahjanpur, U.P.	Shahjahanpur	Under Verification
364	Shri Jagjeet Singh, R/o-Birasini, Tehsil- Tilhar, District- Shahjahanpur, U.P.	Shahjahanpur	Under Verification
365	Smt. Mubshara Bi, W/o Sajid khan Bragad, R/o- Village- Shahbaznagar, Tehsil- Sadar, District -Shahjahanpur,U.P.	Shahjahanpur	Under Verification
366	Shri Radha Krishan Gupta, S/o Shri Ramnarayan Gupta, R/o Village-Hundal Khel, Tehsil- Sadar, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh	Shahjahanpur	Under Verification
367	Shri Anuj Bansal, HN-30, Qazi Zadgan, Moh- Katarmal, Tehsil- Chandpur, District- Bijnor, U.P., M/s Bansal Bricks	Bijnor	Under Verification
368	Shri Pankaj Vesh S/o Shri Ashok, 191, Katarmal, Tehsil- Chandpur, District- Bijnor, U.P., M/s Sagar Bricks Works	Bijnor	Under Verification
369	Shri Yash Pal Singh S/o Ramswaroop Singh, R/o-Village- Mathera Chauhan, Tehsil- Nagina, District- Bijnor, U.P.	Bijnor	Under Verification
370	Shri Satyendra Singh S/o Shri Brijendra Singh, R/o- A-7, Mangal Vihar Colony, Nikat Nangla Maulvi Aligarh Shehar Col, District- Aligarh, U.P., M/s Brijwala Infra Solution Pvt. Ltd.	Bijnor	Under Verification
371	Pawan Chauhan S/o Shri Ram Pal Singh, R/o-Village- Pal, Salempur Gosain, Gajraula, Amroha,U.P.	Amroha	Under Verification
372	Shri Dilip Kumar Ojha S/O Shri Hanuman Prasad Ojha R/O-184, N Block, Kidwai Nagar, Kanpur Nagar, U.P,M/S JAYANTI ENTREPRENEUR PVT. LTD.	Bijnor	Under Verification
373	Mr. Neelam Mathur, Owner, M/s Krishna Construction, H.No.-31, Anand Bhawan, Sant Pual College, Civil Lines, Distt.- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
374	Smt. Neelam Mathur, Owner, H.No.- 31, Anand Bhawan, Sant Paul College, Civil Lines, Distt.- Moradabad, U.P., M/s Krishna Construction	Moradabad	Under Verification
375	Shri Pradeep Chaudhary S/o Shri Rajendra Singh, Village- Pachokra Khanpur, Tehsil- Kanth, District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
376	Shri Sher Alam S/o Islam Ali, Village- Rustumapur, Tehsil- Bilari, District- Moradabad,U.P.	Moradabad	Under Verification
377	Shri Amit Kumar S/o Shri Giriraj Singh, R/o-Suraj Nagar Pital Nagar, Tehsil- Moradabad, District-Moradabad,U.P.	Moradabad	Under Verification
378	Shri Lakhvindar Singh, Shri Mahendra Singh & Shri Jugendra Singh, S/o Shri Sarjeet Singh, R/o- Jamna Jamni Chauhadda, Tehsil- Sadar, District- Rampur, U.P.	Rampur	Under Verification
379	Shri Gurmeet Singh, R/o- Asadullahpur, Tehsil- Milak, District- Rampur, U.P., M/s A.A. Cable Layers	Rampur	Under Verification
380	Shri Arun Kumar Goyal S/o Shri Deewan Chand, R/o- Subhash Nagar,Uttarakhand	Rampur	Under Verification
381	Shri Saurabh Kumar Tomar, R/o- Shop No.- 02, Before Meenar, Harthala, Moradabad, U.P.., M/s Shiv Shakti Enterprises	Rampur	Under Verification
382	Shri Anjali Kapoor W/o Shri Sharad Kapoor R/o- H.No.- C-13, Gandhi Nagar, Teshil & District- Moradabad, U.P.	Rampur	Under Verification
383	Shri Kailash Singh S/o Shri Rajveer Singh, R/o- Village- Milak Ghansurpur Bamniya, District- Amroha, U.P.	Moradabad	Under Verification
384	Shri Vijendra Singh S/o Late Shri Ram Singh, Resident of Vidya Nagar Mau, Thana- Civil Lines, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
385	Shri Mudassir Khan, Owner, R/o- Rampur Bheela, PO- Sarkara Khas, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
386	Shri Arshad Ali S/o Shri Munan Ahamad, R/o- Pipli Chak, District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
387	Shri Mohd Saleem, Owner, R/o- Village- Milak Sihora, Posr- Munda Pandey,Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
388	Shri Pappi Chaudhari S/o Shri Ahmad Jan,R/o-Chamraua, Post- Akka Dilari,District- Moradabad,U.P.	Moradabad	Under Verification
389	Shri Nazim Ali, Owner, Village- Rampur Bheela Sakara Khas, Tehsil & District- Moradabad,U.P.	Moradabad	Under Verification
390	Shri Danish, Owner, R/o- Village- Salempur Nawada, Chaudharpur, Tehsil- Amroha, District- Amoraha, U.P.	Moradabad	Under Verification
391	Shri Imran Ali, Owner, R/o- Barwara Manjhra, P.O.-Bhaisiya, District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
392	Shri Kuldeep Singh, Owner,R/o- D-39, Deen Dayal Nagar, Phase-2, District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
393	Shri Yogesh Kumar S/o Shri Param Singh, R/o- House No.- E-10, New Moradabad Oop. Power House-2, Sector- 01, District-Moradabad, U.P.,	Moradabad	Under Verification
394	Shri Radhey Shyam S/o Shri Ramswaroop, R/o- Chakarpur, Tehsil- Bajpur, District- Udham Singh Nagar, Utttarakhand	Rampur	Under Verification
395	Shri Satpal Singh, R/o- Village- Bhoovra Ehatmali, Tehsil- Swar, District- Rampur, U.P.	Rampur	Under Verification
396	Shri Rishipal Singh S/o Shri Tularam Singh, R/o- Village- Bhatawali, P.O.- Kazipura, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
397	Shri Sameer Khan, Owner, R/o- Plot No.- 14-15, First Floor, Shri Sai Hospital, Mansarovar Colony, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
398	Shri Sagar Gupta, Owner, R/o- Mohalla-Mahajan, P.O.- Chandausi, District- Sambhal, U.P.	Moradabad	Under Verification
399	Shri Mohammad Rafi , Owner, R/o- Village- Milak Bujpur Asha, P.O.- Veerpur Than, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
400	Shri Pawan Kumar, Owner, R/o-Mohiuddinpur, Kamelpur Dhanora, Tehsil & District- Amroha, U.P.	Moradabad	Under Verification
401	Shri Mohd. Akhlak S/o Shri Mohd. Ishak, R/o- Pandit Nagala, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
402	Shri Monu Pal, Owner, Village- Hussainpur Hameer, Tehsil- Bilari District-Moradabad, U.P,	Moradabad	Under Verification
403	Shri, Owner, R/o- Lalpur Hameer, Faridpur Hameer, Tehsil- Bilari ,District- Moradabad, U.P,	Moradabad	Under Verification
404	Shri Yogesh Chandra, Owner, R/o- ,K.G.K College, Surya Nagar , Tehsil & District- Moradabaad, U.P.	Moradabad	Under Verification
405	Shri Yogesh Kumar S/o Shri Param Singh, R/o- House No.- E-10, New Moradabad Opposite power house- 2 sector 1,District- Moradabad, UP,	Moradabad	Under Verification
406	Shri Brahmpal Singh, R/O- Ampur Dhamman, Tehsil – Tanda, District – Rampur, U.P.	Rampur	Under Verification
407	Shri Rajesh Kumar Gupta, R/o- Mohalla- Nausar, Jalalabad District- Shahjahanpur,U.P.	Moradabad	Under Verification
408	Shri Amit Kumar S/o shri Giriraj Singh R/o- Suraj nagar Pilat Basti, District – Moradabad , Uttar Pradesh.	Moradabad	Under Verification
409	Shri Bisharat Husain, R/o-Village-Chaudharpur, (DiDoli),Tehsil & District-Amroha, U.P,Amroha,Uttar Pradesh	Moradabad	Under Verification

2001

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
410	Shri Imran Ali, Owner, R/o- Viillage-Barwara, P.O-Bhaisiya Tehsil & District-Moradabad (U.P),	Moradabad	Under Verification
411	Shri Rajendra Singh R/o Munda Pande, District- Moradabad, Uttar Pradesh	Rampur	Under Verification
412	Shri Pradeep Kumar S/o Shri Rajendra R/Oo – Village Pachokara khanapur – Post – Kuchawli, Chhajlet, Tehsil - Moradabad, District - Moradabad, Uttar Pradesh	Moradabad	Under Verification
413	Shri Rajesh Kumar S/o Shri Rajpal Singh, R/o Kanharpur Nagla Barah, Tehsil- Bisauli, District - Badaun, U.P.	Sambhal	Under Verification
414	Shri Subhan, R/o- Village- Karanpur, P.O.- Yusufpur Nagaliya, Tehsil & District-Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
415	M/s Umar Goods Transport & Ent. , Add.- Bhojpur Dharampur, Near B.S.N.L. Kashipur Road, District-Moradabad, U.P.	Rampur	Under Verification
416	Shri Sameer Khan, R/o- Plot No 14-15, 1st Floor Beside Sri Sai Hospital Mansarovar Colony Tehsil District Moradabad,,Moradabad,Moradabad,Uttar Pradesh,M/s Verner Enviro India Pvt Ltd.	Moradabad	Under Verification
417	Shri Malkit Singh, R/o- Math Khera, Tehsil- Swar, District- Rampur, U.P., M/s Baba Deep Singh Enterprises	Rampur	Under Verification
418	Shri Nusrat Naim Siddiqui, Date: 30/12/2021 S/o- Late Shri Rashidullah Siddiqui R/o-Ekta Vihar, Shaukat Ali Road, Civil Lines, Tehsil- Sadar, District- Rampur (U.P.)	Rampur	Under Verification
419	Shri Name Ali S/o Shri Maseeta R/o-Narpat Nagar Dudawala, Tehsil- Swar, District-Rampur, U.P., M/s Imran Traders	Rampur	Under Verification
420	Shri Naame Ali S/o Shri Maseeta R/o—Narpat Nagar Doondawala, Tehsil- Swar, District-Rampur, U.P.	Rampur	Under Verification
421	Shri Ayush Bhedda S/o Shri Mahesh Pal, R/o – Near Primary School, Katha Bagpat,Uttar Pradesh	Moradabad	Under Verification
422	Shri Vijendra Singh S/o Late Shri Ram Singh R/o – Bank Colony, Harthala Tehsil & District- Moradabad (U.P.)	Moradabad	Under Verification
423	Shri Gaurav Agarwal S/o Shri Jaideep Agarwal R/o Badrinath Marg, Kalagarh Sukhri, Kotdwar, Pauri Garhwal	Rampur	Under Verification
424	Shri Pawan Kumar S/o Shri Mahendra Singh Residential Address – Village-Muhiuddinpur, Post- kamelpur dhanaura, Amroha, Uttar Pradesh	Moradabad	Under Verification
425	Shri Gurmeet Singh, Partner R/o- Asadullahpur, Tehsil- Milak, District- Rampur, U.P., M/s A. A.Cable Layers	Rampur	Under Verification
426	Shri Sumit Chaudhary, R/o- Mahendari Sikandarpur, Chhajlet, District- Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
427	Shri Rajesh Kumar S/o Shri Rajpal Singh, R/o Kanharpur Nagla Barah, Tehsil- Bisauli, District- Badaun, U. P.	Sambhal	Under Verification
428	Shri Nazim Ali S/o Shri Muslim Residential Address – Village Rampur bheela, Post Sarkara khas, District- Moradabad, Uttar Pradesh	Moradabad	Under Verification
429	Shri Mou Raza, R/o- ill-Lakhanpur ladapur, Post-Udhamawala, Roshanpura, Moradabad, Uttar Pradesh	Moradabad	Under Verification
430	Shri Pappi Choudhry, R/o- Ahmad Jan Chamraua Post Office Akka Dilari Moradabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
431	Shri Abdul Vahab S/O Abdul Gaffar R/o- Mohalla -Lal Masjid, Tehsil- Sadar ,District-Rampur, U.P	Rampur	Under Verification
432	Shri Pawan Kumar, R/o- Village- Muhiuddinpur, Post Kamelpur Dhanaura, Tehsil-Amroha, District- Amroha (U.P.)	Moradabad	Under Verification

2002

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Mining Leases
433	Shri Kuldeep Singh, R/o- D-39, Deendayal Nagar, Phase- 2, Near Wave Mall, Tehsil & District- Moraadabad, U.P.	Moradabad	Under Verification
434	Shri Sunny Garg S/o- Shri Meghraj Garg, Gata No- 659 & 671, Village- Doondawala, Ehatmali, Swar, Rampur, UP	Rampur	Under Verification
435	Shri Ravindra Chaudhary S/o Shri Ram Ratan Singh, Village- Pachokra Khanpur, Post- Kuchawali, District- Moradabad, Uttar Pradesh	Moradabad	Under Verification
436	Shri Atul Singh, R/o- Village- Bhatawali, District- Moradabad ,Uttar Pradesh	Moradabad	Under Verification